पंचम माला, खंड 28, अंक 51, सोमवार, 7 मई, 1973/17 वैशाख, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXVIII, No. 51, Monday, May 7, 1973/Vaisakha 17, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th S
LOK SABHA DEBATE

Preservation Unit
Fumigated
On 24-8-92
Parliament Library

[सातवां सत्र
Seventh Session]

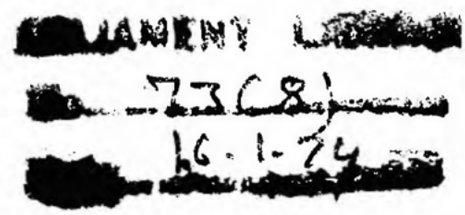

...AMENT LIBRARY
73(8)
16.1.74

[खंड 28 में अंक 51 से 58 तक हैं
Vol. XXVIII contains Nos. 51 to 58]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 51, सोमवार, 7 मई, 1973/17 वैशाख, 1895 (शक)

No. 51, Monday, May 7, 1973/Vaisakha 17, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय / Subject	पृष्ठ Pages
982.	एन० डी० एस० के प्रशिक्षकों को दिल्ली प्रशासन द्वारा अपनी सेवाओं में लेना / Absorption of N.D.S. Instructors by Delhi Administration	1-3
983.	सामान्य पूल से आवास के आवंटन की प्रतीक्षा / Waiting for allotment of accommodation in General Pool	3-7
984.	समुद्री मात्स्यकी में सहयोग के लिए पोलैंड के साथ समझौता / Agreement with Poland on Co-operation in Marine Fisheries	8-9
987.	मध्य प्रदेश में विस्तार कार्यक्रम के लिए कोरी सिनेमा फिल्मों और अन्य श्रव्य-दृश्य उपकरों की कमी / Shortage of Raw Movie Films and other Audio-visual Equipment for extension Programmes in M.P.	9-10
988.	कृषि प्रयोजनों के लिए भूमिगत जल की खोज करने सम्बन्धी योजना / Scheme for exploring underground Water for Agricultural Purpose	10-13
989.	सस्ते मकानों के लिए डिजाईन / Designs for Cheap Houses	13-14
990.	बम्बई के निकट नहावा शेवा द्वीप में एक उप-पत्तन बनाना / Development of Satellite Port at Nhava Sheva Island near Bombay	14-15
991.	प्रत्येक शरण्य स्थल में बाघों की अधिकतम संख्या / Optimum Number of Tigers for Sanctuary	15-18

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
992.	गुजरात में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में आयातित गेहूं का सड़ जाना	Imported Wheat got rotten in Godowns of F.C.I. in Gujarat .	18-19
993.	ताजमहल, लालकिला और फतेहपुर सीकरी, आगरा के प्रवेश टिकटों का दोबारा बेचा जाना	Re-sale of Entrance Tickets at Taj Mahal, Red Fort and Fatehpur Sikri, Agra	19
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**			
981.	दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन कालेजों के शासी निकायों की संरचना में परिवर्तन	Changes in composition of Governing Bodies of Colleges under University of Delhi . .	19-20
985.	कम पानी में उत्पन्न होने वाली ज्वार की खेती करना	Growing of Drought Resistant Jowar	20
986.	चित्तौड़गढ़ किले पर खर्च की गई राशि	Amount spent on Chittorgarh Fort	20-21
994.	भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली के फोटो लिथो विंग के बारे में राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् का प्रतिवेदन	Report of National Productivity Council regarding Photo Litho Wing of Govt. of India Press	21
995.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महानगरों में गंदी बस्तियां हटाने के लिए वित्तीय सहायता	Financial aid for slum clearances in Metropolitan Cities during Fifth Five Year Plan . .	21
996.	ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम की क्रियान्विति में कठिनाइयां	Difficulties in implementation of Crash Programme for Rural Employment	21-22
997.	चीनी के कारखाने में पर्यवेक्षकों के पदों को समाप्त करना और चीनी उत्पादन पर इसका प्रभाव	Abolition of Posts of Supervisors in Sugar Factory and its effect on Production of Sugar . . .	22
998.	भारतीय औषध तथा होम्योपैथी सम्बन्धी गोष्ठी	Seminar on Indian Medicine and Homoeopathy	22
999.	गेहूं के व्यापार के सरकारीकरण के बाद अनुभव की जा रही कठिनाइयां	Difficulties being experienced after take-over of Trade in Wheat .	23
1000.	मैसूर में मेडिकल कालेजों के लिए चलता-फिरता औषधालय	Mobile Dispensary for Medical Colleges in Mysore . . .	23

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9257.	'वकड' नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Aided Educational Institution in Vakada Nellore, Andhra Pradesh . .	24
9258.	जादूगरों को प्रोत्साहन	Encouragement to Magicians	24
9259.	महाराष्ट्र के सेन्ट्रल स्कूलों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को रियायत	Concession to S.C. & S.T. Students of Central Schools in Maharashtra . . .	24-26
9260.	तमिलनाडु के सेन्ट्रल स्कूलों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को रियायत	Concession to S.C. & S.T. Students of Central Schools in Tamil Nadu	26-27
9261.	बड़े/छोटे पत्तनों का विकास	Development of Major/Minor Ports	27-29
9262.	समाज कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में संस्थाओं को अनुदान	Grants to Institutions in Bilaspur District of M.P. by Deptt. of Social Welfare . . .	29
9263.	मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में संस्थाओं को सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान	Grants to Institutions in Raipur District of Madhya Pradesh by Department of Social Welfare	29-30
9264.	नई दिल्ली, पंखा रोड स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेटों में बिजली की व्यवस्था करना	Provision of Power in D.D.A. Flats, Pankha Road, New Delhi	30
9265.	उड़ीसा में पेय जल की सुविधा	Drinking Water Facility in Orissa .	30-31
9266.	दक्षिण दिल्ली की कालोनियों में अनधिकृत निर्माण कार्य	Unauthorised Construction in South Delhi Colonies	31
9267.	दिल्ली दुग्ध योजना के कनिष्ठ डिपो सहायक की सेवाओं को समाप्त करना	Termination of Services of Junior Depot Assistants of Delhi Milk Scheme	31-32
9268.	स्वर्गीय मेहर चन्द महाजन की जीवनी	Biography of Late Mehr Chand Mahajan	32
9269.	दिल्ली के स्कूलों के लिए 'सलेक्शन ग्रेड, के अध्यापकों की सूची	List of Selection Grade Teachers for Delhi Schools . .	33
9270.	मैसूर में खाद्य उत्पादन की कमी	Fall in Food Production in Mysore	33
9271.	वैदिक स्कालरों और उनके परिवारों को सहायता	Assistance to Vedic Scholars and their Families	33-34

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9272. मंडियों में गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों का आवती रुख	Trend in arrivals of Wheat and other Foodgrains in Mandis . .	34-35
9273. सरकार द्वारा गेहूं की खरीद	Procurement of Wheat by Government	35
9274. फतहपुर, सीकर (राजस्थान) में एक बहुत बड़ा भेड़ प्रजनन फार्म बनाया जाना	Development of a Large Central Sheep Breeding Farm at Fatehpur, Sikar	35
9275. पुरुषों के इस्तेमाल के लिए एक सुरक्षित रासायनिक गर्भ निरोधक का विकास	Development of a Safe Chemical Contraceptive for Males . .	36
9276. प्रारम्भिक पाठशाला स्तर पर तीन भाषाई सूत्र	Three Languages Formula at Primary School Stage . . .	36
9277. जनकपुरी से दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा	D.T.C. bus service from Janakpuri	37
9278. डी० डी० ए० फ्लैटों प्लाटों का आवंटन	Allotment of D.D.A. flats/plots	37
9279. विदेशों से 'फिक्स्ड विंग' वाले कृषि विमानों का आयात	Import of Agricultural fixed wing aircraft from foreign countries .	38
9280. मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्र में पेय जल सुविधाओं का प्रदान किया जाना	Development of drinking water facilities in Adivasi areas of Madhya Pradesh	38
9281. केरल में जनसंख्या की सघनता के कारण परिवार नियोजन योजना के लिए अधिक सहायता	More aid for Family Planning Scheme owing to density of population in Kerala . .	38-39
9282. केरल में राष्ट्रीय राजपथ के लिए राशि	Amount for National Highways in Kerala	39
9283. स्वाधीनता के वार्षिकोत्सव पर व्यय	Expenditure on Anniversary Celebration of Independence . .	39-40
9284. महानगरों में एक से अधिक प्राधिकारण	Multiplicity of authority in a Metropolitan City	40-41
9285. चीनी के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय	Foreign Exchange Earnings by the Export of Sugar . . .	41
9286. औषधियों पर किस्म नियन्त्रण लागू करना	Enforcement of Quality Control on Drugs	41-42
9287. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में नियुक्तियां	Appointments in I.I.T., Delhi	42
9288. अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन मार्गों पर लम्बे 'रूट' आरम्भ करना	Introduction of long route on nter-State Transport . .	43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9289.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रबन्ध मंडल के अध्यक्ष द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को समाप्त करने सम्बन्धी वक्तव्य	Statement by Chairman of Board of Governors of I.I.T. regarding scrapping of I.I.T. . . .	44
9290.	उत्तर प्रदेश में ब्लाक प्रमुखों के चुनाव	Election of Block Pramukhs in Uttar Pradesh	44
9291.	परम्परागत तरीकों अथवा आणविक विकीरण द्वारा खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए परीक्षण	Tests for Preservation of Food by Conventional Methods or by Nuclear Radiation . . .	45
9292.	सख्त पथरीली नींव वाले क्षेत्रों में सप्लाई किए गए चट्टान छिद्रण यंत्र (रिग्स)	Rock drilling rigs supplied in areas of hard rock foundations . .	45
9293.	राज्य आवास बोर्डों को स्वीकृत विशेष ऋण	Special loan sanctioned to State Housing Boards . . .	45
9294.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में अनियमितताएं	Irregularities in Central Hindi Directorate	46
9295.	वाशिंगटन में घटिया किस्म के माइलों के कथित क्रय की जांच	Inquiry into reported purchase of second grade milo in Washington	46
9296.	प्रगतिशील प्रोफेसरों के एक वर्ग द्वारा सुझाए गए संसाधनों का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में जोड़ा जाना	Incorporation of amendments suggestions by a section of Professors in Aligarh Muslim University Act	47
9297.	किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं से धन एकत्र करना	Collection of Cash from D.M.S. Booths by an Unidentified Person	47
9298.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अहाते में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबन्ध	Ban on R.S.S. in Banaras Hindu University Campus . . .	47-48
9299.	दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	Scheduled Caste Employees in Education Department of Delhi Administration	48
9300.	केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की मूर्तियों के प्रलेख (डाक्यूमेंटेशन) तैयार करना	Documentation of Sculptures at Centrally Protected Monuments .	48-49
9301.	सावारा और संथाल भाषाओं की लिपि	Scripts of Savara and Santhal Languages	49
9302.	उर्दू सम्वर्धन समिति का प्रतिवेदन	Report of Urdu Promotion Committee	49-50
9303.	सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्म शताब्दी	Birth Centenary of Sardar Uallabhbhai Patel	50
9304.	राजस्थान में गेहूं का वसूली मूल्य	Procurement Price of Wheat in Rajasthan	50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9305.	प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार परियोजना के लिये ब्लाकों के चयन की कसौटी	Criteria for selection of Blocks for pilot intensive Rural Employment Project . .	50
9306.	अरब की खाड़ी के एक देश की कम्पनी को चावल और आलुओं का निर्यात	Export of Rice and Potatoes to an Arabia Gulf Concern .	51
9307.	पोलैण्ड से खरीदे जाने वाले जहाजों की अपरिवर्तनीय (नान-कनवर्टेबल) रुपयों में अदायगी	Payment in Non-convertible Rupees in respect of Ships to be purchased from Poland .	51
9308.	पुरी के जगन्नाथ मन्दिर के प्रबन्ध को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना	Take-over of Management of Jagannath Temple, Puri	51
9309.	गेहूं की सप्लाई के बारे में विश्व खाद्य कार्यक्रम को विरोध	Protest to World Food Programme regarding Wheat Supply	51-52
9310.	भारतीय और विदेशी जहाजों द्वारा किया गया व्यापार और पी० एल० 480 आयात के निलम्बन से विदेशी मुद्रा की बचत	Trade carried in Indian and Foreign Ships and Savings of Foreign Exchange due to suspension of PL-480 Imports	52-53
9311.	पंजाब में ग्रामीण औषधालयों का जाल बिछाने की योजना	Scheme for net work of Rural Dispensaries in Punjab	53
9312.	ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाएं	Schemes under Crash Programme for Rural Employment submitted by Punjab Government	53-54
9313.	कृषि अनुसंधान में परमाणु सम्बन्धी तकनीक के उपयोग पर विचार गोष्ठी	Seminar of Nuclear Techniques in Agricultural Research	54-55
9314.	चतुर्थ योजना में स्थावर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने सम्बन्धी योजना की लागत	Cost of the Scheme to strengthen Static Soil Testing Laboratories during Fourth Plan .	55
9315.	'हाउ दि रिच चीट हास्पिटलज आफ़ मिलियन्स' शीर्षक से समाचार	News item "How the Rich Cheat Hospitals of Millions"	56
9316.	उड़ीसा में खाद्यान्नों की कमी	Shortage of Foodgrains in Orissa	57
9317.	भीलवाड़ा में 'मेणल' अवशेषों का संरक्षण	Preservation of 'Menal' remains in Bhilwara	56
9318.	प्रत्येक वन्य जीव रक्षित क्षेत्र में बाघों (टाईगर) की संख्या	Tiger population, Sanctuary Wise .	57-58

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9319.	रामडीहा गांव में एस० ई० टी० केन्द्र की स्थापना	Setting up of S.E.T. Centre in Ramdiha village . .	59
9320.	"डाक्टर्स डिलेम्मा" शीर्षक से समाचार	News Item "Doctor's Dilemma"	59
9321.	"पिछड़े क्षेत्रों के प्रति सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उपेक्षापूर्ण रवैया" शीर्षक वाला समाचार	News item captioned C. D. Programme ignores backward Areas	59-60
9322.	वर्ष 1972-73 में गुजरात में जामनगर के लिए मंजूर किये गये नलकूप	Tube wells sanctioned for Jamnagar in Gujarat in 1972-73	60
9323.	मेडिकल कालेजों में होम्योपैथी की शिक्षा	Teaching of Homoeopathy in Medical Colleges	60
9324.	निर्माण और आवास मंत्रालय में आग लगना	Fire in Ministry of Works and Housing	60
9325.	भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में देसी तथा आयातित गेहूं का सड़ जाना	Indigenous and imported wheat got rotten in the Godowns of F.C.I.	61
9326.	केन्द्रीय सचिवालय का रख-रखाव	Maintenance of Central Secretariat Complex	61
9327.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम नागलराय, नई दिल्ली में सीवर डालना और नालियां बनाया जाना	Laying of Sewers and constructing drains in village Nangalrai, New Delhi by D.D.A.	61-62
9328.	ग्राम नांगलराय, नई दिल्ली के निवासियों को गृह निर्माण सम्बन्धी सुविधाएं	House Building Facilities to Villagers of Nangalrai, New Delhi .	62
9329.	राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण औषधालयों का जाल बिछाने की योजना	Scheme for Net Work of Rural Dispensaries in Rajasthan and U.P.	62-63
9330.	ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाएं	Schemes under Crash Programme for Rural Employment submitted by Rajasthan Government	63-64
9331.	राजस्थान में अकाल राहत कार्य	Famine Relief Work in Rajasthan	64
9333.	'बल्क मिल्क वेंडिंग मशीनों' का आयात	Import of Bulk Milk Vending Machines	65
9334.	गन्ने से बनाया गया "मुलाफिस" तथा उसका कन्ट्रोल और बाजार भाव	Mulafis produced from Sugarcane its Control and Market Rate .	65-66
9335.	सामान्य जनता के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	C.G.H.S. for General Public	67

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9336.	इंडियन पोटास लिमिटेड की साम्य पूंजी तथा प्रबन्ध में व्यापार गृहों का भाग लेना	Association of Business House in Equity and Management of Indian Potas Limited . . .	67-68
9337.	नाइट्रो फास्फेट पर आधारित मिश्रित उर्वरक का सीधा आयात	Direct Import of Nitro-Phosphate-Basted Complex Fertilizer .	68-69
9338.	अनाज जोनो के रूप में पंजाब और हिमाचल प्रदेश	Punjab and Himachal Pradesh as Food Zones	69
9339.	वासैक्टामी आपरेशन के द्वारा हरिजनों की जबरदस्ती नसबन्दी	Forcible Sterilisation of Harijans Through Vasectomy Operation .	69-70
9340.	ग्रामीण संस्थानों के लिए अनुदान	Grants to Rural Institutes .	70
9341.	राजकोट जिले में समाज कल्याण केन्द्र	Social Welfare Centres in Rajkot District	70
9342.	विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली को सौंपे गये डी० आई० जेड० क्षेत्र के टाईप III के 64 क्वार्टर	64 Type III Quarters in DIZ Area Banded over to Willingdon Hospital, New Delhi . . .	71
9343.	ग्रेटर कैलाश I के दक्षिणी भाग में बह रहा खुला नाला	Open Drain Running to South of Greater Kailash I . . .	71-72
9344.	शिक्षा मंत्रालय के सलाहकार अधिकारियों के संघ से ज्ञापन	Memorandum from Association of Advisory Officers of Education Ministry	72
9345.	भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से पटना को सप्लाई की गई घटिया किस्म की चीनी	Sub-standard Sugar supplied to Patna from F.C.I. Godown .	72
9346.	समाज कल्याण विभाग द्वारा बिहार के सहरसा जिले की संस्थाओं को अनुदान	Grants to Institutions in Saharsa District of Bihar by Deptt. of Social Welfare	73
9347.	काम करने वाली माताओं के बच्चों की देख-भाल करने सम्बन्धी योजना	Scheme for Looking after the children of Working Mothers .	73
9348.	दिल्ली विकास प्राधिकरण की प्रक्रियाओं और उसके संगठन में सुधार करना	Streamlining Procedures and Organisations of Delhi Development Authority	73
9349.	डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली के सेक्टर 'डी०' के क्वार्टरों में दोषपूर्ण फर्श	Defective Flooring in Quarters of Sector 'D', DIZ Area, New Delhi	73-74
9350.	डी० आई० जेड० एरिया के चार मंजिले क्वार्टरों का दोषपूर्ण निर्माण	Defective Construction of Four Storeyed Quarters of D.I.Z. Area	74
9351.	बिहार में एन० डी० एस० प्रशिक्षकों की नियुक्ति	Posting of N.D.S. Instructors in Bihar	74-76

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9352.	मध्य प्रदेश में कृषि का यंत्रीकरण करने सम्बन्धी योजना	Scheme for Mechanisation of Agriculture in Madhya Pradesh .	76
9353.	चम्बल घाटी में कृषि पर आधारित उद्योगों के योजनाबद्ध विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की योजना	Scheme of N.C.D.C. for Planned Development of Agro Based Industries in Chambal Valley .	76-77
9354.	नेपाल से चावल का आयात	Import of Rice from Nepal .	77
9355.	वर्ष 1971-72 और 1972-73 के मौसम में मार्च और अप्रैल के महीनों में तमिल नाडु में चीनी के कारखानों द्वारा तैयार की गई औसत चीनी	Average Recovery of Sugar Factories in Tamil Nadu for the Months of March and April 1971-72 and 1972-73 seasons . . .	77
9356.	तमिल नाडु के गन्ना उत्पादकों एवं संभरणकर्ताओं द्वारा ज्ञापन	Memorandum by the Sugarcane Growers cum-Suppliers of Tamil Nadu	78
9357.	गोआ में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना	Setting up of Central University in Goa	78-79
9358.	एकाधिकार वसूली योजनाओं के विरुद्ध भारतीय किसान महासंघ द्वारा आन्दोलन	Stir by Farmers Federation of India against monopoly Procurement Scheme	79
9359.	पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय तथा लुधियाना कृषि फार्म के विशेषज्ञों के अनुसार गेहूं की उत्पादन-लागत	Cost of production of wheat as per experts of Pant Nagar Agricultural University and Ludhiana Farm .	79-80
9360.	सबसे बड़े 20 नगरों में दूध की मांग व पूर्ति	Demand and supply of milk in first 20 big cities . . .	80-81
9361.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा 365 अनुसंधान योजनाओं का खटाई में डाला जाना	365 new research schemes shelved by ICMR . .	81-82
9362.	दिल्ली और नई दिल्ली में राज्य सरकारों द्वारा सम्पत्ति का अधिग्रहण	Acquisition of property by State Governments in New Delhi and Delhi	82
9363.	भारतीय जहाजरानी निगम तथा नौवहन कम्पनियों द्वारा अर्जित किये गये जहाज	Ships acquired by Shipping Corporation of India and Shipping Cos.	82-83
9364.	दिल्ली में जूनियर गृह विज्ञान अध्यापकों की पदोन्नति	Promotion of Junior Home Science Teachers in Delhi . . .	84
9365.	कोचीन में बड़े-बड़े टैंकरों के रुकने के स्थान की नियति	Fate of super tanker berth at Cochin	84

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9366.	उत्तर प्रदेश के ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम का कार्यान्वयन	Implementation of Crash Programmes for rural employment in U.P.	86
9367.	भारत में माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड के एकक और उनकी उत्पादन क्षमता	Units of Modern Bakeries in India and their production capacity .	86
9368.	लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु उठाये गये कदम	Steps to encourage education among girls	87-88
9369.	लोक निर्माण विभाग, मणिपुर द्वारा ठेके दिया जाना	Award of Contracts by P.W.D., Manipur	88-89
9370.	चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग, मणिपुर में की गई तदर्थ नियुक्तियां	Ad hoc Appointments made in the Deptt. of Medical Health Services, Manipur	89
9371.	मणिपुर में अध्यापकों का स्थानान्तरण	Transfer of Teachers in Manipur	89
9372.	लोक निर्माण विभाग, मणिपुर में तदर्थ नियुक्तियां	Ad hoc Appointments in P.W.D. Manipur.	89-90
9373.	मणिपुर म मान्यताप्राप्त जूनियर हाई स्कूल	Recognised Junior High Schools in Manipur .	90
9374.	स्कूल और कालेजों में स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास का अनिवार्य अध्ययन	Compulsory study of History or Freedom Movement in Schools and Colleges	90
9375.	बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सम्पर्क	National Highway Links during Fifth Five Year Plan in Bengal, Bihar and Orissa	91
9376.	अखिल भारतीय पत्तन और गोदी कर्मचारी संघ की मांगें	Demands of All India Port and Dock Workers Federation	91
9377.	अलाभप्रद जोतों वाले क्षेत्रों में अधिक उपज वाली किस्मों की बुवाई वाले जिलों में किसान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना	Establishment of Farmers Training Centre in High Yielding Variety Districts in Areas of Uneconomic Holdings	91-92
9378.	कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of Colleges and University Teachers	92
9379.	गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को पट्टे पर जमीन देना	Allotment of Land on Lease Basis to Slum Dwellers.	92

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9380.	बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना को लागू करने के लिए मार्गदर्शी परियोजना	Pilot Project for Introducing National Health Scheme in Rural Areas of Bihar, U.P. and Madhya Pradesh	92-93
9381.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली के इंक्वायरी आफिस द्वारा संसद्-सदस्यों के फ्लेटों के कम्पाउंड की सफाई	Cleaning of Compounds of M.P. Flats by CPWD Enquiry Office Ferozshah Road, New Delhi	93
9382.	कोठारी आयोग द्वारा वाईस चांसलरों की सेवा निवृत्ति आयु की सिफारिश	Age of Superannuation of Vice Chnacellor recommended by Kothari Commission . .	93-94
9383.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में अस्थाई कर्मचारी	Temporary Staff in Health and Family Planning Ministry .	94
9384.	शैक्षणिक और प्रौद्योगिकीय केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Educational and Technological Centres .	94
9385.	दिल्ली के कटरों और गंदी बस्तियों की हालत बेहतर बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Aid for making better conditions of Katras and Slums in Delhi . . .	94-95
9386.	व्यापारी बेड़े के जहाज	Ships with Merchant Navy . .	95
9387.	देश में राज्य-वार तम्बाकू का उत्पादन	Tobacco Production in the country State-wise	95-96
9388.	दिल्ली में चितरंजन पार्क नामक कालोनी का विकास	Development of Colony named Chitaranjan Park, Delhi . .	97
9389.	सामाजिक कुरीतियों के हल के विषय में मुख्य न्यायाधीश के विचार	Views of Chief Justice on Panacea for Social Evil	97-98
9390.	पश्चिम बंगाल में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम	Nutrition Programme for School going Children in West Bengal .	98
9391.	तम्बाकू उत्पादकों को प्रोत्साहन सहायता	Incentive Subsidy in Tobacco Growers	99-100
9392.	उत्तर प्रदेश में ग्रामीण औषधालयों का जाल	Net work of Rural Dispensaries in U.P.	100-101
9393.	मैसूर में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए सहायता	Assistance to National Malaria Eradication Programme in Mysore	101
9394.	सोयाबीन सम्बन्धी अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम और इसका उत्पादन	Programme for Research and Development of Soyabean and its production	101-102
9395.	ताजपुर (राजस्थान) के हरिजनों की मांग	Demand by Harijans of Tajpur (Rajasthan)	103

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9396.	विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां	Scholarship to Handicapped persons	103
9397.	टी०बी० के रोग फैलाने वाले कीटाणुओं को समाप्त करने के लिए वैक्सीन	Vaccine to destroy Positive Germs of T.B.	103-104
9398.	उपज लागत के आधार पर खाद्यान्नों की कीमत देने के लिए भारत किसान यूनियन की मांग	Demand by Indian Farmers Union for Price of Foodgrains on the Basis of Cost of Production .	105
9399.	अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान को किया गया गेहूं का आवंटन	Wheat allotted to Rajasthan as compared to other States . .	105
9400.	मध्य प्रदेश में दैवी विपत्तियों से प्रभावित बेघर लोग	Homeless affected by Natural calamities in Madhya Pradesh	105-106
9402.	आदिवासी साहित्य प्रकाशित करने के लिए 'नेशनल बुक ट्रस्ट' की योजना	National Book Trust Scheme to publish Tribal Literature	106
9403.	'नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा संचालित 'सर्वश्रेष्ट पुस्तक माला'	Sarbasresth Pustak Mala operated by National Book Trust . .	106-107
9404.	युवक केन्द्र	Youth Centres . . .	107-108
9405.	कर्मचारियों को एक मंत्रालय से दूसरे में स्थानान्तरण होने पर लाभ	Benefits on transfer of Employees from one Ministry to another .	108-109
9406.	खाद्यान्न व्यापार के सरकारीकरण के बाद उसकी वसूली और वितरण के बारे में नियुक्त समिति की नई शर्तें	Fresh terms and conditions of the Committee on Procurement and Distribution after take-over of Food Grain Trade . .	109-110
9407.	वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में चीनी के उत्पादन में कमी और चीनी उद्योग द्वारा अधिक लाभ अर्जित किया जाना	Loss production and more profit by Sugar Industry during 1969-70, 1970-71 and 1971-72 . .	110
9408.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का बंद होना	Closing of B.H.U.	110
9409.	योजना आयोग के उच्च शक्ति प्राप्त दल द्वारा मैसूर के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का मौके पर अध्ययन	Spot study of drought affected areas of Mysore by high power team of Planning Commission	110-111
9410.	रोग सम्बन्धी केन्द्र द्वारा चलाये गये कार्यक्रम के लिए माप-दंड	Criteria for Centrally sponsored Programme on diseases	111
9411.	सरकारी समितियों के रजिस्ट्रार के अन्तर्गत सतर्कता सेल स्थापित करना	Vigilance Cell under Registrar of Cooperative Societies	111-112
9412.	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में नियुक्तियां	Appointments in Kashi Hindi Vishva Vidyalaya	112

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9413.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शान्ति सेना	Shanti Sena in B.H.U.	112
9414.	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अस्थायी अध्यापक	Temporary teachers of Kashi Hindu Vishva Vidyalaya . . .	112
9415.	"गांधी इंस्टीच्यूट काट अप इन कांग्रेस स्पलिट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News Item "Gandhi Institute caught up in Congress split" . .	113
9416.	महाराष्ट्र में सहकारी चीनी कारखानों की सफलता	Success of cooperative sugar factories in Maharashtra . . .	113
9417.	रत्नागिरी पत्तन में पनकट दीवार का विस्तार करना	Extension of Break Water Wall in Ratnagiri Harbour . . .	113-114
9418.	चावल का निर्यात	Export of Rice . .	114
9419.	साम्प्रदायिक संस्थानों द्वारा चलाये जा रहे कालेज	Colleges Running by Communal Institution . .	114
9420.	राजस्थान खाद्यान्न व्यापारी संघ की राज्य में ज्वार, बाजरा और मक्का के लाने ले जाने पर लगी पाबन्दियों को हटाने की मांग	Demand from Rajasthan Foodgrains dealers Association Re:Lifting of Restrictions on movement of Jowar, Bajra and Maize within State	114-115
9421.	कलकत्ता में आयोजित चिकित्सा सम्बन्धी गोष्ठी	Medical Seminar held in Calcutta .	115
9422.	उर्वरकों के गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा कदाचार	Malpractices of Private Dealers of Fertilisers	115-116
9423.	परिवार और बाल कल्याण परियोजनाएं	Family and Child Welfare Projects	116
9424.	दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों तथा नर्सों द्वारा की गई हड़तालों की संख्या	Number of Strikes by Doctors and Nurses in Delhi's Hospitals .	116
9425.	विदेशी सांस्कृतिक शिष्ट मण्डल	Foreign Cultural Delegation .	116-117
9426.	पश्चिम बंगाल में राज्य कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना	Setting up of State Agro-Service Centre in West Bengal	117
9427.	राजपुरा (पंजाब) में गोदाम	Godown in Rajpura (Punjab)	117
9428.	कोचीन के निकट मत्स्य पत्तन के निर्माण में प्रगति	Progress of Construction of Fishing Harbour near Cochin . .	118
9429.	सुपारी से बनाया गया 'चयूइंग गम'	Chewing Gums from Arecanut	118
9430.	"भिखारी युक्त" नगर घोषित करने के लिए मापदंड	Criteria for declaring a city "Begger Free"	119

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9431.	केरल में पानी में होने वाली जंगली घास-पात की पैदावार की वृद्धि को रोकने के लिए कार्यवाही	Steps to check growth of Wild Water Weed in Kerala . .	119
9432.	नई दिल्ली में मालवीय नगर में अनधिकृत झुग्गियों का गिराया जाना	Demolition of unauthorised Jhuggis in Malviya Nagar, New Delhi	119-120
9433.	अखिल भारत नेत्र सुधार संघ और डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट, नई दिल्ली से हर्जाना वसूल किया जाना	Recovery of damages from All India Blind Relief Society & Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust, New Delhi	120
9434.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यकरण की परिस्थितियों पर प्रतिवेदन	Report of Working Conditions of ICAR .	120
9435.	बालावनूर, तमिल नाडु स्थित केन्द्रीय सरकार के गोदाम से धान की चोरी	Theft of Paddy in Central Government's Godown at Valavanur, Tamil Nadu	120-121
9436.	तमिलनाडु के खाद्यान्नों की कमी	Shortage of Foodgrains in Tamil Nadu	121
9437.	राष्ट्रमंडल सम्मेलन द्वारा चीनी के विषय में निर्णय	Decision of Commonwealth Conference on Sugar	121
9438.	पश्चिम बंगाल में 1972-73 और 1973-74 के दौरान नलकूपों का 'क्लस्टर' कार्यक्रम और भूमिगत जल का सर्वेक्षण	Cluster Programme of Tube Wells and Survey of Under ground Water in West Bengal during 1972-73 & 1973-74 .	121-122
9439.	थोड़े पानी में धान उगाने का नया तरीका	New method of Growing Paddy in Less Water . .	122
9440.	दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा निर्मित चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में बनाए गए मकान	Built up Houses at Chittaranjan Park, New Delhi constructed by DDA . .	122-123
9441.	कृषि पुनर्वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार पश्चिम बंगाल में सांविधिक निगम	Statutory Corporation in West Bengal as per suggestion of Agricultural Commission .	123
9442.	कलकत्ता क्षेत्र के लिए नई विशिष्ट सुधार योजना	New Specific Improvement Scheme for Calcutta Region . .	123
9443.	कलकत्ता नगर के लिए जल की सप्लाई की योजना	Scheme for supply of Water to City of Calcutta . . .	124
9444.	औद्योगिकरण के कारण अधिक मात्रा में सीसे की मिलावट	Higher levels of lead contamination due to Industrialisation . .	124

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9445.	दिल्ली नगर निगम के जल प्रदाय उपक्रम के स्थान पर एक उच्च शक्ति बोर्ड का गठन	Setting up of a High Powered Board to replace Delhi Municipal Corporation's Water Supply Undertaking	124
9446.	पेयजल के लिए भूमिगत जल के भण्डारों का सर्वेक्षण और उसके लिए केन्द्रीय सहायता	Survey of Reservoirs of Underground Water for Drinking Water and Central aid therefor . . .	125-126
9447.	भारत सेवक समाज स्कूल, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली, को सरकारी नियंत्रण में लिया जाना	Taking over of Bharat Sevak Samaj School, Sarojini Nagar, New Delhi	127
9448.	कोचीन में नौवहन सुविधाओं में सुधार	Improvement in Shipping facilities in Cochin . . .	127
9449.	पत्तन पर माल ढोने का काम करने वाले कर्मचारियों में बेरोजगारी	Unemployment of Port Cargo Workers . .	128
9450.	गन्ने की सप्लाई न होने के कारण चीनी मिलों का बन्द होना	Closure of Sugar Mills due to Non supply of Sugarcane . .	128
9451.	कोचीन शिपयार्ड पर व्यय और संभावित विकास	Expenditure on Cochin Shipyard and expected Development .	128-129
9452.	अखिल भारतीय पंचायत परिषद् का सम्मेलन	Conference of All India Panchayat Council	129
9453.	भीलवाड़ा, राजस्थान में अकाल राहत कार्य में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार	Irregularities and Corruption during Famine Relief Work at Bhilwara, Rajasthan . . .	129
9454.	धर्मपुर, बहराइच, उत्तर प्रदेश में गरम मसालों की खेती के विकास के बारे में प्रतिवेदन	Report on Development of Spice Cultivation in Dharampur, Bahraich, U.P.	130
9455.	कुपोषाहार की रोकथाम के लिए पांचवीं योजना के दौरान विशेष योजनाएं बनाना	Formulation of Special Schemes to fight the Malnutrition during Fifth Plan	130-131
9456.	दुर्घटना करके फरार होने वाले मामलों के शिकार व्यक्तियों को सरकार द्वारा मुआवजा	Compensation by the State to the Victims of Hit and Run Cases .	131

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . .	131-134
कावेरी जल के सम्बन्ध में तमिल नाडु, मैसूर और केरल के मुख्य मंत्रियों के बीच मतैक्य का समाचार	Reported consensus on Cauvery Water between Chief Ministers of Tamil Nadu, Mysore and Kerala	131
श्री अटल विहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Bajpayee	132
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao .	133
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	135
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति— छठा प्रतिवेदन	Committee on Subordinate Legislation— Sixth Report	139
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	Matters Under Rules 377	139-141
(एक) सदस्यों के नाम	(i) Style of Names of Members	
(दो) रिक्तियों सम्बन्धी अधिघोषणा के बारे में हिमाचल सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेश	(ii) Instructions issued by Himachal Government Re. Notification of vacancies .	
(तीन) आकाशवाणी द्वारा कथित पक्षपातपूर्ण प्रसारण	(iii) Alleged Partisan Broadcasts by All India Radio	
उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Orissa State Legislature (Delegation of Powers) Bill— Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	141-145
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	141
श्री दिनेश जोरदार	Shri Dinesh Joarder .	141-142
श्री बनमाली पटनायक	Shri Banamali Patnaik	142
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan .	142-143
श्री फूल चन्द वर्मा	Shri Phool Chand Verma	143
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	143-144
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	144
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintaman Panigrahi .	144
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi	145
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai . .	145
श्री हुक्म चन्द कछवाय	Shri Hukum Chand Kachwai	145
खण्ड 2, 3 और 1 पारित करने का प्रस्ताव	Clauses 2, 3 and 1— Motion to pass	147

विषय	SUBJECT	PAGES
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव	Central Excises and Salt (Amendment) Bill — Motion to consider	147-152
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	147-148
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	148
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan	149
श्री भान सिंह भौरा	Shri B. S. Bhaura	149-150
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	Shri G. P. Yadav	150
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri G. M. Stephen	150-151
श्री जे० माता गौडर	Shri M. Matha Gowder	151-152
खण्ड 2 से 5 और 1—पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Clauses 2 to 5 and 1— Motion to pass, as amended	154-155
रेल अभिसमय समिति—स्वीकृत	Resolutions Re. Railway Convention Committee—Adopted	155-160
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	155-157
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagdish Bhattacharyya	157
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	157-158
श्री एम० कतामुतु	Shri M. Kathmuthu	158-159
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga	159
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya	159-160
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	160
श्री सरजू पाण्डे	Shri Sarjoo Pandey	160
पूर्वोत्तर-पहाड़ी विश्वविद्यालय विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव	North-Eastern Hill University Bill—Motion to consider	162-167
प्रो० एस० नुरूल हसन	Prof. S. Nurul Hasan	162-163
श्री आर० पी० दास	Shri R. P. Das	164
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	164-165
श्री मोहन राज	Shri Mohanraj Kalingarayar	166
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan	166
श्री के० मारक	Shri K. Marak	166
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga	166-167
आधे घण्टे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	
पांचवीं योजना में पश्चिम कोसी, राजस्थान और गण्डक नहर परियोजनाओं का पूरा किया जाना	Completion of Western Kosi, Rajasthan and Gandak Canal Projects during Fifth Plan	167-169
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	167-168
श्री डी० पी० धर	Shri D. P. Dhar	168-169

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 7 मई, 1973/17 वैशाख, 1895 (शक)
(Monday, May 7, 1973/Vaisakha 17, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
(Mr. SPEAKER *in the Chair*)]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

एन० डी० एस० के प्रशिक्षकों को दिल्ली प्रशासन द्वारा अपनी सेवाओं में लेना

†
*982. **श्री फल चन्द वर्मा**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 में एन० डी० एस० के कितने प्रशिक्षकों को देश के अन्य भागों से दिल्ली में स्थानान्तरित किया गया था; और

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन उन्हें अपनी सेवाओं में लेने के लिए सहमत है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : जून, 1972 में दो अनुदेशकों को उनकी प्रार्थना पर क्षतिपूर्ति के आधार पर स्थानान्तरित किया गया था। दिल्ली प्रशासन इन अनुदेशकों को खपाने पर सहमत नहीं हुआ है क्योंकि दिल्ली के स्कूलों में

सेवा कर रहे उन अनुदेशकों की मूल सूची में उनका नाम नहीं था, जिन्हें उस प्रशासन द्वारा खपाया जाना था। यदि उन्हें अन्ततोगत्वा दिल्ली प्रशासन द्वारा न खपाया गया तो उस स्थिति में उन्हें अन्यत्र खपाये जाने तक अपने वर्तमान केन्द्रीय वेतनमानों में ही रखा जाएगा।

Shri Phool Chand Verma : The Law Minister has admitted in his Statement that these two institutes were transferred on compassionate grounds. He has used the word 'eventually' in his statement. I could not understand the meaning of this word. I want to ask a straight question that if their names were in the original list why they had been transferred? There was no vacancy in Delhi but as a result of transfer when they were absorbed in Delhi why their names have appeared in the original list? I want to know why you are playing with the life of these two persons? Why were they transferred when there was no vacancy? I want clear assurance from the hon. Minister that he will try to absorb them in Delhi.

Shri D. P. Yadav : The names of these two persons were not in the original list. They requested us on compassionate grounds for transfer. We requested the Delhi Administration for this purpose. Delhi Administration says that they are finding a little difficulty in absorbing them as their names were not included in the original list. In my written reply I have told the hon. Member that these two persons will continue to get their salaries and office facilities till they are absorbed. We will try to find out some way for them.

Shri Phool Chand Verma : I have not got clear answer to my question. The hon. Minister has said that they were transferred on compassionate grounds and their names were not there in the original list. I want to know whether the hon. Minister will fix some time limit for absorbing these two persons? May I know whether the hon. Minister will use his influence and request the Delhi Administration so that they may be absorbed somewhere?

Shri D. P. Yadav : We will do something.

श्रीमती भार्गव तनकप्पन : क्या अन्य राज्यों में स्थानान्तरित किए गए एन० डी० एस० के प्रशिक्षकों को दिल्ली प्रशासन के अंन्तर्गत खपाने के लिए सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन के सम्मुख कोई प्रस्ताव है?

श्री डी० पी० यादव : मैं प्रश्न नहीं समझ सका। मैं पहले ही कह चुका हूं कि क्षतिपूर्ति के आधार हमने इन दो अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण की बात मानी थी। इनके नाम श्रीमती शकुन्तला टंडन तथा बख्शी मेहता हैं। वे दिल्ली में हैं और हम उनको खपाने का प्रयोग कर रहे हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The question is not of absorbing these two instructors. The National Discipline Scheme is being run by the Central Government. The Government have left these instructors on the mercy of the State Governments. Will the hon. Minister take the House into confidence and tell how many of them have been absorbed and how many of them are yet to be absorbed?

Shri D. P. Yadav : The total number of persons working in N. F. C. and N. D. S. is 6,500. The State Governments have taken almost all the persons or they are in the process of being taken. The Central Government has said that it will bear the whole expenditure. Therefore any other question does not arise. Suppose any State Government fail to take them we will absorb them somewhere by protecting their scale.

Shri B. S. Bhaura : Last year the hon. Minister had assured in his reply that if they are not absorbed by any State Government the Central Government will continue to give them facilities till retirement which they are getting now. I have information that you have written to the State Governments about this. But several instructors are still without any job in Punjab. I do not know what has happened to the request you had made to the State Governments. I want to know the numbers of States which have agreed to your proposal and the number of those who have not accepted it?

Shri D. P. Yadav : Almost all the States have agreed to absorb them. These are few cases and we are pursuing them.

सामान्य पूल से आवास के आवंटन की प्रतीक्षा

*983. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली सितम्बर, 1972 से आरम्भ होने वाले आवंटन वर्ष के लिए दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल से टाइप I से VIII तक की प्रत्येक श्रेणी में आवास के आवंटन के लिए कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) 30 अप्रैल, 1973 को सामान्य पूल में से किन प्राथमिकता तिथियों तक (श्रेणीवार) क्वार्टर अलाट कर दिये गये हैं; और

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित ऐसे व्यक्तियों की (श्रेणीवार) संख्या कितनी है जो सामान्य पूल में से आवास के आवंटन की अब तक प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

संसद कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) (क), (ख) तथा (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

1 सितम्बर, 1972 से आरम्भ होने वाले आवंटन वर्ष के लिए दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या, निलम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या तथा

	जिस तारीख तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए थे			सीमित आधार पर प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की संख्या (महिला पूल तथा टाइप VII एवं VIII के मामले में अद्य-पर्यन्त)		
टाइप	सामान्य पूल	अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों का कोटा	महिला पूल	सामान्य पूल	अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों का कोटा	महिला पूल
1	2	2(क)	2(ख)	3	3(क)	3(ख)
I	31-12-62	31-12-63	अद्य-पर्यन्त	4127	616	92
II	31-12-57	31-12-60	-वही-	6242	907	2648
III	31-12-52	—	-वही-	3515	—	231
IV	31-12-50	—	-वही	3805	—	105
V	31-12-64	—	-वही-	1411	—	15
VI	31-12-65	—	-वही-	446	—	—
VII	अद्य-पर्यन्त	—	—	242	—	—
VIII	अद्य-पर्यन्त	—	—	56	—	—
				19844	1523	3091

वास के आवंटन हेतु सीमित आधार पर जिन तारीखों तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए, प्राथमिकता की जिन तारीखों तक आवंटन कर दिए गए हैं, उनका विवरण

निलम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या			प्राथमिकता की जिन तारीखों तक आवंटन कर दिए गए हैं		
सामान्य पूल	अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों का कोटा	महिला पूल	सामान्य पूल	अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों का कोटा	महिला पूल
4	4(क)	4(ख)	5	5(क)	5(ख)
3627	595	92	26-11-54	1-12-48	दिसम्बर, 1952
5964	886	2624	16-10-47	23-9-47	20-8-51
2556	—	227	8-11-45	—	11-4-47
3375	—	101	1-4-43	—	8-8-52
1348	—	8	4-12-80	—	—
385	—	—	30-4-62	—	—
233	—	—	5-3-73 (सचिवों के लिए) 31-12-65 (अपर सचिवों के लिए)	—	—
53	—	—	22-5-67		
17541	1481	3052			

Shri Prabodh Chandra : I want to know whether it is a fact that 6,000 Government servants who are serving for the last 20 years have not got the accommodation and about 2,000 quarters of 'C' class employees have been allotted to the employees of higher grades?

Shri Om Mehta: It is not true that the number of those who have not been allotted accommodation and who have rendered more than twenty years service is too much. In type (1) the number of these employees is 41 and in type (2) the number is 246 and of those who have not got the accommodation in last 22 years is 68. Similarly in type (3) and (4) there are more than 6,000 persons who have not yet been allotted accommodation. At present our satisfaction is 41.5 per cent and we are trying to get more finance for building more quarters. If there are more quarters the persons with 20 or 22 years of service will be able to get quarters.

Shri Prabodh Chander : Thousands of Government Servants have built their own houses with Government loans. These persons have given their houses to other persons on higher rent and they themselves are living in Government accommodation where they do not have any right to live in. May I know whether Government have any policy whereby such persons who have built their home with Government loan will be asked to vacate the Government Quarters so that they may not be able to take advantage of letting out their houses and depriving the others of their right to have Government accommodation?

Shri Om Mehta : At present we have no such policy. But for the last few days we are thinking of reviewing it so that those persons who have built their houses with Government loans or who have acquired land through co-operative or cheap rates may live in their own houses. This will apply to officers also.

Shri Prabodh Chandra: The persons who have built their houses do not belong to lower class. I.C.S. Officers and big officers who are drawing three to four thousand rupees have built their houses and have rented them on 5,000 thousand rupees a month whereas they are pay ing 700-800 rupees per month to the Government. May I know whether these persons will also be disturbed as persons belonging to lower class only will be pressed?

श्री ओम मेहता : नीति पर पुनर्विचार किया जा रहा है । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह एक गम्भीर समस्या है । हमें इस पर कुछ अन्य ढंग से विचार करना होगा ।

Shri Narsingh Narain Pandey : The Central Government employees are not getting accommodation in Delhi as well as in Divisional Headquarters and State Headquarters. Only State Government employees are getting quarters at these places. I would like to know whether there is any proposal before the Government to allot accommodations to Central Government employees at Divisional Headquarters and State Headquarters.

Shri Om Mehta : We are trying to do that. We have written to the Finance Ministry and Planning Commission for the grant of 150 crores to built quarters at Divisional Headquarters and State Capital, so that satisfaction at these places may reach at 40 per cent.

Shri Surat Prasad : There is no provision to allot those quarters to Central Government employees which have been built in various districts by the State Government. I would, therefore, like to know whether he will write to the State Governments to allot those quarters to Central Government employees also which have been constructed by State Governments for their own employees?

Shri Om Mehta : We will write to them but it will be of no use as they will say that they have to allot these quarters to their employees. We will have to build quarters for our employees.

श्री समर गुह : क्या बदरपुर गांव में जो दिल्ली नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत है, एक स्कूल को फैक्टरी निर्माण के लिए ले लिया गया है ? यदि हां, तो क्या ऐसा दिल्ली

प्राधिकारियों की सहमति से किया गया है? यदि हां, तो क्या उनको कोई वैकल्पिक स्थल दिया गया है?

श्री ओम मेहता : यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। परन्तु यदि किसी स्कूल के अहाते को ले लिया गया है तो हम अवश्य ही उसके लिए वैकल्पिक स्थान देंगे।

श्री समर गुह : क्या ऐसा दिल्ली स्कूल प्राधिकारियों की मंजूरी से किया गया था?

श्री ओम मेहता : यह एक पृथक् प्रश्न है इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री समर गुह : सार्वजनिक उपयोगित के संस्थान के समूचे स्थल को अर्जित कर लिया गया है और फैक्ट्री के निर्माण हेतु उसे अब गिराया जा रहा है। क्या ऐसा दिल्ली स्कूल बोर्ड की मंजूरी से किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके प्रथम प्रश्न को इस पहलू से नहीं देखा था कि वह मूल प्रश्न से सम्बन्धित है अथवा नहीं। परन्तु यह स्कूल बीच में कहां से आ गया। यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री समर गुह : एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल वहां पर है। क्या इसे दिल्ली स्कूल बोर्ड की मंजूरी से अर्जित किया गया है? यदि हां, तो कैसे? अभी तक कोई वैकल्पिक स्थान नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न टाईप (1) से (4) के क्वार्टरों क बारे में है। स्कूल की बात इसमें कहां आती है।

श्री ए० पी० शर्मा : दिल्ली विकास प्राधिकार ने सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को भूमि अथवा बने बनाये मकान देने की एक नई योजना बनाई है। सरकार का विचार उन 250 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बारे में क्या कार्यवाही करने का है जिनके पास रहने के लिए स्थान नहीं है परन्तु जिन्हें क्वार्टर खाली करने के लिए कहा जा रहा है? सरकार का विचार उनको क्या वैकल्पिक स्थान देने का है?

श्री ओम मेहता : वे दिल्ली विकास प्राधिकार की योजना का लाभ उठा सकते हैं इसमें पांच प्रतिशत मकान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं। परन्तु वे सरकारी क्वार्टरों में नहीं रह सकते।

श्री ए० पी० शर्मा : क्या पांच प्रतिशत में इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी?

श्री ओम मेहता : जी हां। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पृथक् योजना है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय से यह प्रतीत होता है कि दिल्ली के कर्मचारियों को क्वार्टर देने के बारे में सरकार कुछ गम्भीर है। क्या सरकार कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि नगरों में कर्मचारियों को क्वार्टर देने में प्राथमिकता देने में भी इसी प्रकार उत्सुक है?

श्री ओम मेहता : जी हां। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम कलकत्ता तथा अन्य नगरों में भी क्वार्टर बनाने की सोच रहे हैं।

समुद्री मात्स्यकी में सहयोग के लिये पोलैंड के साथ समझौता

984. **श्री पी० गंगा देव**
श्री प्रसन्नभाई मेहता } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पोलैंड के बीच समुद्री मात्स्यकी में सहयोग के लिए दोनों देशों ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) इस समझौते में परस्पर सहमति से चुने हुए मात्स्यकी क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था है। संयुक्त उद्यम भी इस सहयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। इस समझौते में यह भी व्यवस्था की गई है कि पौलैण्ड की सरकार भारत की समुद्री मात्स्यकी विकास के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता और कार्मिकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करेगी।

श्री पी० गंगादेव : अन्य कौन से देश हैं जिन्होंने आधुनिक मत्स्य उद्योग की स्थापना में भारत को सहायता देने की इच्छा व्यक्त की है और क्या उनमें से कुछ ने मत्स्य पकड़नें वाले जहाजों के बेड़े को मजबूत बनाने के प्रस्ताव भी किए हैं ? इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : पोलैण्ड के साथ इस करार के अतिरिक्त मत्स्य विकास के लिए भारत-नार्वे परियोजना है, तथा कुछ ने प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सर्वेक्षण कार्य भी हमारे हाथ में हैं। भारत सरकार इस पर खुले मन से विचार कर रही है। आधुनिक मत्स्य पालन का विषय एक जटिल विषय है। इस बारे में सुरक्षा पहलू को भी ध्यान में रखना है। किसी पार्टी से सहयोग का करार करते समय सरकार को सावधान रहना पड़ता है।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को देखते हुए कि मत्स्य निर्यात की काफी क्षमता है क्या सरकार ने पोलैण्ड अथवा अन्य देशों जिनके पास तकनीकी जानकारी है के सहयोग से उड़ीसा के तट पर आधुनिक मत्स्य पालन की स्थापना पर विचार किया है ? और यदि हां, तो इस मामले में सरकार किन लाइनों पर विचार कर रही है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य ने पूर्वी तट पर मत्स्य विकास के बारे में पूछा है सरकार इस बारे में अवगत है, हम उड़ीसा में मत्स्य विकास यान बनाने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु इस बारे में कुछ पहल उड़ीसा सरकार को करनी होगी और भारत सरकार सहायता देने का प्रयास करेगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या सुन्दरबन क्षेत्र के दक्षिण में बंगाल के आधुनिक मत्स्य पालन के विकास का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पोलैण्ड और भारत के बीच करार पर हस्ताक्षर करने के बारे में है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : स्वदेशी बाजार में उपलब्ध अत्यधिक प्रोटीन युक्त भोजन मछली की अत्यन्त कमी की दृष्टि में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि भविष्य में उपलब्ध होने वाली अतिरिक्त मछली का लाभ क्या देशी उपभोक्ताओं को मिलेगा या उनका केवल मात्र निर्यात किया जाएगा ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : निःसन्देह हम निर्यात और उपभोग दोनों के लिए उत्पादन करते **(व्यवधान)**।

श्री डी० डी० देसाई : क्या मंत्री महोदय भारत-पोलैण्ड समझौते के लागू होने का ब्योरा देंगे ? क्या मछली पकड़ने के जहाज और ट्रालर यहां बनाए जाएंगे या पौलैण्ड द्वारा सप्लाई किए जाएंग। और यदि वे सप्लाई किए जा चुके हैं, तो उनका वितरण किस प्रकार किया गया है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : समझौता अभी हाल ही में हुआ है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का आयात करने तथा पोलैण्ड के सहयोग से उनका निर्माण भी करने तथा गहरे समुद्र में संयुक्त रूप से मछली पकड़ने का कार्य प्रारंभ करने का विचार है।

श्री पी० एम० सईद : क्या समझौते के अनुसार लक्कदीव द्वीपसमूह के पास ट्यूना मछली पकड़ने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : हमें लक्कदीव के समुद्र में अधिक मछली होने का पता है तथा हम वहां मछली पकड़ने की सम्भावनाओं का उपयोग करेंगे।

डा० महीपतराय मेहता : पाकिस्तान अपने क्षेत्र को 50 मील तक बढ़ा रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मछलियां बहुतायत से पैदा होती हैं। इस समझौते को इस क्षत्र में किस प्रकार लाग किया जाएगा ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : हमें ज्ञात है कि पाकिस्तान अपनी सीमा बढ़ा रहा है और सरकार इस समस्या के उक्त पहलू पर विचार कर रही है।

श्री बी० एस० मूर्ति : किन-किन क्षेत्रों में पौलैण्ड के सहयोग से कार्य किया जा रहा है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं बता चुका हूं कि पोलैण्ड के सहयोग का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। इसके लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। माननीय सदस्य का प्रश्न विस्तृत चर्चा का विषय है।

अध्यक्ष महोदय :

मध्य प्रदेश में विस्तार कार्यक्रम के लिये कोरी सिनेमा फिल्मों और अन्य श्रव्य-दृश्य उपकरणों की कमी

*987. **श्री नरेन्द्र सिंह** : **क्या कृषिमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश में विस्तार कार्यक्रम के सुचारु रूप से संचालन के लिए कोरी सिनेमा फिल्म और विशेष बसों जैसे अन्य श्रव्य-दृश्य उपकरणों की भारी कमी अनुभव की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग)—एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

ता० प्र० संख्या 985 भासरन् पाण्डेय अनुपस्थित

ता० प्र० संख्या 986 श्री हेमेन्द्र सिंह

विवरण

मध्य प्रदेश राज्य में कृषि विभाग की ओर से कोरी फिल्मों की स्टाक की कमी के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है। कोई भी राज्य सरकार, महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान, नई दिल्ली को उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार मांग-पत्र भेज कर कोरी सिनेमा फिल्म प्राप्त कर सकते हैं। 26 जुलाई, 1971 को राज्यों के सभी कृषि विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वे कृषि विकास के कार्य को बढ़ाने के लिए शिक्षा प्रचार के लिए फिल्में तैयार करने में यदि कोई कठिनाई हो तो उसकी सूचना दें।

मध्य प्रदेश में जबलपुर, इन्दौर और पोवारखेड़ा में तीन कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए ऐसी विशेष बसों की व्यवस्था की गई है, जो कि वास्तव में चलते-फिरते प्रचार तथा प्रदर्शन वाहन है। राज्य की राजधानी में कृषि विभाग के लिए एक चलता-फिरता प्रचार तथा प्रदर्शन वाहन प्राप्त करने के प्रस्ताव पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

श्री नरेन्द्र सिंह : कच्ची फिल्म और उन अन्य उपकरणों की वास्तविक आवश्यकता कितनी है तथा किस सीमा तक कमी अनुभव की जा रही है?

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : प्रश्न की सूचना के बाद मैंने समस्या का अध्ययन किया और मुझे यह बताया गया कि फिल्मों की यहां तक कि रंगीन फिल्म की भी कमी नहीं है। वे देश में उपलब्ध हैं। विभिन्न राज्य सरकारों की मांग पर सप्लाई विभाग उन्हें सप्लाई कर सकता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह : क्या फिल्मों की कमी धन की कमी के कारण है? यदि हां, तो इसके लिए कितना रुपया दिया गया है, तथा कितने धन की आवश्यकता है?

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : राज्य सरकारों ने धन की कमी के बारे में किसी प्रकार की सूचना नहीं दी है। निःसन्देह राज्य सरकारों को अपने बजट में इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है और केन्द्रीय सरकार द्वारा धन देने में कोई कठिनाई नहीं है।

Shri Phool Chand Verma : In his statement hon. Minister has informed that negotiations are going on for providing mobile exhibition near for Agricultural Deptt. in the State Capital. At present there are 34 draught affected Districts in time of this is it possible for the hon. Minister to let me show the actual date of providing van to Gwalior, Raipur, Mahakaushal and Bhopal?

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : देश भर में मध्य प्रदेश समेत 100 कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्र हैं और मध्य प्रदेश सरकार इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सुविधाएं प्राप्त कर सकती है।

कृषि प्रयोजनों के लिये भूमिगत जल की खोज करने सम्बन्धी योजना

*988 **श्री रण बहादुर सिंह**
श्री शंकर राव सावन्त } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमिगत जल की खोज करने तथा इसका कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु, राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई निर्णय किया है या उक्त योजना को अन्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित करने हेतु, सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार समझती है कि मध्य प्रदेश में भूमिगत जल का व्यापक रूप से उपयोग करने की गुंजाइश है; और

(ग) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इन योजनाओं को क्रियान्वित के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-.ल पर रख दि । गया है

(क) से (ग)—केन्द्रीय भूमिगत जल मंडल (जिसे पहले समन्वेषी नलकूप संगठन कहा जाता था) 1954–55 से ही देश में भूमिगत जल सर्वेक्षण कर रहा है। राज्यों को ऐसे सर्वेक्षणों के लिए 1973–74 से वित्तीय सहायता देने का भी प्रस्ताव है।

केन्द्रीय भूमिगत जल मंडल ने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में कुछ सर्वेक्षण किया है। राज्य भूमिगत जल निदेशालय भी कुछ सर्वेक्षण कर रहा है। इस संबंध में राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है। इस समय केन्द्रीय भूमिगत जल मंडल मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों के भूमिगत जल स्रोतों का अनुमान लगाने के लिए एक परियोजना को कार्यरूप दे रहा है। अब तक प्राप्त परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। 1971–72 में प्रारम्भ की गई इस परियोजना के पूरा होने में लगभग चार वर्ष लग जाएंगे।

भूमिगत जल स्रोतों के विकास के लिए इस समय राज्यों को कृषि पुनर्वित्त निगम, एल० डी० बी० एस०, वाणिज्यिक बैंकों आदि वित्तीय सहायता देने वाली एजेंसियों से धनराशि मिल रही है। तथापि, मध्य प्रदेश को आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिए 91 लाख रुपए की, पम्पसैटों के लिए 200 लाख रुपए की और पम्प सैटों को शक्ति-चालित करने के लिए 290 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

श्री रण बहादुर सिंह : विवरण से पता चलता है कि नर्मदा के क्षेत्र में कुछ सर्वेक्षण किया गया है। इस तथ्य को देखते हुए कि सोन नदी का क्षेत्र सिंचाई की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है, वहां पर सर्वेक्षण क्यों नहीं किया गया है?

प्रो० शेर सिंह : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि नर्मदा के क्षेत्र में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड एक सर्वेक्षण कर रहा है तथा यह सर्वेक्षण होशंगाबाद, जबलपुर और नरसिंहगढ़ के 14,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किया जाएगा।

श्री रण बहादुर सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि सोन नदी के क्षेत्र का सर्वेक्षण क्यों नहीं किया गया।

प्रो० शेर सिंह : चट्टानी क्षेत्रों में वर्ष 1974–75 में हम बेतवा के क्षेत्र को ले रहे हैं। नर्मदा के क्षेत्र में भी हम कुछ खोज कार्य कर रहे हैं। सोन नदी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री रण बहादुर सिंह : इस तथ्य के अतिरिक्त की इस क्षेत्र में कोई बड़ी सिंचाई परियोजना नहीं है, इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए कोई भूगत जल सर्वेक्षण योजना चालू नहीं की गई है। बानसागर बांध को लेकर सोन विवाद के कारण होने वाली देरी को देखते हुए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या मंत्री महोदय उस क्षेत्र का सर्वेक्षण शीघ्र कराएंगे?

प्रो० शेर सिंह : राज्य सरकार इस संबंध में खोज कर रही है। केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड की सहायता से हम भी अपने स्तर पर कुछ कर रहे हैं। मैं इस क्षेत्र में पानी की खोज के लिए राज्य सरकार को लिखूंगा।

श्री शंकर राव सावन्त : समस्त भारत से संबंधित प्रश्न का पूरा-पूरा उत्तर नहीं दिया गया है। केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने किस राज्य में खोज की है तथा क्या उसे सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने की आशा है ? राज्य सरकारों को क्या सिफारिशें की गई हैं तथा क्या आर्थिक दृष्टि से पानी को सतह पर खींचना संभव होगा ?

प्रो० शेर सिंह : राज्य वार विवरण देना मेरे लिए संभव नहीं है। पानी की खोज का यह कार्य 1954–55 में शुरू हुआ था और मार्च 1973 में समाप्त हुआ इस दौरान विभिन्न राज्यों में 999 नलकूप खोदे गए, 209 जांच कुएं गलाए गए, 100 छोटे छिद्र किए गए तथा 1551 उत्पादक नलकूप केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा बनाए गए।

श्री अनन्तराव पाटिल : कृषि के लिए भूमिगत जल की खोज करने के संबंध में केन्द्रीय और राज्य सरकारों में मतभेद हैं। बहुत समय पहले भारतीय भूमिगत सर्वेक्षण ने भूमिगत जल का सर्वेक्षण आरम्भ किया था पर तब से अब स्थितियां बदल गई हैं। सूखा ग्रस्त राज्य महाराष्ट्र में राज्य सरकार किसानों को कुएं खोदने के लिए रुपया देने को तैयार है, जबकि काफी समय पहले किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि पानी उपलब्ध नहीं है, वास्तविकता यह है कि जहां कुएं खोदे गए हैं वहां पानी उपलब्ध है। अत: क्या केन्द्रीय सरकार इस संबंध में फिर से भूगर्भीय सर्वेक्षण करेगी ?

प्रो० शेर सिंह : जलोढ़ भूमि में पर्याप्त सर्वेक्षण किया जा चुका है। चट्टानी क्षेत्रों में हम कनाडा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आदि के सहयोग से दक्षिणी राज्यों और गुजरात तथा राजस्थान में कुछ परियोजनाएं चला रहे हैं। यदि कोई और जल संबंधी सर्वेक्षण आवश्यक हुआ तो हम करेंगे।

श्री जी० विश्वनाथन : मंत्री महोदय ने बताया कि केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने 1954–55 से सर्वेक्षण कर रहा है। नर्मदा क्षेत्र के अतिरिक्त और कौन से क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया गया और उसके क्या परिणाम निकले ?

प्रो० शेर सिंह : जहां नदी क्षेत्रों का प्रश्न है हमने केवल नर्मदा को ही लिया है।

श्री जी० विश्वनाथन : पिछले 20 साल से क्या किया जा रहा है ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : किए जा रहे सर्वेक्षण के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में बेतवा क्षेत्र में भी सर्वेक्षण आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्पष्ट रूप से उनके पास लिखकर भेज दीजिए कि दक्षिण के अन्य किन-किन राज्यों में सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया है।

प्रो० शेर सिंह : बहुत अच्छा।

Shri Ram Sahai Pandey : Centre's work is to create some organisation or body for this. What is in the statement? Central Ground Water Board was created in 1954-55 and it was extended upto 1973-74 and it is proposed to give help to it. The main work of the Board was to find out under ground water for irrigation purposes and it is a continued processes. I want to know, whether anything has been done in this respect or not and if anything has been done what is that?

Prof. Sher Singh : I said that Water Board continued to work. I have also told that it has continuation explorations tubewells etc. They are to be given half in 1973-74. It is not the fact that State Governments are not doing anything.

श्री समर गुह : क्या यह सही है केवल दो वर्ष पहले केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण का अंग था, क्या सिंचाई मंत्री और अन्य विशेषज्ञों और सरकारी उपक्रम समिति के प्रतिवेदन के विरोध के बावजूद भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण को समाप्त कर दिया गया और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड को कृषि विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया और क्या केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के कार्यालय को कलकत्ता से स्थानान्तरित कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? दूसरे पिछली तृतीय योजना में 2000 करोड़ रुपए तथा चौथी योजना में 650 करोड़ रुपए भूमिगत जल के उपयोग के के लिए दिए गए। क्या इसमें से 90 प्रतिशत धन छोटे किसानों के हितों को हानि पहुंचाते हुए सरकारी क्षेत्र को न देकर निजी क्षेत्र के बड़े किसानों को दिया गया ?

प्रो० शेर सिंह : केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड कभी भी भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण का अंग नहीं था। वास्तविकता तो यह है कि भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के जल विभाग को हाल ही में केन्द्रीय भूगर्भीय जल बोर्ड में मिला दिया गया है और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम एकाकृत .....

श्री समर गुह : केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण का एक अंग था।

प्रो० शेर सिंह : यह सदैव स्वतंत्र निकाय रहा है। भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के जल विभाग को इसमें विलीन कर दिया गया था।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया।

प्रो० शेर सिंह : मेरे पास इस संबंध में निश्चित जानकारी नहीं है कि बड़े और छोटे किसानों को कितने-कितने प्रतिशत धन मिला। पर छोटे और सीमाँत किसानों के लिए हमने एक विशेष योजना चालू की है, जिसके अन्तर्गत हम ऋण ही नहीं वरन् राज-सहायता भी देते हैं।

श्री समर गुह : उन्होंने उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : तर्क से कोई लाभ होगा।

श्री समर गुह : मेरे पास विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन है.....

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया लिख कर दीजिए। कृपा करके सभा का समय न बरबाद करें।

सस्ते मकानों के लिए डिजाईन

*989. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए सस्ते मकानों के डिजाइनों के बारे में विभिन्न दावों की जाँच कर लीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने किसी डिजाइन का चयन अन्तिम रूप से कर लिया है तथा उसमें कितनी लागत आएगी और ऐसे डिजाइनों का विशिष्ट विवरण क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग में और निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हाँ।

(ख) विभिन्न स्थानों की अलग-अलग जलवायु संबंधी परिस्थितियों, सामाजिक रिवाजों तथा निर्माण सामग्रियों की अलग-अलग कीमतों के कारण सरकार किसी डिजाइन का चयन करना वाँच्छनीय

अथवा व्यवहार्य नहीं समझती। तथापि, उपलब्ध स्थानीय निर्माण-सामग्री के प्रयोग को प्रोत्साहन देने तथा उसके स्थान पर अन्य सामग्री के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

श्री डी० डी० देसाई : आवास महत्वपूर्ण आवश्यकता है और सरकार देसी इमारती सामान की सप्लाई एवं सस्ते मकानों के निर्माण के लिए सस्ते डिजाइनों के सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या स्वदेशी इमारती सामान की खोज एवं विकास के और उस जनता को उपलब्ध कराने और विभिन्न क्षेत्रों के लिए सस्ते डिजाइन देने के लिए सुविधाएं जुटाई गई हैं और जनता को किन मूल्यों पर मकान उपलब्ध हो सकेंगे।

श्री ओम मेहता : ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए अलग-अलग तरह के मकान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 78 प्रकार के मकानों के डिजाइन हैं और विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनार्थ मकान हैं। लोग जाकर उन मकानों को देख सकते हैं और तब अपने मकान बना सकते हैं। जहाँ तक नगरीय आवासों का संबंध है एन० बी० ओ० सभी नए तकनीकों एवं इमारती सामान का उपयोग सामूहिक आवासों में करते हैं जिससे निर्माण व्यय घटाया जा सकता है। हमारे पास ऐसे डिजाइन हैं जिन्हें जनता को दिया जाएगा। ऐसे डिजाइनों के उपयोग द्वारा परम्परागत मकानों की अपेक्षा लागत में 4.5 प्रतिशत कमी की जा सकती है।

श्री डी० डी० देसाई : मैंने स्थानीय इमारती सामान एवं प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिक विकास के लिए निवेदन किया था क्योंकि आवास व्यय का मुख्य भाग यही है। दूसरे दरजे पर ढुलाई व्यय है। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे स्थानीय इमारती सामान का विकास किया गया है।

श्री ओम मेहता : केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कुछ सस्ते इमारती सामान का विकास कर रहा है। हमने कुछ राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे सीमेंट के स्थान पर राख प्रयोग कर सकते हैं और ईटों के निर्माण के लिए चूना उपयोग में ला सकते हैं। हम अपनी प्रयोगशालाओं में एक वस्तू के स्थान पर दूसरी वस्तू का उपयोग करने वाले सामानों का उपयोग कर सकते हैं।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या सरकार सस्ते मकानों के निर्माण के लिए पूर्व निर्मित मकानों को उपयोग में लाने का विचार कर रही है।

श्री ओम मेहता : पूर्व-निर्मित मकानों के लिए हमारें पास दिल्ली में हाऊसिंग फैक्ट्री हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्ट्री है। हम हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी के सहयोग के साथ महाराष्ट्र में एक अन्य फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं।

बम्बई के निकट नहावा शेवा द्वीप में एक उप-पत्तन बनाना

*990. **श्री बसन्त साठे** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बम्बई के निकट नहावा शेवा द्वीप में एक उप-पत्तन बनाने की एक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्ताव को सुकर पाया है; और

(घ) प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने में कितना समय लगेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हाँ।

(ख) योजना में उर्वरक और कच्चे माल चीनी और खली की धरा उठाई के लिए तीन गहरे जलघाटों और यांत्रिक धरा उठाई उपस्कर और सड़क, रेल, पानी और बिजली की सप्लाई इत्यादि जैसे अन्य सुविधाओं सहित ज्वार भाटा संबंधी थालों में कनटेनरों की व्यवस्था है। योजना की अनुमानित लागत 71.59 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) : इसकी योजना आयोग वित्त मंत्रालय इत्यादि के परामर्श से जाँच की जा रही है। प्रस्ताव की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री वसन्त साठे : मैं जानना चाहूंगा कि यह योजना सरकार को कब पेश की गई थी, और दूसरे, देश के लिए इतने अनिवार्य उर्वरकों तथा अन्य सामग्री को संभालने हेतू ऐसे एक गहरे समुद्री पत्तन की आवश्यकता की दृष्टि से, सरकार कब इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप देगी ?

श्री राज बहादुर : इस समूची योजना की जाँच करने का कार्य मैसर्स बार्टलिन एण्ड पार्टनर्स को वर्ष 1964 में सौंपा गया था और इस कंपनी ने वृहत् योजना के अध्ययन के बारे में अपना प्रतिवेदन पेश करने में सात वर्ष लगाए; उन्होंने अपना प्रतिवेदन वर्ष 1971 में पेश किया। इसके साथ ही यातायात संबंधी आँकड़ों तथा उनकी योजनाओं में निवेश के औचित्य हेतू का अध्ययन करने हेतू परिवहन कक्ष में अनुसंधान अधिकारियों का एक दल भी गठित कर दिया गया था। प्रतिवेदन के पेश हो जाने के बाद मंत्रालय तथा अर्न्तमंत्रालय स्तर पर हुई बैठकों में यातायात संबंधी इन परियोजनाओं, विशेषकर वर्ष 1968-70 के लिए एकत्रित किए गए ब्योरे तथा आँकड़ों के प्रकाश में और आगे विचार विमर्श भी किया गया था। इसी में कुछ समय लग गया है। हम स्वयं इस मामले में यथा संभव शीघ्रता करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री शंकर राव सावन्त : क्या यह सच है कि यह पत्तन बम्बई पत्तन से भी उत्तम होगा ? दूसरे, क्या यह भी सच है कि बम्बई के पूर्ण विकास के लिए इस पत्तन की बड़ी आवश्यकता है। तीसरे, क्या सड़कों के निर्माण के लिए नगर औद्योगिक विकास निगम से भी सलाह ली गई है ? और यदि हाँ, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री राज बहादुर : इस पत्तन के अधिक उत्तम होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो बम्बई के निकट एक ऐसे सहायक पत्तन के निर्माण का है जिसमें 80,000 डी० डब्ल्यू० टी० से 10,000 डी० डब्ल्यू० टी० भार के विशाल जहाज खड़े हो सकें। वर्तमान यातायात तथा यातायात संबंधी परियोजनाओं के स्वरूप को देखते हूए ऐसे एक पत्तन की बड़ी आवश्यकता है।

प्रत्येक शरण्य स्थल में बाघों की अधिकतम संख्या

991. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक शरण्य स्थल में अधिकतम कितने बाघ रह सकते हैं; और

(ख) पाँचवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रत्येक बिहार स्थल में कितने बाघ रखे जाएंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) चीतों के लिए आश्रय-स्थल समान आकार के न होने के कारण उनमें रहने वाले चीतों की संख्या भिन्न-भिन्न हो सकती है। क्षेत्र और चीतों की संख्या का अनुपात अनुसंधान का विषय है और इस विषय पर जानकारी की कमी है।

(ख) एक यूनिट क्षेत्र में चीतों की संख्या उनके शिकार की संख्या पर निर्भर करती है। यदि शिकार और परभक्षी का यह संतुलन बिगड़ जाता है तो प्राकृतिक पुनः समंजन होने लगता है। चूंकि ये आश्रय-स्थल बड़े बनों के एक भाग ही होते हैं, अतः आश्रय-स्थल में शिकार की कमी होने पर चीते आश्रय-स्थल से बाहर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाते हैं। इन आश्रय-स्थलों में चोतों को एक निश्चित संख्या तक सीमित रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही ऐसा करना संभव है क्योंकि इन आश्रय-स्थलों में बाड़े नहीं लगी होती हैं। इस समय हमारा विचार यह है कि आश्रय-स्थलों में चीतों और उनके शिकार जानवरों के शाँति पूर्वक प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा की जाएं।

श्री डी० पी० जदेजा : क्या ऐसे भी कोई शरण-स्थल हैं जहाँ पशुओं की संख्या अधिकतम अथवा इसके लगभग पहुंच गई हो, यदि हो, तो वे शरण्य-स्थल कौन-कौन से हैं ? यदि हम अनुसंधान तथा जानकारी के क्षेत्र में अभी तक कुछ पीछे हैं तो इन क्षेत्रों में विकास के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रो० शेर सिंह : अधिकतम स्तर का कोई मानदण्ड न होने के कारण यह कहना बड़ा कठिन है कि किस शरण्य-स्थल पर हमें अधिकतम स्तर प्राप्त हो गया है। बाघ-परियोजना हमने अब आरंभ की है। हमने 9 शरण्य-स्थल चुने हैं। वहाँ हम इस संबंध में अनुसंधान भी करेंगे।

श्री डी० पी० जदेजा : क्या सरकार प्रसिद्ध श्वेत बाघों के लिए एक पृथक शरण्य-स्थल बनाने के किसी प्रस्ताव पेशकश अथवा अपनी ही किसी योजना पर विचार कर रही है ? अब क्योंकि सिंह के स्थान पर बाघ को राष्ट्रीय पशु मान लिया गया है, तो क्या सरकार एक पृथक बाघ सफ़ारी योजना बनाकर पर्यटन के विकास करने की योजना बना रही है ?

प्रो० शेर सिंह : मेरे विचार से पर्यटन मंत्रालय ने वन्य जीवन संबंधी पर्यटन के उद्देश्य को, जिसमें शरण्य-स्थल भी शामिल हैं, प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि अलग रखी है। वैसे केवल श्वेत बाघों के नाम को विशेष आवंटन नहीं किया गया है । बाघों में श्वेत बाघ भी शामिल हैं जो इन शरण्य-स्थलों में रखे जाएंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : कलकत्ता में हाल ही में एक अनुभव किया गया था जिसमें बाघ तथा सिंह के वर्ण-शंकर से एक जाति टिगोन की उत्पत्ति की गई थी। यह किसी भी देश के लिए एक अद्भुत बात है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या देश के विभिन्न शरण्य-स्थलों में इसी प्रकार टिगोनों की उत्पत्ति करने के लिए आगे और उपाय किए गए हैं ?

प्रो० शेर सिंह : हमारे शरण्य-स्थलों के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या सरकार को मालूम है कि माँस-भक्षी पशुओं की यह सुन्दर जाति तेजी से समाप्त होती जा रही है। बाघ तो तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं और केवल कागजी शेर बढ़ते जा रहे हैं। समस्या यही है।

हालाँकि बाघ का शिकार करना निषिद्ध कर दिया गया है, तो भी दर्जनों बाघ प्रतिदिन शिकार किये जा रहे हैं और एक दिन यह पशु जाति समाप्त हो जायेगी। अतः क्या मैं यह जान सकता हूं कि

क्या वह इस संबंध में गंभीरता से विचार कर रहे हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिये वह क्या प्रभावी कार्यवाही कर रहे हैं कि सभी बनों को इस सुन्दर पशु के लिये शरण्य स्थल बना दिया जाये ?

प्रो० शेर सिंह : वर्ष 1971 में ही बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और जिन जिन राज्यों में बाघ हैं वे इस संबंध में सहयोग कर रहे हैं। हमने यह बाघ सहायी परियोजना चलाई है और अगले 6 वर्षों में हम इस पर लगभग 4 करोड़ रुपये लगा रहे हैं।

Smt. Savitri Shyam : The number of tigers and lions is constantly diminishing and the reason therefor is that they are not getting their female companions. I want to know as to what action is being taken by hon. Minister's Department. (*Interruptions*)

Mr. Speaker : Let the hon. Member herself suggest what the hon. Minister should do.

Prof. Sher Singh : We would certainly consult the hon. lady Member in this matter.

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि न केवल भारत बल्कि विश्व भर को आकर्षित करने वाले सुन्दर पशु रायल बंगाल बाघ की जाति समाप्त होती जा रही है ? मैं जानना चाहता हूं कि सुन्दरवन क्षेत्र में रायल बंगाल बाघ की अनुमानित संख्या कितनी है तथा रायल बंगाल बाघ के लिये कोई शरण्य स्थल बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

प्रो० शेर सिंह : सुन्दर बन उन 9 शरण्य स्थलों में से एक है जिसे सरकार ने बाघ परियोजना के अन्तर्गत चुना है और हम रायल बंगाल बाघ की जाति को समाप्त होने से बचाने के लिये सभी सावधानियाँ बरत रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : सरकार को बाघ चर्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना चाहिये।

Shri Narsingh Narain Pandey : Is the hon. Minister answer that the total number of white tigers would over has come down to only 21 and India is having only 7? As has been asked by Smt. Savitri Shyam., do the Government propose to do something so as to increase their breeding and thereby their number?

Mr. Speaker : He has asked about the Tigers and you are asking about white tigers.

Prof. Sher Singh : It is a suggestion for action.

श्री वसन्त साठे : मैं बाघ-चर्म के निर्यात के विषय में जानना चाहता हूं।

Mr. Speaker : The question is about the optimum number of tigers for santuary Tiger-skin has nothing to do with it.

Shri Vasant Sathe : The question is why the number of tigers is decreasing. The reason is people are poeching for tiger skins and then export it. If the export of tiger-skin is banned, then there will be no temptation for killing the tigers.

प्रो० शेर सिंह : बाघ-चर्म के निर्यात पर तो प्रतिबंध लगा हुआ है परन्तु अब तक आंतरिक व्यापार पर नहीं लगा है।

श्री जनन्नाथराव जोशी : आतरिक व्यापार पर भी रोक लगा दी जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बाघ परियोजना का उद्देश्य कुछ अतिरिक्त शरण्य स्थलों की स्थापना करना है। परन्तु मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि वर्तमान बन्य-जीव-शरण्य स्थलों में, बड़े पैमाने पर बाघों की पोचिंग तथा हत्या की जा रही है और ये भी शिकायतें हो सकती हैं कि वन

विभाग के प्रमुख वन संरक्षक का तंत्र भी कुछ जंगल-चोरों के साथ कभी कभी साठ गाँठ कर लेता है । मैं जानना चाहुंगा कि क्या शरण्य स्थलों की संख्या में वृद्धि कर देने से ही यह समस्या हल हो जायेगी अथवा क्या सरकार ने वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक की समूची कार्यकरण व्यवस्था को पुनः गठित करने की कोई योजना बनाई है ताकि पोचिंग तथा अवैध हत्या पर रोक लगाने के लिये प्रभावी उपाय किये जा सकें ?

प्रो० शेर सिंह : हाल ही में हमने वन जीव अधिनियम पारित किया है और उसे बहुत से राज्यों ने स्वीकार किया है। 11 राज्य अपनी स्वीकृति दे चुके हैं तथा दो अन्य राज्य स्वीकृति दे रहे हैं । उस अधिनियम के अनुसार बाघ की पोचिंग तथा हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं । मैं तो पोचरों तथा वन संरक्षक के बीच सांठ-गाँठ के बारे में जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उन का प्रश्न है कि क्या पोचरों तथा वन संरक्षक कर्मचारियों के बीच सांठ-गाँठ को रोकने के लिये कोई उपाय किये गये हैं ।

प्रो० शेर सिंह : हम राज्य सरकारों से इस संबंध में बात चीत कर रहे हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह तो अत्यन्त निप्रभावी कार्यवाही है ।

Imported Wheat got rotten in Godowns of F.C.I. in Gujarat

992.* **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item published in Hindi daily 'Hindustan' dated the 11th April, 1973 that 25 thousand tons of imported wheat kept in the godowns of the Food Corporation of India in Gujarat has completely rotten in storage;

(b) if so, whether Government have enquired into the causes thereof; and

(c) the number of persons found guilty in this regard and the action taken against them?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने इस मामले की जाँच की थी और यह गलत पाया गया था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Shiv Kumar Shastri : It was reported in the newspapers that 25,000 tons of imported wheat got destroyed in the godowns of the Food Corporation in Gujarat. The hon. Minister says that after enquiring the report was found to be untrue. Yesterday I was at a place, named Narvana, in Haryana. There was a talk that the gram stored in the godowns last year has started getting destroyed but no action has so far been taken in that respect. Is it a fact that such complaints are quite frequent that the stored foodgrains get destroyed, and if so, what steps have been taken to prevent that.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : जहाँ तक उस विशिष्ट समाचार की बात है, मूलतः वह समाचार एक गुजराती समाचार पत्र जन सत्ता में प्रकाशित हुआ था । सम्पाद को उसके समाचार की पुष्टि के लिये वहाँ गोदाम में ले जाकर दिखाया गया था तथा बाद में उसने स्पष्ट किया था कि वह समाचार गलत था ।

यदि माननीय सदस्य के पास कोई सूचना दे तो हम खुशी से उसकी जाँच करेंगे ।

Shri Shiv Kumar Shastri : I had asked whether such complaints are received quite often; if so, what steps have been taken to remove them?

Mr. Speaker : Your question has been replied to.

ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी, आगरा के प्रवेश टिकटों का दोबारा बेचा जाना

*993. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी, आगरा के प्रवेश टिकटों का आधा भाग द्वारपालों द्वारा दर्शकों को बहुत कम मामलों में वापस किया जाता है ;

(ख) क्या वे टिकटें आम तौर पर दर्शकों को पुन: बिक्री के लिए द्वारपालों द्वारा बिक्री काउंटरों को लौटा दी जाती हैं; और

(ग) क्या वहाँ पर यह एक स्थायी घोटाला बन गया है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को प्रति दिन हजारों रुपयों की हानि हो रही है ; और यदि हाँ, तो इस घोटाले को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) प्रवेश टिकटों के आधे भाग प्रवेश द्वार पर दर्शकों को देने होते हैं और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सभी सम्भव कदम उठाये गये हैं। प्रवेश द्वार पर, जहाँ गेटकीपर आधी टिकटों की जाँच करते हैं और उन्हें इकट्ठा करते हैं, एक नोटस बोर्ड लगाया गया है जिसमें दर्शकों से आधी टिकटों की माँग करने और अन्दर जाते समय उनको अपने पास रखने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Shrimati Savitri Shyam : The hon. Minister has narrated the procedure that the half portion is detached and given to the visitors. My question was not that one. I had said that that half portion is not given to the visitors. Those tickets go in tact, back to the counter and resold. The hon. Minster has not replied to that.

प्रो० एस० नुरुल हसन : एक सूचना बोर्ड, जिस पर यह लिखा है कि दर्शकगण टिकट का आधा भाग गेट कीपर से ले लें, लगाये जाने के अतिरिक्त संबंधित सर्कल के वरिष्ट अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जाँच भी की गई है और वर्ष 1969 में टिकटों की दोबारा बिक्री के दो मामले पकड़े गये थे जिसके लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी। वर्ष 1971 में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। वर्ष 1972 में फतेहपुर-सीकरी में एक तथा ताजमहल पर एक मामला हुआ था। वर्ष 1973 में कोई ऐसा मामला जानकारी में नहीं आया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन कालेजों के शासी निकायों की संरचना में परिवर्तन

*981. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय कालेजों के शासी निकायों की संरचना में परिवर्तन करने का विचार कर रहा है;

(ख) क्या केवल निजी तौर पर चलाये जाने वाले कालेजों के सम्बन्ध में ही उक्त कार्यवाही की जायेगी अथवा राजधानी के सभी कालेजों के लिए सामान्य सिद्धान्त निर्धारित किये जाएंगे; और

(ग) उस पर विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कालेजों के प्रबन्ध निकायों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् ने कालेजों के अभिशासन संबंधी सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। समिति मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श कर रही है और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

कम पानी में उत्पन्न होने वाली ज्वार की खेती करना

*985. **श्री सरजू पांडे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल देश में अकाल से ग्रस्त अधिकांश क्षेत्रों में ज्वार की खेती होती है;

(ख) क्या ज्वार की अधिक उपज देने वाली नई किस्मों के बारे में मालूम हुआ है कि यह कम पानी में उत्पन्न हो सकती है;

(ग) क्या ज्वार की पैदावार देने वाली 4 करोड़ एकड़ भूमि में से 10 लाख एकड़ से भी कम भमि पर नई किस्म की अधिक उपज देने वाली किस्मों की फसल उगाई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या अन्य क्षेत्रों यें भी कम पानी में उत्पन्न होने वाली ज्वार की इन किस्मों को पैदा करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) देश में कोई अकालग्रस्त क्षेत्र नहीं है। तथापि, महाराष्ट्र, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में, जहां ज्वार अधिक बोई जाती है, व्यापक और अपूर्व सूखे की स्थिति अनुभव की गई है।

(ख) नई संकर किस्में बारानी क्षेत्रों में कम नमी वाली परिस्थितियों में उपज देने की अधिक क्षमता रखती हैं।

(ग) तथा (घ) : वर्ष 1971-72 में ज्वार की अधिक उपज देने वाली संकर-किस्में 6.9 लाख हैक्टर (17.2 लाख एकड़) क्षेत्र में बोई गई थी, जबकि कुल क्षेत्र 168 लाख हैक्टर (420 लाख एकड़) था। 1972–73 के दौरान 9 लाख हैक्टर (22.5 लाख एकड़) की उपलब्धि का अनुमान है। ज्वार की अधिक उपज देने वाली शीघ्र पकने वाली संकर किस्मों की उपज में श्रेष्ठता और स्थानीय किस्मों की अपेक्षा सूखे को अधिक सह सकने की उनकी शक्ति राष्ट्रीय प्रदर्शनी, मार्गदर्शी परियोजना और जिला परीक्षणों आदि द्वारा किसानों के सामने प्रदर्शित करके उन्हें लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

चित्तौड़गढ़ किले पर खर्च की गई राशि

*986. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 और वर्ष 1972 में पुरातत्व विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले पर कितनी राशि खर्च की गई थी,

(ख) क्या किले का "फतह-प्रकाश" भवन खाली पड़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस भवन का उपयोग करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) 1970-71 और 1971-72 के दौरान चित्तौड़गढ़ किले पर क्रमश: 18,420/- रु० और 55,375/- रु० की राशियां खर्च की गई थीं।

(ख) और (ग) जी नहीं। "फतह-प्रकाश" नामक भवन सर्वेक्षण के नियंत्रण में नहीं है। यह राजस्थान सरकार के अधीन है और इसका प्रयोग संग्रहालय के आलासन के लिए किया जा रहा है।

Report of National Productivity Council regarding Photo Litho Wing of Government of India Press, New Delhi

***994. Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the National Productivity Council have submitted the final report in regard to the Photo Litho Wing of the Government of India Press, New Delhi; and

(b) whether Government propose to implement these recommendations and if so, by what time?

The Minister of Works and Housing (Shri Bhola Paswan Shastri) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes. It is hoped that the implementation will be started in about six months time.

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महानगरों में गंदी बस्तियां हटाने के लिये वित्तीय सहायता

***995. श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या कानपुर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और अहमदाबाद जैसे महानगरों में गन्दी बस्तियां हटाने के लिए पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान अधिक वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितनी राशि देने का आश्वासन दिया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पास्वान शास्त्री) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय सहायता का पैटर्न योजना आयोग के विचाराधीन है, क्योंकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम की क्रिन्विति में कठिनाइयां

***996. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण रोजगार की द्रुत योजना के क्रियान्वित करने में राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों के सामने क्या कठिनाइयाँ आई हैं;

(ख) क्या इन कठिनाइयों को दूर कर दिया गया है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में योजना में हुई प्रगति के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) राज्यों को पर्यवेक्षी कर्मचारियों पर होने वाले व्यय को कुल परिव्यय के 3 प्रतिशत के भीतर रखने और सामग्री पर होने वाले व्यय को कुल परिव्यय के 20 प्रतिशत तक सीमित करने में कठिनाइयाँ अनुभव हुईं। पर्यवेक्षी कर्मचारियों पर होने वाले व्यय की सीमा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी गयी और सामग्री पर होने वाले व्यय का कुल अनुपात बढ़ाकर कुल परिव्यय का 30 प्रतिशत कर दिया गया। कुछ राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त रोड रोलरों और रेल डिब्बों की आवश्यकता थी। रोड रोलरों का देशज उत्पादन 1971-72 और 1972-73 में आवश्यकता से बहुत कम था। यह मामला भारी उद्योग मंत्रालय से उठाया गया, जो उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है। रेल मंत्रालय से भी प्राथमिकता के आधार पर रेल डिब्बों की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया गया।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4980/73]

चीनी के कारखाने में पर्यवेक्षकों के पदों को समाप्त करना और चीनी उत्पादन पर इसका प्रभाव

*997. **गेंदासिंह** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक चीनी कारखाने के लिये पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी और अब इन पदों को समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) क्या इससे प्रत्येक कारखाने में चीनी के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) सरकार ने चीनी कारखानों में पर्यवेक्षकों की कभी भी नियुक्ति नहीं की थी। स्पष्टतया यह निर्देश 1969 के वित्त मंत्रालय द्वारा उत्पादन-शुल्क निरीक्षकों को हटाने और फलस्वरूप स्वत: निष्कासन कार्यविधि अपनाने की ओर है।

(ख) जी नहीं।

भारतीय ओषध तथा होम्योपैथी सम्बन्धी गोष्ठी

*998. **श्री पुरुषोत्तम काकोड़कर**
श्री श्रीकिशन मोदी } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औसध तथा होम्योपैथी के बारे में 10 फरवरी, 1973 को, नई दिल्ली में एक गोष्ठी आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस गोष्ठी में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का केन्द्रीय अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में 10 फरवरी, 1973 से 13 फरवरी, 1973 तक नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा, होम्योपैथी और योग पर एक गोष्ठी आयोजित की गई। इस गोष्ठी में विचार विमर्श के विषय थे भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी की अनुसंधान प्रणाली, औषधि अनुसंधान तथा क्लिनिकल अनुसंधान और योग सम्बन्धी अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान तथा औषधि-इतिहास।

गेहूं के व्यापार के सरकारीकरण के बाद अनुभव की जा रही कठिनाइयां

*999. **श्री एस० सी० सावन्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के थोक व्यापार के सरकारीकरण के बाद राज्यों को क्या कठिनाइयाँ अनुभव हो रही हैं; और

(ख) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) कुछ स्थानों पर निहित स्वार्थ वालों द्वारा किये गये विरोधी प्रचार के बावजूद संबंधित राज्यों में गेहूं की अधिप्राप्ति में तेजी आ रही है और आशा की जाती है कि लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा। राज्य सरकारों/प्रशासनों से यह कहा गया है कि वे केन्द्रीय आदेशों को सख्ती से लागू करें और स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो वहाँ उचित कार्यवाही करें। जहां कहीं आवश्यक होता है वहाँ राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा सहायता और मार्गदर्शन दिया जाता है।

मैसूर में मेडिकल कालेजों के लिये चलता-फिरता औषधालय

*1000. **श्री सी० के० जाफर शरीफ**
श्री जी० वाई० कृष्णन } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह मैसूर, हुबली, बेल्लारी, बेलगाम, गुलबर्गा, मनीपाल और देवानगरे स्थित प्रत्येक मेडिकल कालेज के साथ एक चलता-फिरता औषधालय सम्बद्ध करे; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री किस्कू) : (क) निम्नलिखित तीन मेडिकल कालेजों से सीधे ही अनुरोध पत्र प्राप्त हुए थे :—

(1) सैण्ट जान मेडिकल कालेज, बंगलौर।

(2) कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनिपाल।

(3) जे० जे० एम० मेडिकल कालेज, देवानगरे।

(ख) इन कालेजों में एक-एक चलता-फिरता औषधालय खोलने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई रकम मंजूर करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इस योजना को अभी सब मेडिकल कालेजों में लागू नहीं किया गया है।

"वकड" नैल्लोर, आंध्र प्रदेश में सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था के विरुद्ध शिकायत

9257. श्री के० सूर्यनारायण : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में एक विधान सभा सदस्य ने आन्ध्र सरकार के सलाहकार को 'वकड' नेल्लोर जिला, आन्ध्र प्रदेश में एक सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था के प्रबन्धकों द्वारा किये गए कुछ घोटालों के संबंध में हाल ही में एक लिखित शिकायत की है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विधान सभा सदस्य श्री एन० श्रीनिवासुल रेडी ने 6-6-72 को पुलिस अध्यक्ष. सतर्कता सैल (सी० आई० डी०) हैदराबाद को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने हरिजन विद्यार्थी उद्धारक संगम प्रवकाडु, जिला नेल्लोर आन्ध्र प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे छात्रावासों के समूह और शैक्षिक संस्थानों के प्रबन्ध विरुद्ध अनाचार के आरोप लगाए थे। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के सचिव को इस मामले की जांच करने के लिए जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

संस्थाओं के वकाडु वर्ग की प्रबन्ध समिति द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त सामान के गबन से सम्बद्ध आरोपों को राज्य के अपराध जांच विभाग के पास भेज दिया गया है।

जादूगरों को प्रोत्साहन

9258. श्री रणबहादुर सिंह : क्या शिक्षा, समाज, कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश के जादूगरों को कोई प्रोत्साहन दिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार भारतीय जादूगरों को विदेशों में जाने की अनुमति देकर उन्हें प्रोत्साहन देती है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) देश में जादूगरों को प्रोत्साहन देने अथवा विदेश यात्रा के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने की भारत सरकार की कोई योजना नहीं है।

महाराष्ट्र के सैन्ट्रल स्कूलों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को रियायत

5259. श्री ए० एम० कस्तूरे : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कुल कितने सेन्ट्रल और पब्लिक स्कूल हैं और वे कहां कहां पर हैं,;

(ख) 1972-73 के सत्र में इनमें दाखिल किये गये छात्रों की कक्षावार संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रवेश देते समय 'ट्यूशन फी' 'मेटेनेन्स ग्रान्ट' के मामले में क्या रियायत दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) महाराष्ट्र में 17 केन्द्रीय विद्यालय तथा 3 पब्लिक विद्यालय हैं जो निम्नलिखित स्थानों पर हैं :—

केन्द्रीय विद्यालय

1. अहमदनगर
2. अम्बर नाथ
3. भंडारा
4. कोलाबा, बम्बई
5. देहू रोड
6. देव लाली
7. आई० आई० टी० पोवाई
8. आई० एन० एस० हामला
9. करंजा
10. खड़कवासला
11. किरकी
12. लोनावाला
13. लोह गांव
14. नागपुर
15. नासिक रोड कैम्प
16. एस० सी०, पूना
17. पुलगांव कैम्प

पब्लिक विद्यालय

1. हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल, अन्धेरी, बम्बई
2. सैनिक स्कूल, सतारा
3. श्री शिवाजी प्रिपेरेट्री, मिलिट्री स्कूल, पूना

(ख) जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों का संबंध है, एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4981/73]

जहां तक पब्लिक विद्यालयों का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिमजातियों के छात्रों सहित आठवीं कक्षा तक सभी छात्रों के लिए शिक्षा निःशुल्क है। 9वीं से 11वीं कक्षाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के छात्र शिक्षा-शुल्क की अदायगी से मुक्त हैं। किसी भी छात्र को कोई

अनुरक्षण अनुदान नहीं दिया जाता है। दाखिलों के मामले में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों को प्रत्येक प्राथमिकता की श्रेणी में प्राथमिकता की व्यवस्था है, बशर्ते कि वे प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लें।

पब्लिक विद्यालयों के मामले में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तमिलनाडु के सेन्ट्रल स्कूलों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को रियायत

9260. श्री एस० एम० शिवस्वामी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कुल कितने सेन्ट्रल और पब्लिक स्कूल हैं और वे कहां-कहां पर हैं; और

(ख) इन स्कूलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रवेश के समय अथवा अन्यत्र दी जाने वाली रियायतों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० पा० यादव) : (क) तमिलनाडु में निम्नलिखित स्थानों पर 10 केन्द्रीय विद्यालय तथा 2 पब्लिक स्कूल हैं :—

केन्द्रीय विद्यालय	पब्लिक स्कूल
1. वायुसेना केन्द्र, आवाडी	1. लारेन्स स्कूल, लवडेल (नीलगिरी)
2. मुदरै	2. सैनिक स्कूल, अमरावती नगर
3. कोयम्बटर	
4. ताम्बरम्	
5. गिल्ल नगर, मद्रास	
6. तिरुचिरापल्ली	
7. आई० आई० टी०, मद्रास	
8. हैवी वेहिकल्स फैक्टरी, अवाडी	
9. कालपक्कम	
10. मिनावक्कम्	

(ख) केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले के नियमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों के बच्चों को प्रत्येक प्राथमिकता वाले वर्ग में प्राथमिकता की व्यवस्था है, बशर्ते कि वे प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लें। इसके अलावा वे शिक्षा शुल्क की अदायगी से भी मुक्त हैं।

जहां तक पब्लिक स्कूलों का संबंध है, लारेन्स स्कूल, लोनावाला स्कूल में दाखिल होने वाले विद्यार्थियों को कोई विशेष रियायतें नहीं देता है।

सैनिक स्कूल, अमरावती नगर में दाखिले केवल योग्यता के आधार पर ही किये जाते हैं। तथापि, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उन सभी बच्चों को जो प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त

कर लें, दाखिल कर लिया जाता है, चाहे योग्यताक्रम की सूची में उनका कोई भी स्थान हो । 1973-74 से यह भी निर्णय किया गया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उन सभी बच्चों को, जो चार में से दो विषयों में 7 अंकों से फेल हो जाए, प्रवेश के लिए पात्र घोषित कर दिया जाएगा, बशर्ते कि वे कुल अंकों को मिलाकर पास हों । सैनिक स्कूलों में दाखिल होने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चे छात्रवृत्तियां पाने के भी हकदार हैं, बशर्ते कि वे केन्द्रीय और राज्य सरकारों की छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत बच्चों के अभिभावकों की आयु-सीमा आदि से संबंधित विहित शर्तों को पूरा करते हैं ।

बड़/छोटे पत्तनों का विकास

9261. श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में बड़े और छोटे पत्तनों के विकास में पत्तनवार 31 मार्च, 1973 तक आगे कितनी प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : बड़े/छोटे पत्तनों का 31 मार्च, 1973 तक पत्तनवार प्रगति का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

1. बड़े पत्तन

1. कलकत्ता

गहरे डुबाव वाले जहाजों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कलकत्ता में सुविधाओं के पूरक के रूप में हल्दिया में नई गोदी पद्धति का निर्माण प्रगति पर है और पूरे होने की सम्भावना है और 1973 के अन्त तक । 1974 के प्रारम्भ में चाल होने की सम्भावना है ।

हल्दिया गोदी में ले जाने वाले अयस्क और कोयला लदान संयंत्रों की 1973-74 के अन्त तक सुपुर्द किये जाने की सम्भावना है ।

हल्दिया जलमार्ग में गहन निकर्षण कार्य करने के लिए एक एस्च्यूरियन निकर्षक के 1975 में सुपुर्द किये जाने की सम्भावना है ।

2. बम्बई

,गोदी विस्तार और वलार्ड पीयर विस्तार के अन्तर्गत मुख्य समुद्री कार्य पूरे हो गये हैं । इससे पत्तन के आठ घाट और हो गए हैं ।

नेवा-शेवा परियोजना के लिए नेवा-शेवा में भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यवाही की पहल कर दी गई है । समुद्री वन्दरगाह जलमार्ग गहरे डुबाव वाले जहाजों के लिए चार्ट आंकड़े नीचे 33 फुट गहरा कर दिया गया है ।

3. मद्रास

बाहरी गोदी का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और तेल घाट 15-9-1972 को चालू कर दिया गया है । पूर्वी पनकटे दीवार के छोटे भाग सम्बन्धी कार्य और उत्तरी बांध का सुधार और पूरा किया जाना प्रगति पर है । मैसर्स गार्डन रीच वर्कशाप द्वारा निर्मित ट्रेलर चूषण निकर्षण " ोलरून"

2-1-1973 को पत्तन पर पहुंचा। 'जवाहर लाल नेहरू' व 'लाल बहादुर शास्त्री' दो तेलवाही 2-4-1973 प्राप्त हुए।

4. विशाखापत्तनम

प्रारम्भ में 100,000 डी० डब्ल्यू० टी० के और अन्ततः 200,000 डी० डब्ल्यू० टी० के आकार के अयस्क बाहक पोतों के धरा-उठाई के योग्य बाह्य बन्दरगाह का निर्माण प्रगति पर है और मई, 1974 तक पूरे होने की सम्भावना है।

5. कांडला

दो अतिरिक्त माल घाटों का निर्माण शुरू है। सम्बन्धित कार्यों सहित उपरि-संरचना का कार्य और जायफ्राम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। घाट के दिसम्बर, 1973 के अन्त तक पूरे होने की सम्भावना है। तेल जेटी में परिवर्तन का कार्य चल रहा है और दिसम्बर, 1973 तक पूरा होने की सम्भावना है।

6. मारमुगाव

3 स्टेंकरों, 2 शिपलोडर तथा वेकेट व्हील रिक्लेमरों तथा ढुलाई पद्धति के लिए एम० ए० एम० सी० को आदेश दिये गये हैं।

जुआरी एग्रो कैमिकल के फास्फोरिक एसिड तेलवाहकों के रखरखाव के लिए तथा जहाज के ठहरने हेतु 33 फुट डुबाव की व्यवस्था करने हेतु उपाय किये जा रहे हैं।

7. पाराद्वीप

अपनी मौजूदा सुविधाओं सहित पत्तन प्रतिवर्ष 20 लाख टन लोहे अयस्क की धरा-उठाई के लिए सक्षम है। संयंत्र की धरा-उठाई क्षमता में सुधार हेतु एक अतिरिक्त रिक्लेमर लगाया जा रहा है। एक सामान्य मालघाट का निमाण कार्य प्रगति पर है। पत्तन रेल पद्धति को शीघ्रता से पूरा करने हेतु उपाय किये जा रहे हैं।

8. मंगलौर हारबर परियोजना

जबकि अन्य कई कार्यों की प्रगति संतोषजनक रही। निकर्षण तथा रिक्लेमेशन सम्बन्धी मुख्य सिविल निर्माण कार्य, गार्डन रीच वर्कशाप द्वारा अक्तुबर, 1969 में आदेशित एक कट्टर सेक्शन की सुपुर्दगी न करने के कारण पीछे रह गये। निकर्षक, जिसके अप्रैल, 1971 में प्राप्त हाने की आशा थी, सितम्बर, 1972 में प्राप्त हुआ। निकर्षक ने एक मिडगेट निकर्षक के साथ-साथ पत्तन में कार्य करना आरम्भ किया है। आशा है कि पत्तन दिसम्बर, 1973 तक सीमित सेवा के लिए खोल दिया जाएगा और 1974 के मध्य तक पूर्ण रूप से चालू कर दिया जायेगा।

9. तूतीकोरिन हारबर परियोजना

इस परियोजना में 4 सहवर्ती घाटों की व्यवस्था है। जबकि तटीय कार्य लगभग पूरा हो गया है, तट से दूर दक्षिणी पनकट दीवार, उत्तरी पनकट दीवार, वार्क दीवार, निकर्षण आदि के निर्माण सम्बन्धी कार्यों में ठेकेदारों को कुछ कठिनाई पेश आने के कारण तीव्र गति से प्रगति नहीं हुई है। इनका समाधान किया जा रहा है।

2. छोटे पत्तन

छोटे पत्तनों के विकास के लिए कार्यकारी जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। भारत सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में सम्मिलित छोटे पत्तनों सम्बन्धी विकासात्मक योजनाओं के निष्पादन के लिए राज्य सरकारों को छोटे पत्तनों के विकास के लिए जब कभी कहा जाय अथवा आवश्यक समझा जाये, तकनीकी सहायता एवं दीर्घकालीन ऋण देती है।

एक विवरण संलग्न है, जिसमें केन्द्रीय प्रायोजित योजना में सम्मिलित पत्तन उनका चौथी पंचवर्षीय योजना में नियतन, वर्षवार दी गई धन राशि दिखायी गयी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4982/73]

Grants to Institutions in Bilaspur District of M. P. by Department of Social Welfare

9262. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the names of the institutions in Bilaspur District of Madhya Pradesh which have been given grants by the Department of Social Welfare during the financial year 1971-72 and 1972-73 indicating the amount of grant given to each of them?

The Deputy Minister in the Ministry of Education an Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : No grants were given directly by the Department of Social Welfare. However, grants to the following institutions were given by the Central Social Welfare Board during 1971-72 and 1972-73 in Bilaspur district :—

		1971-72 (Amount released)	1972-73 (Amount sanctioned)
		Rs.	Rs.
1.	Ashok Prasuli Mandir, Bilaspur	5,000·00	5,000·00
2.	Shri Sher Mandir, Bhagini Mandal, Bilaspur	1,000·00	1,500·00
3.	Rashtriya Bal Mandir, Link Road, Bilaspur	1,500·00	2,057·00
4.	Mahila Mandal, Champa, Bilaspur	—	1,000·00
5.	Vedic Convent Bal Mandir, New Sarkanda, Bilaspur	—	500·00
6.	Mahila Mandal, Kota, Bilaspur	2,255·00	2,812·50
7.	Mahila Mandal, Ratanpur, Bilaspur	3,005·00	3,562·00
8.	Bhagini Mandal, Tilak Nagar, Bilaspur	2,500·00	17,150·00
9.	Vedic Convent Mahila Samiti, Bilaspur	—	3,000·00
10.	Family & Child Welfare Project, Pamgarh, District Bilaspur	35,900·00	66,100·00
11.	Family & Child Welfare Project, Pandaria, District Bilaspur	53,800·00	72,098·00
12.	Shishu Vihar Bhagini Mandal, Bilaspur	500·00	1,057·50

Grants to Institutions in Raipur District of Madhya Pradesh by Department of Social Welfare

9263. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the names of the institutions in Raipur District of Madhya Pradesh, which were given grants by the Department of Social Welfare during the financial years 1971-72 and 1972-73 indicating the amount of grant given to each of them?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : No grants were given directly by the Department of Social Welfare. However, grants to the following institutions were given by the Central Social Welfare Board during 1971-72 and 1972-73 in Raipur District :—

		1971-72 (Amount released)	1972-73 (Amount sanctioned)
1.	Kasturba Arogya Balwadi Kendra, Balsond, Raipur	—	3,457·50
2.	Kasturba Arogya Balwadi Kendra, Saragaon, Raipur .	2,400·00	3,457·50
3.	Mahila Mandal Brahmapur, Raipur .	1,500·00	2,057·50
4.	Nutan Shishu Mandir, Tatapore, Raipur	1,500·00	2,057·50
5.	Mahila Samaj Dhaontari, Raipur	500·00	3,057·50
6.	Bal Mandir and Mahila Mandir, Baroncha Bazar, Raipur	—	1,000·00
7.	Bal Mandir and Mahila Mandal Labhara, Raipur	—	1,000·00
8.	Bal Mandir and Mahila Mandir Kos Rangi, Raipur	—	1,000·00
9.	Bal Mandir and Mahila Mandir Keswa, Raipur	—	1,000·00
10.	Baghhara Shiksha Samiti, Baghhara, Raipur	1,835·00	2,392·50
11.	Bal Ashram, Jail Road, Civil Lines, Raipur .	2,500·00	—
12.	Shantinagar Mahila Samaj Shantinagar, Raipur . .	—	17,150·00
13.	Family and Child Welfare Project, Mahasmund, Dist. Raipur	50,000·00	71,382·00
14.	Family and Child Welfare Project, Pillari, District Raipur	68,500·00	73,850·00

नई दिल्ली, पंखा रोड स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में बिजली की व्यवस्था करना

9264. **श्री प्रताप सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली, पंखा रोड स्थिति दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों तथा विशेषकर क्षेत्र संख्या 14 में बिजली की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई जिससे अलाटियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और बिजली की व्यवस्था कब तक कर दी जायेंगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं। पाकेट नं० 14 के फ्लैटों समेत पंखा रोड के विभिन्न फ्लैटों को, जहाँ दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली सम्बन्धी सामान्य कार्य पहले ही पूरे किये जा चुके हैं, बिजली की सप्लाई की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में पेय जल की सुविधा

9265. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के अधिकाँश आदिवासी ग्रामो, कोरापुट ज़िले के छोटे कस्बों, गंजम एजेन्सी और अन्य ज़िलों में पेय जल की सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) भारत सरकार द्वारा पाँचवीं योजना में विशेष रूप से पिछड़े राज्यों में कौन-कौन से कार्यक्रमों का विस्तार किया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) (क) से (ग) सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दक्षिण दिल्ली की कालोनियों में अनधिकृत निर्माण कार्य

9266. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली कालोनियों के कुछ सरकारी कर्मचारियों ने अपने क्वार्टरों के पीछे इस कारण अस्थायी रूप में अनधिकृत निर्माण किया है कि उन क्वार्टरों में उनके परिवारों का गुजारा मुश्किल से ही होता है क्योंकि वह क्वार्टर उनकी श्रेणी के क्वार्टरों से निचली श्रेणी के हैं;

(ख) क्या सम्बन्धित कालोनियों के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय इस प्रकार के अनधिकृत निर्माण के बारे में समय-समय पर सम्पदा निदेशालय, नई दिल्ली को विवरण भेजते आ रहे हैं ;

(ग) क्या अभी हाल में कोई सरकारी कर्मचारी दक्षिण दिल्ली के इन अनधिकृत निर्माण कार्यों को देखने गया था और अधिकाश क्वार्टरों के साथ अनधिकृत निर्माण कार्य होने के बावजूद भी कार्यवाही केवल एक के ही विरुद्ध चलायी गयी; और

(घ) यदि हाँ, तो इस भेदभाव के क्या कारण थे और इन कर्मचारियों को इनकी श्रेणी के अनुसार क्वार्टर अलाट करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) **(क) तथा (ख)** दक्षिण दिल्ली में स्थित सम्पदा निदेशालय द्वारा प्रशासित कुछ कालोनियों में क्वार्टरों के अन्दर या बाहर अनाधिकृत निर्माण के कुछ मामलों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं परन्तु अपर्याप्त निवास-स्थान के कारण से नहीं।

(ग) जी, हाँ। इस प्रकार की विशेष शिकायत प्राप्त होने पर, कि अलाटी वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए क्वार्टरों का प्रयोग कर रहा था तथा उसने क्वार्टर के पीछे रिहायशी प्रयोजन के लिए दो फ्लटमेन्टों का निर्माण कर लिया था, केवल एक मामले में निरीक्षण किया गया था।

(घ) भेदभाव का प्रश्न विशेष रूप से इसलिए नहीं उठता क्योंकि ऊपर भाग (ग) में उल्लिखित मामले में आवश्यक जाँच एक विशेष शिकायत के आधार पर की गई थी। निचले टाइप के वास को दखल लिए हुए अधिकारियों को उनके पात्र टाइपों में आबंटन उनकी बारी पर किया जाता है।

दिल्ली दुग्ध योजना के कनिष्ठ डिपो सहायक की सेवाओं को समाप्त करना

9267. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत विभिन्न दुग्ध केन्द्रों में कार्य कर रहे कनिष्ठ डिपो सहायकों ने कितने मामलों में दिल्ली दुग्ध योजना के ए० एम० डी० ओ० के द्वारा अपने वरिष्ठ डिपो सहायकों

के विरुद्ध दूध की बोतलों की सीलों को खोलने की शिकायतें की हैं तथा जिसके परिणाम स्वरूप अक्तूबर, 1972 में दोनों श्रेणियों के सहायकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है और ऐसे मामलों में कनिष्ठ डिपो सहायकों को निकालने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार और दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों को संसद् सदस्यों के द्वारा कनिष्ठ डिपो सहायकों को सेवाओं को समाप्त किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन कनिष्ठ डिपो सहायकों की सेवाओं में पुनः रखने का है जिन्होंने ऐसी अनियमितताओं को रोकने और दोषी व्यक्तियों को रंगे हाथों पकड़वाने में सहायता की थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) कनिष्ठ डिपो एजेन्टों की ओर से अपने वरिष्ठ डिपो एजेन्टों के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुईं जिनके फलस्वरूप अक्तूबर 1972 में दोनों की सेवाओं को समाप्त किया गया हो ।

(ख) जी हाँ । संसद सदस्य के माध्यम से दिल्ली दुग्ध योजना को एक डिपो एजेन्ट का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें लिखा था कि उस एजेन्ट की एजेंसी को बहाल कर दिया जाये ।

(ग) सम्बन्धित डिपो एजेन्ट ने अपने अभिवेदन में लिखा था कि उन्होंने अपने वरिष्ठ डिपो एजेन्ट के विरुद्ध विक्रय से पूर्व दूध की बोतलों की सील तोड़ने के सम्बन्ध में शिकायत की थी जिसके परिणाम स्वरूप उनकी एजेंसी समाप्त की गई है । जाँच करने पर पता चला है कि शिकायत डिपो एजेंट ने नहीं की थी अपितु डिपो नं० 849 से टूटी हुई सील की दुग्ध बोतलों की बिक्री के सम्बन्ध में एक अन्य व्यक्ति से प्राप्त हुई थी । दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों ने डिपो से दुग्ध बोतलों के कुछ ऐसे नमूने एकत्र किए थ जिनके सम्बन्ध में डिपो एजेन्ट ने प्रमाणित किया था कि उनमें मानकित दूध है, लेकिन प्रयोगशाला में परीक्षण करने पर पता चला कि उनमें टोन्ड दूध था । अतः डिपो एजेन्ट की एजेन्सी समाप्त कर दी गई । जाँच करने पर शिकायत सही पाई गई थी, अतः एजेन्सी को फिर से बहाल नहीं किया गया ।

(घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता ।

स्वर्गीय मेहर चन्द महाजन की जीवनी

9268. श्री आर० सी० बड़े : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्गीय मेहर चन्द महाजन, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की, साहित्य अकादमी अथवा प्रकाशन विभाग जैसी किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से जीवनी तैयार करवाने का है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के स्कूलों के लिये "सलेक्शन ग्रेड" के अध्यापकों की सूची

9269. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री 16 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6997 के भाग (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन टी० जी० टीचर्स (पुरुष और महिलायें दोनों) की सूची को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है जो 'सलेक्शन ग्रेंड' पाने के हकदार हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सूची को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी नहीं।

(ख) लगभग तीन महीने।

मैसूर में खाद्य उत्पादन में कमी

9270. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में खाद्य उत्पादन में कोई कमी हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : 1972–73 में खाद्यान्न उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, खरीफ मौसम के दौरान राज्य के बहुत से भागों में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण उत्पादन को धक्का लगने की सूचना मिली है। फिर भी, 1969–70 से 1972–72 तक की अवधि के दौरान मैसूर में खाद्यान्नों के उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नलिखित आँकड़ों से स्पष्ट है :—

खाद्यान्नों के उत्पादन के अनुमान

(हजार मीटरी टनों में)

1968–69	5,049
1969–70	5,891
1970–71	5,962
1971–72	6,064

वैदिक स्कालरों और उनके परिवारों को सहायता

9271. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय वेद विद्वत् सम्मेलन ने सरकार को वैदिक स्कालरों और उनके परिवारों के पालन-पोषण और उनकी सहायता करने के लिए कहा है,

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या सरकार का विचार देश में पंडितों का ब्यौरा देते हुए "हू इज हू इन वेदाज इन इंडिया" सम्बन्धी परियोजना को धन देने का भी है, और

(घ) भारत और विदेशों में वेदों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है।

(घ) केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति ने, वैदिक पाठ के लिए टेप-रिकार्ड अभिलेखागार के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया है, साम वेद की कौथुम शाखा का टेप-रिकार्ड कर लिया गया है। आकाशवाणी ने भी वेदों के बड़े भाग को टेप रिकार्ड कर लिया है। वैदिक अध्ययन के परिरक्षण के लिए स्वैच्छिक संस्कृति संगठनों तथा राज्य सरकारों को अनुदान दिए जा रहे हैं। शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में, एक वार्षिक वैदिक अभिसमय आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर के वैदिक विद्वान भाग लेते हैं। विश्व भर के विद्वानों को वैदिक पाठ की अविरत परम्परा से जानकारी कराने के लिए इस प्रकार के एक अभिसमय का प्रबन्ध, नई दिल्ली में, मार्च, 1972 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के अवसर पर भी किया गया था। वैदिक विद्वानों को और अधिक अनुप्रेरणा देने के लिए, पंच-वर्षीय आयोजना में एक योजना शामिल करने का भी विचार है।

मंडियों में गेहूं तथा अन्य खाद्यान्न की आवती रुख

9272. **श्री के० मालन्ना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मंडियों में हाल में गेहूं तथा अन्य प्रकार के अनाज की आवती का रुख असन्तोषजनक रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश में विभिन्न मंडियों में गेहूं सम्बन्धी क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गेहूं का आयात करने का भी है ताकि उसे उपभोक्ताओं को सस्ते भाव पर उपलब्ध कराया जा सके; और

(घ) विरोधी लोगों के प्रयत्नों को असफल करने और खाद्यान्न व्यापार के सरकारीकरण को सफल बनाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) 1973–74 के दौरान मंडियों में गेहूं की आमद 1972–73 की तदनुरूपी अवधि में गेहूं की आमद की अपेक्षा सामान्यतया अधिक हुई है।

देश की चुनी हुई मंडियों में चावल, बाजरा, मक्का और चना की कुल आमद जोकि मार्च, 1973 में पिछले वर्ष के उसी मास के दौरान आमद से अपेक्षाकृत अधिक थी, अप्रैल के पहले सप्ताह में कम हुई थी। तथापि, ज्वार की मंडियों में आमद बराबर अधिक होती रही।

(ग) पहले से तयशुदा माला के अलावा, फिलहाल गेहूं का कोई आयात करने का विचार नहीं है।

(घ) सम्बन्धित अधिकारियों को यें अनुदेश जारी किए गए हैं कि गेंहूं का थोक व्यापार लेने की नीति की कार्यान्विति में बाधा पहुंचाने पर उचित कार्यवाही करें।

Procurement of Wheat by Government

9273. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the purchase of wheat by Government has started throughout the country;

(b) the total quantity of wheat proposed to be purchased by Government; and

(c) whether the prices of wheat have gone down with the purchase of wheat by Government, if so, the State-wise details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) : Procurement of wheat has started in all the wheat producing States. No target of procurement has been fixed as the public agencies are required to purchase the entire stocks of wheat offered at the fixed procurement price. The price of wheat has recorded a fall in most parts of the country. A statement indicating the prevailing prices of wheat in important States is appended. (Placed in the Library. *See No. LT-4983/73.*)

फतहपुर, सीकर (राजस्थान) में एक बहुत बड़ा भेड़ प्रजनन फार्म बनाया जाना

9274. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के जिला सीकर में फतहपुर के निकट मेड़ों के बड़े पैमाने पर संकर प्रजनन कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़े भेड़ प्रजनन फार्म के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक की कोई योजना भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक से कितनी और किस प्रकार की सहायता मांगी गई है और इस बारे में बैंक की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) फार्म की स्थापना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां। राज्य सरकार ने फतेहपुर, जिला सीकर (राजस्थान) के निकट केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक बड़ा भेड़-पालन फार्म स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की है। इस फार्म का उपयोग भेड़ों के संकर प्रजनन और उनकी नसल सुधारने के लिए किया जायेगा। भारत सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर भेड़ों के तीव्र स्तर पर संकर प्रजनन की एक अलग योजना तैयार करके विश्व बैंक के पास सहायता के लिए भेजी है। उपर्युक्त फार्म इस परियोजना का एक भाग होगा।

(ख) विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई भेड़-विकास परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 9.3 करोड़ रूपये के परिव्यय रुपये का प्रस्ताव किया है। हाल ही में इस सिलसिले में विश्व बैंक का एक मिशन राजस्थान गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व बैंक आमतौर पर इस देश में भेंड़ और पशु परियोजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करने में उत्साह दिखा रहा है। तथापि, उपर्युक्त परियोजना के बारे में उनकी प्रतिक्रिया अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित फार्म स्थापित करने की योजना भारत सरकार के विचाराधीन है।

पुरुषों के इस्तेमाल के लिए एक सुरक्षित रासायनिक गर्भनिरोधक का विकास

9275. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० एम० आर० एन० प्रसाद तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करने वाले अन्य वैज्ञानिकों ने पुरुषों के इस्तेमाल के लिए एक सुरक्षित रासायनिक गर्भनिरोधक, जिसका नाम किपरोटरोन एक्टेट है और जिसका पश्चिमी जर्मनी में पशुओं पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और मनुष्यों पर इसका परीक्षण करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी ध्यान आकर्षिक हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस गर्भनिरोधक के प्रयोग और प्रभाव के बारे में सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा यदि कोई परीक्षण किये गये हैं तो उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस गर्भनिरोधक के प्रयोग के गौण प्रभावों के विरुद्ध बचाव व्यवस्था और इसकी करारता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री : (श्री ए० के० किस्कू) : (क) डा० एम० आर० एन० प्रसाद तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के उनके सहयोगियों ने स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् तथा फोर्ड प्रतिष्ठान की सहायता से यह प्रदर्शित किया है कि साइपोरोटरोन ऐसिटेट नर चूहों में परिवर्तनीय बन्धता पैदा कर सकता है।

सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि इसका पश्चिमी जर्मनी में चूहों पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

इस औषधि के क्लीनिकी अध्ययनों के लिए विश्व स्वास्थ्य संघ ने दो केन्द्रों का चुनाव किया है--- एक पश्चिमी जर्मनी में तथा दूसरा भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्थान, नई दिल्ली।

(ख) राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्थान में अभी क्लीनिकी अध्ययन आरम्भ नहीं किए गए हैं।

(ग) जब तक क्लीनिकी परीक्षणों के परिणाम प्राप्त नहीं हो जाते तब तक इसका प्रश्न नहीं उठता।

प्रारम्भिक पाठशाला स्तर पर तीन भाषाई सूत्र

9276. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) देश में उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें प्रारम्भिक पाठशाला स्तर पर तीन भाषाई सूत्र का पालन किया जा रहा है, और

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त हो गई , और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा और सामाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) तीन भाषाई सूत्र मिडिल और माध्यमिक स्कूल स्तर के लिए लागू होता है और न कि प्रारम्भिक स्तर के लिए (कक्षाएं 1–5), जहां सामान्यतः केवल एक और कभी-कभी दो भाषाएं पढ़ाई जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जनकपुरी से दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

9277. **श्री देवेन्द्र नाथ महाता :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की जनकपुरी (पंखा रोड रिहायश योजना) नामक सबसे बड़ी रिहायशी कालोनी से प्रमुख कार्यालयों तथा रिहायशी कालोनियों जैसे कि रामा-कृष्णापुरम, सफदरजंग कालोनी काम्पलैक्स तथा इन्द्रप्रस्थ ऐस्टेट को कोई सीधी बस सेवा नहीं है।

(ख) क्या इस विस्तृत कालोनी के लिये वर्तमान लिमिटेड रूट्स पर्याप्त नहीं हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में वहां के निवासियों की वैल्फेयर एसोसिएशन की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो वहां के निवासियों की सरकारी परिवहन सम्बन्धी मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (घ) यह सही है कि जनकपुरी से रामाकृष्णापुरम सफदरजंग कम्पलैक्स, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट आदि तक कोई सीधे बस मार्ग नहीं है। ऐसी सीधी सेवाओं की व्यवस्था के लिए कालोनी के निवासियों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली परिवहन निगम की मौजूदा बेड़ा स्थिति के अनुसार फिलहाल कालोनी से उपर्युक्त स्थानों के लिए सीधी बस सेवा चालू करना सम्भव नहीं है। निगम की बेड़ा स्थिति में सुधार होने से ही ऐसी संयोजक या सीधी सेवाओं की उत्तरोत्तर व्यवस्था की जा सकती है और जिस के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

डी० डी० ए० फ्लैटों/प्लाटों का आवंटन

9278. **श्री पन्नालाल बारुपाल :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 18 दिसम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 482 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से बाहर रहने वाले व्यक्ति डी० डी० ए० के फ्लेटों और प्लाटों के आबंटन के लिए हकदार हैं जबकि 200 वर्गगज भूखण्ड पर बने मकान के संयुक्त रूप से तीन मालिक डी० डी० ए० के प्लाटों के आबंटन के लिए और फ्लेटों के पंजीकरण कराने के लिए हकदार नहीं है यदि हां, तो इस भेद भाव के क्या कारण हैं विशेषकर जबकि उन तीनों में से प्रत्येक व्यक्ति का मालिकाना हक मकान के एक तिहाई भाग, अर्थात् केवल 66 वर्ग गज पर है; और

(ख) किसी मकान के संयुक्त रूप से स्वामियों और 25 वर्ग गज अथवा इससे कम के मालिकाना हक वाले व्यक्तियों को फ्लैटों अथवा प्लाटों की खरीद के लिए नामों का पंजीकरण करवाने की अनुमति देने के लिये क्या उपाए किए गए हैं अथवा किए जाने हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) मामले पर आगे विचार करने का प्रस्ताव है।

विदेशों से 'फिक्स्ड विंग' वाले कृषि विमान

9279. श्री डी० के० पंडा : क्या कृषि मंत्री रबी और खरीफ की फसलों पर छिड़काव के लिये विमानों की संख्या के बारे में 9 अप्रैल, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 6556 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात किये जाने वाले 'फिक्स्ड विंग' वाले कृषि विमानों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या इनकी खरीद दुलर्भ अथवा सुलभ मुद्रा क्षेत्रों से की जायेगी; और

(ग) यदि दुलर्भ मुद्रा वाले क्षेत्रों से "फिक्स्ड विंग" वाले विमान आयात करने का विचार है तो सुलभ मुद्रा वाले क्षेत्रों के मुकाबले दुलर्भ मुद्रा वाले क्षेत्रों से ये विमान आयात करने के क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पा० शिन्दे) : (क) से (ग) : यूगोस्लोविया से स्थिर पंख (फिक्स्ड विंग) के 9 विमान आयात किये जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण के अन्तर्गत स्थित पंख (फिक्स्ड विंग) के 30 विमानों का आयात करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्र में पेय जल सुविधाओं का प्रदान किया जाना

9280. **श्री आर० बी० बड़े :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या मध्य प्रदेश के झबिया, धार, सरगुजा, माण्डला और बस्तर जिलों के जन-जाति क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं का विकास करने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना स्वीकृत की जा चुकी है;

(ग) यदि अब तक स्वीकृत नहीं की गयी तो यह कब तक स्वीकृत की जायेगी?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) : यह विषय गृह मंत्रालय से सम्बन्धित है। वह मंत्रालय सभा पटल पर रखने के लिए सूचना एकत्र कर रहा है ।

केरल में जनसंख्या की सघनता के कारण परिवार नियोजन योजना के लिए अधिक सहायता

9281. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार केरल राज्य सरकार को जनसंख्या की वर्तमान सघनता के कारण परिवार नियोजन योजना की सफलतापूर्वक क्रियान्विति के लिये अधिक सहायता देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : जी नहीं। राज्य सरकारों को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए आबंटन प्रत्येक राज्य में निष्पत्ति तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास के आधार पर किया जाता है न कि जनसंख्या के घनत्व के आधार पर।

केरल में राष्ट्रीय राजपथ के लिए राशि

9282. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 और 1973-74 के लिए केरल राज्य में राष्ट्रीय राजपथ के लिए कितनी राशि नियत की गई और अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : केरल सरकार द्वारा सूचित अंतिम आवश्यकताओं के आधार पर वहां राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों के लिए 1972-73 के दौरान 355 लाख रुपये की रकम आबंटित की गई। इसके अलावा उसी वर्ष के दौरान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख और मरम्मत के लिये 49.74 लाख रुपया आबंटित किया गया। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उसने इस रकम में से मार्च, 1973 तक मूल कार्यों पर 385.72 लाख रुपया और फरवरी, 1973 तक देखरेख और मरम्मत कार्यों पर 21.62 लाख रुपया खर्च किया है।

संसद द्वारा मतदान होने पर, 1973-74 के दौरान केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों के लिए 322 लाख रुपये की व्यवस्था का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों की साधारण मरम्मत और नवीकरणों के लिए 31.60 लाख रुपये की रकम का सुझाव दिया गया है। वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार राज्य को विशेष मरम्मतों, बाढ़ क्षति मरम्मतों आदि के लिए भी धन उपलब्ध किया गया है। राज्य सरकार ने अभी तक इसमें से किसी व्यय करने की सूचना नहीं दी है।

स्वाधीनता के वार्षिकोत्सव पर व्यय

9283. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्वाधीनता के 25वीं वार्षिकोत्सव के दौरान सांस्कृतिक समारोह पर अब तक कुछ राशि खर्च की गई है ;

(ख) यदि हां, तो संस्थाओं और व्यक्तिकगत आर्टिस्टों को अदा की गई राशि का राज्य वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) वार्षिकोत्सव के दौरान लाल किला, दिल्ली में सांस्कृतिक समारोह कला-प्रदर्शन के लिये पश्चिम बंगाल से भिन्न-भिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था और इस प्रयोजन के लिये इन संस्थाओं और व्यक्तियों को चुनने के कारण क्या हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय अथवा विभाग ने कार्यपालक अधिकारियों से कहा था कि वे विरोधी दलों से संबन्धित संस्था के किसी भी प्रतिभावान व्यक्ति को आमन्त्रित न करें और केवल "कलकत्ता युवक कवायर" को ही आमन्त्रित करें और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और

जिन संस्थाओं को आमन्त्रित किया गया था उनके कला प्रदर्शन की श्रोताओं द्वारा की गई सराहना के बारे में ऐसी प्रक्रिया का क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) संलग्न विवरण में ब्यौरे दिए गए हैं ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०-4984/73) ।

(ग) (1) लिटिल पीपल्स थियेटर, कलकत्ता ने "टोटा" अथवा "ग्रीज्ड कार्टरिज" नामक एक नाटक का प्रदर्शन किया, जिसमें दिल्ली में 1857 का स्वतन्त्रता संग्राम दिखाया गया था ।

(2) कलकत्ता युवक मंडल ने आई० एन० ए० तथा देश भक्ति के अन्य गानों और भारत के सामूहिक गानों और नृत्यों का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था ।

चूंकि यह सांस्कृतिक समारोह भारत की स्वतन्त्रता के पच्चीसवें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया गया था, अतः इन दोनों कार्यक्रमों को उक्त अवसर के लिए अत्यन्त उपयुक्त समझा गया था ।

(घ) ऐसी कोई सलाह नहीं दी गई थी । चूंकि समारोह का मुख्य उद्देश्य भारत की स्वतन्त्रता के 25 वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के शास्त्रीय संगीत और नृत्य की सर्वोत्तम सांस्कृतिक प्रतिभा को प्रस्तुत करना था, अतः कलाकारों का चयन पूर्णतया प्रस्तुत की गई कला की उपयुक्तता तथा उनकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा के आधार पर किया गया था । देश भक्ति के गाने तथा नाटक प्रस्तुत करने के लिए भी इस अवसर का उपयोग किया गया था ।

प्रैस रिपोर्टों तथा प्राप्त हुए पत्रों से यह पता चलता है कि समारोह की सामान्यतया प्रशंसा की गई है विशेषता, इस आधार पर कि जनता के सम्मुख सर्वोत्तम शास्त्रीय संगीत तथा नृत्य प्रस्तुत करने के लिए यह अपनी तरह का पहला प्रयास था ।

महानगरों में एक से अधिक प्राधिकरण

9284. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगरों में एक से अधिक प्राधिकरण होने के बारे में कार्यवाही की है जिसके परिणामस्वरूप उनके उचित विकास में गम्भीर बाधा पड़ रही है, जैसा कि उस्मानिया विश्व-विद्यालय के डा० मंजूर आलम ने 29 मार्च, 1973 को नई दिल्ली में विचार व्यक्त किये;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने एक ही प्राधिकरण को चहुमुखी विकास के लिए उत्तरदायी बनाने के बारे क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) : चूंकि नगर-विकास का विषय राज्य क्षेत्र में है, अतः महानगरों के समुचित विकास के लिये उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं । तथापि, जुलाई, 1972

में हुए आवास, नगर आयोजना तथा नगर-विकास के राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन में भी बड़े तथा विकासशील शहरों के लिये सांविधिक विकास प्राधिकरणों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया था और राज्य सरकारों को इस सिफारिश के कार्यान्वयन के लिये कार्यवाही आरम्भ करने का अनुरोध किया गया है ।

चीनी के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय

9285. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1971 और 1972 में चीनी के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ख) वर्ष 1973 से 1975 में चीनी के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की संभावना है;

(ग) क्या वर्ष 1973 से 1975 में चीनी के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय में कमी होगी; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	अर्जित की गई कुल विदेशी मुद्रा (रु० करोड़)
1971	31.5
1972	12.5

(ख), (ग) और (घ) : आशा है कि 1973 के दौरान चीनी के निर्यात से लगभग 12.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की कमायी होगी। 1974 और 1975 में चीनी के निर्यात से जो विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी, वह इन वर्षों में निर्यात की जाने वाली मात्रा और उस समय विश्व में चल रहे चीनी के मूल्यों पर निर्भर करेगी ।

औषधियों पर किस्म नियंत्रण लागू करना

9286. **श्री सतपाल कपूर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधियों पर किस्म नियंत्रण लागू करने और अत्यावश्यक औषधियों के मूल्यों पर नियंत्रण लागू करने का निर्णय किया है; और यदि हाँ, तो उससंबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या औषधियों के अपमिश्रण, घटिया औषधियों और औषध मूल्यों की जाँच करने के लिये कोई आयोग नियुक्त किया गया है; और यदि हाँ, तो आयोग के सदस्य कौन-कौन व्यक्ति हैं और उसके निदेश पद क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) औषधियों की कोटि ठीक रखने के उपबन्ध औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अधीन 1945 में बनाये गये नियमों में पहले ही विद्यमान है। केन्द्र तथा राज्यों के औषध मानक नियंत्रण संगठन देश में आयातित अथवा देश में निर्मित, वितरित और बेची जाने वाली औषधियों की कोटि ठीक रखने का काम करते हैं।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 सभी औषधियों और औषधियोगी के मूल्य विनियमित करता है। इस आदेश के अधीन कुछ अनिवार्य मूल औषधियों के विक्रय मूल्य निश्चित किये गये हैं। इस आदेश से औषधियों के उपभोक्ता मूल्यों के प्रतिमान भी निश्चित किए जाते हैं तथा सरकार की पूर्व अनुमति के बिना निर्माताओं को विक्रय मूल्यों में वृद्धि नहीं करने दी जाती।

(ख) इससे पहले तीन समितियाँ औषधियों की कोटि यथोचित बनाए रखने के उपायों के प्रभाव का अध्ययन कर चुकी हैं और उन्होंने इस संबंध में सिफारिशें की हैं।

मूल्यों के सम्बन्ध में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों के अध्यक्ष के अधीन एक कार्यकारी दल ने अन्य 25 मूल औषधियों की लागत संरचना तथा उनके रूपान्तरण और पैंकिंग के खर्चों के प्रतिमानों का अध्ययन किया और उन की रिपोर्ट पैट्रोल और रसायन मंत्रालय के विचाराधीन हैं। इस के अलावा औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रश्न पैट्रोल तथा रसायन मंत्रालय के विचाराधीन है।

Appointments in I. I. T., Delhi

9287. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether some appointments in Indian Institute of Technology, Delhi has been made without any advertisement and the said appointments are not according to the existing institutional rules;

(b) whether the persons who have been appointed there do not possess the requisite qualifications;

(c) the names of the posts for which the appointments have been made indicating the names of incumbents; and

(d) whether after making the appointments the Board of Governors of I. I. T., Delhi has asked the Education Ministry to modify the institutional rules?

The Minister of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) Posts in the Institute, are normally required under the Statutes to be filled by advertisement. The Statutes, however, authorise the Board of Governors to fill a particular post, either by promotion or invitation. It has been reported by the Institute that there have been some instances where the required procedure of advertisement was not followed and that the Institute authorities are taking action to regularise the position.

(b) and (c) Some of the appointees did not satisfy the requisite qualifications. A list of such cases is given in the attached statement.

(Placed in the Library. *See* No. LT-4985/73)

(d) No, Sir.

अन्तर्राज्यीय परिवहन मार्गों पर लम्बे "रूट" आरम्भ करना

9288. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राज्यीय परिवहन मार्गों पर लम्बा रूट आरम्भ करने सम्बन्धी कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ख) : माननीय सदस्य लम्बी दूरी के अन्तर्राज्यीय मार्गों पर मालगाड़ियों के आने जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय परमिट योजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग ने एक ही स्थान पर कर के भुगतान के आधार पर और गाड़ियों के परमिटों पर प्रतिहस्ताक्षर किये बिना लम्बी दूरी के अन्तर्राज्य मार्गों पर मालगाड़ियों के निर्बाध रूप से आने जाने के लिए पाँच क्षेत्रीय योजनाओं अर्थात् दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी और केन्द्रीय योजनाओं की पहल की है ।

इन योजनाओं की मोटी-मोटी रूपरेखायें निम्न प्रकार से हैं :—

1. **दक्षिणी क्षेत्र योजना:**—मूल रूप से, इस योजना के अन्तर्गत आँध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर और तमिलनाडु पाँच राज्य आते हैं। उक्त योजना 1 जनवरी, 1967 से प्रवृत्त की गई और 1 जनवरी, 1972 से पाँच वर्ष की दूसरी अवधि के लिए इसको बढ़ा दिया गया। पाँडिचेरी और गोवा को मिला कर सात राज्यों के लिए इस योजना के विस्तार करने का प्रस्ताव है। सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ इस मामले में पत्र-व्यवहार चल रहा है।

2. **पश्चिमी क्षेत्र योजना:**—पश्चिमी क्षेत्र परमिट योजना में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली के आठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। यह 1 जनवरी, 1973 से प्रवृत्त हुई और 31 मार्च 1975 तक चालू रहेंगी।

3. (क) **उत्तरी क्षेत्र परमिट योजना** में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के दस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आएंगे।

(ख) **पूर्वी क्षेत्र परमिट योजना** में उड़ीसा, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आसाम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचलम के दस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे ।

(ग) **केन्द्रीय क्षेत्र परमिट योजना** में पाँच राज्य अर्थात् महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और पश्चिमी बंगाल सम्मिलित होंगे ।

उपर्युक्त 3 में उल्लिखित तीन योजनाएं अर्थात् उत्तरी, पूर्वी तथा केन्द्रीय योजनाएं जो मुख्य रूप से पश्चिमी क्षेत्र योजना की तरह होंगी, प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रबन्ध मण्डल के अध्यक्ष द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को समाप्त करने सम्बन्धी वक्तव्य

9289. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रबन्ध मण्डल के अध्यक्ष द्वारा 3 फरवरी, 1973 को छात्र-मामलों की परिषद् में किये गये, इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान को समाप्त किया जा सकता है, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) पाँचों भा० प्रो० संस्थानों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, इन संस्थानों में से किसी के भी शासी मंडल के अध्यक्ष द्वारा यह वक्तय नहीं दिया गया है कि भा० प्रो० संस्थानों को समाप्त कर दिया जाए। तथापि, भा० प्रो० संस्थान, दिल्ली के शासी मंडल के अध्यक्ष, परीक्षाओं सहित कुछ अन्य शैक्षिक मामलों के बारे में छात्र कार्य परिषद् से फरवरी, 1973 के शुरु में मिले थे। बहस के दौरान एक छात्र ने अकस्मात् यह पूछा कि क्या देश की तकनीकी शिक्षा पद्धति में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की कोई विशेष भूमिका है तथा कुछ भा० प्रो० संस्थान किस हद तक उसे पूरा कर रहे हैं। अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के शिक्षण के उच्च केन्द्रों के रूप में भा० प्रो० संस्थानों की भूमिका की स्पष्ट परिभाषा की गई है तथा यदि बोर्ड भा० प्रो० संस्थान इन स्तरों को नहीं बनाए रखता तो वह राष्ट्रीय महत्व की संस्था बने रहने के अपने अधिकार से स्वाभाविक रूप से वंचित हो जाता है तथा इस उच्च आधार से उचित रूप से गिर जाने का अथवा मिट जाने का पात्र है। अध्यक्ष ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि भा० प्रो० संस्थान, दिल्ली शैक्षिक अपेक्षताओं की उन्नति करने में असफल रहा है, अत: भा० प्रो० संस्थान को समाप्त कर देने के बारे में प्राधिकारियों का कोई इरादा नहीं था। छात्रों को यह स्पष्ट करने की यह सामान्य उक्ति थी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की प्रतिष्ठा ऊंचे स्तर तक बनाए रखने में, जैसी कि देश को उनसे आशा है, उनके द्वारा किया गया कार्य तथा परिश्रम यदि अधिक नहीं तो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संकाय तथा सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं।

Election of Block-Pramukhs in Uttar Pradesh

9290. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether in the elections of Block-Pramukhs held recently in Uttar Pradesh, irregularities have been committed by the officers; and

(b) if so, the number of such irregularities and whether Government propose to get an enquiry conducted by C. B. I. into the incident which took place in district Etah?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) The information is being collected from the State Government and will be laid down on the Table of the Sabha in due course.

परम्परागत तरीकों अथवा आणविक विकीरण द्वारा खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए परीक्षण

9291. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य के लिये संभावित खतरों का अनुमान लगाते समय परम्परागत तरीकों द्वारा सुरक्षित खाद्य पदार्थों पर उतने ही कठोर परीक्षण किये जाते हैं जितने आणविक विकीरण द्वारा सुरक्षित खाद्य पदार्थों पर किये जाते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हाँ ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सख्त पथरीली नींव वाले क्षेत्रों में सप्लाई किये गये चट्टान छिद्रण यंत्र (रिग्स)

9292. श्री एस० एन० मिश्र :

श्री कुशोक बाकुला :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) ग्रामीण जल पूर्ति के लिए विभिन्न राज्यों में सख्त पथरीली नींव वाले क्षेत्रों में सप्लाई किए गए चट्टान छिद्रण यंत्रों (रिग्स) का ब्यौरा क्या है; और

(क) इनमें से कितने यंत्र काम में लाए गए हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) : 75 रिग्स, जो सभी काम में लाए जा रहे हैं ।

Special Loan Sanctioned to State Housing Boards

9293. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state the amount in the form of special loan sanctioned to the State Housing Boards in addition to the loan already given to them by the Life Insurance Corporation, State-wise during 1971-72 and 1972-73?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and in the Department of Culture (Shri Om Mehta) : No special loans were given by Government to the State Hosusing Boards during the years 1971-72 and 1972-73. However, during these years the following loans were sanctioned/released by the Housing and Urban Development Corporation Ltd. to the State Housing Boards :—

Name of the Housing Board	Amount of loan sanctioned		Amount of loan released	
	1971-72	1972-73	1971-72	1972-73
		(*Rs. in lakhs*)		
1. Andhra Pradesh Housing Board .	—	90·60	—	11·00
2. Bihar Housing Board . . .	—	33·20	—	—
3. Gujarat Housing Board . . .	250·00	367·82	250·00	—
4. Haryana Housing Board . .	24·00	154·00	24·00	15·00
5. Kerala Housing Board . . .	75·00	161·00	15·25	—
6. Maharashtra Housing Board .	695·00	—	28·00	275·00
7. Madhya Pradesh Housing Board .	—	170·00	—	18·00
8. Mysore Housing Board . . .	—	75·72	—	—
9. Rajasthan Housing Board . .	333·00	—	32·00	26·00
10. Tamil Nadu Housing Board . .	625·00	251·22	92·00	97·00
11. Uttar Pradesh Housing Board .	95·00	—	—	10·00
12. Delhi Development Authority .	300·00	679·00	100·00	180·00

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में अनियमितताएं

9294. **श्री राजदेव सिंह**
श्री आर० बी० बड़े } क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का स्थानापन्न निदेशक द्वारा दैनिक मजदूरी की नियुक्तियों सहित तदर्थ नियुक्तियों में गंभीर अनियमितताएं की गई हैं और उन में से कुछ मामले केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सौंपे गए हैं ?

(ख) क्या एक तकनीकी सहायक को अपना वेतन ढाई महीने के लिए लेने की अनुमति दी गई थी यद्यपि उसे फालतू घाषित कर दिया गया था और वह इस अवधि में कार्यालय से अनुपस्थित रही थी; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इन ज्वलंत अनियमितताओं के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) ऐसा कोई मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नहीं भेजा गया है। तथापि, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में की गई नियुक्तियों के मामलों से सम्बन्धित कुछ मिसिलें गुप्त जांच करने हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपने आप ही उनसे प्राप्त कर ली हैं। उनकी ज़ांच अभी समाप्त नहीं हुई है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनकी पूरी हो जाने के बाद ही अनियमितता अथवा उनके स्वरूप का पता चल सकेगा, इस स्तर पर किसी पर जिम्मेदारी निश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी निरीक्षण एकक की सिफारिशों के परिणामस्वरूप तकनीकी सहायकों के कुछ पद अधिक पाए गए हैं। संबंधित वरीयता सूची में परस्पर वरीयता के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में किस तकनीकी सहायक विशेष को सब से कनिष्ठ के रूप में अधिशेष घोषित किया जाए, यह प्रश्न विचाराधीन है। तथापि, छुट्टी व्यवस्था के कारण, निदेशालय में तकनीकी सहायकों की कुल संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक नहीं रही है। सम्बद्ध महिला तकनीकी सहायक का मामला उन मामलों में नहीं है जिनकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है। वह कितने छुट्टी-वेतन के लिये ग्राह्य हैं, यह अभी निर्धारित किया जाना है और जो यथोचित समझा जाएगा उसका समायोजन किया जाएगा।

वाशिंगटन में घटिया किस्म के माइलो के कथित क्रय की जांच

9295. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा**
श्री मधु दण्डवते } क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाशिगंटन में सप्लाई मिशन के लोगों द्वारा अधिक दर पर घटिया किस्म के माईलों के कथित क्रय के संबंध में कोई जांच करायी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो करायी गयी जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका से माइलो की खरीद से संबंधित विभिन्न तथ्यों की यह जानने के लिए पड़-ताल कर रही है कि जांच करने के लिए प्रत्यक्षत: कोई मामला बनता है अथवा नहीं।

प्रगतिशील प्रोफेसरों के एक वर्ग द्वारा सुझाये गये संशोधनों का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में जोड़ा जाना ।

9296. **श्री एस० एम० बनर्जी**
श्री अटल बिहारी बाजपेयी } क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रगतिशील प्रोफेसरों के एक वर्ग द्वारा सुझाये गये संशोधनों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में जोड़ने के लिए और क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या संशोधन विधेयक को संसद् के इस सत्र में पेश करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) : सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधिनियमों के ऐसे संशोधन, जो कार्य परिषद् द्वारा स्वीकार्य तथा विश्वविद्यालय शैक्षिक समुदाय द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले हैं को यथा ध्यान देने के लिए तैयार हो जाएगी । अब तक विश्वविद्यालय से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

Collection of Cash from D. M. S. Booths by an unidentified person

9297. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether an unidentified person posing as a cashier collected Rs. 3,500 from 6 depots of Delhi Milk Scheme;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the efforts being made to arrest the culprit?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes. An amount of Rs. 3,780·32 was collected by him.

(b) On 26-3-1973, a person posing himself to be a Cash Clerk of Delhi Milk Scheme in the leave vacancy of Shri Madan Lal II, Cash Clerk collected the sale proceeds for 25-3-1973 and 26-3-1973 amounting to Rs. 3,780·32 from six milk depots *viz.* Nos. 231, 691, 1103, 983, 347, and 457.

(c) A report was lodged with the Police Station, Lajpat Nagar on 26-3-1973. Departmental enquiries are also being conducted by Delhi Milk Scheme. Meanwhile, in order to avoid recu rence of these cases, the persons handling cash are being provided with special identity cards.

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के अहाते में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबन्ध

9298. **श्री वरके जार्ज :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अहाते में राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ पर कोई प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विचार कर लिया है जैसा कि उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली आए विद्यार्थी नेताओं के प्रतिनिधि मण्डल ने 2 अप्रैल, 1973 को अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) अखिल भारतीय छात्र संघ की उत्तर प्रदेश राज्य समिति के अध्यक्ष तथा महामंत्री तथा सचिव ने अपने 2 अप्रैल, 1973 के पत्र में प्रधान मंत्री का ध्यान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकलापों की ओर आकर्षित किया है और उन से इस बात की अपील की है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक की शाखाओं पर तुरन्त पाबंदी लगाने तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कब्जे से इमारत को खाली कराने हेतु कुलपति को हर संभव सहायता तथा संरक्षण दिया जाए ।

विश्वविद्यालय ने उस अनुज्ञा को पहले ही रद्द करने का निर्णय कर लिया है जिससे राष्ट्रीय स्वयं सेवक परिसर के भीतर की इमारत को उपयोग में ला रहा है, और उसे खाली कराने के लिए एक सिविल मुकद्मा भी दायर कर दिया है । परिसर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अन्य कार्यकलापों को रोकने का प्रश्न विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के विचाराधीन है ।

सरकार कुलपति और विश्वविद्यालय के कानूनन गठित प्राधिकारियों को, सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए पूरा-पूरा समर्थन देती रही है और देती रहेगी ताकि विश्वविद्यालय का सामान्य शैक्षिक कार्य सुधार रूप से चल सके ।

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी

9299. **श्री अम्बेश** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 1973 के प्रथम सप्ताह में दिल्ली के उपराज्यपाल को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अध्यापक संघ, बी०-145, अमर कालोनी, नई दिल्ली-24, के महामंत्री की ओर से दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को तंग करने और उनके साथ भेद-भाव बरतने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो शिकायत मुख्यतः किस प्रकार की थीं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा, और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) कार्मिक विभाग के पत्र संख्या 27/2/71-एस्ट० (एस० सी० टी०) दिनांक 27-11-72 में दिए अनुदेशों को कार्यान्वित न करना ।

(ग) दिल्ली प्रशासन इस विषय में आवश्यक कार्रवाई कर रहा है ।

केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की मूर्तियों के प्रलेख (डाक्यूमेंटेशन) तैयार करना

9300. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की मूर्तियों के पूर्ण प्रलेख (डाक्यूमेंटेशन) रखने का सरकार का कोई चरणबद्ध कार्यक्रम है जिससे चुराई गई मर्तियों की पहचान करने में सहायता मिल सके और तस्करी पर रोक लगाई जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रलेखीकरण योजना में सभी मूर्तियों का पूरा फोटो ग्राफिक प्रलेख रखने की व्यवस्था है, चाह वे खुली पड़ीं हों या केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर तथा उनकी सीमा के अन्दर जुड़ी हों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सभी दस क्षेत्रों में कार्य शुरु कर दिया गया है।

सावारा और संभाल भाषाओं की लिपि

9301. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी भाषाएं लिपिवद्ध पाई गई हैं ;

(ख) क्या सावारा और संथाल जनजाति भाषाओं की अपनी लिपि है;

(ग) क्या जनजाति भाषाओं के विकास हेतु इन लिपियों को प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है;

(घ) यदि यह लिपियां अपनाई जाएं तो क्या कुछ अलिखित परम्पराओं को लिखित परम्पराओं में परिवर्तित किया जायेगा; और

(ङ) क्या जनजाति बोली के साथ रोमन लिपि सीखने के बजाय जनजाति भाषा को जनजाति लिपि में लिखने का प्रस्ताव है?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ङ) : 1971 में हुई जनगणना से पता चलता है कि भारत में मातृ-भाषा के रूप में बोली जाने जाने वाली 1300 से ऊपर भाषाएं तथा बोलियां हैं। सरकार को जनजाति की सावारा नामक लिपि के बारे में जानकारी नहीं है। जहां तक संथाली का संबंध है कुछ समय पहले 'ओ० एल०' नामक एक लिपि का विकास किया गया था। संथाली भाषा के लिखने के लिए, रोमन और देवनागरी दोनों लिपियों का प्रयोग किया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 29 (1) में भारत की सीमा में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की लिपि के परिरक्षण की व्यवस्था है। सरकार अपनी ओर से जनजाति भाषाओं सहित, सभी भाषाओं की प्रोन्नति के लिए चाहे वे किसी भी लिपि में लिखी जाती हों, निधियों की उपलब्धता के अनुसार, सहायता करने के लिए तैयार है। किन्तु इस बात के निर्णय करने की जिम्मेदारी संबंधित लेखकों की है, भारत सरकार की नहीं कि वे अपने आपको किसी लिपि में अभिव्यक्त करना चाहते हैं।

उर्दू सम्वर्धन समिति का प्रतिवेदन

9302. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्दू सम्वर्धन समिति ने उर्दू के बारे में प्रतिवेदन पूरा कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरा हो जाएगा?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आशा है कि उर्दू के सम्वर्धन समिति जुलाई, 1973 के अन्त से पहले अपनी रिपोर्ट दे देगी ।

सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्म शताब्दी

9303. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्म शताब्दी मनाने का है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्म शताब्दी 31 अक्तूबर, 1975 को अर्थात् 1975–76 के वित्तीय वर्ष में होगी।

सरकार द्वारा समारोह मनाने संबंधी प्रस्ताव तैयार करने पर अभी विचार किया जाना है।

Procurement Price of Wheat in Rajasthan

9304. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have fixed different procurement price of wheat in different States;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the reasons for which the procurement price of wheat in Rajasthan has been fixed at the lowest?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) The procurement prices of wheat are uniform for all States. The procurement prices have been fixed for red indigenous variety between Rs. 71/- and Rs. 74/-, for indigenous common variety and different Mexican varieties at Rs. 76/- and for specified superior varieties at Rs. 82/- per quintal.

प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार परियोजना के लिये इलाकों के चयन की कसौटी

9305. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में से किसी एक के द्वारा गहन रोजगार कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार परियोजना के अंतर्गत ब्लाकों का चयन करने हेतु कोई कसौटियाँ निश्चित की गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो वे क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) (क) और (ख) जी हाँ। खण्डों का चयन करने के लिए जो व्यापक मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं उनमें शारीरिक श्रम द्वारा विकास की गुंजाइश और खण्डों के कृषि तथा आर्थिक विकास की अवस्था शामिल है। कोशिश यह थी, कि विभिन्न प्रकार के खण्ड चुने जाएं, ताकि उनसे एकत्र किए जाने वाले आँकड़े सारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हों।

अरब की खाड़ी के एक देश की कम्पनी को चावल और आलू का निर्यात

9306. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र के अनुमोदनार्थ दो प्रस्तावित करारों के संबंध में एक योजना भेजी है, जिसके अनुसार अरब खाड़ी के एक देश की कंपनी की चावल और आलुओं का निर्यात करके प्रति वर्ष देश 120 करोड़ रुपए और 800 लाख डालर भी अर्जित कर सकता है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त मामले में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अरब खाड़ी क्षेत्र की एक कम्पनी द्वारा पंजाब सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था जो कि पंजाब सरकार ने भारत सरकार के पास भेज दिया है । यह प्रस्ताव एक निश्चित मात्रा में वासमती चावल के लिए है और इसमें अन्य जिन्से खरीदने और विभिन्न प्रकार की मशीनरी तथा उपकरण बेचने की भी पेशकश की गई है । यह क्रय-विक्रय दोनों अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर होंगी ।

(ख) भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग और संगठन पंजाब सरकार के परामर्श से इस प्रस्ताव की जाँच कर रहे हैं ।

पौलैण्ड से खरीदे जाने वाले जहाजों की अपरिवर्तनीय (नान-कनवर्टेबल) रुपयों में अदायगी

9307. **श्री राम प्रकाश** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड ने हमारे इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है कि उस देश से खरीदे जाने वाले जहाजों के लिए भुगतान अपरिवर्तनीय रुपयों में स्वीकार किया जाए; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Take over of Management of Jagannath Temple, Puri

9308. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have agreed to take over the management of Jagannath Temple, Puri; and

(b) if so, from which date and on what terms and conditions?

The Minister of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) No, Sir. However the question of protection of the Jagannath Temple is under the consideration of the Central Government.

(b) Does not arise.

गेहूं की सप्लाई के बारे में विश्व खाद्य कार्यक्रम के विरोध

9309. **श्री रणबहादुर सिंह**
श्री धर्मराव अफजलनुरकर } क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गेहूं की सप्लाई के बारे में विश्व खाद्य कार्यक्रम को कोई विरोध पत्र दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं, ऐसा कोई अवसर उपस्थित नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय और विदेशी जहाजों द्वारा किया गया व्यापार और पी० एल० 480 आयात के निलम्बन से विदेशी मुद्रा की बचत

9310. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय और विदेशी जहाजों के द्वारा कितना और कितने-कितने मूल्य का व्यापार हुआ; और

(ख) पी० एल० 480 आयात के निलम्बन से विदेशी मुद्रा की बचत में किस सीमा तक योगदान मिला है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :

समुद्रपारीय व्यापार (टन भार लाखों में)

वर्ष	जो भारतीय कंपनियों द्वारा ढोया गया	जो विदेशी कंपनियों द्वारा ढोया गया
1969–70	105.86	390.25
1970–71	104.14	419.86
1971–72	88.58	455.52

तटीय व्यापार (सूखा माल) (टन भार लाखों में)

वर्ष	जो भारतीय कंपनियों द्वारा ढोया गया	जो विदेशी कंपनियों द्वारा ढोया गया
1970	12.35	कुछ नहीं
1971	16.40	कुछ नहीं
1972	17.16(लगभग)	कुछ नहीं

तटीय व्यापार (तेल) (टन भार लाखों में)

वर्ष	जो भारतीय कंपनियों द्वारा ढोया गया	जो विदेशी कंपनियों द्वारा ढोया गया
1970	10.98	19.02
1971	10.37	16.89
1972	10.76	10.24

भारतीय नौवहन कम्पनियों की भाड़ा कमाई (रुपए करोड़ों में)

	तटीय	समुद्रपारीय
1969–70	8.18	122.95
1970–71	7.15	145.30
1971–72	11.21	159.76

समुद्रपारीय व्यापार में विदेशी कम्पनियों को दिये गये भाड़े प्रभार की अनुमानित राशि

वर्ष	रुपए (करोड़ों में)
1969–70	180.66
1970–71	169.53
1971–72	162.93

(ख) यह प्रकल्पना है कि अपेक्षित सूचना उस भाड़ा प्रभारों से संबंधित है जो पी० एल० 480 के निर्यात को निलंबित कर देने के कारण बचाए गए थे। बचत का अनुमान नहीं लगाया है।

पंजाब में ग्रामीण औषधालयों का जाल बिछाने की योजना

9311. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में, जिलावार ग्रामीण औषधालयों का जाल बिछाने की कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हाँ।

(ख) राज्य सरकार का प्रस्ताव था कि :—

(1) पटियाला जिले के राजपुरा सब-डिवीजन में एक मार्गदर्शी परियोजना आरम्भ की जाए।

(2) जहाँ कहीं परा-चिकित्सा कर्मचारी और रजिस्टर्ड चिकित्सक उपलब्ध हों, उन्हें नियुक्त कर लिया जाए।

(3) इस योजना के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी चिकित्सा पद्धतियों में प्रशिक्षित किया जाए।

(4) 5000 की आबादी पीछे एक रजिस्टर्ड चिकित्सक दे दिया जाए। योजना आयोग परामर्श लेते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की एक निश्चित योजना तैयार की जा रही है।

ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाएं

9312. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पंजाब सरकार ने ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) क्या गुरदासपुर तथा होशियारपुर के जिलों में कोई उक्त प्रकार की योजना कार्यान्वित की जा रही है और यदि हाँ, तो अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) इन जिलों में कितने जन-दिवस बनाये जा सके हैं; और

(घ) इन योजनाओं में जिलेवार कितनी राशि लगने का अनुमान है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) व (ग). जी हाँ। गुरदास पुर जिले के बारे में राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1971–72 में 17.75 लाख रुपए और 1972–73 (अप्रैल, 72–फरवरी, 73) में 14.37 लाख रुपए व्यय हुए हैं और उनसे 1971–72 और 1972–73 (अप्रैल, 72–फरवरी, 73) में क्रमशः 4.32 और 3.17 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा हुआ है। होशियारपुर जिले में 1971–72 में 17.80 लाख रुपए और 1972–73 में 19.97 लाख रुपए व्यय होने और इनसे क्रमशः 3.53 और 2.46 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा होने की सूचना मिली है।

(घ) दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4986/73]

कृषि अनुसंधान में परमाणु सम्बन्धी तकनीक के उपयोग पर विचार गोष्ठी

9313. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में स्थित परमाणु अनुसंधान प्रयोगशाला ने देश में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति की है ;

(ख) क्या 2 अप्रैल, 1973 को नई दिल्ली में कृषि अनुसंधान में परमाणु संबंधी तकनीक के उपयोग पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ग) यदि हाँ, तो इस विचार गोष्ठी में किन विषयों पर चर्चा हुई थी; और

(घ) किन देशों ने इस विचार गोष्ठी में भाग लिया था?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ। कृषि क्षेत्र में अंतर-संस्थात्मक तथा अन्तरशिक्षण सहयोगी अनुसंधान के लिए न्यूक्लीयर अनुसंधान प्रयोगशाला एक अनुपम राष्ट्रीय सुविधा है। यह प्रयोगशाला कृषि उत्पादन की वृद्धि के मार्ग में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए न्यूक्लीयर तकनीकों का उपयोग करने हेतू कई परिष्कृत यंत्रों से सुसज्जित है। यह किया गया अनुसंधान निश्चित विशिष्ट कार्यक्रम के अनुसार है और इस प्रयोगशाला ने निम्नलिखित व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है :—

1. भेड़ों के फेफड़ों के रोग की रोक थाम के लिए किरणस्फुरण युक्त टीका तैयार करना। रोग की रोकथाम करने के लिए इस टीके का कश्मीर में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। इस टीके को जम्मू तथा कश्मीर राज्य में बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाया जा रहा है।

2. तिलहनों के त्वरित तथा अविनाशकारी विश्लेषण का विकास करना। इससे ब्रासिका जैसे तिलहनों और मूंगफली तथा सूरजमुखी के तेलों के विषय में छानबीन करने के कार्य में बहुत सहायता मिली है।

3. यह देखा गया है कि चावल के संबंध में बेहतर तथा कारगर उपयोग के लिए नाइट्रोजन उर्वरक को मिट्टी की सतह से 5 सें० मी० नीचे डाला जाना चाहिए, किन्तु फास्फोरस उर्वरक को सतह पर ही डाली जानी चाहिए और चावल की पौद लगाने से पहले गुडाई होनी चाहिए।

4. गेहूं के मामले में बेहतर तथा कारगर प्रयोग के लिए उर्वरक नाइट्रोजन तथा फास्फोरस दोनों को सतह के नीचे डाला जाना चाहिए।

यह देखा गया है कि भारतीय इस्पात मिलों के मूल धातू-मल को, जिसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है, फसल उत्पादन के लिए एसिड युक्त भूमि पर अधिक उपयुक्त सामग्री के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। इससे देश को विदेशी मुद्रा के रूप में लाखों रुपयों की बचत होगी।

5. चावल की चार किस्मों के वाँछनीय गुणों का विकास किया गया है। जौ की अधिक प्रोटीन वाली किस्में और अधिक लीसाइन तत्वों का विकास भी किया गया है। इन सब का परीक्षण किया जा रहा है।

6. पशु पोषाहार और दुग्ध प्रोटीन के समन्वय संबंधी मूल अनुसंधान से पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

(ख) जी हाँ।

(ग) जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया है वे थे गर्भगति विकास प्रजनन, मृदा उर्वरता, उर्वरक तथा जल उपयोग, पशु पोषण तथा शरीर-विज्ञान, दुग्ध मिश्रण, उत्पादन और किरण स्फुरणयुक्त टीकों, कीटों के स्टरलाइजेशन तथा खाद्य परिरक्षण में परमाणु संबंधी तकनीकों का प्रयोग करना।

(घ) कोरिया, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, थाइलैंड, बर्मा, श्रीलंका, ईरान, अफगानिस्तान, वियतनाम, भारत, नेपाल तथा बंगलादेश।

चतुर्थ योजना में स्थावर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने सम्बन्धी योजना की लागत

9314. **श्री पी० गंगादेव**
श्री प्रसन्नभाई मेहता } क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में सभी राज्यों में 70 स्थावर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने संबंधी योजना पर कितनी लागत आएगी;

(ख) क्या इस योजना से वर्ष 1973–74 तक विश्लेषण करने हेतू मिट्टी के नमूनों की संख्या में वृद्धि होगी; और

(ग) यदि हाँ, तो कितनी वृद्धि होगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 70 स्थावर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की सुदृढ़ करने की योजना की लागत 40 लाख रुपए है।

(ख) जी हाँ।

(ग) इन सुदृढ़ प्रयोगशालाओं में प्रतिवर्ष 30 हजार मृदा नमूनों का परीक्षण करने की क्षमता होगी, जबकि वर्तमान क्षमता प्रतिवर्ष 10 हजार से 20 हजार मृदा नमूनों का परीक्षण करने की है। 1973–74 तक 7 लाख अतिरिक्त नमूनों का विश्लेषण किया जाएगा।

"हाउ दि रिच चीट हास्पिटलज आफ मिलियन्स" शीर्षक से समाचार

9315. श्री पी० गंगादेव
श्री प्रसन्नभाई मेहता } क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 12 अप्रैल, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "हाउ दि रिच चीट हास्पिटल्स आफ मिलियन्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सराकर ने इस समाचार पर विचार किया है;

(ग) क्या इस समाचार में कोई सच्चाई है; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हाँ।

(ख) से (घ). दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में व्याप्त स्थिति के संदर्भ में इस रिपोर्ट की जाँच की गई। नई दिल्ली में केन्द्र द्वारा चलाए जा रहे दो अस्पतालों में उन रोगियों को निर्धन समझा जाता है जिनकी मासिक आय 250 रुपए से कम हो और ऐसे रोगियों से कोई पैसा नहीं लिया जाता। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में जहाँ सभी रोगियों को चिकित्सा संबंधी सलाह मुफ्त दी जाती है, वहाँ 351 रुपए से अधिक मासिक आय वालों को प्रयोगशाला परीक्षणों और विशेष इलाज, यदि कोई हो तो, के लिए पैसा देना पड़ता है। इन अस्पतालों में जब रोगी बाहरी रोगी विभाग में आते हैं तो उनसे अपनी आय बताने के लिए कहा जाता है और जो आय वे बताते हैं उसके हिसाब से उनसे पैसे लिए जाते हैं। रोगी के अस्पताल में दाखिल होते समय उसकी वास्तविक आय की सत्यता जाँचने का कोई सीधा सरल तरीका नहीं है। किन्तु जब कभी अधिकारियों के ध्यान में किसी दुरुपयोग का मामला लाया जाता है तो सही स्थिति का पता लगाने और विहित शुल्क वसूल करने के लिए कार्यवाही की जाती है।

उड़ीसा में खाद्यान्नों की कमी

9316. **श्री पी० गंगादेव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त उड़ीसा में खाद्यान्नों की भारी कमी होने लगी है?

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य में खाद्यान्नों के उचित वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने बनावटी कमी से उत्पन्न स्थिति का अध्ययन करने के लिए अपने अधिकारियों को भेजा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। समान आधार पर खाद्यान्नों का वितरण करने की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पग उठाए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

भीलवाड़ा म 'मेणल' अवशेषों का संरक्षण

9317. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण** और **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भीलवाड़ा जिले के 'मेणल' अवशेष पुरातत्वीय महत्व के हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो पुरातत्व विभाग ने उनके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए हैं?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हाँ। 'मेणल' मंदिरों का समूह पुरातत्वीय महत्व का है।

(ख) इन मंदिरों का संरक्षण करने के लिए हटे हुए पथरों को दोबारा ठीक जमाना, मंदिरों के बाहर निकले हुए राजगीरी के काम को मजबूत बनाना, अहाते की आँगन की धंसी हुई पटरी को ऊपर उठाना इत्यादि इमारती मरम्मत नियमित रूप से की जाती रही है। इन मरम्मतों पर पिछले तीन वर्षों में हुआ खर्चा नीचे दिया गया है :—

1970–71	5272/- रुपए
1971–72	6910/- रुपए
1972–73	10,075/- रुपए

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 15,000/- रुपए की राशि इस स्मारक समूह के लिए अलग रखी गई है।

प्रत्येक वन्य जीव रक्षित क्षेत्र में बाघों (टाइगर) की संख्या

9318. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा
श्री डी० पी० जदेजा } क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत गणना के अनुसार वन्यजीव रक्षित क्षेत्रों में कुल कितने बाघ (टाइगर) थे; और

(ख) बाघ रक्षित क्षेत्रों की संख्या क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) बाघों की गणना करने के लिए एक क्षेत्रीय आँकड़े एकत्रित करने हेतू एक प्रभाग या एक रेंज को एक इकाई माना गया था। आश्रय-स्थलों की सीमाएं रेंज अथवा प्रभाग से मेल नहीं खातीं, अत: समस्त मामलों में आश्रय-स्थलवार विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। केवल निम्नलिखित आश्रय-स्थलों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध है :—

क्रम संख्या	बाघों की संख्या
1. मानस	40
2. काजिरंगा	29
3. पालमाऊ	37
4. कोरबेट पार्क	30
5. दुधवा (सम्पूर्ण दक्षिणी खेरी प्रभाग)	35

क्रम संख्या	बाघों की संख्या
6. रणथम्बौर	14
7. सरिस्का	8
8. दराह	7
9. कान्हा	36
10. बन्दोगढ़	16
11. पामा (उत्तरी)	12
12. शिवपुरी	4
13. इतूर्नाग्राम	3
14. परियार	14
15. हजारी बाग	3
16. कोदर्मा	1
17. दान्देली	17
18. मथोदी	3
19. नागरहोले	5
20. बंदीपुर	18
21. मेलघाट	42
22. सुन्दरवन (कुल क्षेत्र का पाँचवाँ भाग)	20

अन्य आश्रय-स्थलों के संबंध में राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) प्रोजेक्ट टाइगर में प्रस्तावित 9 बाघ रक्षित स्थलों के सिवाय कोई विशिष्ट बाघ आश्रय-स्थल नहीं हैं। प्रोजेक्ट टाइगर में प्रस्तावित रक्षित स्थल नीचे दिए गए हैं :—

1. मानस (असम)
2. पालमाऊ (बिहार)
3. सिमलीपाल (उड़ीसा)
4. कोरबेट पार्क (उत्तर प्रदेश)
5. रणथम्बौर (राजस्थान)
6. कान्हा (मध्य प्रदेश)
7. मेलघाट (महाराष्ट्र)
8. बंदीपुर (मैसूर)
9. सुन्दरबन (पश्चिम बंगाल)

रामडीहा गांव में एस० ई० टी० केन्द्र की स्थापना

9319. श्री रण बहादुर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री 30 जनवरी, 1973 को कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाए जाने के बारे में 2 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5538 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामडीहा गाँव के कुष्ठ रोगियों का लम्बी अवधि तक इलाज किए जाने के लिए आगे क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का विचार गाँव में एक सर्वेक्षण शिक्षा और शिक्षण केन्द्र खोलने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) रामडीहा ग्राम के कुष्ठ रोगियों की नियमित चिकित्सा का प्रबंध राज्य सरकार रामडीहा से एक किमी० मीटर दूर लामसराय आयुर्वेदिक औषधालय में कर रही है। रामडीहा-लामसराय में एक सर्वेक्षण शिक्षा तथा शिक्षण केन्द्र खोलने पर विचार किया जा रहा है।

'डाक्टर्ज डिलेम्मा' शीर्षक से समाचार

9320. **श्री वसन्त साठे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 7 अप्रैल, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डाक्टर्ज डिलेम्मा (डाक्टरों की सुविधा)" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसमें उठाए गए विभिन्न मामलों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हाँ।

(ख) धन के अभाव के कारण 1973–74 का स्वास्थ्य बजट काफी कट गया है और तदनुकूल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का बजट भी घटा दिया गया है। वर्तमान अनुसंधान कार्यों को बढ़ाने के प्रश्न पर तथा बजट में जो धन राशि दी गई है उसका समुचित रूप से उपयोग करने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

"पिछड़े क्षेत्रों के प्रति सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उपेक्षापूर्ण रवैया" शीर्षक वाला समाचार

9321. श्री वसन्त साठे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अप्रैल, 1973 के समाचारपत्र "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सी डी० प्रोग्राम इग्नोर्स बैक्वर्ड एरियाज़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) इस समाचार में उल्लिखित पंजाब के दो खण्डों में किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अध्ययन के बारे में आवश्यक सूचना राज्य सरकार से माँगी गई है।

तथापि, यह संदेहास्पद है कि इन दो खण्डों के कार्यक्रम का अध्ययन देश के 5,000 सामुदायिक विकास खण्डों में विद्यमान स्थिति को सही रूप में उपस्थित कर सकेगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम

मे क्षेत्र के भौतिक तथा जन साधनों का संपूर्ण विकास करने का प्रयत्न किया है और इस प्रक्रिया में कुछ गरीब वर्गों अथवा क्षेत्रों को उनके अपने निजी सीमित संसाधनों/योगदान के कारण तूलनीय सहायता नहीं मिल पाई हो। तथापि, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि समाज के कमजोर वर्गों के हितों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

वर्ष 1972-73 में गुजरात में जामनगर के लिये मंजूर किये गये नलकूप

9222. **श्री डी० पी० जदेजा : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 के दौरान गुजरात के जामनगर जिले में कितने नलकूप मंजूर किए गए;

(ख) कितने नलकूप मंजूर करने का विचार है; और

(ग) यदि प्रस्तावित संख्या से कम मंजूर किए गए हैं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मेडिकल कालेजों में होम्योपैथी की शिक्षा

9323. **श्री डी० पी० जदेजा**
श्री अरविन्द एम० पटेल } **क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी मेडिकल कालेज में होम्योपैथी की शिक्षा दी जाती है? और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या है और वे कहाँ-कहाँ पर हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) तथा (ख) एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में होम्योपैथी की शिक्षा नहीं दी जाती, फिर भी, होम्योपैथी के शिक्षण के लिए अलग से कालेज हैं। राज्य-होम्योपैथिक बोर्डों द्वारा मान्यताप्राप्त होम्योपैथी के कालेजों की सूची संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—4987/73]

Fire in Ministry of Works and Housing

9324. **Shri Shiv Kumar Shastri**
Shri Phool Chand Verma } Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether 2,500 files were burnt to ashes in a fire accident that took place in his office on the morning of the 9th April, 1973;

(b) if so, whether the causes of the fire accident have been ascertained; and

(c) the subjects to which these files pertained and other relevant facts?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and in the Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta): (a) About 835 files were totally burnt and 1938 files partly burnt/damaged in the fire.

(b) The cause of the fire is being investigated by the police whose report is still awaited.

(c) The files relate to lease-hold properties in 13 Rehabilitation Colonies.

Indigenous and Imported Wheat got rotten in The godowns of F.C.I.

9225. Shri Shiv Kumar Shasrti : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether reports have been received that thousands of tonnes of wheat got rotten in the godowns of the Food Corporation of India located at various places;

(b) the quantity of indigenous and imported wheat out of this rotten wheat; and

(c) the number of officers held responsible for negligence and the action taken against each of them?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) A news item that certain stocks of wheat got rotten in the godowns of the Food Corporation of India in Gujrat had appeared in the Press. On enquiries by F.C.I. however, it was found incorrect. No other reports in this connection have been received.

(b) & (c) Do not arise.

केन्द्रीय सचिवालय का रख-रखाव

9326* **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नार्थ ब्लाक के सामने घास के मैदानों सहित केन्द्रीय सचिवालय समूह की मरम्मत करने, रख-रखाव और सफाई के लिये जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं ;

(ख) क्या कूड़े करकट के ढेरों के अलावा पिछले कई वर्षों से वहां एक तालाब में पानी खड़ा है जो किसी उपयोग में नहीं लाया गया ;

(ग) क्या अनधिकृत खोम्चे वाले वहां पर घटिया किस्म की खाद्य वस्तुएं बेचते हैं जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिये खतरनाक है; और

(घ) इस स्थान के ठीक ढंग से रख रखाव के लिये और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के निकट नियमों का और उल्लंघन करते हुए खाद्य वस्तुओं की बिक्री को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ।

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) नार्थ ब्लाक के उत्तर की ओर के क्षेत्र को छोड़कर, जो नई दिल्ली नगर पालिका के अधीन है, केन्द्रीय सचिवालय समूह तथा घास के मैदानों का रख रखाव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन है ।

(ख) बस स्टैण्ड के निकट एक गोलाकार तालाब है जो पानी से भरा हुआ है तथा जो दिल्ली के सिविल डिफैन्स अधिकारियों तथा अग्निशमन अधिकारियों के उपयोग के प्रयोग के लिये है । यह सत्य है कि कभी-कभी लोग इसमें कूड़ा करकट डाल देते है ।

(ग) अनधिकृत खोम्चे वालों पर नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा मुकदमे चलाए जाते हैं ।

(घ) (i) अनधिकृत खौम्चे वालों पर मुकदमें चलाए जाते हैं तथा बिना ढके खाद्य पदार्थ नष्ट कर दिए जाते हैं (ii) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को अच्छी हालत में रखने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहा है ।

Laying of sewers and constructing drains in village Nangalrai, New Delhi by D.D.A.

9327. Shrimati Savitri Shyam : Will the Minister of **Works and Housing be pleased to state :**

(a) whether Delhi Development Authority has been undertaking the work of laying sewers and constructing drains in village Nangalrai, New Delhi for the last several years;

(b) if so, the further time likely to be taken in the completion of the aforesaid work;

(c) whether drinking water is not available in the said village as a result of which residents there have to face great deal of difficulty; and

(d) if so, the time by which Government would be able to supply drinking water to the people living there?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and in the Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta) : (a) The work has been taken up by the Delhi Development Authority since last year.

(b) The work is likely to be completed by the end of this year.

(c) At present there is no piped water supply in the village. A scheme for laying pipes within the village has been prepared by the Delhi Development Authority.

(d) The work is expected to be completed by the end of December, 1973.

House building facilities to villagers of Nangalrai, New Delhi

9328. Shrimati Savitri Shyam : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the entire agricultural land of the residents of village Nangalrai, New Delhi has been acquired by Government

(b) whether Government do not accord permission to the people of the said village for any new construction and for repairing their old houses or to make some changes therein; and

(c) if so, the reasons therefor and the time by which Government are likely to provide house building facilities to the residents there?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and in the Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta) : (a) No. Only a part of the land which falls within the urbanisable limit has been acquired.

(b) and (c) The residents of the village can construct new houses and carry out repairs or changes in their existing houses after obtaining the sanction of the Delhi Development Authority as the village falls in the area notified as "development area" under the Delhi Development Act, 1957. Development in such areas requires permission from the Delhi Development Authority.

राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण औषधालयों का जाल बिछाने की योजना

9329. श्री मूल चन्द डागा
श्री पन्नालाल बारूपाल } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में, जिलावार, ग्रामीण औषधियों का जाल बिछाने की स्थापना के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) : विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को नियुक्त कर ग्राम क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं देने के उद्देश्य से ग्राम क्षेत्रों के लिये एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना तैयार की गई थी और इस पर एक समिति ने विचार किया था जिसमें भूतपूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन राज्य मंत्री अध्यक्ष थे और कुछ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री सदस्य ।

मंत्रियों की इस समिति के विचार विमर्श का सारांश राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ भेज दिया गया था कि वे अपनी स्थानीय स्थितियों के अनुरूप एक योजना बना लें। उन प्रस्तावों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए इस राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव रखा कि 10,000 की आबादी के पीछे प्रत्येक उपकेन्द्र के मुख्यालय में एक-एक स्वास्थ्य चौकी के हिसाब से 173 स्वास्थ्य चौकियां खोल कर जयपुर जिले में एक मार्गदर्शी परियोजना चलाई जाए। वहां पर प्रशिक्षित चिकित्सा स्नातक और आयुर्वेदाचार्य उपलब्ध हैं इसलिये उनका प्रस्ताव था कि इस कार्य के लिये उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाए। उन्हें अपनी-अपनी चिकित्सा पद्धतियों में ही चिकित्सा करने देने का प्रस्ताव भी था।

इस बारे में आगे किये गये विचार विमर्श के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार अब विभिन्न राज्यों के 29 उपकेन्द्रों में एक मार्गदर्शी परियोजना चलाने की एक योजना पर विचार कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक केन्द्र में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के 3 प्रशिक्षित चिकित्सक नियुक्त किये जाने हैं जो लगभग 10,000 की जनसंख्या को सुविधाएं पहुंचाएगा।

ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाएं

9330. **श्री मूल चन्द डागा**
श्री पन्नालाल बारूपाल } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने ग्रामीण रोजगार द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनायें प्रस्तुत की है ;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर और पाली जिलों में कोई परियोजना कार्यान्वित की जा रही है; यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) कितने जन दिवसों के लिये रोजगार के अवसर उत्पन्न किये गये ; और

(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं पर जिलावार. कितना व्यय होना है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उदयपुर जिले में 1971-72 में 16.32 लाख रुपये और 1972-73 में 28.98 लाख रुपये व्यय हुए हैं और इनसे 1971-72 और 1972-73 में क्रमश: 5.97 और 7.55 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा हुआ है। पाली जिले में 1971-72 में 3.49 लाख रुपये और 1972-73 में 10.41 लाख रुपये व्यय होने और इनसे क्रमश: 0.71 लाख और 3.44 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा होने की सूचना मिली है।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

1971-72 में राजस्थान सरकार द्वारा जिला-वार और क्षेत्रवार मंजूर की गई यांजनाएं :

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	जिला	लघु सिचाई	भू-संरक्षण वनरौपण	भूमि को कृषि योग्य बनाना	सड़कें	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	6.42	0.53	—	4.07	1.48	12.50
2.	अलवर	2.59	—	—	9.85	—	12.44
3.	बन्सवाड़ा	9.17	2.31	—	0.46	—	11.94
4.	बाड़मेर	—	—	—	11.91	—	11.91

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	भरतपुर	12.50	—	—	—	—	12.50
6.	भीलवाड़ा	10.85	1.21	—	0.44	—	12.50
7.	बीकानेर	4.17	0.40	—	7.93	—	12.50
8.	बूंदी	7.34	0.25	—	4.87	—	12.46
9.	चित्तौड़गढ़	3.16	4.56	—	4.67	—	12.39
10.	चुरू	—	—	—	12.50	—	12.50
11.	डूंगरपुर	3.58	3.50	—	3.07	—	10.15
12.	गंगानगर	11.06	—	—	—	—	11.06
13.	जयपुर	2.71	0.20	1.09	8.50	—	12.50
14.	जैसलमेर	—	—	—	12.50	—	12.50
15.	जालौर	3.73	0.66	—	6.27	1.80	12.46
16.	झालावाड़	6.09	2.31	—	3.45	—	11.85
17.	झनझुनु	1.44	1.93	—	9.11	—	12.48
18.	जोधपुर	—	0.45	—	12.05	—	12.50
19.	कोटा	8.76	0.42	—	2.68	0.58	12.50
20.	नागौर	5.45	0.33	—	5.97	0.52	12.27
21.	पाली	6.44	1.34	—	0.65	—	8.43
22.	सीकर	1.33	4.00	—	3.31	—	8.64
23.	सवाई माधोपुर	4.90	—	—	7.54	—	12.44
24.	सिरोही	12.44	—	—	—	—	12.44
25.	टोंक	6.20	—	—	6.30	—	12.50
26.	उदयपुर	2.48	0.32	—	9.70	—	12.50

Famine relief work in Rajasthan

9331. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether famine-affected people engaged in famine relief work in Rajasthan are hardly given 80 paise or one rupees as wages and if so, the reasons therefor;

(b) whether the poor farmers, who are afflicted by famine for long have become weak and do not get even two square meals, are not capable of performing the required quantum of work and thus they are paid less than the living wage; and

(c) if so, whether Government propose to ask the Government of Rajasthan to take steps in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a), (b) & (c) Government of Rajasthan has fixed the maximum wage rates payable to workers on relief works at the rates of Rs. 3·00, Rs. 2·50 and Rs. 2·00 per day for adult digger, adult carrier, and adolescent respectively. The payment of wages is related to the actual out-turn prescribed by the State Government. As on 20-4-1973, nearly 10·38 lakhs persons are reported by the State Government to have been provided employment on relief work.

'बल्क मिल्क बैंडिंग मशीनों' का आयात

9333. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने "यूनिसेफ" की मशीनों के बजाये बल्क मिल्क बैंडिंग मशीनों के आयात कीं अनमति द दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन मशीनों से श्रम की बचत होती है; और यदि हां, तो क्या इन मशीनों के उपयोग से दिल्ली दुग्ध योजना में वर्तमान कर्मचारियों की छटनी की जायेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): **(क) और (ख)**: हालांकि प्रारम्भ में यूनिसेफ ने अधिक मात्रा में दूध बेचने वाली मशीनों के सामर्थ्य के बारे में शंका व्यक्त की थी, किन्तु राष्ट्रीय डेरी विकास मण्डल से विचार-विमर्श करने के बाद वे इस बात से सहमत हो गये हैं कि भारतीय परिस्थितियों में अधिक मात्रा में दुग्ध वितरण की यह प्रणाली उपयुक्त है, बशर्ते उनके प्रचालन में पाई जाने वाली कमियां दूर कर दी जायं जिससे कि यह उपकरण तकनीकी दृष्टि से पर्याप्त रूप से ठीक हो जाय। सरकार ने तदनुसार, अधिक मात्रा में दूध बेचने वाली 300 मशीनों के आयात का निर्णय किया है, बशर्ते इन में पर्याप्त कमियों को सुधार दिया जाये। इन 300 मशीनों में, यूनिसेफ से सहायता के रूप में प्राप्त होने वाली 100 मशीनें भी सम्मिलित हैं। वर्तमान बोतल सप्लाई, जो जारी रखी जायेगी, के अतिरिक्त दुग्ध वितरण सुविधाओं को शीध्र और व्यापक रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है। अधिक मात्रा में दूध बेचने वाली मशीनों के माध्यम से की जाने वाली दूध की सप्लाई से बोतलें भरने और परिवहन पर आने वाली लागत में कमी होगी। आजकल सुबह और शाम को दुग्ध वितरण डिपों में दूध सप्लाई करने के घण्टे सीमित हैं, किन्तु इन मशीनों के माध्यम से दूध की सप्लाई दिन में अधिक समय तक होती रहेगी। इस प्रकार लोगों की लम्बी कतार लगनी कम हो जायेंगी। अधिक मात्रा में दुग्ध बेचने वाली मशीनों के माध्यम से सप्लाई किये जाने वाले दूध की क्वालिटी बोतल वाले दूध की अपेक्षा बेहतर होगी, क्योंकि अधिक मात्रा में दूध बेचने वाली मशीनों के माध्यम से सप्लाई किए जाने वाले दूध का तापमान 5से० तक रखा जा सकता है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का विचार है कि लगभग एक वर्ष के अन्दर अधिक मात्रा में दूध बेचने के लिए लगाई जाने वाली इन मशीनों में से अधिकांश मशीनें अपने देश में ही बनने लगेगीं और इस प्रकार देश में जितनी मशीनों की आवश्यकता होगी वह पूरी हो सकेगी।

(ग) अधिक मात्रा में दुग्ध बेचने वाली मशीनों का प्रचलन कम की बचत की दृष्टि से नहीं अपितु ऊपर बताये गये विभिन्न लाभों के कारण किया जा रहा है। यह एक अतिरिक्त सुविधा है और इससे न तो दिल्ली दुग्ध योजना की वर्तमान गतिविधियों पर कोई असर पड़ेगा और न ही दिल्ली दुग्ध योजना के वर्तमान कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी।

गन्ने से बनाया गया "मुलाफिस" तथा उसका कन्ट्रोल और बाजार भाव

9334. **श्री गेंदा सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समस्त देश में (राज्यवार) गन्ने से कितना "मुलाफिस" बनाया जाता है;

(ख) इस का प्रत्येक राज्य के लिए सरकार द्वारा निश्चित कंट्रोल भाव क्या है ;

(ग) प्रत्येक राज्य में बाजार भाव क्या हैं; और

(घ) इसके कंट्रोल भाव निश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) यह दिखायी देता है कि शब्द मुलैस के स्थान पर "मुलाफिस" छप गया है। इस विषय से सम्बन्धित पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय से प्राप्त संगत सूचना इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	1971-72 के दौरान मुलैस का अनुमानित उत्पादन (हज़ार मी० टन में)
1. उत्तर प्रदेश	307.00
2. बिहार	55.50
3. पश्चिमी बंगाल	0.37
4. असम	1.85
5. हरियाणा	26.85
6. पंजाब	11.50
7. राजस्थान	3.00
8. मध्य प्रदेश	7.75
9. उड़ीसा	2.60
10. आन्ध्र प्रदेश	112.00
11. गुजरात	37.00
12. महाराष्ट्र	370.00
13. मैसूर	92.50
14. केरल	6.00
15. तमिल नाडू	111.00
16. पांडिचेरी	8.50

(ख) मुलैस का मूल्य मुलैस नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1972 के अधीन सांविधिक दृष्टि से नियंत्रित है जोकि बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और पश्चिमी बंगाल जिनके इस सम्बन्ध में अपने कानून हैं, को छोड़कर, सभी राज्यों पर लागू होता है। मुलैस नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1972 के अधीन विभिन्न ग्रेडों की मूलैस का मूल्य इस प्रकार है:—

मुलैस के ग्रेड	मूल्य
ग्रेड-1	1.00 रुपया प्रति 100 किलो
ग्रेड-2	0.80 " "
ग्रेड-3	0.60 " "

(ग) मुलैस को केवल नियंन्त्रित दरों पर बेचना होता है।

(घ) राज्यों में मुलैस नियंत्रक किए गए सौदों पर निगरानी रखते हैं।

सामान्य जनता के लिये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

9335. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन सभी वर्षों में कार्य करने के बाद केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सफल सिद्ध हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सामान्य जनता के हित के लिये इस योजना का विस्तार न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मुख्यत: केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के सदस्यों के लिये है। इस लिए इसे आम जनता के लिए करना संभव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाओं का प्रबन्ध करना राज्य सरकारों का एक मुख्य कर्त्तव्य है।

इंडियन पोटास लिमिटेड की साम्य पूंजी तथा प्रबन्ध में व्यापार गृहों का भाग लेना

9336. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारिता विभाग और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इंडियन पोटाश लिमिटेड की साम्य पूंजी तथा प्रबन्ध में पैरी, रैली और शा वालेस जैसे बड़े व्यापार गृहों द्वारा भाग लेने के पक्ष में हैं ;

(ख) क्या इंडिया पोटाश लिमिटेड के उच्च अधिकारियों का वेतन केन्द्रीय सरकार के सचिवों से बहुत अधिक है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अकेले पोटाश का निर्यात तथा व्यापार का कार्य संभाल सकता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं। इण्डियन पोटाश लिमिटेड, भूतपूर्व इण्डियन पोटाश सप्लाई एजेंसी, पहले गैर-सरकारी कम्पनियों के स्वामित्व में था। इसे पूर्णत: कृषकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और पोटाश के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से 1970-71 में शेयर-पूंजी के ढ़ांचे को पुनर्गठित किया गया और अधिकांश शेयर-गैर-सरकारी क्षेत्रीय एककों के हाथ से निकल कर सहकारी विपणन संगठनों और सरकारी क्षेत्र के एककों के हाथ में पहुंच गये। सहकारिता विभाग और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी इस बात के पक्ष में हैं कि मेसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेड के अधिकांश शेयर और इसकी प्रबन्ध व्यवस्था सहकारी संस्थाओं के हाथ में रहे। इस समय 27.10 लाख रुपये की कुल अभिदत्त पूंजी में से 15.77 लाख रुपये के शेयर सहकारी संस्थाओं और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के थे और शेष 11.33 लाख रुपये के शेयर गैर-सरकारी क्षेत्रीय उर्वरक निर्माताओं आदि के थे।

2. कम्पनी के बोर्ड के 15 निदेशकों में से, 9 निदेशक सहकारी और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के हैं और इस प्रकार बहुसंख्यक होने के कारण उनका नियंत्रण है। गैर-सरकारी

औद्योगिक घराने यथा मैसर्ज पैरी, रैलिश शाह वैलेस इत्यादि जो पोटाश का व्यापार करते हैं, इण्डियन पोटाश लिमिटेड की साम्य-पूंजी और प्रबन्ध दोनों में अब अल्प संख्या में हैं।

(ख) कम्पनी के वर्तमान मुख्य कार्यवाहक शेयरधारियों द्वारा 1-6-71 से 31-3-74 तक प्रबन्ध-निदेशक के रूप में नियुक्त किए गये थे। इसमें दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देने की सामान्य धारा लागू है। वे 5,000 रुपये प्रति मास वेतन पा रहे हैं। सहकारी और सरकारी क्षत्र के उपक्रमों को, जिनका बोर्ड में बहुमत है, प्रबन्ध-निदेशक को हटाने का पूरा अधिकार है।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अपने घोषणा-पत्र के अनुसार स्वयं पोटाश का आयात और व्यापार नहीं कर सकता। अन्य उर्वरकों की भांति पोटाश का भी सरकार द्वारा आयात किया जाता है और बन्दरगाहों पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा सम्भाली जाती है। इण्डियन पोटाश लिमिटेड इस देश में पोटाश के संवर्धन और वितरण के लिए ज़िम्मेदार हैं, जोकि इस मंत्रालय द्वारा नियत मूल्य पर किया जाता है।

नाइट्रो फास्फेट पर आधारित मिश्रित उर्वरक का सीधा आयात

9337. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित नाईट्रों फास्फेट पर आधारित मिश्रित उर्वरक की बिक्री केवल सरकारी क्षेत्र के उर्वरक निगम के माध्यम से ही की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो समुद्रपार के निर्माताओं और पूल भाण्डागारों के व्यापारिक एजेंटों को हटा कर इसके सीधे आयात की जिम्मेदारी उर्वरक निगम को न सौंपे जाने के क्या कारण ह; और

(ग) क्या उनके विभाग के आर्थिक कार्य विभाग तथा पूर्ति विभाग से इस बारे में सलाह की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय उर्वरक निगम के बीजाई कार्यक्रम के लिए आयात किये हुए अमोनियम नाइट्रेट को भारतीय उर्वरक निगम के माध्यम से विपणन करने हेतु राज्य सरकारों के माध्यम से भारतीय उर्वरक निगम को ही आवांटित कर दिया जता है।

(ख) निम्न लिखित कारणों से विभिन्न बीज कार्यक्रम विनिर्माताओं को सीधे आयात की अनुमति देने की अपेक्षा सभी प्रकार के उर्वरकों का जिनमें भारत सरकार के केन्द्रित बीजाई कार्यक्रमों के लिये उपयोग में लाया जाने वाला उर्वरक भी शामिल है; आयात करना अधिक लाभदायक समझा गया है।

(1) सरकार देश भर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आयात का एक कार्यक्रम तैयार कर सकती है और चूंकि अलग-अलग निर्माताओं की अपेक्षा सरकार को भारी मात्रा में खरीद करनी होती है अत: वह विदेश के सप्लायरों से अधिक प्रभावी ढंग से सौदा कर सकती है।

(2) बीज कार्यक्रम तैयार करने वाले निर्माता अनेक हैं, अत: प्रत्येक निर्माता को थोड़ी-थोड़ी मात्रा हेतु आयात की अनुमति देना संभव नहीं है क्योंकि

यदि ऐसा किया जाएगा तो उर्वरकों के लिए ऊंचे मूल्य देने होंगे और आयात कार्यक्रम में समन्वय की कमी रहेगी ।

व्यापारिक एजेन्ट समुद्र पार विनिर्माताओं द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और ऐसे विनिर्माताओं से समस्त आयात व्यापारिक एजेंटो के माध्यम से ही होगा चाहे वह आयात भारत सरकार द्वारा हो या भारतीय निगम आदि विशेष संस्थाओं द्वारा ।

भारतीय उर्वरक निगम जहां माल मंगाना चाहती है वहां माल पहुंचने पर भारतीय उर्वरक निगम के प्रेषण अनुदेश प्राप्त होते ही बन्दरगाहों पर माल उपलब्ध कर दिया जाता है । इसीलिए केन्द्रीय सरकार को उर्वरकों के भाण्डारण पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ता । कुछ ऐसे मामलों में जहां वे मौसम में माल पहुंचने के कारण भाण्डारण की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा भाण्डारण करना जरूरी हो जाता है चाहे इस माल को भारत सरकार ने आयात किया हो या भारतीय उर्वरक निगम ने ।

(ग) भारत सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले समस्त उर्वरकों के लिये (जिनमें भारतीय उर्वरक निगम के बीजाई कार्यक्रम के लिए प्रयोग होने वाला अमोनियम नाइट्रो फास्फेट भी शामिल है) आर्थिक कार्य विभाग और पूर्ति विभाग का सहयोग प्राप्त किया जाता है ।

अनाज जोनो के रूप में पंजाब और हिमाचल प्रदेश

9338. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को यह कहा है कि भारत सरकार ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश को एक अनाज जोन बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय को थोड़े दिनों में ही बदल दिया गया था ;

(ग) वे कारण क्या हैं जिसने सरकार को पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिये संयुक्त जोन संबंधी निर्णय को बदल देने पर विवश किया; और

(घ) क्या हिमाचल प्रदेश और पंजाब की राज्य सरकारों को भी इस मामले में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अवसर दिया गया था और यदि हां, तो इस मामले में दोनों राज्य सरकारों ने क्या विचार व्यक्त किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) : सरकार का निर्णय गेहूं का एकल राज्य जोन बनाने के बारे में था । यद्यपि सरकार ने पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश को जोड़ने के प्रश्न पर अवश्य विचार किया था लेकिन सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से यह निर्णय किया गया था कि अधिप्राप्ति के हित में सरकार द्वारा एकल राज्य क्षेत्र बनाने के पहले से लिए गए निर्णय को बदलना नहीं चाहिए ।

वासैक्टामी आपरेशन के द्वारा हरिजनों की जबरदस्ती नसबन्दी

9339. **श्री नारायण जन्द पाराशर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा परिवार नियोजन अभियान चलाए जाने के परिणामस्वरूप वासैक्टामी आपरेशन के द्वारा हरिजनों की जबरदस्ती नसबन्दी किये जाने के बारे में देश के विभिन्न भागों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1972-73 में प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने मामलों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) इन शिकायतों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) : राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रामीण संस्थानों के लिए अनुदान

9340. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ग्रामीण संस्थानों की संख्या और नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय सहायता दी थी ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संस्थान को कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) इन संस्थाओं के प्रबन्ध का ढांचा क्या है और इनकी सेवाओं में भर्ती के लिए कौन-कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) : ग्रामीण उच्च शिक्षा की योजना के अधीन स्थापित किए गए ग्रामीण संस्थानों के नाम तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें दी गई केन्द्रीय सहायता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । ग्रन्थालय में रखा गया । **[देखि** संख्या एल० टी० 4988/73] ये संस्थान, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत की गई स्वैच्छिक शैक्षिक संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं । उनका प्रबन्ध, प्रत्येक मामले में एक शासी निकाय/प्रबन्ध, समिति के अधीन होता है, जो अध्यापन तथा गैर-अध्यापन कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होती है ।

राजकोट जिले में समाज कल्याण केन्द्र

9341. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : **क्या शिक्षा, समाज कयाण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य के राजकोट जिले में कितने केन्द्रीय समाज कल्याण केन्द्र चल रहे हैं; और

(ख) उनके मुख्य कार्य क्या-क्या हैं ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) संख्या 84 है ।

(ख) ये केन्द्र वयस्क स्त्रियों के लिये शिक्षा, प्रशिक्षण, लाभप्रद रोजगार के लिये सेवाएं ; बच्चों के लिये स्वास्थ्य में सुधार, पौष्टिक आहार, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिये सुविधाएं; विकलांग, वृद्धों और दुर्बल व्यक्तियों के लिये सहायता तथा कुष्ठ उपचार और टी० बी० के रोगियों को पुनर्वास प्रदान करते हैं ।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली को सौंपे गये डी० आई० जेड० क्षेत्र के टाइप III के 64 क्वार्टर

9342. श्री शशि भूषण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जेड० क्षेत्र गोल मार्किट, नई दिल्ली के सैक्टर 'ई०' में निर्मित टाइप III के 64 क्वार्टर विलिंगडन अस्पताल को सौंपे गये थे; यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है;

(ख) क्या वे सभी क्वार्टर इस बीच आबंटित कर दिए गए हैं और अस्पताल कर्मचारी उनमें रहने लगे हैं ;

(ग) यदि कुछ क्वार्टर अभी भी खाली हैं और आबंटित नहीं किए गए हैं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या अस्पताल ने कुछ क्वार्टर छोड़ दिये हैं; यदि हां, तो कितने तथा उनका क्रमांक क्या है और राजसम्पत्ति निदेशालय उन्हें सरकारी कर्मचारियों में किस प्रकार आबंटित करेगा और यह आबंटन कब तक किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (घ) : टाइप III के 64 क्वार्टर विलिंगडन अस्पताल तथा नर्सिग होम, नई दिल्ली के हवाले किये गये थे जिनमें से टाइप III के 16 क्वार्टर लेड़ी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं अस्पताल को उसके कर्मचारियों को आबंटित किए जाने के लिये दिये गये थे। यह इस लिये किया गया जिससे इन अपस्तालों के कर्मचारियों की मकानों की भारी कमी को पूरा किया जा सके।

विलिंगडन अस्पताल के हवाले किये गये टाइप III के 48 क्वार्टरों में से 33 क्वार्टर इस अस्पताल के कर्मचारियों को दे दिये गये हैं और एक और क्वार्टर भी स्टाफ को दिया जा रहा है। शेष 14 क्वार्टरों को विलिंगडन अस्पताल के अधिकारियों ने सम्पदा निदेशालय को टाइप II के 28 क्वार्टरों के बदले लौटा दिया है। सम्पदा निदेशालय ये 28 क्वार्टर उन्हें देने वाला है। टाइप III के ये 14 क्वार्टर जो सम्पदा निदेशालय को लौटाए गये हैं, उस निदेशालय द्वारा सामान्य पूल में मकान पाने के पात्र सरकारी कर्मचारियों को या तो दे दिए गये हैं या दिये जा रहे हैं।

ग्रेटर कैलाश-1 के दक्षिणी भाग में बह रहा खुला नाला

9343. श्री शशि भूषण : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रेटर कैलाश-1 (नई दिल्ली) के दक्षिणी भाग में बह रहे खुले नाले में टट्टी और पड़ौस की कालोनियों की गन्दगी होती है और दक्षिण दिल्ली के आस पास की बस्तियों के लिए यह नाला एक गम्भीर स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरा है ;

(ख) क्या इसके स्थान पर भूमिगत नालियां बनाने सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या अन्य उपाय करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) ग्रेटर कैलाश के दक्षिण में बहने वाला खुला नाला बरसाती पानी का नाला है जो भारी वर्षा के दौरान बढ़े हुए पानी को बहा कर ले जाता है। इस नाले में टट्टी और गन्दगी नहीं बहती । इस लिए इस नाले का दक्षिणी दिल्ली के आस पास की बस्तियों के लिए एक गम्भीर स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरा होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा मंत्रालय के सलाहकार अधिकारियों के संघ से ज्ञापन

9344. **श्री शशि भूषण : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय के सलाहकार अधिकारियों के संघ ने अपनी शोचनीय सेवा शर्तों के बारे में अक्तूबर, 1972 में सरकार को एक ज्ञापन पेश किया था ;

(ख) उन की शिकायतों को दूर करने के लिए, विशेष रूप से उन के पदों की संख्या जो वर्ष 1959 में लगभग 70 थी को घटा कर इस समय 40 करने, शैक्षिक पदों पर बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति, पदोन्नति के अवसरों का न होना और 2 वर्ष से ले कर 10 वर्ष की अवधि की तदर्थ सेवा शर्तों के बारे में क्या ठोस कार्यवाही की गई;

(ग) क्या उन के द्वारा पेश किए गए ज्ञापन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(घ) इस ज्ञापन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ग) : एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और उसकी प्रतिलिपि अनुबन्ध-I के रूप में संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4989/73]

(ख) और (घ) : एक विवरण अनुबन्ध II के रूप में संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-4989/73]

Sub-standard sugar supplied to Patna from F. C. I. Godown

9345. **Shri Chiranjib Jha** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item appearing in Hindi daily "Pradeep", dated the 8th April, 1973, published from Patna to the effect that the sugar supplied to the ration shops from a godown of Food Corporation of India situated at Diegha for distribution to the consumers of Patna city was mixed with stone dust; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) References have been made to the Government of Bihar and the Food Corporation of India. Their replies are awaited. The information will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Grants to Institutions in Saharsa District of Bihar by Department of Social Welfare

9346. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be to state the names of institutions in Saharsa District of Bihar which sought grants from the Social Welfare Department during the financial year 1971-72 and 1972-73 and the names of institutions which were given grants by the said department together with the amount of grant given in each case?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Scheme for looking after the children of working mothers

9347. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme under which the children of working mothers in the country could be looked after during day time; and

(b) if so, the Statewise information thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): (a) and (b): Creche and Day care facilities are available in many places. Various labour legislations require the provision of such facilities under certain conditions. The Central Government have provided these facilities for the working women in their employ in Delhi. The Central Government also give financial assistance to voluntary organisations for promoting these facilities. Some State Governments also have similar programmes. Statewise details are not available.

दिल्ली विकास प्राधिकरण की प्रक्रियाओं और उसके संगठन में सुधार करना

9348. **श्री सतपाल कपुर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उप-राज्यपाल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को अधिक क्रियाशील एवं प्रभावी बनाने के लिए इसकी प्रक्रियाओं और संगठन में सुधार लाने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के साथ उठाया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस का ब्यौरा क्या है और उप-राज्यपाल ने क्या मुख्य सुझाव दिए हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) : उप राज्यपाल, दिल्ली ने प्राधिकरण के कार्य-अध्ययन का एक सुझाव दिया है। भारत सरकार के कार्मिक तथा प्रशासकीय विभाग से अध्ययन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है ।

डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली के सेक्टर "डी०' के क्वार्टरों में दोषपूर्ण फर्श

9349. **श्री सतपाल कपूर**
श्री शशि भूषण } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली के सेक्टर 'डी०' में टाइप II और टाइप III के क्वार्टरों में कमरों में दोषपूर्ण फर्श होने की अनेक शिकायतों के मिलने के परिणामस्वरूप एक गैर-सरकारी ठेकेदार द्वारा दोबारा फर्श बनवाये गये हैं; और

(ख) इसके लिये कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है और उस अधिकारी या एजेंसी का नाम क्या है जिसने यह सुनिश्चित किया था कि नये ठेकेदार ने क्वार्टरों में रहने वाले लोगों की पूरी तसल्ली के अनुसार काम किया था और प्रयुक्त सामग्री निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार थी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हाँ। चूंकि आबंटन से पूर्व क्वार्टरों के कुछ फर्श त्रुटिपूर्ण पाये गये थे, अतः इन फर्शों को पुनः बनाने का काम एक अन्य ठेकेदार को दिया गया।

(ख) 4,232.08 रुपये की कुल राशि मूल ठेकेदार के दायित्व तथा लागत पर इस पर खच की गई ।

इस प्रकार के बड़े निर्माण कार्य मे भुगतान करने से पूर्व सहायक इंजीनियर तथा कनिष्ठ इंजीनियर को प्रयोग की गई निर्माण सामग्री तथा किए गये कार्य की क्वालिटी के बारे में अपनी पूरी तसल्ली करनी होती है ।

डी० आई० जेड० एरिया के चार मंजिले क्वार्टरों का दोषपूर्ण निर्माण

9350. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली के सेक्टर 'डी०' में टाइप II और टाइप III के जार मंजिलें क्वार्टरों के निर्माण में खराबियों की अनेक शिकायतें मिलने के परिणाम-स्वरूप कोई जाँच की गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उन अधिकारियों के नाम और संख्या क्या है जो अपने कर्त्तव्यों की अपेक्षा करने के तथा अन्य आरोपों में दोषी पाये गये थे, ये अधिकारी किन पदों पर काम कर रहे हैं ;

(ग) इन के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उन अधिकारियों को भविष्य में निर्माण के निरीक्षण काम न दिया जाये और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं। जब कार्य अभी चल रहा था तो, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए नेमी-निरीक्षणों के दौरान कुछ खराबियाँ पाई गई थीं। यथासंभव इन्हें विधिवत दूर किया गया। जिन मामलों में खराबियाँ दूर नहीं की जा सकीं उनमें ठेकेदार पर जुर्माना किया गया ।

(ख) से (घ) : फिलहाल मामले की जाँच-पड़ताल की जा रही है ।

बिहार में एन० डी० एस० प्रशिक्षकों की नियुक्ति

9351. **श्री फूलचन्द वर्मा**
श्री एम० एस० पुरती } : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने 1972 में उन भूतपूर्व एन० डी० एस० प्रशिक्षकों की एक सूची केन्द्रीय सरकार को भेजी थी, जिन्हें उक्त सरकार बिहार में नियुक्त करने की इच्छुक थी ;

(ख) क्या इस सूची के प्राप्त होने की तारीख से लगभग दो महीने तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ; और

(ग) क्या इस उपेक्षा के लिए किसी अधिकारी पर जिम्मेदारी निर्धारित करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : **(ग) से (क)** : राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 1965 में यह निर्णय किया गया था कि राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कार्यक्रम को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए और केन्द्रीय सरकार द्वारा भर्ती किए गए और उसी से वेतन प्राप्त करने वाले रा० अनु० यो० के प्रशिक्षकों को राज्यों में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए तथा राज्यों के शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के काडर में विलयन किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों से जब इस प्रकार के स्थानान्तरण से संबंधित बातचीत चल रही थी, यह नोटिस (देखा) किया गया था कि बिहार में रहने वाले 58 प्रशिक्षकों को उत्तर प्रदेश रांज्य में भर्ती किया गया था और उसी राज्य के स्कूलों में उन्हें तैनात किया गया था। इन्हीं प्रशिक्षकों को बिहार के स्कूलों में स्थानान्तरित करने का प्रयत्न वर्ष 1968 में किया गया था, परन्तु तब बिहार सरकार केवल उन प्रशिक्षकों को खपाने के लिए तैयार थी जो उसी राज्य में नौकरी (काम) कर रहे थे और न कि उनको, जो अन्य राज्यों में काम कर रहे थे। इस प्रश्न को एक बार फिर अक्तूबर, 1971 में केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार से अनुरोध करते हुए उठाया गया था कि वह इन प्रशिक्षकों के स्थानान्तरण को बिहार में सहानुभूति के आधार पर सहमत हो जाएं और उन स्कूलों के नाम सूचित करें जहाँ पर इन (प्रशिक्षकों) को तैनात किया जाए। इसका अनुस्मारकों और राज्य शिक्षा प्राधिकारियों के साथ व्यक्तिगत चर्चाओं द्वारा अनुरक्षण किया गया था। बिहार सरकार ने 3 मार्च, 1972 को उन स्कूलों का नाम सूचित करते हुए उत्तर दिया था जिनमें एक एक करके इन 58 प्रशिक्षकों को इस शर्त पर तैनात किया जा सकता था कि राज्य सरकार को किसी भी स्तर पर इन प्रशिक्षकों की संख्या पर ले लेने को न ही कहा जाए और भारत सरकार लगातार उनके वेतनों और भत्तों की अदायगी करती रहेगी।

2. उस समय केन्द्रीय सरकार ने इन प्रशिक्षकों के वेतन और भत्तों पर होने वाले खर्चे की राज्य सरकार को तब तक प्रतिपूर्ति न करने का निर्णय ले लिया था, जब तक वे नौकरी में कार्यरत रहते हैं, परन्तू केवल चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक/साथ ही इसी दौरान यह आशय भी है कि राज्य सरकारों को स्थानान्तरित हो जाने पर रा० अनु० यो० के इन प्रशिक्षकों को राज्य सरकारों के कर्मचारियों के रूप में उनके शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के काडर में समझा जाना चाहिए ।

3. इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता था । किसी भी अधिकारी के भाग पर उपेक्षा अथवा उसके लिए उत्तरदायित्व को निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं था ।

4. अब चूंकि बिहार सरकार ने उसी राज्य में काम कर रहे अनु० रा० यो० के प्रशिक्षकों को ले लिया है, अतः शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ने बिहार राज्य सरकार की सेवा में काम कर रहे उपरोक्त प्रशिक्षकों को खपाने तथा उसी राज्य के स्कूलों में उन्हें तैनात करने के लिए केन्द्रीय सरकार की इन प्रशिक्षकों के वेतन और भत्तों का खर्चा, जब तक वे

सेवा में बने रहेंगे तब तक वहन करने की सहमित की शर्त पर उच्चतम स्तर पर राज्य सरकार को दोबारा लिखा है। राज्य सरकार के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा है।

Scheme for Mechanisation of Agriculture in Madhya Pradesh

9352. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Administration has sent to the Centre a scheme regarding mechanisation of agriculture costing Rs. 63·50 crores for being submitted before the World Bank; and

(b) if so, the main features of the scheme and action taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) & (b). The Madhya Pradesh Government prepared a Project Report for development of minor irrigation, mechanisation and land development and sent it to Government of India for being processed with the World Bank. Initially the Project contained a provision for purchase of tractors by farmers, but the mechanisation component was subsequently dropped. The Project was negotiated with the World Bank last month and it is expected that a World Bank credit of the order of 33 million Dollars would be available for minor irrigation and land development.

Scheme of NCDC for Planned Development of Agro-Based Industries in Chambal Valley

9353. **Shri Phool Chand Verma**
Shri Bhagirath Bhanwar } : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the National Cooperative Development Corporation has formulated a scheme costing about Rs. 50 crore for planned develpoment of agro-based industries in Chambal Valley; and

(b) if so, the salient features of the scheme?

The State Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The scheme contained in the Report prepared by the National Cooperative Development Corporation has set out a frame-work for the agro-industrial develpment of the Chambal Command Area in Rajasthan, through cooperatives, with emphasis on an integrated area development approach, with mutually supportive programme of both on-farm and off-farm development, as could be undertaken within a well articulated plan to secure maximum economic impact on the area. The salient features of the Report are as follows:—

(i) It advocates a new pattern for crop composition with greater emphasis on commercial crops, in the area, with a view to securing optimum utilisation of water, power and land and making agriculture more remunerative.

(ii) Consistent with the new cropping pattern proposed, the Report evisages development of agro-industries in the area including sugar factory, distillery, oil mill, solvent extraction plant, cattle feed factory, rice mills, roller wheat flour mills and Dal mills.

(iii) In order to get full benefit of the on-farm and off-farm activities, the Report suggests speedier development of the infra-structural facilities, such as roads bridges, communications, power, etc., the cost of which should be treated as an integral part of the total cost of the project.

(iv) The Report also makes suggestions regarding the strengthening of the cooperative infra-structure, particularly the credit institutions at the base level, for meeting short, medium and long-term credit requirements of the farmers, in the context of the new cropping pattern suggested in the Report.

The total cost of the project, worked out in the Report, is approximately Rs. 50 crores, of which Rs. 16 crores account for capital investment on agricultural processing industries, about Rs. 9 crores for their working capital and about Rs. 25 crores for production credit to the farmers.

नेपाल से चावल का आयात

9354. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने भारत को चावल का निर्यात करने संबंधी पाबन्दी हटा दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो नेपाल से अनुमानतः कितनी मात्रा में चावल का आयात करने की सम्भावना है और भारत सरकार कितना मूल्य देने के लिए सहमत हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) . नेपाल सरकार ने भारत को चावल का निर्यात करने के लिए निजी पार्टियों को लाइसेंस देना शुरू कर दिया है। नेपाल से सरकारी खाते में चावल का आयात करने के लिए फिलहाल कोई प्रबन्ध नहीं है ।

वर्ष 1971-72 और 1972-73 के मौसम में मार्च और अप्रैल के महीनों में तमिलनाडु में चीनी के कारखानों द्वारा तैयार की गई औसत चीनी

9355. **श्री एम० आर० लक्ष्मी नारायणन : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 और 1972-73 के मौसम में मार्च और अप्रैल के महीनों में तमिलनाडु में कारखानेवार, औसत रूप से कितनी चीनी तैयार की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : 1971-72 और 1972-73 मौसमों के दौरान मार्च और अप्रैल महीनों में तमिलनाडु में फैक्ट्रीवार गन्ने से चीनी की उपलब्धि की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

1971-72 और 1972-73 मौसम के लिए मार्च और अप्रैल के महिने हेतु तमिलनाडु में कारखानेवार गन्ने से चीनी की उवेलब्धी की प्रनिशतता बताने वाला विवरण

कारखाने का नाम	1972		1973	
	मार्च	अप्रैल	मार्च	अप्रैल (22-4-73 तक)
1	2	3	4	5
1. अम्बुर . .	10.53	10.10	9.65	9.34
2. मदुरान्तकम	10.06	9.34	10.02	9.46
3. थीरू अरुण	9.42	8.43	8.00	7.62
4. नेलीकुप्पम	7.55	8.71	8.86	8.46
5. लाल गुड़ी. .	10.27	10.04	9.45	8.98
6. कावेरी .	9.52	8.69	8.82	8.28
7. पुगालूर . . .	10.39	9.62	9.58	8.87

1	2	3	4	5
8. सलेम . . .	9.38	9·52	8.94	15-4-73 (तक इस मास काम नहीं किया)
9. मदुरा . .	10.38	9.90	9.08	8.33
10. अमरावती .	(इस अवधि में कार्य नहीं किया)			
11. साकथी . . .	10.80	10.13	9.79	9.48
12. विलूपुरम .	9.29	8.80	9.18	8.77
13. अरूणा . .	10.41	10.00	9.39	8.99
14. अलगानालूर . .	10.66	10.03	9.56	8.93
15. कालाकुरीची . .	9.55	8.89	पिराई निलम्बित	7.36
16. धर्मपुरी . . .	8.52	8.30	अप्राप्त	अप्राप्त

अप्राप्त-वसूल नहीं हुई ।

तमिलनाडु के गन्ना उत्पादकों एवं संभरण-कर्त्ताओं द्वारा ज्ञापन

9356. **श्री एम० आर० लक्ष्मी नारायणन : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को चीनी के कारखानों को गन्ना उत्पादक एवं सम्भरण-कर्त्ताओं द्वारा तमिलनाडु सरकार को प्रस्तुत ज्ञापन की एक प्रति मिली है जिसमें अन्य राज्यों में अधिकांश चीनी कारखानों द्वारा गन्ने का अधिक मूल्य दिए जाने के कारण और खुले बाजार में चीनी के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण कारखानों द्वारा बहुत ज्यादा लाभ कमाने और खेती की लागत भी बढ़ जाने के कारण गन्ने का उचित और लाभप्रद मूल्य दिलवाने के लिए हस्तक्षेप करने और चीनी कारखानों को निदेश देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तमिलनाडु राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इस मामले की तमिलनाडु सरकार जांच कर रही है ।

गोआ में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

9357. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोवा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) गोआ, दमन और दीव प्रशासन के प्रस्ताव पर गोआ में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश प्राप्त होने के बाद सरकार प्रस्ताव पर केवल गुणावगुणों के आधार पर विचार करेगी।

एकाधिकार वसूली योजनाओं के विरुद्ध भारतीय किसान महासंघ द्वारा आन्दोलन

9358. **श्री एस० एल० पेजे**
श्री शंकरराव सावन्त } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय किसान महासंघ जैसी कुछ संस्थाओं ने एकाधिकार वसूली योजनाओं के विरुद्ध एक आन्दोलन शुरु कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी आकांक्षायें क्या हैं और किन-किन राज्यों में आन्दोलन ने जोर पकड़ा है; और

(ग) इस आन्दोलन का मुकाववला करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) गेहूं का थोक व्यापार लेने की योजना के विरुद्ध अखिल भारतीय किसान संघ द्वारा आन्दोलन छेड़ने और किसानों को इस बात के लिए उकसाने कि सरकार जब तक अधिप्राप्ति मूल्य नहीं बढ़ाती तब तक वे अपनी उपज सरकार को न बेचने के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार सरकार के नोटिस में आया है।

संघ की आकांक्षा और अभिप्राय मालूम नहीं हुआ है।

(ग) सरकार थोक व्यापार को लेने की नीति को कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ है और राज्य सरकारों/प्रशासनों से जहां कहीं आवश्यक हो, उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

Cost of Production of Wheat as per Experts of Pant Nagar Agricultural University and Ludhiana Agricultural Farm

9359. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the per quintal cost of production of Wheat at present according to the experts of Pant Nagar Agricultural University and those of Ludhiana Agricultural Farm separately;

(b) the procurement price of wheat fixed in different areas in comparison thereto; and

(c) the facilities provided or proposed to be provided by Government to the producers keeping in view the difference between the cost of production and selling price?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) The per quintal cost of production of wheat reported by the Pantnagar Agricultural University ranged between Rs. 60 and Rs. 65; the Ludhiana Agricultural Farm Experts reported Rs. 76·95. The cost of production reported by these two Universities is higher than the cost estimated under the the comprehensive scheme for studying the cost of cultivation of principal crops in Punjab, Haryana and U.P.

(b) The procurement prices of wheat fixed by the Government are as under:—

Variety of What	Prccurement price fixed (Rs. per quintal)
1. Indigenous red varieties	Between Rs. 71·00 & 74·00 for different States.
2. Indigenous common white and different Mexican varieties.	Rs. 76·00 for all States.
3. Specified superior varieties . . .	Rs. 82·00.

(c) No such facilities have been giveh or are contemplated.

Demand and Supply of Milk in First 20 Big Cities

9360. **Shri Jagannathrao Joshi :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the demand and supply of milk in the First 20 big cities of India separately; and

(b) the steps being taken to increase supply?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) The present demand of milk in the cities of the country is not static and is influenced by prices, population and income distribution and is also highly income elastic. The demand of milk in cities has considerably increased of late due to urbanisation. According to the recommendations of the Nutrition Advisory Committee of the Indian Council of Medical Research, the average nutritional requirement is of the order of 210 grams of milk and milk products per capital per day. The demand of milk in the cities is partly met through the organised dairy plants established in the public and co-operative sectors in the last three Five Year Plans. However, the bulk of the demand is still met through the unorganised sector such as, cattle stables kept in the cities, sweet meat shops, itinerant vendors, etc. The position with regard to supply of milk in the 20 big cities in the country through organised dairy plants in public co-operative sector vis-a-vis their demand based on the nutritional requirement is as under:—

Sl. No.	Name of the City	Average daily supply of milk (in lakh litres) January, 1973 through organised sector	Nutritional requirement per day (in lakh litres)
1	2	3	4
1.	Calcutta	1·74	14·26
2.	Greater Bombay .	5·43	12·15
3.	Delhi	2·90	7·39
4.	Madras	0·88	5·03
5.	Hyderabad .	0·77	3·66
6.	Bangalore .	0·80	3·35
7.	Ahmedabad	1·43	3·23
8.	Kanpur . .	0·17	2·59
9.	Nagpur	0·32	1·76
10.	Poona	0·65	1·74

1 2	3	4
11. Lucknow	0·20	1·68
12. Howrah	(milk is being supplied from Calcutta Dairy)	1·51
13. Agra	0·02	1·30
14. Jaipur	0·14	1·25
15. Varanasi	0·01	1·19
16. Indore	0·12	1·17
17. Madurai	0·23	1·12
18. Jabalpur	0·03	1·09
19. Allahabad	0·02	1·05
20. Patna	0·10	1·00

(b) The supply of milk is dependent on production, which is rural in character. Necessary measures have and are being taken to stimulate milk production in the country as a whole. One of the major measures introduced in recent years is the establishment of Intensive Cattle Development projects, which are located in the milkshed areas of various dairy plants established in the cities. Other important cattle development projects which have a direct bearing on milk production are:—

(1) All India Key Village Schemes.
(2) Cross-Breeding Scheme.
(3) Feeds and Fodder Development Programmes.
(4) Goshala Development Schemes.
(5) Strengthening and expansion of Livestock Farms.
(6) Calf Rearing Scheme.
(7) Cattle shows and Milk Yield Competition.
(8) Disease Control Programme :
  (a) Increase in number of veterinary hospitals and dispensaries.
  (b) Rinderpest Eradication Scheme.
  (c) Expansion of Biological Products Laboratories for production of vaccines and sera.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा 365 नई अनुसंधान योजनाओं का खटाई में डाला जाना

9361. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के बजट में भारी कमी किये जाने के परिणामस्वरूप औषधियों सम्बन्धी 365 नई अनुसंधान योजनाओं को खटाई में डाल दिया गया है;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप लगभग 300 डाक्टर जिनमें अनेक स्नातकोत्तर भी सम्मिलित हैं और जिन्हें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के अधीन विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं में लगाया जाना था, कोई रोजगार प्राप्त करने में असफल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क), (ख) और (ग) धन के अभाव के कारण 1973-74 का स्वास्थ्य बजट काफी घट गया है और तद्नुकूल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का बजट भी घटा दिया गया है। वर्तमान अनुसंधान कार्यों को बढ़ाने के प्रश्न पर तथा बजट में जो धन राशि दी गई है उसका समुचित रूप से उपयोग करने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

दिल्ली और नई दिल्ली में राज्य सरकारों द्वारा सम्पत्ति का अधिग्रहण

9362. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में प्रत्येक राज्य सरकार के स्वामित्व में कितने मूल्य की सम्पत्ति है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य ने कितने मूल्य की नई सम्पत्ति का अधिग्रहण किया; और

(ग) इस प्रकार अभिग्रहीत की गई सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) सूचना सभी राज्य सरकारों से तथा स्थानीय प्राधिकरणों से एकत्रित करनी पड़ेगी और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय जहाजरानी निगम तथा नौवहन कम्पनियों द्वारा अर्जित किये गये जहाज

9363. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जहाजरानी निगम तथा प्रत्येक नौवहन कम्पनी द्वारा अर्जित किये जाने वाले नये बेड़ों की संख्या, टनभार तथा मूल्य क्या-क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान की भारतीय जहाजरानी निगम तथा प्रत्येक गैर-सरकारी क्षेत्र को नौवहन कम्पनी द्वारा अर्जित किये गये स्वदेश निर्मित जहाजों की संख्या, टनभार तथा मूल्य क्या-क्या है;

(ग) निश्चित अवधि के लिये ऋण देने वाले वित्तीय संस्थानों तथा वाणिज्यिक बैंक ने भारतीय जहाजरानी निगम सहित प्रत्येक नौवहन कम्पनी को आज तक कुल कितनी राशि के ऋण दिये हैं; और

(घ) देश ने नौवहन उद्योग में किस सीमा तक किस प्रकार की आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) अपनी स्थापना से आज तक नौवहन विकास निधि समिति द्वारा दिये गए ऋणों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। अन्य मियादी वित्तीय संस्थानों और कमर्शियल बैंकों के सम्बन्धि में समान सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) भारतीय जहाज इस समय समुद्रपार व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत ले जाते हैं। सरकार का यह उद्देश्य है कि पांचवीं योजना के अन्त तक, वे समुद्रपार व्यापार का कम से कम 50 प्रतिशत ले जायें और यथासम्भव सीमा तक प्रतियोगात्मक नौवहन में भी भाग ले सकें। मौजूदा हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम के अतिरिक्त कोचीन में एक नया शिपयार्ड निर्माणाधीन है। 85,000 डी० डब्ल्यू० टी० के आकार तक के जहाजों का निर्माण करने के लिए शिपयार्ड का डिजाइन तैयार किया गया है। देश में और शिपयार्डों की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	स्वीकृत ऋण राशि
		रुपये
1.	मै० अफ्रीकन कम्पनी (प्रा०) लि०, बम्बई	26,52,000.00
2.	मै० अम्बेस्डर स्टीमशिप कं० लि०, कोचीन	5,00,000.00
3.	मै० भारत लाइन्स लि०, बम्बई	96,00,000.00
4.	मै० कलकत्ता स्टीम नेवीगेशन कं० लि०, कलकत्ता	16,00,000.00
5.	मै० चौगुले स्टीमशिप्स लिमिटेड, बम्बई	19,37,76,000.00
6.	मै० दामोदर वल्क कैरियर्स लि०, बम्बई	20,37,70,806.00
7.	मे० डैम्पो स्टीमशिप्स लि०, बम्बई	18,37,00,000.00
8.	मै० ग्रट इस्टर्न शिपिंग कं० लिमिटेड	51,52,02,465.00
9.	मै० इंडिया स्टीमशिप कं० लि०, कलकत्ता	13,52,18,000.00
10.	मै० केरल लाइन्स लि०, मद्रास	42,02,000.00
11.	मै० मुगल लाइन्स लि०, बम्बई	10,24,17,300.00
12.	मै० राजकुमार लाइन्स लि०, कलकत्ता	28,00,000.00
13.	मै० आर० ए० जे० लाइन्स लि०, कलकत्ता	84,00,000.00
14.	मै० रत्नाकर शिपिंग कं० लि०, कलकत्ता	13,07,64,000.00
15.	मै० सिंधिया स्टीम नैवीगेशन कं० लि०, बम्बई	40,44,25,875.00
16.	मै० साउथ ईस्ट एशिया शिपिंग कं० लि०, बम्बई	13,00,000.00
17.	मै० साउथ इंडिया शिपिंग कारपोरेशन लि०, मद्रास	18,90,78,269.61
18.	मै० सुरेन्द्रा ओवरसीज लि०, कलकत्ता	6,14,85,000.00
19.	मै० ठाकुर शिपिंग कं० लि०, बम्बई	59,70,796.00
20.	मै० दी शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०, बम्बई	3,47,39,38,839.36
21.	सेवन सीज ट्रांसपोर्टेशन लि०, बम्बई	5,42,00,000.00
	कुल	568,50,01,351.27

दिल्ली में जूनियर गृह विज्ञान अध्यापकों की पदोन्नति

9364. **श्री शशि भूषण** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जूनियर गृह विज्ञान अध्यापकों की सूची सीनियर गृह विज्ञान अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिये बनाई गई है;

(ख) इस सूची में व्यक्तियों के नाम रखने के लिये किस मानदण्ड को अपनाया गया है और इनकी वरिष्ठता किस प्रकार से निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सूची में कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनकी मूल शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर की नहीं है जब कि सीनियर गृह विज्ञान अध्यापक के लिये न्यूनतम योग्यता स्नातक स्तर की होती है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इसका ध्यान रखा जाएगा कि वे जूनियर गृह विज्ञान अध्यापक, जिनकी पदोन्नति सीनियर गृह विज्ञान अध्यापक के रूप में होती है, उसी स्कूल में नियुक्त किये जायें जिसमें वे अध्यापक सीनियर गृह विज्ञान अध्यापक के पद पर काम कर रहे हैं ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) कनिष्ठ गृह विज्ञान अध्यापकों को वरिष्ठ गृह विज्ञान अध्यापकों के पदों पर उनकी वरीयता और सन्तोषजनक गोपनीय रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, भर्ती नियमों के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नत किया जाता है, अर्थात् उनकी वरिष्ठता और अर्हता के साथ-साथ उनकी योग्यता को भी ध्यान में रखा जाता है । पदोन्नत अध्यापकों की वरिष्ठता गृह विज्ञान अध्यापकों की चयन सूची में उनके स्थानों के अनुसार होती है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) आवश्यक नहीं ।

कोचीन में बड़े-बड़े टैंकरों के रुकने के स्थान की नियति

9365. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन पर बड़े-बड़े टैंकरों के रुकने के स्थान सम्बन्धी प्रस्तावित परियोजना को त्याग दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं कि इस परियोजना के लिए गठित विशेष कार्यालय को तोड़ दिया गया है और उसके कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में काम पर लगा दिया गया है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर हां में है तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं । बोलघाटी जलमार्ग में विशाल तेलवाही घाट का स्थान निर्धारण अब स्वीकृत हो गया है ।

(ख) तेल गोदी परियोजना के संबंध में इंजीनियरी डिविजन मंजूर किया गया था और 30 अक्तूबर, 1970 को शुरू किया गया था। परियोजना पर कार्य रोकना पड़ा क्योंकि स्थानीय लोगों/संगठनों ने स्थान के परिवर्तन के लिए अभ्यावेदन दिया अत: यह डिविजन कोचीन टाउन प्लानिंग ट्रस्ट की ओर से पत्तन न्यास द्वारा शुरू किये गये अग्रतट सुधार कार्यों पर लगा रहा। भूमि उद्धरण दीवाल निर्माण का कार्य नवम्बर, 1972 में पूरा किया गया चूंकि बोलघाटी जलमार्ग में तेल गोदी के स्थान निर्धारण का प्रश्न विचाराधीन था अत: दो पद एक कार्यकारी इंजीनियर और एक सहायक इंजीनियर के पद जिनका सृजन मूलत: तेल गोदी परियोजना के लिए किया गया था, अप्रैल, 1973 से जारी नहीं रखे गये। यह वित्त मर्यादा के उपाय के रूप में किया गया। चूंकि तेल गोदी परियोजना अब स्वीकृत हो गई है अत: पत्तन न्यास पदों को फिर से चालू करेगा और परियोजना पर कार्य करने के के लिए और आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(उत्तर प्रदेश के ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम का कार्यान्वयन)

9366. **डा० गोविन्द दास रिछारिया**
श्री अम्बेश } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रामीण रोजगार के कितने द्रुत कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं ;

(ख) क्या द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई उक्त प्रकार को योजना आगरा, इटावा और झांसी जिलों में भी कार्यान्वित की जा रही है; यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इन जिलों में कितने जन-दिवस बनाए जा सके हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) ग्राम रोजगार की त्वरित योजना उत्तर प्रदेश के सभी 54 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) व (ग) जी, हां। 1971-72 और 1972-73 (अप्रैल, 72–फ़रवरी, 73) में आगरा, इटावा और झांसी जिलों में ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय और पैदा किये गए रोजगार के रूप में हुई प्रगति दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा और झांसी जिलों में ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत किया गया व्यय और पैदा किय गया रोजगार

क्रम सं०	जिले का नाम	व्यय किया गया (लाख रुपये में)		रोजगार पैदा किया गया (लाख श्रमदिनों में)	
		1971-72	1972-73 (अप्रैल 72—फरवरी, 1973)	1971-72	1972-73 (अप्रैल, 72—फरवरी, 73)
1.	आगरा . . .	12.50	4.12	0.83	0.75
2.	इटावा . . .	5.72	11.39	0.88	1.19
3.	झांसी . . .	5.98	14.10	1.05	2.68

भारत में माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड के एकक और उनकी उत्पादन क्षमता

9367. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड के कुल कितने एकक कार्य कर रहे हैं तथा वे कहां-कहां स्थापित हैं ;

(ख) प्रत्येक एकक की लाइसेंस शुदा क्षमता कितनी है और वहां कितना उत्पादन होता है; और

(ग) यदि वहां उत्पादन कम हो रहा है तो उनकी उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस समय निम्नलिखित स्थानों पर माडर्न बेकरियों के 9 यूनिट कार्य कर रहे हैं :—

(1) अहमदाबाद	(2) बंगलौर	(3) बम्बई
(4) कलकत्ता	(5) कोचीन	(6) दिल्ली
(7) हैदराबाद	(8) कानपुर	(9) मद्रास

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) माडर्न बेकरियों की सारी क्षमता का पूरे से भी अधिक उपयोग किया जाता है, हालांकि कुछेक व्यक्तिगत यूनिटों में क्षमता का उपयोग कुछ मामूली कम हो रहा है। कम्पनी ऐसे मामले में भी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने की दिशा में सक्रिया प्रयत्न कर रही है।

विवरण

यूनिट	प्रत्येक 400 ग्राम की मानक डबल रोटियां लाखों में	
	निर्धारित क्षमता में	1972-73 उत्पादन
अहमदाबाद	90	83.00
बंगलौर	90	104.73
बम्बई	180	174.85
कलकत्ता	180	138.59
कोचीन	90	114.03
देहली	90	117.06
हैदराबाद	90	91.06
कानपुर	90	98.68
मद्रास	90	142.29
जोड़	990	1064.19

लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु उठाये गये कदम

9368. श्री आर० के० सिन्हा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कदम उठाये गये हैं और वर्ष बार गत तीन वर्षों के दौरान लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस बारे में भविष्य के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य और संघ शासित प्रदेश की सरकारों को निम्नलिखित प्रेरक योजनाएं कार्यान्वित करने के लिये अपने बजट में पर्याप्त व्यवस्था करने के लिये अनुरोध किया था :—

1. लड़कियों के लिये मुफ्त पुस्तकें लेखन सामग्री और कपड़ों की व्यवस्था,
2. लड़कियों को उनकी उपस्थिति तथा निष्पादन के आधार पर छात्रवृत्तियां प्रदान करना,
3. प्राथमिक स्कूल अध्यापिकाओं की प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार,
4. मट्रिक परीक्षा पास करने के लिये विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ महिलाओं के लिये शिक्षा के सधन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना,
5. महिलाओं के लिए आवासों का निर्माण,
6. स्कूल मदर की नियुक्तियां,
7. प्राथमिक स्कूलों में कम से कम एक महिला अध्यापिका की नियुक्ति विवरण संलग्न है जिसमें प्रगति तथा विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियों की संख्या दिखाई गई है ।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6--11 आयु-वर्ग के बच्चों को 100% दाखिल करने तथा 11–14 आयु-वर्ग के बच्चे 75% दाखिल करने का प्रस्ताव है । चूंकि दाखिले की इस बढ़ी हुई संख्या में अधिकांश राज्यों में लड़कियों को ही अधिक दाखिल किया जाना है इसलिये प्रारम्भिक शिक्षा की योजना मूलत: लड़कियों की शिक्षा के लिये एक योजना होगी ।

विशेषरूप से 11–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिये एक अंशकालिक शिक्षा प्रणाली शुरू की जाएगी : इस से यह आशा की जाती है कि यह उन युवा लड़कियों के लिये सहायक होगी जिन्हें सामान्यत: स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी जाती ।

पांचवीं योजना के दौरान प्राथमिक स्कूलों के साथ शिशुसदन तथा पूर्व स्कूल कक्षाएं सम्बद्ध करने की एक योजना का परीक्षण किया जाएगा जिससे बड़ी लड़कियां जो सामान्यत: घर पर छोटे बच्चों की देखभाल करती हैं, वे भी स्कूल में जा सके ।

विवरण

स्तर	1968-69	1969-1970	1970-71
(क) पी० एच० डी०/डी० एस० सी०	1,831	1912	2,132
(ख) एम० ए०	21,933	23,604	26,014
(ग) एम एस सी	5,105	6,014	6,792
(घ) एम० काम	153	140	227
(ङ) बी० ए० . .	1,81,157	2,17,298	2,39,728
(च) बी० एस० सी०	65,790	76,020	84,587
(छ) बी० काम .	3,060	4,910	8,661
(ज) इंटरमीडिएट कला	48,577	57,517	65,703
(झ) आई० एस सी० .	17,520	26,399	29,260
(ञ) आई० काम .	685	1,000	1,349
(ट) पूर्व विश्वविद्यालय कला	59,598	74,631	76,425
विज्ञान	29,997	51,128	47,308
(ठ) वाणिज्य	2,118	3,408	3,920
(ड) औषधि में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम . .	उपलब्ध नहीं है	16,872	17,540
(ढ) सामान्य शिक्षा स्कूल स्तर	15,59,576	16,33,247	17,27,529
कक्षा IX तथा इससे ऊपर			
VI to VIII	34,92,864	36,30,220	38,01,133
I से V . .	1,99,35,737	2,07,26,771	2,15,28,610

लोक निर्माण विभाग, मणिपुर द्वारा ठेके दिया जाना

9369. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय वर्ष 1972-73 के दौरान लोक निर्माण विभाग, मणिपुर ने बड़े कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर छोटे ठेकेदारों को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि ये छोटे काम छोटे ठेकेदारों और सहकारी श्रमिक समितियों को दे दिये थे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने छोटे ठेकेदारों और सहकारी श्रमिक समितियों को लाभ हुआ और वर्ष 1972-73 के दौरान कितने छोटे ठेकेदार पंजीकृत किये गये;

(ग) क्या उक्त वर्ष के दौरान लोक निर्माण विभाग, मणिपुर ने जिस प्रकार से ठेके दिए, उसके बारे में जनता की गम्भीर आलोचना की सरकार को जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : **(क) से (घ)** सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग, मणिपुर में की गई तदर्थ नियुक्तियां

9370. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान मणिपुर के चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग में की गई तदर्थ नियुक्तियों का वर्गवार ब्यौरा क्या है और वर्ष 1972-73 के दौरान कितने चिकित्सा अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त विभाग में पदोन्नतियों और स्थानान्तरण के आधार के बारे में आम जनता में असन्तोष है और यदि हां, तो क्या सरकार आम जनता में व्याप्त असन्तोष को दूर करने के लिए कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है और उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मणिपुर में अध्यापकों का स्थानान्तरण

9371. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान मणिपुर में प्राथमिक और मिडिल स्कूल स्तर के बहुत से अध्यापकों का स्थानान्तरण कर दिया गया जिससे उनको बहुत असुविधा हुई;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार कितने स्थानान्तरण किये गए और क्या सरकार उनकी वर्तमान कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरित अध्यापकों को उनके मूल पदों पर बहाल करने पर विचार कर रही है,

(ग) क्या कुछ स्थानान्तरण अन्त: जिला और अन्त डी० आई० सर्किलों में किये गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (घ) मणिपुर सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लोक निर्माण विभाग, मणिपुर में तदर्थ नियुक्तियां

9372. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष, 1972-73 के दौरान मणिपुर सरकार ने लोक निर्माण विभाग, मणिपुर में तदर्थ आधार पर वर्तमान मुख्य इंजीनियर कुछ अधीक्षक इंजीनियरों, एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों, सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति की थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसी तदर्थ नियुक्तियों की वर्ग-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या मणिपुर सरकार उन अन्य इंजीनियरों के अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर विचार कर रही है, जिनके बारे में कहा जाता है कि तदर्थ नियुक्तियों के मामले में उनकी वरिष्ठता का अति उल्लंघन किया गया; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : सूचना मनीपुर सरकार से मांगी गई है। मनीपुर सरकार से यह प्राप्त होने पर एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

मणिपुर में मान्यताप्राप्त जूनियर हाई स्कूल

9373. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधान सभा चुनाव क्षेत्र-वार चालू वर्ष 1972-73 के दौरान मणिपुर सरकार ने जूनियर हाई स्कूल स्तर के कितने स्कूलों को मान्यता प्रदान की;

(ख) क्या मणिपुर सरकार का विचार काफी समय से गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को मान्यता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी आदेश के कब तक जारी किये जाने की आशा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्कूल और कालेजों में स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास का अनिवार्य अध्ययन

9374. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग ने यह निर्णय किया है कि कक्षा पांच से कक्षा दस तक विभिन्न स्तरों पर स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास का अध्ययन अनिवार्य किया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हमारे देश के सभी स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में विभिन्न स्तरों पर स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास के अध्ययन के लिये एकरूपता लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में मंत्रालय का वास्तविक प्रस्ताव क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सम्पर्क

9375. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक नये राष्ट्रीय राजमार्ग सम्पर्क के नये प्रस्ताव क्या हैं, और

(ख) इन पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख). 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में कुछ सड़कों को शामिल करने के प्रस्तावों को जांचने वाले सामान्य गस्ती चिट्ठी के उत्तर में, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की राज्य सरकारों ने अपने-अपने प्रस्ताव भेजे हैं। प्रस्तावित मार्गों के नाम तथा उनकी अनुमानित लागत सूचित करने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–4990/73]

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अन्य राज्यों से प्राप्त अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ ही, इस उद्देश्य के लिए धन की उपलब्धता तथा अखिल भारत आधार पर विभिन्न प्रस्तावों की तत्संबंधी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, इन सभी प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा चूंकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण अभी तक प्रारम्भिक चरणों में है, अत: इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि उस योजना में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में कहां तक नये सड़क शामिल किये जायेंगे ।

अखिल भारतीय पत्तन और गोदी कर्मचारी संघ की मांगें

9376. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की एजेन्सियों के हस्ताक्षेप पर अखिल भारतीय पत्तन और गोदी कर्मचारी संघ ने राष्ट्रव्यापी अनिश्चित काल की हड़ताल के आवाह्न को वापस ले लिया है,

(ख) यदि हां, तो महासंघ की मांगें क्या हैं और सरकार ने इसे क्या आश्वासन दिये हैं; और

(ग) क्या पत्तन और गोदी कर्मचारी आंशिक अथवा पूर्ण रूप में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत नहीं आते ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय पत्तन और गोदी कर्मचारी संघ की मांग और उन पर सरकार के निर्णय को सूचित करने वाला विवरण संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०-टी०-4991/73)

(ग) जी, नहीं ।

अलाभप्रद जोतों वाले क्षेत्रों में अधिक उपज वाली किस्मों की बुवाई वाले जिलों में किसान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना

9377. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसान प्रशिक्षण तथा शिक्षा योजना के अन्तर्गत अधिक उपज देने वाली किस्मों की बुवाई वाले चुने हुए उन जिलों में

प्रायोजित किसान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की योजनाएं लागू की जा सकती हैं जहां लगभग 90 प्रतिशत जोतें पूरी तरह अलाभप्रद हैं और या लगभग ऐसी हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के 100 चुने हुए जिलों में हाथ में ली गई किसानों के प्रशिक्षण और शिक्षण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सभी वर्गों के किसानों को प्रशिक्षण की सुविधायें दी जाती हैं। इनमें छोटे/सीमान्त किसान भी शामिल हैं। यह प्रशिक्षण कृषि के क्षेत्र में नवीनतम विकास पर आधारित है और पूर्णत: स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार हैं। इस प्रकार यह कार्यक्रम ऐसी स्थिति में लागू किया जा सकता है, जहां जोतें अलाभकर या सीमान्त हों।

कालेज और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

9378. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार कालेजों और अध्यापकों के वेतनमानों को पुनरीक्षित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भांति विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये "रंनिंग ग्रेड" दिये जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई विश्वविद्यालयों और कालेजों के अभिशासन सम्बन्धी समिति ने हाल ही में आयोग को अध्यापकों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ अध्यापकों के वेतनमानों और उनकी सेवा की शर्तों पर विचार किया गया है तथा उन पर आयोग कि सिफारिशें प्राप्त होने के बाद सरकार इसकी जांच करेगी।

Allotment of Land on Lease Basis to Slum Dwellers

9379. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Works, and Housing** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme to allot land on lease basis to slum dwellers;

(b) whether Government have also received any representation from such slum-dwellers; and

(c) if so, the main features of the scheme and the time by which it would be implemented?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Under the existing Slum Clearance/Improvement Scheme, there is a provision *inter alia* for allotment of developed and demarcated plots of land to slum-dwellers. The Scheme has, however, been transferred to the State Sector from Ist April, 1969.

(b) and (c) : Do not arise .

Pilot Project for Introducing National Health Scheme in Rural Areas of Bihar, U.P. and Madhya Pradesh

9380. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether a pilot project has been launched by Government for introducing National Health Scheme in the rural areas of Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh; and

(b) if so, the progress of the scheme and also allocation made there for the remaining period of the Fourth Five Year Plan?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) and (b). A pilot health scheme proposing the coverage of 29 sub-centres in 21 States with 3 qualified medical practitioners from different systems of medicines at each of the sub-centres is under consideration of Government.

Cleaning of Compounds of M.P. Flats by C.P.W.D. Enquiry Office Ferozshah Road, New Delhi.

9381. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether C.P.W.D. Enquiry Office, Ferozshah Road, New Delhi is not paying attention towards cleaning of compounds etc. of M.Ps. flats; and

(b) if so, the steps taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and in the Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta) : (a) and (b). The Ferozeshah Road Enquiry Office looks after the M.P. flats/bungalows not only on Ferozeshah Road but also on Canning Lane, Balwant Rai Mehta Lane, Lytton Lane, Electric Lane, Pandara Road, Pandara Park, Tilak Marg, Mathura Road, Puarana Qila Road, Dr. Rajendra Prasad Road, Rouse Avenue, Telegraph Lane, Windsor Place, Dr. Zakir Husain Marg, part of Ashoka Road, Jantar Mantar Road, Raisina Road, Shahjahan Road, Humayun Road, Atul Grove Road. Wherever there is a number of units contiguously located, all cleaning of compounds etc. are done by the C.P.W.D. In isolated and far flung units, however, the occupants make their own arrangements. In the case of the latter, they are exempted from payment of additional service charges.

कोठारी आयोग द्वारा वाइस-चांसलरों की सेवा-निवृत्ति आयु की सिफारिश

9382. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोठारी आयोग द्वारा वाइस-चांसलरों को सेवा-निवृत्ति के लिए किस आयु की सिफारिश की गई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) क्या कोई ऐसा भी वाइस-चांसलर है जिसकी सेवा अवधि कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई सेवा-निवृत्ति की आयु के बाद भी बढ़ाई गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) (क) और (ख) . शिक्षा आयोग (1964–66) ने यह सिफारिश की थी कि कुलपतियों की सेवा निवृत्ति की आयु 65 वर्ष नियत की जानी चाहिये तथापि विशिष्ट योग्यता वाले अखिल भारतीय प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों के मामले में रियायत दी जा सकती है। इस सिफारिश के अनुसरण में भारत सरकार ने जनवरी, 1968 में यह निर्णय किया था कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की सेवा निवृत्ति की आयु 65 वर्ष नियत की जानी चाहिये परन्तु इस शर्त के साथ कि यह निर्णय उस समय के पदासीन कुलपतियों पर लागू नहीं होगा अपितु यह भावी नियुक्तियों पर ही लागू होगा। यह भी निर्णय किया गया था कि राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया जाए कि वे भी अपने राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की भविष्य में की जानी वाली नियुक्तियों के मामलों मे उनकी सेवा निवृत्ति की आयु-सीमा यही रखें।

(ग) जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है उपरोक्त निर्णय लिए जाने के बाद किसी भी कुलपति की सेवा-अवधि, उसके सेवा-निवृत्ति होने की आयु से आगे नहीं बढ़ाई गई है। राज्य विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में, शिक्षा आयोग की इस सिफारिश को कार्यान्वित करने का कार्य राज्य सरकारों का है।

Temporary Staff in Health and Family Planning Ministry

9383. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state the number of temporary employees in the Ministry of Health and Family Planning at present who have been working for the last five years?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Sh. A. K. Kisku) : Eighty-five.

शैक्षणिक और प्रौद्योगिकीय केन्द्रों की स्थापना

9384. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाठ्यचर्या के विकास सम्बन्धी कार्य करने के लिए तथा फिल्म, रेडियो और टेलीविजन पाठों के मल स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए सरकार ने शैक्षणिक और प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे केन्द्र प्रत्येक राज्य में भी स्थापित किए जाएंगे; और यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : **(क) और (ख)** शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय की शैक्षणिक प्रौद्योगिकी परियोजना में राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी केन्द्र और राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठों (सेलों) को स्थापित करने की व्यवस्था है। शैक्षणिक प्रौद्योगिकी केन्द्र, मुख्य रूप से विविध प्रकार के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबन्ध करेगा। जो केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर शिक्षा माध्यम की उपयोगिता को प्रोत्साहित करने तथा उसकी कोटि में सुधार करने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा ऐसे अनुसंधान कार्य और ऐसी आदर्श सामग्री का निर्माण करेंगे जो जनसंपर्क तथा शिक्षा संबंधी नयी तकनीकों के लिए उपयोगी होगी। राज्य स्तर पर शैक्षणिक प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ (सेल), प्रसारित होने वाले पाठों के लिए मुद्रित साहित्य तैयार करने प्रसारण के पूर्व और बाद की चर्चाओं को आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा-अध्यापकों और आकाशवाणी से कक्षा समय सारणियों को समन्वित करने का प्रबन्ध करेंगे।

9385. **दिल्ली के कटरों और गंदी बस्तियों की हालत बेहतर बनाने के लिये केन्द्रीय सहायता**

श्री एम० एस० जोजफ : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली नगर निगम को राजधानी के कटरों और गन्दी बस्तियों की हालत बेहतर बनाने के लिये कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो गन्दी बस्तियां हटाने और राजधानी को सुन्दर बनाने में कितनी प्रगति हुई है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग 2 000 म्यूनिसिपल कटरों में निम्नलिखित सुधार किए गये हैं :—

(i) 54.27 लाख रुपये की लागत पर संरचनात्मक सुधार ।

(ii) 54.78 लाख रुपये की लागत पर बिना पानी के शौचालयों को फ्लश के शौचालयों में परिवर्तन करना, आंगन में खड़ंजा लगाना और नालियों का निर्माण करने जैसे वातावरण संबंधी सुधार ।

म्यूनिसिपल कटरों से लगभग 800 परिवारों को फिर से बसाया गया है तथा उन स्थानों का प्रयोग औषधालयों, पाठशालाओं, समाज सदनों तथा पार्कों जैसी सामूदायिक सुविधाओं के लिए किया गया है ।

दुजाना हाउस, गूदर बस्ती, अमृत कौर पुरी तथा सराय फूस से गन्दी बस्तियों को हटाया जा चुका है/हटाया जा रहा है ।

व्यापारी बेड़े के जहाज

9386. **श्री एम० एम० जोजफ**
श्री वरके जार्ज } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय व्यापारी बेड़े के जहाजों की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ख) क्या निकट भविष्य में इसकी संख्या में वृद्धि होने की संभावना है और इस पर कितनी लागत आयेगी?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) 1 मई, 1973 को व्यापारी भारतीय बेड़े में 26,54,439 जी० आर० टी० के 260 जहाज थे । इसके अलावा 19,95,694 जी० आर० टी० और 85 जहाजों का पक्का आर्डर दिया गया है ।

(ख) 31-3-1974 तक 5,94,571 जी० आर० टी० के 29 जहाज जिनका आर्डर पहले ही से दिया जा चुका है, की सुपुर्दगी होने और बेड़े में वृद्धि होने की आशा है । इन 29 जहाजों की कुल लागत लगभग 168.00 करोड़ रुपये है । 1973-74 वर्ष के दौरान कुछ और टनभार के लिए भी आर्डर दिये जा सकते हैं । पांचवीं योजना के लिए नौवहन टनभार के लक्ष्य के अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

देश में राज्यवार तम्बाकू का उत्पादन

9387. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अलग-अलग, पश्चिम बंगाल में तम्बाकू का कुल उत्पादन कितना हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों में श्रेणीवार, कूच बिहार जिला, पश्चिम बंगाल में तम्बाकू का कुल उत्पादन कितना हुआ; और

(ग) गत तीन वर्षों में देश में, राज्यवार तम्बाकू का कुल उत्पादन कितना हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) . वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक के गत तीन वर्षों की अवधि के लिए तम्बाकू के उत्पादन के राज्यवार (पश्चिम बंगाल सहित) अनुमान लसंलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

गत तीन वर्षों के दौरान कूच बिहार ज़िला, पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में तम्बाकू के उत्पादन के अनुमान नीचे दिये जा रहे हैं :—

	कूच बिहार में तम्बाकू का उत्पादन
	(000मीटरी टन)
1969-70 . .	10.9
1970-71 . .	6.1
1971-72	7.1

वर्ष 1972-73 के उत्पादन के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण

तम्बाकू के उत्पादन के अनुमान (हजार मीटरी टन)

राज्य	1969-70	1970-71	1971-72
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश . .	124.5	144.0	194.1
2. असम (मिजोरम सहित)	6.9	6.4	6.6
3. बिहार	12.2	12.0	12.4
4. गुजरात .	99.8	113.0	116.4
5. हरियाणा	0.3	0.7	0.3
6. हिमाचल प्रदेश	0.3	0.3	0.3
7. जम्मू तथा कश्मीर .	0.3	0.5	0.5
8. केरल .	0.8	1.6	1.7
9. मध्य प्रदेश	1.5	1.2	1.3
10. महाराष्ट्र	6.0	6.1	6.6
11. मेघालय .	0.2	0.2	0.3
12. मैसूर	20.3	20.9	16.6
13. उड़ीसा .	11.2	12.3	10.7
14. पंजाब .	0.1	0.2	0.1
15. राजस्थान	4.1	2.7	3.8
16. तमिल नाडु	23.8	21.8	17.2
17. त्रिपुरा .	0.4	0.5	0.5
18. उत्तर प्रदेश	11.5	9.7	11.0
19. पश्चिम बंगाल	12.8	7.7	8.6
20. दिल्ली	0.1	0.1	0.2
अखिल-भारत .	337.1	361.9	409.2

कुछ नहीं या नगण्य—नोट:—उपरोक्त आँकड़े अनंतिम हैं और इनमें संशोधन हो सकता है ।

दिल्ली में चितरंजन पार्क, नामक कालोनी का विकास

9388. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व पूर्वी-पाकिस्तान विस्थापित व्यक्ति कालोनी, कालकाजी दिल्ली, जिसका नाम अब चितरंजन पार्क, दिल्ली है, के विकास के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को पुनर्वास मंत्रालय से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई; और

(ख) इस चितरंजन पार्क कालोनी में (1) कुल सड़कों के निर्माण, (2) नालियों की लम्बाई, (3) भूमिगत मल निकास व्यवस्था तथा अन्य कार्यों पर कुल कितना व्यय हुआ, उनके द्वारा पूरा करने में कितना समय लगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) ई० पी० डी० पी० कालोनी का विकास कार्य इस मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया था और इस प्रकार पुनर्वास मंत्रालय से कोई जमा राशि प्राप्त नहीं हुई थी।

(ख) खर्च की गई कुल राशि 63,51,984/– रुपये है।

(i) कालोनी में निर्मित सड़कों की कुल लम्बाई 32.99 कि० मी० है।

(ii) निर्माण की गई नालियों की कुल लम्बाई 29,280 मीटर है।

(iii) भूमिगत सीवर की कुल लम्बाई 26,306 मीटर है।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित निर्माण-कार्य निष्पादित किये गये हैं :—

(i) सारे क्षेत्र में जल सप्लाई की लाइनें।

(ii) जल-भण्डार के ओवर हैड तथा भूमिगत टैंक।

(iii) क्षेत्र को समतल तथा दरेसी करना।

(iv) सड़क के किनारों तथा खुले स्थानों पर पेड़ लगाना तथा उन की देख-भाल।

(v) पम्पों का लगाना तथा उस का अनुरक्षण।

(vi) दिल्ली विद्युत सप्लाई संस्थान से गलियों की बिजली लगवाई गई तथा सर्विस कनेक्शन दिलवाये गये।

विकास कार्य 1962 में आरम्भ किया गया था तथा प्लाटों के आबंटियों द्वारा मकानों के निर्माण के साथ-साथ यह भी जारी है। निर्माण कार्य प्रायः पूर्ण हो चुके हैं तथा निकट भविष्य में कालोनी को नगर निगम के सुपुर्द किये जाने की आशा है।

सामाजिक सुरीतियों के हल के विषय में मुख्य न्यायाधीश के विचार

9389. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मद्रास से प्रकाशित 'हिन्दु' दिनाँक 8 मार्च, 1973 में "चीफ जस्टिसेज पैनेशिया फार सोशल इविल" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) मुख्य न्यायाधीश के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) . बताया जाता है कि मद्रास मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने स्त्रियों और लड़कियों में व्यापार को कारगर रूप से रोकने के लिए लाइसेंस वेश्यावृति की प्रणाली का सुझाव दिया है । यह सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार की नीति वेश्यावृत्ति का उन्मूलन करने की है ।

पश्चिम बंगाल में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम

9390. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पोषाहार कार्यक्रम, स्कूल जाने वाले बच्चों को खिलाने पिलाने का कार्यक्रम ठीक प्रकार चल रहा है ,

(ख) यदि हाँ, तो पश्चिम बंगाल के किन-किन जिलों में और किस एजेन्सी के माध्यम से इस कायक्रम को चलाया जा रहा है और इसके अन्तर्गत प्रतिदिन कितने बच्चों को खिलाया पिलाया जाता है ; और

(ग) पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिला में यह कार्यक्रम किसके माध्यम से चलाया जा रहा है?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हाँ।

(ख) पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में, राज्य शिक्षा विभाग के माध्यम से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है । जिलेवार प्रतिदिन जितने बच्चों को खिलाया पिलाया जाता है उनकी संख्या इस प्रकार है:—

जिले का नाम	बच्चों की संख्या
(1) कलकत्ता	1,54,000
(2) कूच बिहार	30,000
(3) जलपाईगुड़ी	45,000
(4) दार्जलिंग .	30,000
(5) पश्चिम दीनाजपुर	35,000
(6) मालदा .	45,000
(7) मुर्शिदाबाद	45,000
(8) नादिया .	45,000
(9) 24-परगना	2,77,000
(10) हावड़ा	1,15,000
(11) हुगली	15,000
(12) बर्दवान	60,000
(13) वीरभूमि	45,000
(14) बाकुरा	20,000
(15) पुरुलिया	90,000
(16) मिदनापुर .	3,03,000
	13,54,000

(ग) अन्य जिलों की भांति कूच बिहार जिले में भी यह कार्यक्रम जिला शिक्षा निरीक्षालय के माध्यम से चलाया जाता है ।

तम्बाकू उत्पादकों को प्रोत्साहन/सहायता

9391. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) देश के तम्बाकू उत्पादकों को किस-किस रूप में प्रोत्साहन, सहायता दी जाती है और राज्यवार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितनी राशि दी जाती है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के तम्बाकू उत्पादकों को भी ऐसे प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, गुजरात, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में हल्की मिट्टी के क्षेत्रों में वर्जीनिया फ्लू क्यूर्ड तम्बाकू के विकास के लिये एक योजना क्रियान्वित की जा रही है और माहाराष्ट्र, बिहार तथा उड़ीसा में समन्वेषी परीक्षण किये जा रहे हैं । यह योजना पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित नहीं की जा रही । इस योजना के अन्तर्गत जो विभिन्न प्रोत्साहन तथा राज सहायता दी जा रही है उनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:—

मद	राज सहायता की दर
1. पौध	50 प्रतिशत--किन्तु अधिकतम राशि 20 रुपये प्रति एकड़ से अधिक न हो ।
2. कीटनाशी औषधियां	10 रुपये प्रति एकड़
3. खलिहानों का निर्माण	1250 रुपये प्रति खलिहान
4. कुओं का निर्माण	1500 रुपये प्रति कुआं
5. छिड़काव यंत्र सिंचाई	2500 रुपये प्रति यूनिट
6. उपचार	50 रुपये प्रति एकड़
7. हस्त चालित छिड़काव यंत्र	50 रुपये प्रति छिड़काव यंत्र

निम्नलिखित विवरण में इस योजना की कार्यान्वित के लिये चौथी योजना के दौरान वर्ष 1972-73 तक राज्य सरकारों को निर्मुक्त की गई राशि दी गई है:—

राज्य	निर्मुक्त की गई राशि (रु० लाखो में)
1. आन्ध्र प्रदेश	59.413
2. मैसूर	23.899
3. गुजरात	8.658
4. तमिल नाडु	4.065
5. उत्तर प्रदेश	1.292
6. महाराष्ट्र	0.775
7. बिहार	0.906
8. उड़ीसा	1.015

सिगार रैपर तम्बाकू के विकास के लिये दूसरी केन्द्रीय योजना केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामंड्री के माध्यम से पश्चिम बंगाल के कूच-बिहार जिले में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रोत्साहन तथा राज सहायता का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

मद	राजसहायता की दर
1. उपचार खलिहान-एवं-भण्डारण कमरों का निर्माण	400 रुपये प्रति एकड़
2. पौध	50 रुपये प्रति एकड़
3. कीटनाशी औषधियां	50 रुपये प्रति एकड़
4. धूमीकरण	75 रुपये प्रति एकड़

चौथी योजना के दौरान वर्ष 1972-73 तक इस योजना पर कुल 0.781 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण औषधालयों का जाल

9392. **श्री पन्नालाल बारूपाल**
श्री अम्बेश } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जिलेवार ग्रामीण औषधालयों का जाल बिछाने की कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को नियुक्त कर ग्राम क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें देने के उद्देश्य से ग्राम क्षेत्रों के लिए एक स्वास्थ्य योजना तैयार की गई थी और इस पर एक समिति ने विचार किया था जिसमें भूतपूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन राज्य मंत्री अध्यक्ष थे और कुछ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री सदस्य/मंत्रियों की इस समिति के वचिार विमर्श का सारांश राज्य सरकारों को भेज दिया गया और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए उनसे एक योजना तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया। इन प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणी देते हुए इस राज्य सरकार ने ये प्रस्ताव दिए :—

(1) प्रत्येक ब्लाक में 5000 की आबादी के लिए एलोपैथिक अथवा स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के प्रशिक्षित चिकित्सकों के अधीन राय बरेली, वाराणसी और अलीगढ़ के प्रत्येक जिले के दो-दो खण्डों में एक मार्गदर्शी परियोजना चलायी जाए।

(2) दो पलंगों की व्यवस्था के साथ-साथ वहां पर एक सहायक नर्स धात्री और एक पुरुष कर्मचारी नियुक्त कर दिया जाए जिससे अनेक कार्य लिए जा सकें।

(3) भवन निर्माण होने तक उप केन्द्र को किराये के मकान में चलाया जाय।

(4) उप केन्द्र स्तर पर चिकित्सा, जन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं को एक साथ मिला दिया जाएगा। एलोपैथिक अथवा स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के प्रशिक्षित चिकित्सक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेंगे, जन स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देने का काम उस बहु-उद्देशीय पुरुष कर्मचारी से और परिवार नियोजन तथा प्रसूति एवं शिशु कल्याण का काम सहायक नर्स धात्री से लिया जाएगा। ये सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों की देख रेख में ही काम करेंगे।

(5) उप केन्द्र पर दी जाने वाली दवाइयों के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाय किन्तु प्रत्येक रोगी से दस पैसे रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में लिये जायें।

इस संबंध में आगे जो कुछ विचार विमर्श हुआ उसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों के 29 उप-केन्द्रों में एक मार्गदर्शी परियोजना चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार एक योजना पर विचार कर रही है। प्रत्येक केन्द्र में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के तीन प्रशिक्षित चिकित्सक रखने का प्रस्ताव है तथा इससे लगभग दस हजार की आबादी को लाभ पहुंचने की आशा है।

मैसूर में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए सहायता

9393. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या मैसूर के मुख्य मंत्री ने स्वयं यह अनुरोध किया था ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ग) : जी हां। मैसूर के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री को एक एक अर्ध सरकारी पत्र भेजा था।

(ख) मैसूर सरकार को कीट नाशक दवाइयां, मलेरिया विरोधी औषधियां तथा वाहन पर्याप्त मात्रा में दी गई।

सोयाबीन सम्बन्धी अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम और इसका उत्पादन

9394. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सोयाबीन सम्बन्धी अनुसन्धान तथा विकास के लिये एक सुसमन्वित कार्यक्रम बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) भारत में सोयाबीन का कितना उत्पादन होता है और सोयाबीन के तेल का आयात करने के लिये प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने वर्ष 1967 से सोयाबीन के संबंध में एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना प्रारम्भ की है। इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित केन्द्र कार्य कर रहे हैं :—

(1) जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।

(2) गोविन्दवल्लभ पंत कृषि विज्ञान तथा तकनोलोजी विश्वविद्यालय, पंतनगर।

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।

(4) कृषि-विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर।

(5) मँजहैरा, उत्तर प्रदेश।

(6) महाराष्ट्र कृषि विज्ञान एसोसिएशन, पूना ।

(7) कल्याणी विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल ।

(8) गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़ ।

(9) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ।

उपरोक्त परियोजना का उद्देश्य देश की विभिन्न कृषि परिस्थितियों के अनुकूल, सोयाबीन की अधिक उत्पादनशील किसमों का विकास करना तथा इन दालों की अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने के लिये खेती तथा वनस्पति-रक्षण के लिये उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करना है । यह एक समन्वित परियोजना है और इसकी सहायता के लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली में एक परियोजना समन्वयक मौजूद है । सोयाबीन के उपयोग विपणन तथा उसके तकनौलोजी संबंधी पहलुओं पर पंत नगर तथा जबलपुर के केन्द्रों में भी अध्ययन किया जाता है ।

जहां तक सोयाबीन के विकास का संबंध है, भारत सरकार ने वर्ष 1971-72 से चार राज्यों, अर्थात् मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में सोयाबीन के विकास की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना मंजूर की है । इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विशेष प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं :—

(1) सुधरे हुए बीजों की लागत पर 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता, जो अधिक से अधिक 60 रु० प्रति क्विंटल हो सकती है ।

(2) वनस्पति रक्षण रासायनों तथा हाथ से चलने वाले उपकरणों की लागत पर 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता ।

(3) प्रदर्शनों की लागत को पूरा करने के लिये प्रति हैक्टार 500 रुपये की वित्तीय सहायता ।

(4) आदानों की सामयिक सप्लाई करने तथा कृषकों के तकनीकी मागदर्शन के लिये राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति ।

(ग) सोयाबीन के उत्पादन के सम्बन्ध में नियमित रूप से अनुमान तैयार नहीं किये जाते परन्तु अनुमान है कि सोयाबीन के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के क्षेत्र में निम्नलिखित उत्पादन हुआ है :—

वर्ष	अनुमानित उत्पादन
	(मीटर टन)
1971-72	13,450
1972-73	18,900

गत चार वर्षों के दौरान सोयाबीन के तेल के आयात पर निम्नलिखित व्यय हुआ है :—

वर्ष	व्यय
	(लाख रुपये)
1969-70	14,66.22
1970-71	22,69.92
1971-72	18,77.22
1972-73	5,01.75

Demand by Harijans of Tajpur (Rajasthan)

9395. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether some Harijan men and women of Tajpur in Baeratha Tehsil of District Bharatpur in Rajasthan had staged a dharna in front of his residence on 3rd April, 1973;

(b) whether he had met them; and

(c) if so, the main demands made by them in the said meeting and the action taken and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c) The Education Minister is not aware of any 'dharna' in front of his residence on 3rd April, 1973. Neither any delegation met him nor any memorandum was handed over to him.

Scholarship to Handicapped persons

9396. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme for granting scholarship for the education of handicapped persons; and

(b) if so, the number of such students to be benefited thereby?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) Yes, Sir.

(b) The scheme was started in 1955. 9294 students have been awarded shcolarships so far.

Vaccine to Destroy Positive Germs of T.B.

9397. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that like small-pox etc. the T.B. is also affecting Indian families as a contagious disease;

(b) whether a vaccine has been invented to destroy the positive germs of T.B.; and

(c) if so, the number of persons on whom this T.B. vaccine has been administered, state-wise and whether Government have eny scheme to make T.B. Vaccination compulsory?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) Yes, but T.B. is not as contagious or infections as small-pox.

(b) Yes. A vaccine is available to prevent Tuberculosis. It, however, does not destroy the germs of T.B.

(c) The number of persons vaccinated with B.C.G. under the B.C.G. Vaccination Programme of India state-wise upto and of February, 1973 is indicated in the attached statement. Government have no scheme to make B.C.G. vaccination compulsory at present.

Statement

States/ Territories	Total B.C.G. vaccination up to February, 1973 (in lacs)
Andhra Pradesh	165·3
Assam	54·2
Bihar	232·1
Gujarat	147·4
Haryana	23·0
Himachal Pradesh	9·6
Jammu & Kashmir	31·8
Kerala	79·6
Madhya Pradesh	73·1
Maharashtra	91·4
Manipur	5·8
Mysore	98·4
Nagaland	4·4
Orissa	66·2
Punjab	125·5
Rajasthan	50·0
Tamil Nadu	88·8
Tripura	4·3
Uttar Pradesh	109·3
West Bental	138·5
Andaman & Nicobar	0·6
Arunachal (N.E.F.A.).	1·0
Delhi	13·5
Goa, Daman & Diu	3·4
Pondicherry	3·1
GRAND TOTAL	1620·3 (lacs) 162·03 million

Demand by Indian Farmers Union for Price of Food-Grains on the Basis of Cost of Production

9398. **Shri Mahadeepak Singh Shakya**
Shri Dharamrao Sharanappa Afzalpurkar } : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Indian Farmers Union (Bharat Kisan Union) had asked Government through a proposal that they should be paid price for their foodgrains on the basis of cost of production; and

(b) whether the cost of production quoted in the said proposal was Rs. 105 per quintal and if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b): A memorandum has been received from the Farmer's Federation of India, demanding that procurement price for wheat should be fixed at Rs. 105/- per quintal. The procurement prices have been fixed on the basis of the recommendations of the Agricultural Prices Commission which took into account the cost of production of wheat. No revision of the prices is contemplated.

9399. **श्री लालजी भाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को प्रत्येक महीने में इस राज्य से भारतीय खाद्य निगम द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों को जारी किये गये गेहूं की तुलना में गेहूं का आबंटन बहुत मात्रा में किया जाता है;

(ख) क्या उस राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि जब वर्तमान स्टाक से राज्य की अपनी आवश्यकताएं ही पूरी नहीं होती तो राजस्थान से अन्य राज्यों के लिए गेहूं न भेजा जाए; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के डिपों में पड़ा खाद्यान्नों का केन्द्रीय स्टाक न केवल राजस्थान सरकार की जरूरतें पूरी करने के लिए है बल्कि अन्य जरूरतमन्द राज्यों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी दिया जाता है। खाद्यान्नों का आबंटन समूची उपलब्धता और राज्य सरकारों की सापेक्ष मांग को ध्यान में रखकर किया जाता है। अप्रैल, 1972 और मार्च, 1973 की अवधि के दौरान राजस्थान सरकार को 226.8 हजार मीटरी टन गेहूं आबंटित किया गया था। राजस्थान सरकार से पत्र प्राप्त होने पर यह स्पष्ट किया गया था कि राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के डिपों पर पड़ा स्टाक सभी राज्यों की उचित जरूरतें पूरी करने के लिए है।

Homeless Affected by Natural Calamities in Madhya Pradesh

9400. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state: (a) whether the Government have collected the figures regarding the number of homeless and those affected by natural calamities in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the arrangements made by Government for allocating funds or providing rehabilitation facilities for such people in the State?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) and (b): According to the data collected during the 1971 Census, the number of houseless persons in Madhya Pradesh is estimated to be 3,90,842 provisionally. For providing housing facilities to the

needy, a number of social housing schemes introduced by this Ministry are being implemented by the Government of Madhya Pradesh. All these schemes, except the Scheme for Provision of House-sites to Landless Workers in Rural Areas, are in the State sector and Central assistance for all State sector schemes in given by the Ministry of Finance in the shape of 'block loans' and 'block grants' without being tied to any particular scheme or head of development. As regards the scheme for Provision of House-sites to Landless Workers in Rural Areas, cent percent grant assistance is sanctioned by this Ministry for provision of free house-sites to landless workers in rural areas who do not already own a house-site and do not have any house or hut to live in. Proposals received from the Government of Madhya Pradesh under this scheme are being scrutinised and so far, no financial assistance has been sanctioned to them.

This Ministry have no information of any natural calamity occurring in Madhya Pradesh recently except the scarcity conditions caused by severe drought. Necessary financial assistance for victims of natural calamities is sanctioned directly by the Ministry of Finance and not by this Ministry.

आदिवासी साहित्य प्रकाशित करने के लिए "नेशनल बुक ट्रस्ट" की योजना

9402. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की आदिवासी साहित्य को प्रोत्साहित और प्रकाशित करने की कोई योजना है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए शिक्षा मंत्रालय ने पर्याप्त धन दिया है; और

(ग) आदिवासी जीवन और साहित्य के बारे में अब तक उक्त ट्रस्ट ने कुल कितनी पुस्तकें प्रकाशित की हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) आदिवासी साहित्य को प्रोत्साहित करने तथा उसे प्रकाशित करने की राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के पास कोई विशिष्ट योजना नहीं है, किन्तु न्यास "इंडिया दि लैंड एंड पीपल" नामक अपनी एक अंक माला के अन्तर्गत आदिवासी जीवन तथा साहित्य पर पुस्तकें प्रकाशित करता रहा है।

(ख) विशषतौर से इस कार्य के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कोई निधि नहीं दी है, किन्तु राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को "इंडिया—दि लैंड एंड पीपल" सहित अपनी विभिन्न अंक मालाओं की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई गई है।

(ग) चार।

"नेशनल बुक ट्रस्ट" द्वारा संचालित 'सर्वश्रेष्ठ पुस्तक माला'

9403. श्री गिरधर गोमांगो : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेशनल बुक ट्रस्ट" इंडिया की "सर्व श्रेष्ठ पुस्तकमाला" नाम से कोई नई पुस्तक माला प्रारम्भ करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस पुस्तक माला का क्षेत्र क्या होगा; और

(ग) यह पुस्तक माला विद्यमान "आदान-प्रदान माला" से किस प्रकार भिन्न होगी ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से अनुरोध किया गया है कि वह एक निश्चित अवधि के दौरान किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तकों का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वियन हेतु एक योजना तैयार करे। न्यास से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन के तीन महीनों के अन्दर ही ऐसे अनुवादों को उपलब्ध किये जाने की संभावनाओं की जांच करे।

इस समय यह कहना कठिन है कि यह विद्यमान "आदान-प्रदान" माला नामक योजना से किस प्रकार भिन्न होगी। हो सकता है कि इसका विषय भिन्न हो।

मामला अभी विचाराधीन है और ब्यौरे तैयार किये जाने हैं।

युवक केन्द्र

9404. **श्री गिरधर गोमांगो : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कितने युवक केन्द्र खोले गए;

(ख) इन केन्द्रों के लक्ष्य और उद्देश्य क्या-क्या हैं;

(ग) ग्रामीण भारत के शिक्षित तथा अशिक्षित युवकों को प्रोत्साहन देने के लिए सम्बद्ध राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में उनमें से कितने केन्द्र खोले गए; और

(घ) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के विस्तार संबंधी कोई प्रस्ताव है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) चौथी पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान, महानगरीय क्षेत्रों को छोड़ कर, जिला मुख्यालयों में 100 युवक केन्द्र (नेहरू युवक केन्द्र) स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। स्थापित किए गए केन्द्रों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है :—

राज्य	स्थापित केन्द्र
1	2
आन्ध्र प्रदेश	8
असम	3
बिहार	7
हरियाणा	2
हिमाचल प्रदेश	3
मध्य प्रदेश	9
महाराष्ट्र	2
मणिपुर	1
मेघालय	1
मैसूर	6
नागालैंड	1
उड़ीसा	5
पंचाब	3

1	2
राजस्थान	7
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	10
पश्चिम बंगाल	5
संघीय क्षेत्र	
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1
अरुणाचल प्रदेश	1
चंडीगढ़	1
दिल्ली	1
गोवा, दमन तथा दीव	1
पांडिचेरी	1
मिजोरम	1

(ख) इन केन्द्रों के उद्देश्य तथा किए जाने वाले मुख्य कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल है :—

(1) 15 से 25 आयु वर्ग के युवकों के सभी वर्गों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, निरक्षरता उन्मूलन में युवकों का भाग लेना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, विज्ञान संग्रहालय तथा पुस्तकालय सेवा की स्थापना।

(2) प्रतियोगात्मक खेलों तथा शारीरिक शिक्षा के कार्यकलापों का विकास तथा खेलों के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभा खोज।

(3) निष्पादन कलाओं, समाज-गायन, थियेटर तथा राष्ट्रीय एकता की उन्नति में सहायक अन्य कार्यकलापों में भाग लेकर सांस्कृतिक कार्यकलाप।

(4) सामाजिक तथा सामुदायिक सेवा के कार्यक्रम, जिसमें छात्र तथा गैर-छात्र युवक लगे रहें।

(ग) ये केन्द्र, स्थानीय आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, संबंधित राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों की सलाह तथा सिफारिश पर खोले गए हैं।

(घ) इस कार्यक्रम को पांचवीं पंच वर्षीय योजना में भी जारी रखने का विचार है, जिस अवधि में अन्य जिलों में भी केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।

कर्मचारियों को एक मंत्रालय से दूसरे में स्थानान्तरण होने पर लाभ

9405. **श्री समर गुह** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत शैक्षिक संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी को दूसरे मंत्रालय के अधीन शैक्षिक संस्था में स्थानान्तरित करने पर वह उसी पेन्शन, अंशदायी भविष्य निधि, ऋण आदि लाभों का हकदार रहता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आधारभूत नीति क्या है ?

(ग) क्या शिक्षा विभाग से स्वास्थ्य विभाग को स्थानान्तरित किये गये कुछ अध्यापकों को एक ही सरकार के अधीन सेवा के समान लाभों से बंचित किया गया है ?

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारियों को केन्द्रीय सेवा में स्थानान्तरण पर वे लाभ दिये गये हैं ?

(ङ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् के कुछ अध्यापकों को जिन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय की सेवाओं में स्थानान्तरित किया जाना है, उनकी पेन्शन, अंशदायी भविष्य निधि, ऋण आदि लाभों से वंचित कर दिया जायेगा; और

(च) यदि हां, तो सरकार का उनके सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) किसी सरकारी कर्मचारी के एक मंत्रालय के अधीन संस्थान से दूसरे मंत्रालय के अधीन संस्थान में, सार्वजनिक हित में, स्थानान्तरित किये जाने पर उसे पेन्शन, निर्वाह निधि, ऋण आदि के मामले में वही लाभ प्राप्त होते हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्न व्यापार के सरकारीकरण के बाद उसकी वसूली और वितरण के बारे में नियुक्त समिति की नई शर्तें

9406. **श्री समर गुह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न के थोक-व्यापार का अभिग्रहण करने संबंधी सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय के पश्चात् वसूली और वितरण की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए नियुक्त समिति की शर्तों को फिर से निर्धारण करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण-प्रक्रिया की जांच करने के लिए नियुक्त समिति ने कोई अन्तरिम रिपोर्ट दी है;

(ग) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न की वसूली और उसके वितरण की समस्याओं से निपटने की तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या समिति को अपना कार्य शीघ्रता से पूरा करने के लिए कहे जाने का विचार है; और

(घ) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार की ओर से विभिन्न कार्यों को करने में भारतीय खाद्य निगम द्वारा किये जाने वाले अभिप्राप्ति और वितरण सम्बन्धी प्रासंगिक खर्चों की उपयुक्तता की जांच करने और भारतीय खाद्य निगम के कार्यों की यूनिट लागत कम करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में विशिष्ट सिफारिशें करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। यह समिति राज्य सरकारों की ओर से किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में निगम द्वारा लिए जाने वाले प्रासंगिक खर्चों की भी जांच करेगी और राजसहायता के भार को कम करने और दोहरी हैण्डलिंग आदि को रोकने के तरीकों के बारे में उपयुक्त उपाय अपनाने की भी सिफारिश करेगी। समिति के विषयों में और संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा जाता है। विभिन्न स्तरों और

अवस्थाओं पर परिचालन की लागत के विस्तृत अध्ययन सम्बन्धी व्यापक विचारार्थ विषयों की दृष्टि में यह बताना सम्भव नहीं है कि समिति कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति में होगी। तथापि, समिति से अपना कार्य शीघ्र करने के लिए कहा गया है।

वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में चीनी के उत्पादन में कमी और चीनी उद्योग द्वारा अधिक लाभ अर्जित किया जाना

9407. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969–70, 1970–71 और 1971–72 में चीनी उद्योग ने अधिक लाभ अर्जित किया था यद्यपि उपरोक्त अवधि में चीनी का उत्पादन काफी कम हुआ था;

(ख) यदि हा, तो उत्पादन कम होने की स्थिति में अधिक लाभ अर्जित करने की प्रवृत्ति के बारे में सरकार को क्या कहना है;

(ग) क्या इस अवधि में चीनी उद्योग द्वारा अर्जित अतिरिक्त लाभ को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) चीनी वर्ष अक्तूबर से सितम्बर तक है और तुलन पत्रों के प्रयोजनों के लिए फैक्ट्रियों का हिसाब-किताब वर्ष वैसा नहीं है। यह विभिन्न फैक्टरियों के लिए भिन्न-भिन्न है। इस परिस्थितियों में चीनी वर्ष में उत्पादन को लाभ या हानि जैसा कि फैक्टरियों ने विभिन्न अवधियों के अपने तुलन पत्रों में बतायी होती है, के साथ जोड़ना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) चीनी उद्योग गन्ना उत्पादकों और अन्य अंशदाताओं में अपना अधिक मुनाफा कैसे बांटें, यह प्रश्न विचाराधीन है।

Closing of B.H.U.

9408. **Shri Atal Bihari Vajpayee**
Dr. Laxminarayan Pandeya } : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) how many times and for what periods the Banaras Hindu University was closed during the tenure of the present Vice-Chancellor; and

(b) the number of students arrested or rusticated each time?

The Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b): The required information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

योजना आयोग के उच्च शक्ति प्राप्त दल द्वारा मैसूर के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का मौके पर अध्ययन

9409. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के एक उच्च शक्ति प्राप्त दल ने मैसूर के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का मौके पर अध्ययन किया था; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को क्या प्रतिवेदन दिया गया है और उसमें क्या सुझाव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) दो केन्द्रीय अध्ययन दलों ने सूखे की स्थिति का स्थल पर ही जायजा लेने के लिए सितम्बर, 1972 और जनवरी, 1973 में मैसूर राज्य का दौरा किया था।

केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु 12.87 करोड़ रुपये के खर्च की सीमा अपनाई गई है। जनवरी, 1973 से यह निर्णय किया गया है कि उत्पादनकारी राहत कार्यों के लिए ही केन्द्रीय सहायता दी जायेगी और इन कार्यों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी।

एक अन्य केन्द्रीय दल ने राहत कार्यों पर आये खर्च की समीक्षा करने के लिए अप्रैल, 1973 में राज्य का दौरा किया था। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

रोग सम्बन्धी केन्द्र द्वारा चलाये गये कार्यक्रम के लिये माप-दण्ड

9410. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैजा, मलेरिया, कुष्टरोग, चेचक और फाइलेरिया के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रमों के लिए सरकार ने क्या मापदण्ड रखा है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में केवल उन्हीं योजनाओं को केन्द्रीय पोषित योजनाएं माना गया है जो निम्नलिखित मानदण्डों पर पूरी उतरती हैं :—

(1) वे प्रदर्शन, मार्गदर्शी परियोजनाओं, सर्वेक्षणों और अनुसंधान से सम्बन्धित हैं।

(2) उनका क्षेत्रीय अथवा अन्तर राज्यीय स्वरूप है।

(3) जब तक उनका प्रादेशिक स्वरूप खत्म नहीं कर दिया जाता तब तक उनके लिए एक मुश्त व्यवस्था करने की जरूरत है।

(4) वे अखिल भारतीय दृष्टिव्यापक महत्व रखती हों।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4992/73]।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के अन्तर्गत सतर्कता सैल स्थापित करना

9411. **श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकर** : क्या **कृषी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में सहकारी समितियों के कार्यों की अनियमितताओं का शीघ्र पता लगाने के लिए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के सीधे नियन्त्रण के अन्तर्गत एक सतर्कता सैल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : राज्यों में सहकारी सोसायटियों के कार्यों की अनियमतताओं का शीघ्र पता लगाने के लिए सहाकारी सोसायटियों के राज्य पंजीयकों के सीधे नियन्त्रण के अन्तर्गत सतर्कता सैल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, 24 व 25 जनवरी, 1973 को नई दिल्ली में हुए राज्य सहकारिता मन्त्रियों के सम्मेलन ने एकमात्र सहकारी सोसायटियों के कार्यों के बारे में राज्य सतर्कता संगठनों के अधीन अलग सैल स्थापित करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश राज्य सरकारों को सूचित कर दी गई है।

Appointments in Kashi Hindu Vishva Vidyalaya

9412. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the number of appointments made by direct recruitment and through selection in various faculties of Kashi Hindu Vishva Vidyalaya during the last three years (up to 30th March, 1973) separately;

(b) the number of readers, lecturers and professors out of them;

(c) the number of applications received for the above posts; and

(d) the number of applications submitted by the temporary teachers wordking there?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) to (d) The required information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

Shanti Sena in B.H..U.

9413. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a Shanti Sena has been constituted in Banaras Hindu University;

(b) if so, the names of centrally administered Universities in the country where such 'Shanti Sena' exist; and

(c) the expenditure incurred on this Sena or the assistance provided to it during the last three years?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture : **(Prof. S. Nurul Hasan)** ; (a) to (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Temporary Teachers of Kashi Hindu Vishva Vidyalaya

9414. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Education,Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the number of such teachers in various faculties of Kashi Vishva-Vidyalaya who are still temporary even after completing five years service separately faculty-wise; and

(b) the reasons for not making them permanent?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S Nurul Hasan) ; (a) and (b) The required information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

"गांधी इंस्टीच्यूट काट-अप-इन कांग्रेस स्पलिट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

9415. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, 5 अप्रैल, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गांधी इंस्टीच्यूट काट-अप-इन कांग्रेस स्पलिट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए डाक्टरों को वहां प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(ग) क्या केन्द्र ने चौथी योजना के दौरान सहायता प्रदान की थी और पांचवीं योजना में कितनी केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां ! अब तक महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान सेवाग्राम को 35.25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। इस संस्थान को पांचवी पंचवर्षीय योजना में वित्तीय सहायता जारी रखी जाए या नहीं इस पर विचार किया जा रहा है।

Success of Cooperative Sugar Factories in Maharashtra

9416. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether cooperative sugar Factories in Maharashtra are proving to be very successful;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to enforce this system in other parts of the country also?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes, Sir. The cooperative sugar factories in Maharashtra, by and large, are successful.

(b) Maharashtra being situated in tropical zone is very suitable for the cultivation of sugarcane. The yield of sugarcane per acre and the sucrose content in cane are high. The cane growers of the State have also been taking keen interest in the development of the quality of cane, by provision of proper inputs.

(c) The present policy of the Government is to give preference for the establishment of new sugar factories in the cooperative sector in all parts of the country.

रत्नगिरि पत्तन में पनकट दीवार का विस्तार करना

9417. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रस्ताव किया है कि रत्नगिरि पत्तन में निर्माणाधीन पनकट दीवार को 1500 फुट से 1900 फुट तक ऊंचा किया जाए जिससे घाट के निकट पत्तन में 12 महीनों तक पानी रहे;

(ख) क्या इस प्रस्ताव पर एक वर्ष से अधिक समय से कोई निर्णय नहीं किया गया है; और

(ग) इस मामले में निर्णय कब तक किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव को स्वीकार करना अभी तक सम्भव नहीं हुआ है, परन्तु आर्थिक और तकनीकी आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव पर और विचार किया जायेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चावल का निर्यात

9418. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से चावल की कुछ बहुत बढ़िया किस्मों का निर्यात होता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972–73 में कितनी मात्रा में इन का निर्यात किया गया और वर्ष 1973–74 के दौरान कितना निर्यात किया जायेगा तथा इसका मूल्य क्या है; और

(ग) चावल का निर्यात क्यों किया जा रहा है जबकि भारत के अनेक भागों में अकाल पड़ा हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) 1972–73 के दौरान 15,000 मीटरी टन बढ़िया बासमती चावल 1967 रुपये प्रति मीटरी टन के औसत अनुमानित मूल्य पर निर्यात किया गया है। 1973–74 के दौरान 30,000 मीटरी टन बढ़िया बासमती चावल के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) बढ़िया बासमती चावल का निर्यात (1) विदेशी मुद्रा कमाने और (2) बासमती चावल के निर्यात बाजार में भारत की स्थिति बनाए रखने के उद्देश्य से किया जाता है।

साम्प्रदायिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे कालेज

9419. **श्री शंकरराव सावन्त**
श्री जे० जी० कदम } क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में साम्प्रदायिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे कालेजों को कोई अनुदान दिया गया है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक मामले में कितना अनुदान दिया गया है; और

(ख) क्या सरकार इन अनुदानों को बन्द करने अथवा कम करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) कालेजों को अनुदान या तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अथवा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने नियमों के अन्तर्गत दिए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा ऐसे अनुदानों को बन्द कर दिए जाने अथवा उसमें कमी किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान खाद्यान्न व्यापारी संघ की राज्य में ज्वार, बाजरा और मक्का के लाने ले जाने पर लगी पाबन्दियों को हटाने की मांग

9420. **श्री मुहम्मद शरीफ**
श्री बरके जार्ज } क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान खाद्यान्न व्यापारी संघ ने राज्य में ज्वार, बाजरा और मक्का के निर्बाध रूप से लान ले जाने पर सरकार द्वारा लगाई गई सभी पाबन्दियों को हटाने की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) मार्च, 1973 में, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें राज्य के अन्दर मोटे अनाजों के संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को वापस लेने की माँग की गई थी और जिसके लिए यह तर्क दिया गया था कि ऐसे प्रतिबन्धों से मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वे किसी के लिए भी लाभदायक नहीं हैं।

राजस्थान सरकार ने अधिप्राप्ति के हित में और केन्द्रीय सरकार की सहमति से राज्य के अन्दर ज्वार, बाजरा और मक्का के संचलन पर प्रतिबंध लगाये हैं। उन प्रतिबन्धों को हटाने का कोई विचार नहीं है।

कलकत्ता में आयोजित चिकित्सा सम्बन्धी गोष्ठी

9421. श्री [illegible] शरीफ }
श्री बरके जार्ज } क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अप्रैल, 1973 को कलकत्ता में चिकित्सा सम्बन्धी कोई गोष्ठी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें हुई चर्चाओं और किए गए निर्णयों की मोटी रूप रेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम तथा त्रिपुरा के स्वास्थ्य सेवा निदेशकों की एक अनौपचारिक बैठक केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन उप मंत्री की अध्यक्षता में 13 और 14 अप्रैल, 1973 को कलकत्ता में हुई जिसमें समाज में विद्यमान महत्वपूर्ण संचारी रोगों तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया। 10 अप्रैल, 1973 को हुई किसी गोष्ठी के बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

उर्वरकों के गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा कदाचार

9422. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादित होने वाले उर्वरकों के गैर-सरकारी व्यापारी कदाचार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) निजी विक्रेताओं द्वारा कदाचार की कोई विशेष रिपोर्ट नहीं मिली हैं। किन्तु उर्वरकों की कमी का लाभ उठाने वाले तथा मिलावट और चोर-बाजारी जैसे कदाचार करने वाले कुछ बेईमान व्यापारियों के बारे में सामान्य सूचनाएं मिली हैं।

(ख) राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत तलाशी लेने, स्टाक जब्त करने और कदाचार करने वाले अपराधियों को हिरासत में लेने के सम्बन्ध में पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। उर्वरकों के विक्रय में कदाचार करने वाले व्यापारियों के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में सख्त सज़ा देने की भी व्यवस्था की गई है। हाल में ही उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 को आवश्यक

वस्तु अधिनियम, 1955 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत "विशेष आदेश" के रूप में घोषित कर दिया गया है। इससे राज्य सरकारें ऐसे अपराधियों को आसानी से और शीघ्र ही सज़ा देने के लिए संक्षिप्त मुकदमें चला सकती हैं? राज्य सरकारों से अनरोध किया गया है कि वे उर्वरक नियंत्रण आदेश की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को सज़ा देने के लिए अभियान शुरू करें।

परिवार और बाल कल्याण परियोजनायें

9423. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1972–73 के दौरान कितनी परिवार और बाल-कल्याण परियोजनाएं चल रही थीं; और

(ख) वर्ष 1973–74 के दौरान ऐसी परियोजनाओं में कितनी वृद्धि की जायेगी और वे कहां-कहां पर चालू की जायेंगी?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) 31 मार्च, 1973 को 281।

(ख) परिवार और बाल-कल्याण कार्यक्रम का और विस्तार नहीं होगा।

दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों तथा नर्सों द्वारा की गई हड़तालों की संख्या

9424. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों में वर्ष 1972–73 के दौरान डाक्टरों तथा नर्सों ने कुल कितनी बार हड़ताल की; और

(ख) प्रत्येक मामले में उनकी क्या-क्या माँगें थीं तथा उनमें से कितनी माँगों को स्वीकार कर लिया गया?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे यथा समय भेज दिया जायेगा।

Foreign Cultural Delegation

9425. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the names of the countries from where cultural delegations visited India during 1972-73;

(b) whether cultural delegations from India are being sent abroad during the current year; and

(c) if so, the facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare & in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) During 1972-73, cultural delegations from Bhutan, Bangladesh, Bulgaria, Czechoslovakia, Fiji, France, G.D.R., Greece, Hungary, Iran, Malaysia, Mauritius, Nepal, Phillipines, Poland, Romania, Singapore, Thailand, Tunis, U.S.S.R., Yugoslavia, Afghanistan and Arab Republic of Egypt visited India.

(b) Yes, Sir.

(c) The visit of the following cultural delegations abroad, during the current year, is under consideration:

(i) Participation of a few selected scholars in the 29th International Congress of Orientalists in Paris.

(ii) Visit of a number of scholars, writers, art critics, choreographers, musicologists, theatre experts etc. to some European countries.

(iii) Visit of a dance/music ensemble to U.S.S.R., Algeria, Italy, Turkey etc.

(iv) Participation of two theatre experts in Afro Asian Latino Theatre Conference in Iran.

(v) Participation of 10-Member Shadow Theatre troupe in the Shiraz Festival in Iran.

(vi) Participation of folk dancers/drummers in the 7th International Folklore Festivals at Carthage, Tunis and Bourgas, Bulgaria. The dancers may also visit Ethopia and some countries in Europe.

On behalf of the Government, the Indian Council for Cultural Relations will send performing artists to Afghanistan, Bhutan, Sri Lanka, Mauritius and Nepal. The Council may also send some performing artists to Kenya and other countries in East Africa.

पश्चिम बंगाल में राज्य कृषि–सेवा केन्द्रों की स्थापना

9426. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने उस राज्य में कृषि-सेवा केन्द्र स्थापित करने का कोई सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। तथापि, पश्चिमी बंगाल कृषि उद्योग निगम के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कृषि यंत्र सर्विस केन्द्र स्थापित करने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। अब तक 30 कृषि सर्विस केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं और लगभग 60 उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। भारत सरकार की कृषि यंत्र सर्विस केन्द्र योजना पर पुस्तिका की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जा रही है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-4995/73] इसमें इस योजना के ब्यौरे दिये गये हैं।

रजपुरा (पंजाब) में गोदाम

9427. **श्री भोला मांझी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने राजपुरा (पंजाब) में किराये पर गोदाम ले रखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन गोदामों के मालिक कौन हैं और प्रत्येक गोदाम का मासिक किराया कितना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराये पर लिए गए दो गोदामों के बारे में सूचना इस प्रकार है :—

	मालिक का नाम	मासिक किराया
(1)	कस्तूरबा सेवा मन्दिर	9,818.00 रुपये
(2)	मैसर्स फासफेट कं० प्रा० लि०	7,150.00 रुपये

कोचीन के निकट मत्स्य के पत्तन निर्माण में प्रगति

9428. **श्री सी० के० चद्रप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कोचीन से प्रकाशित होने वाले 7 अप्रैल, 1973 के मलयालम दैनिक "मातृभूमि" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कोचीन के निकट प्रस्तावित मत्स्य-पत्तन के निर्माण में विलम्ब और उसके भविष्य की अनिश्चितता के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस पत्तन का अविलम्ब निर्माण करने हेतु सीमेंट और इस्पात आवश्यक मात्रा में सप्लाई करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) "मातृभूमि" में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान नहीं दिलाया गया है। तथापि, पत्तन से यह ज्ञात हुआ है कि इस परियोजना के निर्माण में विलम्ब होने के सम्बन्ध में चिन्ता का कोई आधार नहीं है। पत्तन न्यास के पास वर्तमान आवश्यकता के लिए इस्पात उपलब्ध है और उनकी आगे की आवश्यकता के लिए व्यवस्था की जा रही है। जहां तक सीमेंट का सम्बन्ध है, देश में इसकी सामान्य कमी है, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए पत्तन न्यास परस्पर यथा-सम्भव सहयोग कर रहे हैं। पत्तन न्यास, कोचीन ने इस बात की पुष्टि की है कि सीमेंट की पूर्ति की व्यवस्था की जा रही है।

सुपारी से बनाया गया "च्यूइंग गम"

9429. **श्री सी० के० चद्रप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अप्रैल, 1973 के "हिन्दू" में प्रकाशित "च्यूइंग गम फ्राम एरेकानट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें सुपारी के प्रयोग की विभिन्न संभावनाओं जिनका हाल में आविष्कार किया गया है का वर्णन किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस उत्पाद का सही उपयोग करने और कृषकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना निश्चित करने की दृष्टि से इसकी नई संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां

(ख) तथा (ग) कासरगोड में केन्द्रीय उद्यान फसल अनुसंधान संस्थान ने सुपारी का चबाने के अलावा अन्य प्रयोजनों से उपयोग करने की एक अनुसंधान परियोजना प्रायोजित करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं। इस सम्बन्ध में निजी फर्मों द्वारा अनुसंधान के बाद जो कोई निष्कर्ष निकाले गये, वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के ध्यान में लाये जा रहे हैं, ताकि इस सम्बन्ध में अपनी भावी योजनायें बना सकें। समाचार पत्रों में छपे समाचारों में सुपारी की भूसी से कागज और गत्ता बनाने के सम्बन्ध में भी उल्लेख किया गया है। वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून ने इस सम्बन्ध में कुछ प्रारम्भिक कार्य पहले ही किया है, जिसकी शुरूआत भूतपूर्व भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति ने की थी। चूंकि यह प्रक्रिया लाभकर नहीं पाई गई, इसलिए इस सम्बन्ध में आगे कोई कार्य नहीं किया गया। तथापि, केरल के कारखाने द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा मंगाया गया है, ताकि इस मामले में आगे कार्यवाही की जा सके।

"भिखारी मुक्त" नगर घोषित करने के लिये मापदंड

9430. श्री सी० के० चद्रप्पन : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "भिखारी मुक्त" नगर घोषित करने के लिए क्या मापदंड है; और

(ख) देश के किन-किन अन्य नगरों को "भिखारी मुक्त" घोषित किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) भिक्षावृत्ति सामाजिक-आर्थिक कारणों से उत्पन्न एक पेचीदा समस्या है । इसके उन्मूलन के लिए उपाय भी बहुमुखी होने आवश्यक हैं और उनका प्रभाव केवल लम्बे समय में ही पड़ सकता है । जब तक इस देश में भिक्षावृत्ति का उन्मूलन नहीं कर दिया जाता तब तक नगरों को भिखारी मुक्त घोषित करना न तो व्यवहार्य है और न ही उचित है ।

केरल में पानी में होने वाली जंगली घास-पात की पैदावार की वृद्धि को रोकने के लिए कार्यवाही

9431. श्री सी० के० चद्रप्पन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल में पानी में होने वाली जंगली खास-पात की तेजी के साथ होने वाली पैदावार की गम्भीर समस्या की ओर दिलाया गया है जो वहाँ कृषि के भविष्य, नदियों में मछली पकड़ने तथा जहाज चलाने के व्यवसाय, 'बैक वाटर" तथा धान के खेतों के लिए खतरनाक सिद्ध हो रही हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस घास-पात की, जो कि मलयालम भाषा में 'अफ्रीकन पायल' नाम से प्रसिद्ध है, पैदावार की वृद्धि को रोकने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ ।

(ख) घास-पात निकालने के लिए यंत्रीकृत पद्धतियों का प्रयोग किया गया था परन्तु इस कार्य में कोई विशेष सफलता नहीं मिली । केरल विश्वविद्यालय द्वारा घास-पात के जैविक नियंत्रण की सम्भाव्यता के बारे में अध्ययन किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त काफी बड़े क्षेत्रों में घास-पात नाशियों का व्यापक रूप से प्रयोग करने का भी प्रस्ताव है ।

नई दिल्ली में मालवीय नगर में अनधिकृत झुग्गियों का गिराया जाना

9432. श्री अम्बेश : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में मालवीय नगर के 'ब्लाक एफ' में सरकारी भूमि पर अनेक अनधिकृत झुग्गियां बना ली गई हैं;

(ख) क्या उक्त ब्लाक में झुग्गियों को गिराने के लिए उक्त ब्लाक के लोगों ने पुलिस अधिकारियों और दिल्ली के उप-राज्यपाल से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) झुग्गियों को हटाने के लिए अभ्यावेदन उप-राज्यपाल को प्राप्त हुआ था।

(ग) अतिक्रमणों को हटाने का प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है।

अखिल भारत नेत्र सुधार संघ, और डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट, नई दिल्ली से हर्जाना वसूल किया जाना

9433. **श्री अम्बेश :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 24 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3651 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आल इण्डिया ब्लाइण्ड रिलीफ सोसायटी और डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट से हर्जाना वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और उक्त दोनों सोसायटियों से वसूल की जाने वाली राशि का अलग-अलग क्या ब्यौरा है; और

(ख) आल इण्डिया ब्लाइण्ड रिलीफ सोसायटी से इमारत का वास्तविक कब्जा लेने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) : उनसे वसूल किए जाने वाले हर्जाने का मूल्यांकन किया जा रहा है। लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अधीन ब्लाइण्ड रिलीफ सोसायटी तथा अन्य सभी आबादकारों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही भी आरम्भ की जा चुकी है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यकरण की परिस्थितियों पर प्रतिवेदन

9434. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कार्यकरण की परिस्थितियों विषयक प्रतिवेदन पर अभी तक निर्णय नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार निर्णय की घोषणा कब तक करेंगी; और

(ग) सरकार ने कितनी सिफारिशें स्वीकार की हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति की सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और इन सिफारिशों पर लिया गया निर्णय शीघ्र ही घोषित किया जायेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बालानूर, तमिलनाडु स्थित केन्द्रीय सरकार के गोदाम से धान की चोरी

9435. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या** बालानूर (दक्षिण अरकोट जिला) तमिलनाडु स्थित केन्द्रीय सरकार के गोदाम से 5 अप्रैल, 1973 को 8000 से अधिक धान के बोरों की एक बड़ी चोरी होने का समाचार मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच करवायी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो जांच समिति के निष्कर्ष क्या हैं और भविष्य में इस प्रकार की चोरी न होने देने के बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय सरकार के गोदाम से धान की बोरियों की कोई चोरी नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

तमिलनाडु में खाद्यान्नों की कमी

9436. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में खाद्यान्नों की भारी कमी है;

(ख) क्या नई फसलें भी पर्याप्त नहीं हैं और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार को वर्ष 1973 में खाद्यान्नों की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र वर्ष 1973 में राज्य सरकार की कहां तक सहायता करेगा ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) और (ख) पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है । 1972-73 के खाद्यान्न-उत्पादन के पक्के अनुमान चालू कृषि वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1973 में कसी समय उपलब्ध होंगे । तथापि, वर्तमान संकेतों के अनुसार, राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्ष के स्तर के आसपास होने की आशा की जाती है ।

राष्ट्रमंडल सम्मेलन द्वारा चीनी के विषय में निर्णय

9437. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**
श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ } : **क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 मार्च, 1973 को चीनी के विषय में राष्ट्रमंडल सम्मेलन की हुई दो-दिवसीय बैठक ने राष्ट्रमण्डल चीनी समझौते के समाप्त होने पर, जो कि 1973 में समाप्त हो रहा है नये प्रबन्धों के सम्बन्ध में कोई निर्णय किए थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किए गए और इनसे भारत को कितना लाभ होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) और (ख) लंदन में चीनी के विषय में 28 और 29 मार्च, 1973 को हुए दो-दिवसीय राष्ट्रमण्डल सम्मेलन की समाप्ति पर जारी की गई विज्ञप्ति, जिसमें वहां लिए गए निर्णयों का उल्लेख है, की एक प्रति संलग्न है । (ग्रन्थालय में रखा गया : देखिए संख्या एल० टी०-4993/73) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ चीनी पर आगामी बातचीत में सभी स्तरों पर निर्णय का समान दृष्टि कोण भारत के लिए सहायक होना चाहिए ।

पश्चिम बंगाल में 1972-73 और 1973-74 के दौरान नलकूपों का "क्लस्टर" कार्यक्रम और भूमिगत जल का सर्वेक्षण

9438. **श्री गदाधर साहा : क्या कृषिमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सरकार द्वारा अथवा निजी तौर पर संचालित सिंचाई के नलकूपों के 'क्लस्टर' कार्यक्रम को तथा 1972-73 और 1973-74 के लिये भूमिगत जल के सर्वेक्षण कार्य को आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई तथा वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) 1972-73 और 1973-74 में वर्षवार तथा जिलावार इस कार्यक्रम के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी धनराशि नियत की गई है तथा प्रदान की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

थोड़े पानी में धान उगाने का नया तरीका

9439. **श्री विभूति मिश्र : क्या कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्थान, कटक ने थोड़े पानी में धान (चावल) उगाने का एक नया तरीका निकाला है;

(ख) यदि हां, तो इस तरीके की क्या विशेष बातें हैं;

(ग) देश के किन भागों में इस तरीके को अपनाया गया है; और

(घ) उस क्षेत्र के उत्पादकों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) यह तरीका चावल के पौधों की उगने की प्रथम आधी अवधि में, जब तक कि फसल लगभग पुष्पन की अवस्था तक नहीं पहुचती, सिंचाई जल के नियंत्रण पर निर्भर करता है । चावल के खेतों में निरन्तर रूप से थोड़ा सा पानी खड़ा रखने की स्थानीय प्रणालियों की बजाय, संस्थान ने सिफारिश की है कि फसल के उगने की प्रथम अवस्था में थोड़े-थोड़े समय पश्चात भूमि की सिंचाई होती रहनी चाहिए और बीच-बीच में भूमि को थोड़ा बहुत सूखते रहने दिया जाना चाहिये । पुष्पन के समय से पुष्पन के 15 दिनों बाद तक खेत में रिनरन्तर रूप से थोड़ा सा पानी खड़ा रहना चाहिये । इसके पश्चात पानी देने की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) इस तकनीक का संस्थान के समीप एक छोटे से कमांड क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया है, जहां उपलब्ध जल से 110 एकड़ के स्थान पर 140 एकड़ भूमि की सिंचाई की गई है । यह प्रदर्शन कटक जिले के दो और क्षेत्रों में प्रारम्भ किया जा रहा है ।

(घ) सिंचाई के जल को नियंत्रण करने से लगभग 30 प्रतिशत जल की बचत हुई है और इस का किसान पर बड़ा प्रभाव पड़ा है । इस तकनीक की बड़े क्षेत्र में प्रदर्शन किया जा रहा है ।

दिल्ली विकाश प्राधिकरण द्वारा निर्मित चितरंजन पार्क, दिल्ली में नये बनाये गये मकान

9440. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव**
श्री चन्द्रिका प्रसाद } : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण निकट भविष्य में चितरंजन पार्क, नई दिल्ली के अलाटियों को अनेक बने बनाये मकानों को सोंपेगी;

(ख) क्या सरकार उक्त मकानों के निर्माण में किसी भी स्थिति में हुई क्षति के मामले में, उक्त मकानों के प्राप्तकर्ताओं के हितों की पर्याप्त सुरक्षा करने की वांछनीयता के प्रश्न पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उन मकानों की कीमत का निर्धारण करने और किस्तों में अदायगी के लिए उस पर ब्याज लगाने से सम्बन्धित नियमों और विनियमों की एकप्रति सभा पटल पर रखेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) अलाटियों को हस्तान्तरित किए जाने की तारीख के 6 मास की अवधि के दौरान नोटिस में आने वाली खराबियों को, यदि कोई हों, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दूर कराया जायेगा।

(ग) ई० पी० डी० पी० को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों के लिए निर्मित किए जा रहे इन मकानों के बारे में निम्नलिखित रियायती दरें ली जाती हैं ।

विभागीय प्रभार	11%
निर्माण की अवधि में ब्याज	6-3/4%
किराया खरीद अवधि के दौरान ब्याज	7-1/4%

कृषि पुनर्वित आयोग के सुझाव के अनुसार पश्चिम बंगाल में सांविधिक निगम

9441. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कृषि पुनर्वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसरण में सर्वाधिक निगम अथवा सरकारी कर्मचारियों की स्थापना की है; और

(ख) कृषि वित्त निगम ने उन्हें कितना धन आबंटित किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) .अध्यक्ष, कृषि पुनर्वित्त निगम ने 20 सितम्बर, 1972 को 9वीं वार्षिक आम बैठक में अपने भाषण में यह सुझाव दिया था कि राज्य सरकारें पुनर्वित्त सुविधाओं का लाभ उठाने के लिय सांविधिक निगम या सरकारी कम्पनी की स्थापना कर सकती हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1966 में एक मात्स्यकी विकास निगम की स्थापना की थी । इस निगम ने 184.85 लाख रुपये के परिव्यय की तीन योजनायें तैयार की थीं । ये योजनायें कृषि पुनर्वित्त निगम के विचाराधीन हैं ।

कलकत्ता क्षेत्र के लिये नई विशिष्ट सुधार योजना

9442. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण ने पांचवीं योजना अवधि में क्रियान्विति हेतु कलकत्ता क्षेत्र के लिये नई विशिष्ट सुधार योजनायें तैयार की हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) बस्ती सुधार के लिये प्रस्ताव में कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण के प्रस्तावों पर केन्द्र के निर्णय क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कलकत्ता नगर के लिये जल की सप्लाई की योजना

9443. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1969 में कलकत्ता महानगर निगम ने कलकत्ता नगर के लिये जल की सप्लाई हेतु 24 लाख रुपये की लागत की एक योजना बनाई थी और क्या योजना स्वीकार कर ली गई है और उस पर कार्यवाही कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख). कलकत्ता निगम ने यह सूचना दी है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 5.25 करोड़ रुपये की लागत की 22 जल सप्लाई योजनाएं आरंभ की गई थीं तथा 1969 में 24 लाख रुपये की लागत की कोई भी योजना आरम्भ नहीं की गई। इन योजनाओं का सम्बन्ध नये वाटर वर्क्स के निर्माण तथा खराब पप्पों को बदलने से है।

औद्योगीकरण के कारण अधिक मात्रा में सीसे की मिलावट

9444. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि गुलाल, सिंदूर, सुर्मा और जल से सवेरे-सवेरे निकलने वाले पेय जल में काफी मात्रा में सीसा पाया जाता है जिससे रक्त में विष फैल सकता है अथवा मस्तिष्क को क्षति पहुच सकती है ;

(ख) क्या औद्योगिक और नगरीय वातावरण के रहने वाले व्यक्तियों को इसका खतरा है क्योंकि अधिक मात्रा में सीसे की मिलावट का सम्बन्ध औद्योगीकरण से है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने स्वास्थ्य के लिये हानिकारक इस परिस्थिति को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) गुलाल, सिंदूर और सुरमे के हानिकारक प्रभावों तथा पीने के पानी के नमूनों में अधिक मात्रा में सीसा होने के बारे में मार्च, 1973 में छपी प्रेस रिपोर्टों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने अहमदाबाद में भारी यातायात वाले क्षेत्रों में से खास-खास क्षेत्रों में मिट्टी और वायु में सीसे की मात्रा का अनुमान लगाने के लिये एक मार्गदर्शी अध्ययन किया है। इस अध्ययन से वायु, मिट्टी और व्यक्तियों के पेशाब के नमूनों में विभिन्न मात्रा में सीसे के विद्यमान होने का पता चला है। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद में आगे और विस्तृत अन्वेषण किया जा रहा है।

दिल्ली नगर निगम के जल प्रदाय उपक्रम के स्थान पर एक उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड का गठन

9445. **श्री एम० एस० संजीवीराव**
श्री मुहम्मद शरीफ } **: क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली नगर निगम के जल प्रदाय उपक्रम के स्थान पर एक उच्च स्तरीय शक्ति प्राप्त बोर्ड का गठन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस विषय में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) . ब्यौरे पर विचार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा ।

पेयजल के लिये भूमिगत जल के भण्डारों का सर्वेक्षण और उसके लिये केन्द्रीय सहायता

9446. **श्री शंकर राव सावन्त**
श्री जे० जी० कदम } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या भूमिगत जल के भण्डारों के लिये विभिन राज्यों में कोई सवक्षण किया गया है; यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ख) क्या भूमिगत जल को पीने के प्रयोजन के लिये निकाला गया है; यदि हाँ, तो कहाँ और कितनी मात्रा में; और

(ग) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान भूमिगत जल को निकालने के लिये किसी राज्य को केन्द्रीय सरकार ने कोई ऋण अथवा राज-सहायता दी है; और यदि हाँ, तो किस राज्य को और कितनी राशि दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) भूमिगत जल संसाधनों का सवक्षण तथा विकास करना मुख्यत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । केन्द्रीय भूमिगत जल मण्डल भूमिगत जल के सम्बन्ध में केन्द्रीय स्तर पर एक एकीकृत एजेन्सी के रूप में कार्य करता है । यह मण्डल प्राय: भूमिगत जल के क्षेत्र में समन्वेषी वेधन तथा वृहत् स्तरीय विशिष्ट अध्ययनों के रूप में राज्यों की सहायता करता रहा है । प्रारम्भिक सर्वेक्षणों के परिणामों से पता चलता है कि देश में भूमिगत जल से लगभग 2150 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है ।

(ख) प्राय: समस्त राज्यों में पेयजल के लिये भूमिगत जल का उपयोग किया जा रहा है । परन्तु ऐसे सही आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे पता चले कि केवल पेयजल के लिये कितने भूमिगत जल का उपयोग किया जा रहा है ।

(ग) प्राय: राज्य सरकारों को सम्पूर्ण वार्षिक योजना के लिये केन्द्रीय सहायता एक मुश्त ऋण तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है और इसका किसी विशेष कार्यक्रम या योजना से सम्बन्ध नहीं होता । तथापि, सूखे के प्रभाव को कम करने के लिये वर्ष 1972-73 के दौरान मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किये गये आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष मामले में राज्यों को भूमिगत जल विकास तथा लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सहायता ऋण तथा कुछ आर्थिक सहायता के रूप में दी गई है । राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये दी गई धनराशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	8.397
2.	असम	2.020 ऋ
3.	बिहार	17.728
4.	गुजरात	5.000
5.	हरियाणा	12.000
6.	हिमाचल प्रदेश	0.325
7.	केरल	2.500
8.	मध्य प्रदेश	5.810
9.	महाराष्ट्र	24.963
10.	मणिपुर	0.383
11.	मैसूर	5.299
12.	नागालैंड	0.200
13.	उड़ीसा	6.600
14.	पंजाब	14.720 ह्म
15.	राजस्थान	3.892
16.	तमिलनाडु	2.990 ह्मह्म
17.	त्रिपुरा	0.229
18.	उत्तर प्रदेश	20.750
19.	पश्चिम बंगाल	14.330
	योग	148.136

ऋ—ट्रैक्टरों तथा गहाई की मशीनों की खरीद के लिये 32 लाख रुपये सम्मिलित हैं।

ह्म—सीमावर्ती क्षेत्रों में नलकूपों के निर्माण के लिये 197 लाख रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

ह्मह्म—ट्रैक्टरों तथा गहाई की मशीनों की खरीद के लिये 20 लाख रुपये सम्मिलित हैं।

भारत सेवक समाज स्कूल, सरोजनी नगर, नई दिल्ली, को सरकारी नियंत्रण में लिया जाना

9447. **श्री जी० भुवराहन**
श्री वनमाली पटनायक } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को भारत सेवक समाज स्कूल, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली के अध्यापकों की प्रस्तावित हड़ताल के बारे में पता है जिसका निर्णय उन्होंने कुप्रबन्ध, सरकारी स्कूलों की तुलना में कम वेतन पाने वाले और भारत सेवक समाज के अधिकारियों द्वारा उक्त स्कूल को आगामी शिक्षा सत्र से बन्द कर देने की धमकी के कारण किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो अध्यापक के हितों और छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) स्कूल अध्यापकों से दिल्ली प्रशासन द्वारा एकत्र की गई सूचना से ज्ञात होता है कि वहाँ अध्यापकों द्वारा 16-3-73 से 15-4-73 तक कामरोको हड़ताल की गई थी। तथापि, प्रबन्धकों या अध्यापकों की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली को हड़ताल के बारे में कोई सरकारी सूचना नहीं थी।

(ख) स्कूल को 30-4-73 तक अस्थायी रूप से मान्यता प्रदान की गई थी और उसके साथ यह शर्त थी कि कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन-मान किसी भी हालत में सरकारी स्कूलों के तदनुरूप पदों के लिए निर्धारित वेतनमानों से कम नहीं होंगे। प्रबन्धकों ने इस शर्त को पूरा नहीं किया है और इन परिस्थितियों में, क्या मान्यता बढ़ाई जाए या नहीं, इस प्रश्न पर दिल्ली प्रशासन विचार कर रहा है।

कोचीन में नौवहन सुविधाओं में सुधार

9448. **श्री सी० एच० मोहम्मद काया** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें केरल के मुख्य मंत्री से कोचीन में नौवहन सुविधाओं में सुधार के बारे में में एक पत्र प्राप्त हुआ है, और

(ख) क्या-क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हाँ।

(ख) बताए गये पत्र में नौवहन स्थान प्राप्त करने के बारे में मालावार पत्तनों से पोत वणिकों द्वारा महसूस की गई कठिनाइयों का उल्लेख का उल्लेख किया गया था। नौवहन महानिदेशक ने नौवहन सम्मेलनों के साथ इस मामले को उठाया, और उनके प्रयत्नों के फल-स्वरूप बहुत सा जमा माल उठा लिया गया है। पोतवणिकों को तुरत सहायता देने हेतू कोचीन में भाड़ा जाँच ब्यूरो का एक शाखा कार्यालय खोला गया है।

पत्तन पर माल ढ़ोने का काम करने वाले कर्मचारियों में बेरोजगारी

9449. **श्री सी० एच० मुहम्मद कोया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि केरल में अनाज से लदे जहाज न आने के कारण वहाँ पत्तन पर माल ढोने का काम करने वाले कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) क्या नौवहन मौसम (शिपिंग सीजन) मई के मध्य में समाप्त हो जाता है और इससे 1500 कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे; और

(ग) क्या उनका विचार कालीकट में और अधिक जहाज रखने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे) : (क) से (ग) केरल में केवल कोचीन ही सभी मौसमों के लिए उपयुक्त पत्तन है, अन्य पत्तनों पर वर्ष भर कार्य नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कालीकट पत्तन अब से लेकर सितम्बर, 1973 तक के लिए लगभग बंद हो रहा है, इसलिए इस अवस्था में उस पत्तन पर खाद्यान्न से लदे कुछ और जहाज लाने की सम्भावना नहीं है ।

Closure of Sugar Mills due to Non-Supply of Sugarcane

9450. **Shri Genda Singh** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the number of sugar mills which have been closed down out of the total sugar mills as a result of non-supply of sugarcane and the quantity of sugarcane crushed by them and the rates at which these sugar mills purchased sugarcane and whether or not the prices of sugarcane have been paid to farmers and in case it is still to be paid, the amount thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : The number of sugar factories which went into production this season is 228. Out of these, 1975 factories have closed, and 53 factories are still working. The factories which have closed have, by and large, curshed all the cane available to them in their respective areas. The quantity of sugarcane crushed factorywise and the range of prices at which the sugarcane was brought by these factories this year is annexed (Statement I) Another statement showing State-wise the details of arrears of cane price as on 31-3-1973 is also annexed (Statement II).(Placed in the Library See No. L T 4994/73)

कोचीन शिपयार्ड पर व्यय और संभावित विकास

9451. **श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड के प्रारम्भिक निर्माण और प्रशासनिक कार्य पर कुल कितना हुआ है;

(ख) चालू वर्ष में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) चालू वर्ष में शिपयार्ड का कितना विकास होने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) 31-3-1973 तक प्रारम्भिक निर्माण और प्रशासनिक कार्य पर कुल 1277.41 लाख रुपया खर्च किया गया है।

(ख) चालू कलैण्डर वर्ष के दौरान 9-4-1973 तक नियुक्त किये गए व्यक्तियों की कुल संख्या 17 है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य होने की आशा है :—

1. रेलवे साइडिंग के लिए भूमि अधिग्रहण।
2. शेष औद्योगिक इमारतों और कुछ गैर औद्योगिक इमारतों के भी सिविल डिजाइन।
3. सभी औद्योगिक इमारतों के विद्युतिकरण डिजाइन।
4. मशीनरी, क्रेनों और उपकरणों की शेष मदों के लिए आर्डर देना।
5. कुछ मशीनरी और क्रेनों की प्राप्ति जिसके लिए पहले ही से आर्डर दिये जा चुके हैं।
6. प्रशिक्षण स्कूल, मुख्य संग्राही केन्द्र, जहाज निर्माण डिवीजन कार्यालय तथा फर्मा घर, पेंट भंडार, तेल भंडार, प्रयोगशाला, अनुरक्षण शाप और उपकरण गोदाम के निर्माण का पूरा करना।
7. प्रशिक्षण स्कूल, प्रयोगशाला और मुख्य संग्राही केन्द्र का चालू करना और जहाज निर्माण कारीगरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुरू किया जाना।
8. जहाज डिजाइन तैयार करने में 75,000 डी० डब्ल्यू० टी० पैनामैक्स प्रकार के खुले मालवाहकों के निर्माण में तकनीकी सहायता देने हेतू समझौता करना।
9. बड़े बड़े समुद्री कार्यों अर्थात् निर्माण गोदी, मरम्मत गोदी और संख्या 3 घाट संबंधी काम प्रगति पर रहेगा।
10. रेलवे साइडिंग पर कार्य चलता रहेगा।

Conference of All India Panchayat Council

9452. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether a Conference of All India Panchayat Council was held in Delhi;

(b) whether some resolutions were passed by the said Council keeping in view the Directive Principles of State policy as enshrined in the Constitution of India; and

(c) whether these resolutions are being examined by the Government?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) Yes, Sir.

(c) The resolutions passed by All India Panchayat Council are bieng examined.

भीलवाड़ा राजस्थान में अकाल राहत कार्य में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार

9453. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भीलवाड़ा, राजस्थान के सूखा पीड़ित क्षेत्र में अकाल राहत के लिए प्रारम्भ किए गए काम में अनिमयमितताओं और भ्रष्टाचार की जानकारी मिली थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : **(क)** और **(ख)** राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने 1969-70 और 1970-71 के दौरान किए गए सूखा राहत कार्यों में हुई अनियमितताओं की जाँच करने के लिए एक समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट अभी राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

धर्मपुर बहराईच उत्तर प्रदेश में मसाले की खेती के विकास के बारे में प्रतिवेदन

9454. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के धर्मपुर सब-डिवीजन में मसाले की खेती के विकास और उसके परिष्करण की सम्भावाओं का पता लगाने के लिये केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के एक निरीक्षक ने जाँच पड़ताल की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई अनुवर्ती कार्यवाही की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी शिन्दे) (क) जी हाँ। 1971 में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मसालों के विपणन की समस्या को लेकर एक अध्ययन किया गया था।

(ख) संबंधित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

(ग) इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था जो इस संबंध में आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही कर रही है।

विवरण

बहराइच जिले में विपणन समस्याओं को जानने और उनका हल सुझाने की दृष्टि से भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार ने विपणन स्थिति का एक तदर्थ सर्वेक्षण किया है। इस क्षेत्र में वर्तमान विपणन स्थिति को सुधारने के लिये निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं :—

(i) छपरिया के स्थलरुद्ध क्षेत्र क उत्पादकों को अनुकूल विपणन सुविधा प्रदान करने के लिये, छपरिया से बिचिया और छपरिया से निशानगड़ा तक दो सड़को का निर्माण किया जाये।

(ii) ननपारा, निहीनपुखा, बहराइच और संजौली की संग्रहण मण्डियों को यथाशीघ्र नियमित किया जाना चाहिए और मसालों, विशेषकर मिर्चों को भी नियमित की जाने वाली वस्तुओं में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(iii) राज्य सरकार को विपणन सहकारी समितियां बनाने के संबंध में कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। जिला सहकारी क्रय और विक्रय समिति और जिला सहकारी बैंक को कृषकों को आवश्यक भौतिक और वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए जिससे कि वे अपनी उपज को सहकारी आधार पर बेच सके।

कुपोआहार की रोकथाम के लिए पांचवीं योजना के दौरान विशेष योजनायें बनाना

9455. श्री **रानेन सैन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुपोषाहार की समस्या का मुकाबला करने के लिये पाँचवीं योजना के दौरान कोई विशेष योजनायें बनाई जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हाँ ।

(ख) व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम, मध्याह्न आहार कार्यक्रम, विशेष पोषण कार्यक्रम, अंधेपन अरक्तता, गलगण्ड की रोकथाम करने संबंधी रोग निरोधी कार्यक्रम जैसी मौजूदा योजनाओं के अतिरिक्त जिन्हें पांचवीं योजना में चालू रखा जाएगा, इस समय योजना आयोग न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने के कार्य में लगा हुआ है जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य देख-रेख, रोग बचाव और पोषण समेत एक साथ अनेक मिली जुली सेवाओं की व्यवस्था करने का विचार है ।

दुर्घटना करके फरार होने वाले मामलों के शिकार व्यक्तियों को सरकार द्वारा मुआवजा

9456. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने सिफारिश की है कि सरकार को कार दुर्घटनाएं करके फरार होने वाले मामलों के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा देने का दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि विधि आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन से मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 में संशोधन की आवश्यकता होगी अतः इसे राज्य सरकारों एवं संघ राज्य प्रशासनों के अभिमत के लिए परिचालित किया जा रहा है जैसा कि आयोग ने स्वयं सुझाव दिया है । राज्य सरकारों आदि के अभिमत प्राप्त होने पर निर्णय किया जायेगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कावेरी तथ्य जांच समिति द्वारा कावेरी जल के संबंध में की गई परिगणना के बारे में तमिलनाडु, मैसूर और केरल के मुक्य मंत्रियों के बीच मतैक्य के समाचार ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Sir, I call the attention of the Minister of Irrigation and Power to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :—

"Reported consensus on Cauvery Waters between the Chief Ministers of Tamil Nadu, Mysore and Kerala."

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री के० एल० राव) : कई वर्षों से कावेरी के जल के संबंध में केरल, मैसूर और तमिलनाड् राज्यों के मध्य मतभेद चले आ रहे हैं । मई, 1972 में मुख्य मंत्रियों के मध्य हुए विचार-विमर्श में यह आम सहमति प्रकट की गई थी कि विवाद के समाधान के लिए आपसी बातचीत द्वारा यथाशीघ्र जोरदार प्रयत्न किए जाने चाहिएं । इस बात पर भी मतैक्य था कि केन्द्र को कावेरी के जल, उसके समुपयोजन और सिंचाई कार्यों तथा साथ ही कावेरी बेसिन में वर्तमान, निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं से संबंधित सभी अपेक्षित आंकड़े इकट्ठे करने के लिए एक तथ्यान्वेषी समिति की नियुक्ति करनी चाहिए । समिति को वर्तमान सप्लाई की पर्याप्तता या सिंचाई उद्देश्यों के लिए पानी के अतिशय प्रयोग की जांच भी करनी चाहिए ।

तदनुसार, भारत सरकार ने 12 जून, 1972 को एक तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया । समिति में निम्नलिखित महानुभाव शामिल थे :—

न्यायमूर्ति श्री वी० डी० बाल		बम्बई उच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश
श्री पी० आर० आहूजा	.	अवकाशप्राप्त आयुक्त (सिंधु) और संयुक्त सचिव, सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ।
श्री जतिन्द्र सिंह .	.	अवकाशप्राप्त मुख्य अभियंता, पंजाब ।
डा० जे० एस० पटेल	.	अवकाशप्राप्त कृषि आयुक्त, खाद्य और कृषि मंत्रालय ।

समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1972 में प्रस्तुत की थी, जिसमें जल की उपलब्धता, वर्तमान समुपयोजन जैसा कि समिति को बताया गया, निर्माणाधीन परियोजनाओं से प्रस्तावित समुपयोजन तथा तीनों राज्यों द्वारा अपेक्षित भावी परियोजनाओं से परिकल्पित समुपयोजन के सम्बन्ध में आवश्यक आंकड़ों का उल्लेख है ।

समिति की रिपोर्ट के बारे में 29 अप्रैल, 1973 को केरल, मैसूर और तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श हुआ था । इस विचार-विमर्श के दौरान नदी से कुछ जल प्राप्ति के बारे में, जैसा कि समिति की रिपोर्ट में दिया गया है, आम मतैक्य था । मुख्य मंत्रियों की इच्छा के अनुसार, कुछ अन्य मदों के सम्बन्ध में आवश्यक जांच करने के बाद स्पष्टीकरण देने के लिए समिति को पुनर्गठित किया जा रहा है ।

विचार-विमर्श को जारी रखने के लिए तथा किसी हल पर पहुंचने की संभाव्यताओं को ढूंढने के लिए मुख्य मंत्री बाद में किसी समय मिलने के लिए सहमत हुए ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister has admitted in the statement that censensus was arrived at among the Concerned states about total availability of water from Cauvery river. Is it not surprising that Central Water and Power Commission could not find the quantum of water that could be available from Cauvery in these years? The demand of these three States is of 35 million cubic metres whereas the total availability of water is 21 million cubic metres. The question is how to distribute this water. It appears to me that the Chief Ministers have not revied this matter in the meeting held on 29th April.

Tamil Nadu Government desires to implement the agreement signed between Mysore and Tamil Nadu in 1924 and even earlier agreement of 1892. Tamil Nadu Government also wants that Mysore Government should not take up work of any project on Cauvery unless the dispute is settled. On the other hand Mysore Government says that 1924 that stand of it was not put forth clearly and so it is one sided. So they are not bound by the conditions laid down in the agreement of 1924. Work on the Hemvati, Harangi and Kahimi projects is going on for the last ten years.These projects were not cleared by the Planning Commission.

At that time Kerala was ignored. They want a bigger share from Cauvery because they feel Kerala contribute much water to Cauvery due to heavy rainfall.

I want to know how the dispute regarding distribution of water will be solved ? The hon. Minister has said that Fact Finding Committee is being revived.I want to know the classification which they now want. May I know the reasons for not solving this dispute by the Centre till now as this river passes through the three States. It has also been said in the meeting of the Chief Ministers that if they fail to solve the dispute it will be referred to Tribunal. The question is as to how long this dispute will continue. May I know whether any date has been fixed for the next meeting of the Chief Ministers ? Nothing should be done to deny the Cauvery water to the irrigated land of Tamil Nadu.

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री के० एल० राव) : किसी भी नदी के जल विवाद को हल करने के लिए तीन पहलुओं पर विचार करना होता है। पहली बात तो यह कि नदी से कितना पानी उपलब्ध हो सकता है। दूसरी बात सम्बन्धित दलों में पानी के वितरण की होती है। तीसरी बात यह है कि पानी का विनियमन कैसे हो जिससे सभी दलों को आवंटित जल मिलता रहे।

कृष्णा नदी जल विवाद को न्यायाधिकरण के पास गये चार वर्ष हो गये हैं। परन्तु अभी तक यह निर्णय नहीं हो सका है कि नदी से कुल कितना पानी उपलब्ध हो सकता है। भारत सरकार ने इस बारे में कुछ नदियों का हाल में सर्वेक्षण किया है। इस विवाद विशेष में इस बारे में समझौता हो गया है कि नदी से कितना पानी उपलब्ध होगा। इतना ही नहीं बल्कि इस बात पर असहमति हो गई है कि किस स्थान पर कितना पानी उपलब्ध होगा। इससे पानी के वितरण में आसानी होगी।

तथ्यों का पता लगाने वाली समिति ने इस बारे में आंकड़े दिये हैं कि किस राज्य में कितना क्षेत्र इस जल से सिंचित किया जाता है और इसके लिए कितना पानी उपयोग में लाया जाता है। यह आंकड़े विभिन्न राज्यों द्वारा सप्लाई किये गये हैं परन्तु इनकी अभी पुष्टि नहीं की गई है।

जब आवंटित करते समय यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस राज्य का कितने प्रतिशत क्षेत्र इस जल से सिंचित किया जाता है। मुख्य मंत्री समिति को इस विशय पर प्रकाशित सभी सामग्री सप्लाई करने को सहमत हो गये हैं। इसके बाद सिंचित क्षेत्र, फसल वाले क्षेत्र तथा उपयोग किये जाने वाले पानी की मात्रा पर सहमति होना आवश्यक है। इस बारे में समिति की राय भी मांगी गई है कि उपयोग किये जाने वाले पानी की मात्रा कम है अथवा अधिक। हम चाहते हैं कि हमें यह जानकारी गुप्त रूप से दें।

मैंने भी इस बैठक में भाग लिया था। वे लोग इस समस्या को स्वयं मैत्रीपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं। अगले दो अथवा तीन महीनों में हम इस समस्या को हल कर सकेंगे। ऐसी मुझे आशा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मने 1974 के करार का उल्लेख किया था। मैसूर राज्य सरकार का कहना है कि वह करार खत्म हो चुका है।

डा० के० एल० राव : मैं इस बारे में अपने विचार व्यक्त नहीं चाहता था। इस करार को हुए लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं। परन्तु हम तो इस समस्या को मैत्रीपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं।

श्री पी० गंगादेव (अंगुल) : इस समस्या को हल करने में जो विलम्ब हो रहा है वह समूचे राष्ट्र के लिए चिन्ता का कारण है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह बहुमूल्य राष्ट्रीय साधन है। इन विवादों से ऐसा लगता है कि हम इसका मूल्य नहीं पहचान सके हैं। जब तक इन विवादों को हल नहीं किया जाता हम अपने खेतों के लिए पानी तथा उद्योगों के लिए बिजली नहीं जुटा सकते। संविधान के अन्तर्गत सिंचाई तथा नदी का प्रबन्ध राज्य विषय है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य का अपना निहित हित है। ऐसा लगता है कि इन विवादों का राजनैतिक पहलू अधिक है और आर्थिक पहलू कम। अतः समझ में नहीं आता कि पानी के समान वितरण की जिम्मेदारी किस पर है। कुछ राज्यों में तो पानी फालतू है और वहां उसका अपव्यय होता है

और दूसरे राज्यों में इसका अभाव है। यह सब महत्वपूर्ण समस्या है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार चुप नहीं रह सकती। कोई न कोई हल उसे ढूंढ़ना चाहिए।

सरकार को सर्वप्रथम इस राष्ट्रीय सम्पत्ति के अधिक ज़ोन बनाने पर विचार करना चाहिए जो आत्म निभर हों। हमें भाषायी राज्यों की तरह इस मामले पर विचार नहीं करना चाहिए।

यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि केन्द्रीय सरकार जल के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अनुशासन लागू कर सके।

तीसरे हमें अर्ध न्यायिक निकाय बनाना चाहिए जिसका निर्णय सम्बन्धित राज्यों पर बाध्य हो। इन निर्णयों को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास संवैधानिक शक्ति होनी चाहिए। हमें यह विषय राज्यों पर नहीं छोड़ना चाहिए।

डा० के० एल राव : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं मैं उन पर विचार करूंगा। सरकार महसूस करती है कि पानी को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किया जाये। इस बारे में हम विधेयक लाने पर विचार कर रहे हैं।

Dr. Laxminarayan Pandey (Mandsaur) : The Fact Finding Committee was entrusted the work of collecting dates only. This Committee was even asked not to make any recommendations. They wanted to have some more classifications and for that they asked for some more time which was not granted to them. After meeting the Chief Ministers have shown different reactions to it. The Tamil Nadu Chief Minister said that Agreement of 1924 is still alive it should remain alive in future. He wants that *status quo* should be maintained till the expiry of this Agreement in 1974. He also alleged that the Central Government is helping Mysore in implementing the Hemvati project and this weakening the stand of Tamil Nadu. May I know whether Government is going to evolve any national formula on the basis of these disputes could be solved on national level ? It is not the question of Cauvery dispute alone there is also Narmada river water dispute. There are many such disputes, which are going on for the last several years. Due to these disputes we have not been able to make maximum use of the available water. It has been stated that the Fact Finding Committee is being revised. I want to know whether the old members will constitute it or new members will be taken? May I also know whether Mysor Government will be allowed to continue its work on the three projects in question or not?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव): मुख्य मंत्रियों ने बैठक के बाद क्या कहा मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। परन्तु नदी से उपलब्ध होने वाली पानी की कुल मात्रा के बारे में सर्वसम्मति थी। कुछ अन्य बातों के बारे में समिति से स्पष्टीकरण मांगे गये हैं। मुख्य मंत्री आगामी किसी तारीख को पुन: मिलने तथा समझौते की सम्भावनाओं पर पता लगाने पर सहमत हो गये हैं। मुझे आशा है कि अगली बैठक में कोई शान्तिपूर्ण समझौता हो सकेगा।

जहां तक हमारे जैसे बड़े देश में जल विवादों का प्रश्न यह संख्या बहुत कम है। अधिकांश विवाद हल हो जायेंगे। नर्मदा जल विवाद के बारे में सम्बन्धित राज्य, प्रधान मंत्री के पंचाट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बनसागर बांध के भी शीघ्र हल निकल आयेगा।

जहां तक कावेरी जल विवाद का प्रश्न है यह कठिन समस्या है क्योंकि राज्य जितने पानी की मांग कर रहे हैं वह उपलब्ध जल से बहुत अधिक है। सभी राज्य सिंचाई व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। अत: एक राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाना आवश्यक है ताकि कमी वाले राज्यों को पानी सप्लाई किया जा सके।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली परिवहन निगम के 1971-72 वर्ष के प्रशासन प्रतिवेदन

नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं निम्नलिखित पत्रे सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी०-4964]

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 16 की उपधारा (6) के अन्तर्गत नौवहन विकास निधि समिति के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन तथा प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-4965/73] ।

(3) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या एफ०-3 (28)/72/टी० पी० टी० में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-4966/73]

(4) आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई, दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ गठित मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० संख्या 1297, जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण नियम, 1971 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(दो) जी० ओ० एम० संख्या 183, जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनाक 8 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आंध्र प्रदेश मोटर गाड़ी नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किया गया है । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-4967/73] ।

(5) आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई, दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित आंध्र प्रदेश मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम, 1963 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कतिपय वाहनों के संबंध में मोटरगाड़ी कर के संदाय से छूट के बारे में जी०ओ० आरटी० संख्या 2583, जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनाक 14 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) जी०ओ०आरटी० संख्या 1445, जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन कतिपय बेकार वाहनों के संबंध में कर संदेय की छूट प्रदान की गई है।

(तीन) कतिपय वाहनों के संबंध में कर के संदेय की अनुग्रह अवधि के बारे में जी० ओ० आरटी० संख्या 1446, जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) जी०ओ०एम० संख्या 1361, जो आध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्तूबर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय वाहनों द्वारा संदेय कर की दरों के बारे में, दिनांक 25 अगस्त, 1966 की अधिसूचना संख्या जी०ओ० एम० 1732 में कतिपय संशोधन किया गया था।

(पाँच) कतिपय वाहनों के संबंध में कर की रियायती दर के बारे में जी०ओ०एम० संख्या 1375, जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्तूबर, 1972 सें प्रकाशित हुए थे।

(छः) कतिपय वाहनों के सम्बन्ध में कर की रियायती दर के बारे में जी०ओ०आरटी० संख्या 1631, जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुआ था।

(सात) कतिपय वाहनों के सम्बन्ध में कर के संदेय की अनुग्रह अवधि के बारे में जी०ओ० आरटी० संख्या 1987, जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) जी०ओ० आरटी० संख्या 2098, जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कतिपय वाहनों के सम्बन्ध में करों की छूट रद्द की गई है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०-4968/73]

भूमि (अंतरण पर प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उप धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : मैं निम्नलिखित सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भूमि (अंतरण पर प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली भूमि (अंतरण पर प्रतिबन्ध) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या एफ 1(1)/72-एल० एण्ड बी० में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-4969/73]

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-4970/73]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :-

(1) सा० सां० नि० 475(ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) सा० सां० नि० 37(ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे ।

(3) सा० सां० नि० 185 (ङ), जों भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे :

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-4971/73]

आन्ध्र प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) (एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित आन्ध्र प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964 की धारा 217 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) जी० ओ० एम० संख्या 178, जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुए थें तथा जिनके द्वारा गृह कर उद्ग्रहण संबंधी नियमों में कतिपय संशोधन किया गया है और एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(ख) ग्राम पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों के लिए केन्द्रीय निधि संबंधी नियम जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या जो० ओ० एम० 179 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(ग) जी० ओ० एम० संख्या 180, जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त, 1962 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आंध्र प्रदेश ग्राम पंचायत (सम्पत्ति अंतरण पर शुल्क) नियम, 1965 में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(घ) जी० ओ० एम० संख्या 205, जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ग्राम पंचायत के बजट का तैयार किया जाना और प्रस्तुत किया जाना नियम, 1965 में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(ङ) जी० ओ० एम० सं० 345, जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें भवन निर्माण या परिवर्दधन या पुन-र्निर्माण के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए फीस संबंधी नियम दिए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(च) जी० ओ० एम० संख्या 418, जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक, 5 अक्तूबर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों के लिए योजनाएं तथा अनुमान तैयार करने और उनकी तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों की तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति देने की शक्तियों से संबंधी नियमों में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण। [ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी०-4972/73]

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाएं राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत न किए जा सकने के कारण स्पष्ट करने वाले छः विवरण।

(तीन) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाले छः विवरण।

(2) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) वन्य प्राणी (पशुधन घोषणा) केन्द्रीय नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 29 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वन्य प्राणी (पशुधन घोषणा) केन्द्रीय नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 41 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) वन्य प्राणी (पशुधन) घोषणा केन्द्रीय नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 43 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) वन्य प्राणी (पशुधन घोषणा) केन्द्रीय नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 45 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) वन्य प्राणी (पशुधन घोषणा) नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 मार्च, 1973 में अधिसूचना सं० सा० सां० नि० 64 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) वन्य प्राणी (पशुधन घोषणा) नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 191 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-4973/73]

भारतीय औद्योगिक संस्थान, खडगपुर के वर्ग 1969-70 के प्रमाणित लेख में कतिपय शुद्धियां करने वाला विवरण और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर के वर्ष 1969-70 के प्रमाणित लेखे में कतिपय शुद्धियां करने वाला एक विवरण और तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल० टी०-4974/73]

(2) निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिण क्षेत्र), मद्रास के वर्ष 1971–72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (उत्तरी क्षेत्र), चण्डीगढ़ के वर्ष 1971–72 का वार्षिक प्रतिवेदन [ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल० टी०-4975/73]

(3) भारतीय खान विद्यालय धनबाद के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखी गए/देखिए संख्या एल० टी०-4976/73]

(4) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे का विवरण।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-4977/73]

(5) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-4978/73]

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 17 की उप धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 1550 की एक प्रति जो आंध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश अपराधी परिवीक्षा नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-4979/73]

अधिनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON SUBORDINATEE LEGISLATION

छठा प्रतिवेदन

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले
MATTERS UNDER RULE 377

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं और मेरे मित्र श्री सेझियान नियम 377 के अन्तर्गत एक मामला उठाना चाहते हैं और यह मामला लोक सभा की

प्रश्न-सूचियों में छपे कुछ सदस्यों के नामों के बारे में है । कुछ सदस्यों ने अपने नाम लिखने का एक विचित्र ढंग निकाल लिया है । श्रीमती गायत्री अपने नाम के बाद 'जयपुर', श्रीमती कृष्णा कुमारी अपने नाम के बाद 'जोधपुर' मार्तण्ड सिंह अपने नाम के बाद 'रीवां', श्रीमती विजयराजे सिन्धिया अपने नाम के बाद 'ग्वालियर' और मेजर महेन्द्र सिंह अपने नाम के बाद 'पन्ना' जोड़ते हैं । यह प्रीवी पर्स और असमानता सूचक पदवियों को समाप्त करने के उपबन्ध का उलंघन करना है । ऐसा सुना है कि गृह-मंत्रालय ने इन भूतपूर्व नरेशों या महारानियों को अपने नाम उपर्युक्त ढंग से लिखने की अनुमति दे दी है । अब यह आपके निर्णय के लिए है । क्या लोक सभा सदस्यों के लिए ऐसा करना उचित है और विधि संगत है ?

श्री सेझियान (कुम्बकोणम): यह तो भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार समाप्त करने वाले विधान का स्पष्ट उल्लंघन है । गृह मंत्रालय ने इन्हें अपने नाम के स्थान 'जोधपुर' आदि जोड़ने की अनुमति संसद् को विश्वास में लिए बिना कैसे दे दी ?

अध्यक्ष महोदय : इस आपत्ति के उठाए जाने पर लोक सभा सचिवालय ने गृह मंत्रालय का इस संबंध में 24 अप्रैल, 1973 को लिखा था और मंत्रालय ने अपने उत्तर में यह बताया कि मंत्रि मंडल के पर अनुमोदन ऐसा निर्णय लिया गया था । मंत्रालय ने यह भी लिखा है कि अध्यक्ष जैसा अच्छा समझें, इस बारे में निर्णय ले लें । जहां तक मेरा संबंध है, मैं वही निर्णय लूंगा जो सभा की इच्छा होगी ।

कुक माननी सदस्य : उनके नाम साधारण ढंग से लिखे जाने चाहिए अर्थात् केवल 'श्री' और 'श्रीमती' के साथ ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : गृह मंत्रालय ने कुछ निदेश दिए और उन पर मंत्रिमंडल से स्वीकृति ले ली । यह बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है ।

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : वैसे तो यह सरकार का निर्णय है । किन्तु यदि आप गृह मंत्रालय से इस संबंध में कोई वक्तव्य चाहते हैं तो इसके लिए नियमित रूप से नोटिस दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत मामले की सूचना देर से मिली और सरकार को भी इस संबंध में देर से ही बताया गया । गृह मंत्रालय इस बारे में सभा को बाद में संतुष्ट कर दे । अब से बाद में सदस्य अपना नाम 'श्री' या 'श्रीमती' के साथ लिखेगें और अपने नाम के बाद किसी स्थान विशेष का नाम नहीं जोड़ेंगे ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir I want to raise a matter under Rule 377. The employment and unemployment are the subjects in the concurrent list. So I am raising this matter here. A notification has been issued from the Secretariat of Himachal Pradesh Chief Minister. It is desired in it that recruiting authorities while notifying vacancies should also send information to the Pradesh Congress Committee and the District Congress Committee so that these agencies could pass on such information to the suitable candidates available for such jobs and give proper guidance to them in the matter of employment.

I think this is not the democratic way. There is a difference between the Government and the ruling party. Secondly, in Himachal Pradesh there are other parties too. If Government wants to send such information it should be sent to all political parties, otherwise the notification should be withdrawn. I would like to know your reaction also. (*Interruptions*)

Mr. Speaker : My opinion should not be sought in all matters. Moverover, you need not quarrel on this matter. Chief Ministers should be adivsed not to do such things by issuing official letters.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): श्रीमान्, मैं नियम 377 के अन्तर्गत आकाशवाणी द्वारा किए जा रहे कुछ प्रसारणों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। श्रीमती इन्दिरा गांधी आजकल विरोधी दलों पर कई प्रकार के आरोप लगा रहीं हैं। उनमें से एक यह भी है कि विरोधी राजनीतिक दल विदेशों के अपनी विचारधारा वाले राजनीतिक दलों से सम्बद्ध हैं। इस प्रकार के आरोपों का प्रचार आकाशवाणी बड़े पैमाने पर कर रही है। यह आकाशवाणी का दुरुपयोग है। आकाशवाणी से इस प्रकार का प्रचार तत्काल बंद किया जाना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। इस बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री भी कुछ कहें।

Shri A. B. Vajpayee : If you cover the speech of the Prime Minister made by her as the party leader, the speeches made by other political party leaders should also be covered.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई०के०गुजराल) श्री मिश्र ने एक सामान्य बात कही है, कोई विशेष नहीं। वस्तुतः बात यह है कि रेडियो समाचार प्रसारित करता है, प्रधान मंत्री या अन्य किसी भी नेता के उन वक्तव्यों को आकाशवाणी से प्रसारित किया जाता है, जो समाचार बनाते हैं। इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि ये वक्तव्य सम्मेलन में दिए गए अथवा अपने दल के मंच पर। इसी आधार पर संगठन कांग्रेस और जनसंघ के नेताओं के भाषण भी प्रसारित किए जाते हैं। चूंकि प्रधान मंत्री देश की नेता हैं, इसलिए उनके वक्तव्यों का समाचार अपेक्षाकृत अधिक दिया जाता है ताकि राष्ट्र उनकी नीतियों से परिचित हो जाए।

उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

ORISSA STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में विचार किया जाए।

सभा को मालूम है कि राष्ट्रपति ने उड़ीसा राज्य के संबंध में 3 मार्च 1973 को जो उद्घोषणा की थी, उसमें यह घोषणा की गई थी कि राज्य विधान मंडल की शक्तियां संसद् द्वारा प्रयुक्त की जाएंगी इस विधेयक में राज्य विधान मंडल की शक्तियों को राष्ट्रपति को सौंपने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रयोजन के लिए संसद् सदस्यों की एक सलाहकार समिति भी बना दी गई है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के लिए राष्ट्रपति कानून बनाता है। यदि आवश्यक समझें तो संसद् इन कानूनों में सुधार कर सकती है।

श्री दिनेश जोरदार (माल्दा) : संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने राज्य का शासन अपने हाथ में लेने और विधान सभा को भंग करने की घोषणा 3 मार्च 1973 को की थी और ऐसा राज्यपाल की रिपोर्ट पर किया गया था। वस्तुतः राज्य में शासक दल का बहुमत कम हो गया था और वहाँ के राज्यपाल ने शासक दल का पक्षपात करते हुए अपनी रिपोर्ट में वहाँ आपातकालीन स्थिति बनाई जिसके लिए राष्ट्रपति शासन का सुझाव दिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल संसद् अथवा विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी न होकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। अतः हम यह माँग करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति वर्तमान पद्धति को समाप्त किया जाए और वे निर्वाचन के आधार पर नियुक्त किए जाने चाहिए और उन्हें संसद् के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri K. N. Tiwari in the chair]

उड़ीसा के मामले में केन्द्रीय सरकार अथवा काँग्रेस दल ने जल्दी में काम किया है । विरोधी दलों के वैकल्पिक सरकार बनाने के अधिकार की परवाह किए बगैर और बहुमत की परीक्षा किए बिना ही वहाँ विधान सभा भंग कर दी गई थी । यह लोकतंत्रीय सिद्धांतों के विरुद्ध है । इस दृष्टि से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और यह माँग करता हूँ कि राज्य में शीघ्र ही चुनाव कराए जायें ताकि राज्य का शासन जनता के प्रतिनिधियों को सौंपा जा सके ।

श्री बनमाली पटनायक (पुरी) : मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि श्री जोरदार इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं । हाल ही में संसद् ने राष्ट्रपति की उड़ीसा के सम्बंध में घोषणा पास की थी । उसी के परिणामस्वरूप यह विधेयक लाया गया है । अब प्रश्न यह नहीं है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों लागू किया गया, बल्कि यह है कि परामर्श समिति को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाए । जहाँ तक शीघ्र चुनाव कराए जाने का संबंध है, वह तभी संभव होगा जबकि परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन पूरा कर लेगा और संशोधित मतदाता सूचियाँ प्रकाशित हो जाएंगी । इसमें लगभग 6 महीने का समय लगेगा । किन्तु विरोधी दलों के सदस्य हर अवसर पर काँग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं ।

चूंकि अब राज्य में राष्ट्रपति का शासन है इसलिए मेरा सुझाव है कि वहाँ भूमि सुधार कानून शीघ्र बनाया जाए और लागू किया जाए । साथ ही, उड़ीसा में भोजन और पेय जल की कमी की ओर भी राष्ट्रपति शासन के दौरान विचार किया जाए ।

***श्री ई०आर० कृष्णन्** (सलेम): उड़ीसा में इस समय राष्ट्रपति शासन है । 7 और 8 अप्रैल, 1968 को देश के पीठासीन अधिकारियों का नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें एक संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था कि क्या किसी मुख्य मंत्री के प्रति विधान सभा का विश्वास हट गया है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय हर समय विधान सभा ही करेगी । सम्मेलन में यह भी विचार किया गया था कि यदि अधिकाँश विधायक मुख्य मंत्री या राज्यपाल को यह लिख कर दें कि उनका मुख्य मंत्री के प्रति विश्वास हट गया है और वे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते हैं तो इस संबंध में विधान सभा में की गई प्रार्थना के एक सप्ताह के भीतर विधान सभा बुलानी पड़ेगी । सम्मेलन में भारत सरकार को यह भी सिफारिश की गई कि राज्यपाल को विधान मंडल की बैठक बुलाने या सत्रावसान करने या मंत्रिमंडल को भंग करने की शक्ति के संबंध में परिपाटी बनाने के लिए सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए । इन सिफारिशों को किए हुए अब 5 वर्ष व्यतीत हो गए हैं किन्तु देश में कुछ नहीं हुआ है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है और सत्ताधिकारी काँग्रेस दल राज्यों के मुख्य मंत्रियों का नामनिर्देशन करता है । इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह लोकतंत्र की भावना के विपरीत है ।

विधायक दल-बदल करते हैं । इससे देश में लोकतंत्र की जड़ें खोखली हो जाएंगी । दल-बदल से जब तक सत्ताधारी दल का राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा इस संबंध में कुछ नहीं होने वाला है । हमें पता है कि दल-बदल के बारे में विचार करने के लिए और इस पर रोक लगाने के लिए उपाय सुझाने

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

हेतु एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन बहुत समय पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। केन्द्रीय सरकार के यह कहने पर कि दल-बदल को रोकने के लिए उचित कानून बनाया जाएगा और अनेक बार आश्वासन देने पर भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि सरकार उसे वास्तव में रोकना चाहती है। सत्ताधारी काँग्रेस दल अपनी सुविधा के अनुसार इस संबंध में लोकताँत्रिक प्रथा का पालन करता है ।

दल-बदल के परिणामस्वरूप जब नन्दनी सत्पथी सरकार ने विधान सभा में अपना बहुमत खो दिया तो विरोधी दलों के 75 विधायक राज्यपाल से मिले और उन्होंने सरकार बनाने का अधिकार माँगा, किन्तु राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया, और स्वेच्छा से विधान सभा को भंग कर दिया। 72 विधायकों ने राज्यपाल के कृत्य को चुनौती देते हुए न्यायालय में याचिका दायर की है। यह लोकतंत्र की हत्या है।

जिस समय केन्द्रीय सरकार उड़ीसा की विधान सभा को भंग करना चाहती थी तो उसी समय आन्ध्र प्रदेश में विधान सभा को केवल निलंबित करने में ही अपनी सुविधा देखी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली दुहरी नीति को हमारे देश में कभी लोकतन्त्र दृढ़ हो सकता है ? अब तो केन्द्रीय मंत्री भी विरोधी दलों को राष्ट्रविरोधी कहने लगे हैं। इससे देश में लोकतंत्र की नींव कभी मजबूत नहीं होगी।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : Sir, it is unfortunate that President while setting aside all norms of democracy has imposed President rule in Orissa. The Progressive Party which was in majority to form an alternative Government in Orissa, should have been given an opportunity to form a Government. But the Governor did not give them such an opportunity. It is evident that the Governors act what Central Government desire.

It was decided in the conference of the Presiding Officers that Governors should tackel constitutional crisis and decide the matter of their own accord as to which party would be in opposition to form a Government. But nothing has been done in this regard.

Government has been giving assurance to bring in this very session forward a Bill to check defections. I want to know whether the required Bill will be brought forward in this session?

We should also go into the role of Governors, because Governors are acting on the instance of Central Government. They are mere rubber stamps of Central Government.

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा): यह बड़ी उपहासस्पद स्थिति है कि जब लोग सरकार के प्रबंध में भाग लेना चाहते हैं तो वहाँ देश के अधिकाधिक क्षेत्र राष्ट्रपति के एकाधिकार तंत्र के अंतर्गत आते जा रहे हैं।

यदि उड़ीसा के राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करते और राष्ट्रपति स्थिति की यथार्थता को ध्यान में रखते तो आज उड़ीसा लोकप्रिय सरकार से वंचित न रहता।

उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन होने से वहा बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं। मयूरभंज और कींसर जिलों में लोग कुपोषण और भुखमरी से मर रहे हैं। किन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रपति द्वारा मार्ग निर्देशन के बावजूद भी उड़ीसा के तानाशाह लोगों के कष्टों को कम करने में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

ऐसी स्थिति में हम यह जानने के बहुत इच्छुक हैं कि उड़ीसा की नई विधान सभा के लिए चुनाव कब कराए जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए सरकार सशक्त है किन्तु आशंका यह है कि काँग्रेस अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए लोगों पर चुनाव जबरन थोप रही है। बड़े आश्चर्य की बात है कि यह मामला नियम 377 के अंतर्गत उठाया गया था। अत: हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार अनुच्छेद 82 का उल्लंघन कर रही है, जिसके अंतर्गत निर्वाचन

क्षेत्रों का परिसीमन का आदेश दिया जाता है। अत: हम स्पष्ट रूप से सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या सरकार निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एवं मतदाता सूचियों में समुचित रूप से संशोधन करने के पश्चात् उड़ीसा में निष्पक्ष चुनाव कराएगी।

श्री समर गुह (कंटाई) : यदि राज्यपाल का पद कांग्रेस दल के राजनीतिक हित का शिकार न होता तो आज संभवत: उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन की अपेक्षा वहाँ लोकप्रिय सरकार होती।

उड़ीसा छोटा सा राज्य है और वहाँ मतदाताओं की सूची में संशोधन करने में अधिक समय नहीं लगेगा। अत: सरकार को वहाँ शीघ्र चुनाव कराने चाहिए और सरकार को वहाँ अकस्मात चुनाव कराने का प्रयास कर लोगों को चकित नहीं करना चाहिए। लोगों को अपना मतदान करने में कुछ विचार करने का समय दिया जाना चाहिए।

दूसरे, सलाहकार समितियाँ बनाने का विधेयक में प्रावधान है और इस संबंध में विधान बनाने के लिए सलाहकार समिति से परामर्श करना चाहिए। किन्तु इन समितियों की 2 या 3 महीने में एक बार बैठक होती है और सदस्यों को विधान संबंधी कार्य के अतिरिक्त और किसी अन्य मामले पर चर्चा करने का अवसर ही नहीं मिलता। अत: सलाहकार समिति को एक महीने में कम से कम एक बार बैठक बुलानी चाहिए जिससे कि गैर-विधान एवं विधान संबंधी मामलों पर चर्चा हो सके।

उड़ीसा एक निर्धन और पिछड़ा हुआ राज्य है। और समिति के सदस्यों को लोगों की समस्याएं राज्यपाल के सामने रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आपका संशोधन विलंब से प्राप्त हुआ है। अत: मैं उसकी अनुमति नहीं देता।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। राज्यपाल ने वहाँ अत्यन्त नाटकीय ढंग से कार्य किया है और उनके सामने वहाँ राष्ट्रपति शासन की सिफारिशें करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह गया था। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि वहाँ 45 संसद् सदस्यों की एक समिति बनाई जाए जो वैधानिक कार्यों में सरकार को सुझाव दे सके। उड़ीसा में कुछ विशेष समस्याएं हैं और आशा की जाती है कि राष्ट्रपति शासन की अल्पावधि में उन समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा।

उड़ीसा के 40 प्रतिशत लोग आदिवासी और हरिजन हैं और राष्ट्रपति शासन के दौरान इन लोगों के साथ विशेष व्यवहार किया जाएगा ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। इस अवधि में गरीबी दूर करने हेतू भी बहुत प्रयास किया जाएगा।

सरकार ने सुखिन्दा में निकल का कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है। किन्तु इस कारखाने का मुख्य कार्यालय दिल्ली में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इसमें उड़ीसा की बजाए दिल्ली के लोगों की अधिक भर्ती की जाए तो इससे हमारे वास्तविक उद्देश्य ही असफल हो जाएंगे। अत: इस कारखाने का मुख्य कार्यालय या तो भुवनेश्वर में होना चाहिए या कारखाने में ही होना चाहिए।

उड़ीसा में इस समय भयंकर सूखा व्याप्त है। वहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और खाद्यान्न बहुत महंगे हो गए हैं। मंत्री महोदय का लोगों को कष्टों से राहत दिलाने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए।

इस राज्य में प्राय: तूफान, सूखा और बाढ़ें आती रहती हैं। अत: केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ ऐसे तात्कालिक उपाय करने चाहिए जिससे कि राष्ट्रपति शासन के दौरान वहाँ ये समस्याएं कुछ सीमा तक सुलझ जाएं।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : उड़ीसा में, विशेषकर मयूरभंज, क्योंकर और बालासोर के कुछ क्षेत्रों में भयंकर सूखा है और खाद्यान्नों की बहुत कमी है। यहां अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं जिनकी बहुत खराब स्थिति है। इनको वहां रोजगार भी नहीं मिल रहा है। मंत्री महोदय को इस स्थिति को सुधारने के लिए तुरन्त कुछ उपाए करने चाहिए।

राज्य का प्रशासन भी ठीक से कार्य संचालन नहीं कर रहा है। प्रशासन इस स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए अपेक्षित कार्यवाही नहीं कर रहा है। अत: मंत्री महोदय को राज्य सरकार को निदेश देने चाहिए जिससे कि इस स्थिति को और अधिक बिगड़ने से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : Sir, the increasing tendency of defections in the legislators has created instability in the State Governments, and it has become a dangerous to the democracy of our Country. People are losing faith in the democracy. Therefore the tendency of defections has become a National Crisis.

The fall of Nandini Satpathy's Government, the Governor forced President's rule in Orissa. Instead of imposing President rule in the State the Governor should have called the leaders of the opposition to find out the possibilities of forming an alternative Government. But the Assembly was dissolved without discussing the matter with the opposition. Such a thing should not happen in future so that the people may not lose faith in democracy. The Central Government should not indulge in such things as might raise suspicion in the minds of the people that Party in power in the Centre want to rule the states. If such feelings of the people gain ground it will be dangerous for our Parliamentary system.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Sir, I stand to oppose this Bill. The Progressive Party which was in opposition, was not given an opportunity to form an alternative Government in Orissa.

The Government has so many times announced that they want to bring forward a Bill to put a check on defections in the current session. But it is regretting to note that the same has not been brought forward till now. The hon. Minister should repedite this matter.

After the fall of Nandini Satpathy Government, Central Government did not give an opportunity to the opposition and the Governor imposed President's rule in the State. Therefore, I want the hon. Minister to give a categorical statement. Whether he will bring forward the required Bill in the current session, otherwise we shall be compelled to take any other step in the matter.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : उड़ीसा में 'राष्ट्रपति शासन लागू करने और उससे सम्बंधित परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। यदि डा० मेहताब के उस वक्तव्य को, जिसका उल्लेख राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में किया है, स्मरण किया जाए तो उक्त प्रतिवेदन के ब्योरे के बिना ही उड़ीसा की सारी स्थिति समझ में आ जाएगी। बताया जाता है कि अब मेहताब ने राज्यपाल को बताया है कि यदि उन्होंने शीघ्र ही कोई कार्यवाही न की तो दल-बदल की घटनाएं पुन: होने लगेंगी। ऐसी स्थिति में राज्यपाल ही कुछ कर सकते थे कि ऐसे वातावरण में वहां बनाई गई सरकार स्थाई भी रह सकेगी या नहीं, क्योंकि विपक्षी दल आपस में बल प्रयोग कर रहे थे और विधायक बार-बार एक दल से दूसरे दल में दल बदल कर रहे थे। इस सम्बन्ध में डा० मेहताब के वक्तव्य के बारे में दो मत नहीं हो सकते। यदि कोई स्थिर सरकार बने तो उड़ीसा की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है।

फिर भी राज्यपाल की आलोचना की गई कि कांग्रेस ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राज्यपाल का उपयोग किया है। अब विचार यह किया जाना चाहिए कि क्या राज्यपाल ने इसकी सिफारिश की थी जिसके आधार पर अंतिम निर्णय केन्द्रीय सरकार ने लिया था। यह मामला संसद् में प्रस्तुत किया गया और इस पर चर्चा की गई। ऐसा निर्णय लेने का दायित्व हम अपने सिर पर लेते हैं। इसके लिए राज्यपाल

को क्यों दोष दिया जाता है। इस विवाद में राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति को क्यों शामिल किया जाता है। इसके साथ-साथ यह कहना भी गलत है कि राज्यपाल की रिपोर्ट को दृष्टिगोचर करके हमने यह निर्णय किया है। हमने राज्यपाल की रिपोर्ट पर भी विचार किया है क्योंकि राज्यपाल के वक्तव्य को बहुत महत्व दिया जाता है। राज्यपाल ही हमारा श्रेष्ठ सलाहकार होता है।

माननीय मित्रों को याद होगा कि इस स्थिति में राज्यपाल की सिफारिश विधान सभा को समाप्त करने की नहीं थी, पर हमसे वहाँ की स्थिति उड़ीसा के समान ही देख कर विधान सभा को समाप्त कर दिया, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ स्थायी सरकार नहीं बन सकती। सरकार द्वारा राज्यपाल की सिफारिश के विरुद्ध की गई कार्रवाई का उत्तर देने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं। अतः राज्यपाल के नाम का उल्लेख यहां नहीं किया जाना चाहिए।

श्री दिनेश जोरदर: संविधान के अनुसार राज्यपाल केन्द्रीय सरकार को विधान सभा को समाप्त करने की सिफारिश नहीं कर सकता और न ही केन्द्रीय सरकार को उसे समाप्त करने की शक्ति दी गई है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: यदि माननीय सदस्य ने जो कुछ मैंने कहा है उससे कुछ नहीं समझा तो हम मेरे दोबारा बताने से भी उन्हें समझ में नहीं आएगा।

दूसरी बात चुनावों की तारीख के सम्बन्ध में कही गई। चुनाव से पहले कुछ प्रक्रियायें पूरी करनी पड़ती हैं। उन्हें चुनाव से पूर्व ही हर हालत में पूरा करना होगा। इसमें कुछ समय लगेगा। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि इसमें कम से कम समय लेकर जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं और उड़ीसा में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करना चाहते हैं।

उड़ीसा के उप-मुख्य मन्त्री का जिक्र किया गया और इसके साथ ही दल-बदल विरोध विधेयक का उल्लेख भी हुआ। इसके सम्बन्ध में हम विचार कर चुके हैं और इस सत्र के अन्त से पहले ही हम इसे सभा में पेश कर देंगे। इस विधेयक का यह उद्देश्य कदापि नहीं है कि कोई व्यक्ति अपना दल बदल ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति अपना दल बदल कर किसी भी दल से चुनाव लड़ सकता है।

यह कहना सही है कि उड़ीसा आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा राज्य है परन्तु वहां खनिज पदार्थों की बहुतायत है यदि उनका सही तरीके से दोहन किया जाये तो उड़ीसा एक सम्पन्न राज्य हो जाये। उद्योगों का वहां विकास हो रहा है तथा बन्दरगाह बन रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सभी आवश्यक सामग्री वहां है अब उनके उपयोग की ही समस्या है। भूमि सुधार कार्य को वहां हाथ में शीघ्र ही लेना चाहिए।

उड़ीसा में विकास सम्बन्धी सबसे बड़ी समस्या पीने और सिंचाई के पानी की कमी है। पांचवीं योजना में हम इस कार्य क्षेत्र-विकास के रूप में ले रहे हैं तथा सिंचाई आदि से पिछड़े तथा बाढ़-ग्रस्त इलाकों का विकास किया जायेगा। राज्य सरकार ने केन्दु पत्ती के विपणन को अपने हाथ में ले लिया है।

श्री पाणिग्रही ने निकल संयंत्र का उल्लेख किया। उसके सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी नहीं है पर इतना सही है कि उसका मुख्यालय उड़ीसा अथवा दिल्ली कहीं पर भी हो स्थानीय लोगों को रोजगार देने में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों को ही अपनाया जायेगा।

राज्यपाल का राज्य थोड़े ही समय का है। इस बीच हम यथा सम्भव समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे पर यह वादा नहीं कर सकते कि सभी समस्याओं का समाधान हो जायेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है: "कि राष्ट्रपति को उड़ीसा राज्य विधान मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

सभापति महोदय : किसी भी खण्ड के लिए कोई संशोधन नहीं है। अतः प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2, 3, 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clauses 2, 3, 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पास किया जाये।"

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : उड़ीसा में गेहूं की नितान्त कमी तथा उड़ीसा सरकार ने केन्द्र को तुरन्त गेहूं सप्लाई करने को लिखा है। अतः उसे शीघ्र पहुंचाने का प्रबन्ध किया जाये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे इस प्रकार के किसी पत्र की जानकारी नहीं। सम्भवतः वह सीधा खाद्य मन्त्रालय भेजा गया है। तथापि मैं इसकी जांच करूंगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक के बारे में

Re : CENTRAL EXCISES AND SALT (AMENDMENT) BILL

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्तुत विधेयक खण्ड 2 में मूल्यांकन सम्बन्धी धारा को बदलने से सम्बन्धित है। मूल्यांकन सम्बन्धी धारा 1955 में शामिल की गई थी। इसको लागू करने में कई क्रियात्मक कठिनाइयां सामने आ रही हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमने मल्यांकन

करने सम्बन्धी परिभाषा में परिवर्तन किये हैं जिससे कि सम्बन्धित उद्योग को इस सम्बन्ध में कोई सन्देह न रह जाये और न ही उन लोगों को जोइ से लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।

नए उपबन्धों का प्रारूप तैयार करते समय हमने क्रियात्मक कठिनाइयों और न्यायिक पहलुओं को ध्यान में रखा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 1969 पर विचार करने वाली प्रवर समिति के सम्मुख दिये गये साक्ष्यों का भी ध्यान इस सम्बन्ध में रखा गया है।

दूसरा संशोधन जो विधेयक के खण्ड 5 में है वह धारा 40 को उपस्थापित करता है, जिसके अन्तर्गत सरकार 6 महीने के बाद अपराधी के विरुद्ध भी मुकदमा नहीं चला सकती थी, इस संशोधन के द्वारा अधनियम का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट किया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : वर्तमान अधिनियम 1944 में लागू किया गया था। इसमें समय-समय पर कई संशोधन किये गये। 1963 में इसमें सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया पर सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया। अब यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय को समाप्त करने के लिए लाया गया है। परन्तु क्या इस संशोधन से सारी कमियां समाप्त हो जायेंगी अथवा और बढ़ जायेंगी। थोक मूल्य की बात इसमें कही गई। पर कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह निर्धारित किस प्रकार की जायेगी।

इसके अतिरिक्त और कई बातें ऐसीं छोड़ दी गई हैं जो स्पष्ट नहीं की गई हैं और जो कभी भी विवाद का विषय बन सकती हैं।

मैं इस बात के सख्त खिलाफ़ हूं कि कर के आधार पर दर करने की शक्ति से संसद को अलग रखा जाये। यह केवल संसद द्वारा निश्चित किया जाना चाहिए।

खण्ड 5 के द्वारा सरकार ने दुहरी सुरक्षा प्राप्त कर ली है। पहले अपराधी के विरुद्ध 6 महीने के बाद मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था पर अब यह अवधि 3 महीने है और इतना ही नहीं एक महीने पहले नोटिस दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इस प्रकार गलत काम करने वाले को, दोहरी सुरक्षा क्यों दी जा रही है?

इस विधेयक के द्वारा समस्या का समाधान नहीं होगा बल्कि और बढ़ जायेंगी क्योंकि कई बातों को स्पष्ट नहीं किया गया है।

उत्पाद कर की बकाया राशियों का अगर अध्ययन किया जाये तो दिमाग चकरा जाएं। 31 मार्च, 1972 को 5,168.75 लाख रुपये का उत्पाद कर बकाया था। 10,99,621 रुपये के बकाया कर को बट्टे खाते डाल दिया गया है। यह एक आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग तो भारत भी छोड़ चुके हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो जिन्दा हैं पर कर देने में असमर्थ हैं। इस प्रकार कर वसूल करने की कमियों को समाप्त करने के लिए क्या किया जा रहा है? मुझे नहीं लगता सरकार ने इन आंकड़ों को देखा भी है। इस प्रकार इस विभाग के दोष अपूर्ण कार्य से राज्य सरकारें बड़ी हानि उठा रही हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर बार-बार विधेयक लाने से क्या होता है?

अत: मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि इन सब कमियों को देखते हुए एक सर्वथा नया विधान लाया जाये, जिसमें ये सब कमियां न हों तथा कर निर्धारण में मदद मिले। और बड़ी-बड़ी मुर्गियां साफ बच कर न निकल सकें।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। ये कर हमारे देश में वस्तु कराधान के बड़े ही महत्वपूर्ण अंग हैं तथा इनसे केन्द्र सरकार को अपने कुल कर राजस्व का 50 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। वर्ष 1970–71 में 3,620 करोड़ रुपये के कुल कर राजस्व में से इन करों के अधीन 2,081 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

ये कर वस्तु के मूल्य के हिसाब से लगाये जाते हैं। परन्तु किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करने में बड़ी कठिनाई होती है जैसा कि बोहरास के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उल्लेख किया गया है। इसलिए ये संशोधन मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से लाये गये हैं। धारा 4 में संशोधन का अभिप्राय यही है कि उत्पाद शुल्क योग्य सामान का मूल्यांकन व्यवहार मूल्य के आधार पर किया जाये।

यह कहा गया है कि इसके फलस्वरूप समस्या अधिक उलझ जायेगी। परन्तु मेरा विश्वास है कि इस विधेयक को सहायता से सम्बन्धित अधिकारियों को किसी वस्तु के प्रकार तथा उसके मूल्य निर्धारित करने में काफी सुविधा हो जायेगी क्योंकि विधेयक में किये गये प्रावधान के अनुसार मूल्य का आधार थोक-कीमत होनी चाहिये जो कि ठेके के समय किसी वस्तु को दर्शाने के स्थान पर निश्चित की गई हो।

विधेयक में आगे कहा गया है कि यह मूल्य उस दशा में स्वीकार्य नहीं होगा जबकि किसी वस्तु के किन्ही व्यक्तियों को विक्रय करते समय हेर-फेर की जाती है। संशोधन में करदाता, वस्तु के हटाये जाने के स्थान, पैकिंग, थोक व्यापार आदि की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। धारा 37 के एक संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि नियमों में इसका स्पष्ट उल्लेख होगा कि धारा 4 के अन्तर्गत उल्लिखित वस्तुओं के मूल्य में किन-किन प्रकार की व्यापारिक कटौती को निकाल दिया जाना चाहिए तथा किन-किन परिस्थितियों में उक्त कटौती दी जायेगी। खण्ड 40 के अधीन इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की गई है।

इसमें एक कमी भी है और मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे। इस खण्ड के दूसरे भाग में यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार और उसके अधिकारियों का राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अदालती कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इसमें राज्य सरकार के अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया जबकि राज्य सरकार भी तो अपने अधिकारियों के माध्यम से ही तो कोई कार्यवाही करती है। यह सुरक्षा राज्य सरकार के अधिकारियों को भी उपलब्ध होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं तथा सभा से इसे स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

Shri Bhan Singh Bhaura (Bhatinda) : The hon. Minister has stated that the purpose of the Bill is to remove the lacuna in the existing Act, as has been pointed out by the Supreme Court. But it may also be noted that the policy of raising the excise duty continuously is a very dangerous policy. The increase in excise duty time and again results in the rise in prices of the commodities thereby putting further burden on the consumers as the producers pass the buck to the Consumers. Also it is usually seen that some lacuna is always allowed to remain in the legislation and the

dishonest traders in collusion with the corrupt officers make huge profits out of such a lacuna. In fact no trader or producer or manufacturer can evade taxes and duties without the help of the Government machinery. That is we find that there are so much tax-arrears and that the prices are shooting up.

Because of the wrong policy of the Government prices of those commodities also increase where excise duty is not involved. The manufacturers of those commodities cheat the artificial scarcity of those commodities and release them only when they get an increase in prices sanction by the Government. Therefore, the Government should have brought a comprehensive Bill to reduce the incidence of indirect taxation. Let them put direct taxes at source because the indirect taxes always result in the sprout in prices.

Let the hon. Minister look into these things deeply and bring forth a comprehensive Bill.

Shri G. P. Yadav (Katihar) : Government bring forward amendments to the Acts as and when the law courts put certain legal obstacles in the respective clauses. Why do not the Government themselves review the effectiveness and practicability of the various provisions and bring forth a comprehensive Bill seeking the much needed basic changes in the Central Excise and Salt Act? Piece-meal legislations are not going to improve the working of the Excise Department.

The hon. Minister has stated that an amount of about Rs. 1,24,000 would be required for increasing the number of employees in the Department and providing facilities etc. as well as training for them. But why don't the Government make some provisions for eradicating corruption and malpractices also which are prevalent at the moment? The hon. Minister should take effective measures in this regard.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तुपुजा) : मैं तीन बातों के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। पहली तो यह कि मन्त्री महोदय ने खण्ड 4 (1) (क) के लिये एक संशोधन पेश किया है जिसका आशय यह है कि मूल प्रारूप—"जहां निर्धारिती तथा क्रेता की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई रुचि न हो" के स्थान पर "जहां क्रेता कोई सम्बद्ध व्यक्ति न हो" प्रतिस्थापित करना है। मुझे तो यह अनुभव होता है कि इस नये सिद्धान्त को अपनाने का कोई आधार नहीं है तथा मूल प्रारूप ही अधिक उचित तथा उपादेय है। यह प्रश्न कि कोई व्यक्ति सम्बद्ध है अथवा नहीं, केवल एक साधन-मात्र है जिसके द्वारा कोई भी विक्रेता तथा क्रेता की रुचि की कल्पित मात्रा निश्चित कर सकता है। वास्तव में हुआ यह है कि इनमें रुचि रखने वाले लोगों को स्वच्छन्द छोड़ दिया जाता है और आदान-प्रदान में जो कुछ दिखाया जाता है वही सही रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। सम्बद्ध व्यक्तियों में पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-भाई आदि की बात तो समझ में आती है परन्तु दूसरी-तीसरी पीढ़ी में जाकर सम्बन्धों में इतनी घनिष्ठता प्राय: नहीं रहती जिससे सम्बद्धता की संज्ञा दी जा सके। इसलिए मेरे विचार तो केवल खून के रिश्ते को छोड़कर और किसी प्रकार की सम्बद्धता को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए मूल प्रारूप ही उचित है और उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

धारा 4(1)(क) में असम्बद्ध व्यक्तियों के मध्य लेन-देन के आंकड़ों को मूल्य माना जाता है। यदि इसका आधारभूत मंत्र यही है तो फिर सम्बद्ध व्यक्तियों के बीच आदान-प्रदान को अपनी गणना में नहीं लिया जाना चाहिए। ये सब बातें खण्ड (ख) के अन्तर्गत लायी जा सकती थीं जबकि धारा 4(1)(क) उपबन्ध (iii) में एक नई प्रकार की परिभाषा भी दी गई है। यह सब कुछ मेरी समझ में तो नहीं आता है। इस उपबंध (iii) के अधीन दो प्रकार के लेन-देनों का प्रावधान है। इसमें एक तो यह कि यदि मैं अपना माल अपने किसी सम्बद्ध व्यक्ति को बेचता हूं तो उसका मूल्य वह माना जायेगा जिस पर वह क्रेता

थोक व्यापार के रूप में किसी अन्य क्रेता को बेचता है। बशर्ते कि वह व्यक्ति उस विक्रेता से सम्बद्ध न हो। दूसरे खण्ड में यह प्रावधान है कि यदि दूसरा क्रेता यदि पहले क्रेता से सम्बद्ध है तो मूल्य वह होगा जिस पर दूसरा क्रेता किसी अन्य फुटकर व्यापारी को बेचता है। मुझे तो इन दोनों में कोई परस्पर भेद नजर नहीं आता और इसी सम्बन्ध में मैं स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। वस्तुतः तो मूल्य वही होना चाहिए जिस पर मैंने बेचा तथा क्रेता ने इसे खरीदा। इसमें इसका कोई महत्व नहीं कि आगे वह माल किस मूल्य पर बिकता है।

अतः कम्पनी कानून के अन्तर्गत दी गई "सम्बद्ध व्यक्ति" की परिभाषा एक कल्पना मात्र है और इसे इस विधेयक में ठूंसना उचित नहीं लगता।

मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दें।

*श्री जे० माता गौडर (नीलगिरि) : यह संशोधक विधेयक केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत कार्यवाही में आड़े आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से सभा के समक्ष पेश किया गया है। निस्सन्देह ही इस विधेयक का उद्देश्य मूल अधिनियम में रह गई कमियों को दूर करना है जिनका निर्माता तथा उत्पादक लोग अनुचित लाभ उठाते हैं। इन त्रुटियों के कारण करोड़ों रुपये का कर-अपवंचन ये लोग कर जाते हैं। कानूनी विशेषज्ञों की सहायता से इन त्रुटियों के आधार पर ये लोग सरकार को भारी कर-राशि से वंचित कर देते हैं तथा उपभोक्ताओं को ऊंचे मूल्य देने पर मजबूर कर देते हैं। सामान्य उपभोक्ताओं को न तो इतनी कानूनी जानकारी होती है और न ही उनके पास कानूनी विशेषज्ञ होते हैं कि ये इन निर्माता-उत्पादकों से लोहा ले सकें। अतः ऐसी त्रुटियों के लिए सारा दोष केन्द्र सरकार के ऊपर आता है।

अब जबकि उच्चतम न्यायालय ने कानून के अन्तर्गत मैसर्स बोदराज लिमिटेड के हक में निर्णय दिया तो सरकार इस मूल अधिनियम में संशोधन करने को दौड़ पड़ी। परन्तु मैं पूछता हूं कि सरकार ऐसे संशोधन उसी समय ही क्यों नहीं करती? इनका कारण यही है कि सरकार के पास इन अधिनियमों की सम्पूर्णता की की प्रगति तथा उपयोगिता की देख-रेख करने वाली समुचित व्यवस्था नहीं है। केवल बोदराज का ही नहीं ऐसे तो अनेक मामले हो सकते हैं जहां सरकार को ऐसी त्रुटियों के कारण भरी कर-राशि से वंचित होना पड़ता होगा।

इस विधेयक के पीछे सरकार का उद्देश्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अतिपय उपबंधों को सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के उसी प्रकार के उपबन्धों के अनुसार बनाने का है। इसका अन्त यह हुआ कि सीमाशुल्क अधिनियम में इस प्रकार के उपबन्ध बहुत स्पष्ट हैं। परन्तु मेरा कहना है कि सरकार इन अधिनियमों की यथासमय जांच करके उनमें तुरन्त ही संशोधन करती रहे। अन्य में उत्पादक लोग तो विलंब में भरपूर अनुचित लाभ उठा जाते हैं।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संशोधन विधेयक तथा मूल अधिनियम में "नमक" शब्द है और यह हमारे लिए लज्जा की बात है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी, हम नमक

*तमिल भाषा में दिये गए मूल भाषण के अंग्रेजी संस्करण का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version passed on English translation of the speech delivered in Tamil.

का कानून बनाये जिसको विरोध में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सार्वजनिक आन्दोलन छेड़ा था। उनका दृढ़ विश्वास था कि सामान्य जन की खाद्य-सामग्री को कर-मुक्त रखा जाये और इस आन्दोलन में सारे राष्ट्र ने उनका साथ दिया था। हमारी स्वाधीनता की लड़ाई में यह आन्दोलन एक प्रबल अस्त्र के रूप में काम आया। आज यह शासक दल आप स्वयं को उस महात्मा का अनुयायी मानता है तो वह नमक पर से हर प्रकार का कर हटाये। महात्मा गांधी को याद रखने का एक मात्र साधन राजघाट पर बनाई गई उनकी समाधि नहीं है। उन्हें याद रखने के लिए तो हमें उनके दिखाये और बनाये मार्ग पर चलना चाहिये। अतः सरकार देश में नमक पर से कर हटा दे।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार छोटे-छोटे कानून बनाकर जनता का कोई हित नहीं कर रही है। इसे चाहिये कि वह व्यापक विधेयक पेश करे तथा इस अधिनियम की सभी त्रुटियों को दूर करके इतने बड़े पैमाने पर किये जा रहे कर-अपवंच पर रोक लगाये।

श्री के० आर० गणेश : यह सही है कि यह एक छोटा सा विधेयक है जिसमें केवल चार ही खण्ड हैं परन्तु जैसा कि आप जानते हैं कि इस संबंध में एक व्यापक विधेयक तैयार किया जा रहा है तथा उसे यथाशीघ्र सभा में पेश किया जायेगा ताकि देश के वर्तमान व्यापक कराधान सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस से पूर्व भी एक विधेयक सभा में रखा गया था परन्तु चौथी लोक सभा के भंग हो जाने के कारण वह विधेयक भी समाप्त हो गया था।

कतिपय कानूनी निर्णयों के फलस्वरूप व्यापार तथा मूल्यांकन अधिकारियों के लिए मूल्य निर्धारण का कार्य बड़ा कठिन हो गया था। वर्तमान उपबन्धों में मूल्य का अर्थ वह नकद थोक मूल्य था जिस पर माल बेचा जाता है या बिकने योग्य है। इसका मतलब यह था कि यदि चार विभिन्न क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से मूल्य भी विभिन्न होंगे तो भी अधिकारियों को किसी एक क्षेत्र के मूल्य को लेकर ही मूल्यांकन करना होगा। इसलिए इस कठिनाई को दूर करने हेतु यह संशोधन विधेयक लाया गया है।

साथ ही ऐसे उपाय भी किये जा रहे हैं कि सम्बन्धित व्यक्तियों के लिये मूल्य उन वस्तुओं के वास्तविक मूल्य के आधार पर स्वीकार नहीं किये जायेंगे। "सम्बन्धित व्यक्तियों" की परिभाषा इस विधेयक में दी गई है। इस दृष्टि से हम उस मूल्य को स्वीकार नहीं करेंगे।

इस अधिनियम में अनेक कमियां थी। यदि व्यापारी/निर्माता अपने उत्पाद का 10 प्रतिशत तो अपने वितरकों को कम मूल्य पर बेचेंगे तथा शेष 90 प्रतिशत ऊंचे मूल्य पर बेचेंगे तो यही होता कि हम इस अधिनियम की शब्दावली के अनुसार 10 प्रतिशत वाला कम मूल्य ही स्वीकार करते। तो यह त्रुटि थी।

इस संशोधन का उद्देश्य खण्ड 4(1)(क) तथा "सम्बन्धित व्यक्तियों" की परिभाषा में एक समभाव पैदा करना है। "सम्बन्धित व्यक्तियों" के लिये मूल्य समाप्त किये जायेंगे यह मूल्य "सम्बन्धित व्यक्तियों" द्वारा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति को बताये गये मूल्य के आधार पर किया जायेगा। साथ ही अब सैद्धान्तिक अवधारणा को भी हटाया जा रहा है। अब उस मूल्य के लिए प्रावधान किया गया है जिस पर थोक व्यापार के दौरान वस्तुयें बेची जाती हैं। यह व्यवस्था मूल्यांक के कार्य के लिए सर्वाधिक स्पष्ट है।

मूल्यांकन का कार्य बड़ा कठिन कार्य है। किसी कानून की किसी एक धारा के अन्तर्गत इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। इस विधेयक में "थोक व्यापार" शब्द की भी परिभाषा बतायी गई है।

विधेयक के पृष्ठ 2 पर खण्ड (घ) में उन स्थितियों का मुकाबला करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं जहां निर्मातागण अपने उत्पादन का स्वयं ही उपयोग करते हैं। खण्ड (5) की शब्दावली सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 से ली गई है। इस खण्ड के अन्तर्गत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारियों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान की गई है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के कार्यकरण तथा उसमें बकाया करों के मामलों के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्न के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि यह विभाग एक निरन्तर बढ़ता हुआ विभाग रहा है। जहां वर्ष 1937-38 में हमको संसाधन 7.6 करोड़ रुपये के मूल्य के थे अब वर्ष 1973-74 में 2623.68 करोड़ के लगभग है। इस में से जनवरी 1973 को बकाया राशि 69.39 करोड़ रुपये थी। इस विभाग द्वारा की गई कुल वसूली की तुलना में यह राशि आपको अत्यन्त महत्वहीन दृष्टिगोचर होगी। ये बकाया राशियाँ अदालत में चालू मुकदमों के कारण भी रुकी हुई हैं तथा कुछ मामलों में पुनरीक्षण की कार्यवाही की जानी है। आंकड़ों के अनुसार इस बकाया राशि का 77 प्रतिशत भाग तो अदालती कार्यवाही के कारण वसूल नहीं हो पाया है तथा शेष 23 प्रतिशत के लिये कलक्टरों द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा प्रभावपूर्ण कार्यवाही की जा रही है।

करों की चोरी तथा अन्य सम्बन्धित बातों के सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि अन्य प्रत्यक्ष करों की तुलना में उत्पाद शुल्क की चोरी कम होती है क्योंकि शुल्क देने के पश्चात् ही माल बाहर निकाला जा सकता है। तो भी सरकार ने इस ओर ध्यान दे रखा है। स्वत: निवारण प्रक्रिया के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए श्री वेंकटयैया की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी और यह समिति अपने प्रतिवेदन के अन्तिम प्रक्रम को पूरा कर रही है। अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में समिति ने सिफारिश की थी कि मामलों के बारे में स्वत: निवारण प्रक्रिया उचित नहीं है, इसलिए अक्तूबर, 1972 से हमने उस पर पुन: वास्तविक नियंत्रण लगा दिया था। इसके बैंडलों आदि के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए भी आगे कार्यवाही की जा रही है।

स्वत: निवारण प्रक्रिया के अधीन आने वाली एकमात्र वस्तु तम्बाकू के बारे में भी योजना आयोग के सदस्य श्री बी० शिवरामन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कर दी गई है।

हम इस सम्बन्ध में जागृत हैं कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समूचे संगठनात्मक ढांचे में यथा आवश्यक तेजी लानी है परन्तु इसके पास 2600 करोड़ रुपये की कर राशि एकत्रित करने का भी बड़ा भारी काम है और बकाया राशि के जो आंकड़े मैंने रखे हैं उनमें आप समझ सकते हैं कि यह विभाग यथासम्भव कुशलता से कार्य कर रहा है।

मैं पहले ही कह चुका हूं एक व्यापक विधेयक संसद में पेश किया जायेगा ताकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के कार्यकरण में और अधिक सुधार किया जा सके।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड—2

सभापति महोदय : खण्ड 2 पर सरकार की ओर से एक संशोधन है। क्या मंत्री महोदय उसे पेश कर रहे हैं?

श्री० के० आर० गणेश : जी हां। मैं प्रस्ताव करता हूं—

Pages 1 and 2, lines 17 and 1 respectively for "where the assessee and the buyer have no interest, directly or indirectly, in the business of each other"

(जहां निर्धारिती और क्रेता का एक दूसरे के कारोबार में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई हित नहीं है)

के स्थान पर

"Where the buyer is not a related person"

(जहां क्रेता सम्बद्ध व्यक्ति नहीं है)

प्रतिस्थापित किया जाये।

इस सम्बन्ध में, मैं श्री स्टीफन के प्रश्न के उत्तर में स्पष्टीकरण दे चुका हूं। इस संशोधन का अर्थ यह स्पष्ट करना है कि जहां तक संभव है, जिस सामान पर मूल्य के हिसाब से उत्पाद शुल्क लागू होता है, उसका लेन-देन के मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाये। सिवाय उन मामलों के जहां बिक्री सम्बन्धित व्यक्तियों को अथवा उनके माध्यम से की जाती है। धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में उस मूल्य का निर्धारण है जहां माल का विक्रय सामान्यत: एक स्वतन्त्र व्यक्ति को किया गया है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

Pages 1 and 2, lines 17 and 1 respectively for "where the assessee and the buyer have no interest, directly or indirectly, in the business of each other"

(जहां निर्धारिती और क्रेता का एक दूसरे के कारोबार में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई हित नहीं है)

के स्थान पर

"Where the buyer is not a related person"

(जहां क्रेता सम्बन्द्ध व्यक्ति नहीं है)

प्रतिस्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय प्रश्न यह है :–

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

The motion was adopted.

Clause 2, as ameneded, was added to the Bill.

सभापति महोदय : अब और कोई संशोधन नहीं है । अतः प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 से 5, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक् में जोड़ दिये जाएं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 से 5, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 3 to 5, clause 1, The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : मद संख्या 12, 13 तथा 14 पर इकट्ठे ही विचार होगा । श्री कुरेशी !

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

संख्या 12

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर का तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे वित्त तथा अन्य संगत मामलों का पुनरावलोकन करने के लिए नियुक्त की गई समिति के वर्ष 1969-70 और 1970-71 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य संगत मामलों सम्बन्धी छठे प्रतिवेदन के, जो 30 अप्रैल, 1973 को संसद् में प्रस्तुत किया गया था, पैरा 1.2 और 1.3 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है और यह सभा यह निदेश भी देती है कि समिति के इस प्रतिवेदन तथा दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें प्रतिवेदनों में की गई अन्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही अगली संसदीय समिति को, जो इस प्रकार के विषयों की समीक्षा करने के लिए नियुक्त की जायेगी, प्रतिवेदित की जाये ।"

संख्या 13

मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय वर्तमान लाभांश की दर तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे वित्त तथा अन्य संगत मामलों का पुनरावलोकन करने तथा इस सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए इस सभा के 12 सदस्यों की एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये जिनका नामनिर्देशन अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।"

संख्या 14

मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की वर्तमान दर का तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे वित्त और अन्य संगत मामलों का पुनरावलोकन करने तथा इस सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए बनायी जाने वाली संसदीय समिति में राज्य सभा के 6 सदस्य सम्मिलित करने के लिए सहमत हों और इस प्रकार नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

रेलवे अभिसमय समिति का गठन अगस्त, 1971 में हुआ था और 7 दिसम्बर, 1971 को इस समिति ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन दिया था जिसे संसद् ने स्वीकार कर लिया। अन्तरिम प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 का ब्यौरा दिया गया था। 15 दिसम्बर, 1972 को सदन में लेखे-जोखे सम्बन्धी मामलों से सम्बन्धित प्रतिवेदन पेश किया गया। इसमें वित्तीय वर्ष 1973–74 का ब्यौरा दिया गया था। इसके पश्चात् समिति ने उपनगरीय सेवाओं पर दूसरा प्रतिवेदन, वाणिज्यिक तथा सम्बद्ध मामलों पर तीसरा और चौथा प्रतिवेदन तथा वैगनों की मांग और उपलब्धता पर पांचवां प्रतिवेदन पेश किया। छठा तथा अन्तिम प्रतिवेदन, जिसमें वित्तीय वर्ष 1969-70 एवं 1970-71 का ब्यौरा दिया गया था, 30 अप्रैल, 1973 को पेश किया गया। इन प्रतिवेदनों में उपनगरीय सवाओं, व्यापक संचार प्रणाली, गाड़ियों में अधिक भीड़-भाड़, बिना टिकट यात्रा, मुआवजे के दावे, वैगनों की मांग और उपलब्धता, डीजलीकरण, विद्युतीकरण आदि महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया गया था। समिति ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। अतः मैं उसका बहुत आभारी हूं। इन सिफारिशों पर विचार किया जायेगा और इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का उल्लेख अगली अभिसमय समिति में किया जाएगा। छठे प्रतिवेदन में समिति ने बताया है कि सामाजिक दायित्वों के कारण रेलवे को प्रतिवर्ष 127 करोड़ रुपये का घाटा होगा।

[श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए]

Shri S. A. Kader in the Chair

सितम्बर, 1924 में एक तत्कालीन केन्द्रीय विधान मण्डल के एक संकल्प द्वारा रेलवे की वित्त सम्बन्धी व्यवस्था को सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया था। इस संकल्प में सामान्य राजस्व में योगदान देने की दर भी निर्धारित की गई थी। यह निर्धारण रेलवे की ब्याजदेय पूंजी और वाणिज्यिक कार्यकरण के परिणामों के आधार पर किया गया था।

इन प्रबन्धों की सर्वप्रथम समीक्षा 1949 में गठित रेलवे अभिसमय समिति द्वारा की गई थी। उसके बाद 1954, 1960, 1965 और 1971 में समितियों ने इनकी समीक्षा की थी। वर्तमान अभिसमय प्रबन्धों के अधीन रेलवे 5.5 प्रतिशत की दर पर लाभांश दे रहा है। (इसमें यात्री कर के एवज में राज्यों को दिया जाने वाला 1 प्रतिशत यात्री कर शामिल है) यह लाभांश 1963-64 तक रेलवे में पूंजी निवेश और 31 मार्च, 1964 के पश्चात् लगाई गई पूंजी पर 6 प्रतिशत के आधार पर रियायतों के अधीन दिया जा रहा है। वर्ष 1972-73 में देय लाभांश की राशि 163.18 करोड़ रुपये थी और आशा है कि वर्ष 1973-74 में यह राशि बढ़कर 172.61 करोड़ रुपये हो जायेगी। 1972-73 को समाप्त होने वाले दस वर्षों में रेलवे ने सामान्य राजस्व को 1,377.13 करोड़ रुपये का भुगतान लाभांश के रूप में किया।

कुछ माननीय सदस्य पूछ सकते हैं कि नई रेलवे अभिसमय समिति का गठन किस लिए आवश्यक है जबकि रेलवे अभिसमय समिति, 1971 ने हाल ही में अपना अन्तिम प्रतिवेदन दिया है। वस्तुत: वित्तीय प्रबन्धों के सम्बन्ध में सिफारिशें देने के लिए समिति का गठन 1968 में किया गया था। परन्तु लोक सभा वर्ष 1970 में भंग हो गई थी जिसके कारण नई समति का गठन अगस्त, 1971 में किया गया था। आशा है कि समिति की सिफारिशें नवम्बर, 1973 के अंत तक प्राप्त हो जाएंगी। इसी उद्देश्य से मैंने नई रेलवे अभिसमय समिति के गठन के बारे में संकल्प पेश किया है। मैं सिफारिश करता हूं कि सदन में इस संकल्प पर विचार किया जाए।

*श्री जगदीश भट्टाचार्य (घाटल) : मेरा विचार है कि रेलवे अभिसमय समिति पर चर्चा रेलवे बजट पर की जाने वाली चर्चा के साथ की जाए। यदि शीघ्र और लघु चर्चा की गई तो इससे न तो रेलवे को लाभ होगा और न ही रेल-उपभोक्ताओं तथा माननीय सदस्यों को।

समिति ने अपने प्रतिवेदन में लाभांश की दर को नहीं बढ़ाया है। समिति ने इस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया कि लाभांश देना भी चाहिए अथवा नहीं।

भुगतान के ढंग के सम्बन्ध में समिति के छठे प्रतिदिन में कहा गया है कि रेलवे को लाभांश सम्बन्धी देय को पूरा करने के लिए फिलहाल सामान्य राजस्व से साधारण ऋण लेने की अनुमति दी जाए। इस सिफारिश में 'फिलहाल' शब्द विशेष रूप से विचारणीय है। ऐसा उपबन्ध बार-बार क्यों रखा जाता है ? ऐसा उपबन्ध रेलवे को केवल कागजी कार्यवाही करने में अथवा लेखों में हेर-फेर करने में सहायक हो सकता है।

रेलवे देश का सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र का वाणिज्यिक उपक्रम है। हमने इसमें 4,300 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया है। रेलवे को जेमेतिक मजदूरों पर कम से कम व्यय करना पड़ता है। इसके बावजूद भी रेलवे को घाटा हो रहा है। यदि यह लाभ अर्जित करे तो उस राशि का निवेश किया जा सकता है और रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। रेलवे को घाटा होने का मुख्य कारण प्रबन्धदोष है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय 1,050 रिनिरीक्षण डिब्बों का प्रयोग रेलवे अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। ब्रिटिश काल से चली आ रही इस प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए।

चौथे प्रतिवेदन के पैरा 4.139 में इस बात पर जोर दिया गया है कि रेलवे को चाहिए कि वह यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करे। फिर भी देखने में आया है कि पेय-जल, शौचालय आदि आवश्यक सुविधाएं प्रदान नहीं की जातीं और अगर की जाती हैं तो उनका रख-रखाव भली भांति नहीं होता। यदि माननीय मंत्री रेलवे में कुशलता लाना चाहते हैं तो उन्हें शीघ्र ही उपचारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।

इस समय यह व्यवस्था है कि यात्रियों से होने वाली आय का अंश राज्यों को दिया जाता है। यह अंश पर्याप्त नहीं है। अत: इसमें वृद्धि की जानी चाहिए। यह वृद्धि राज्यों को यात्रियों के यातायात से होने वाली आय की अनुपात से दी जा सकती है।

श्री सी० एन० स्टीफन (मुक्तुपुजा) : जहां तक रेलवे अभिसमय समिति के गठन का प्रश्न है, इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही इसकी सिफारिशों पर चर्चा करने की ही कोई आवश्यकता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के समूचे काल को शामिल करने के लिए इन सिफारिशों को गत दो वर्षों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। समिति का मुख्य कार्य रेलवे के

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

बोझ को कम करना, घाटे को लाभ में बदलना और लाभांश की दर निश्चित करना है। जहां तक समूचे पूंजी ढांचे के अति पूंजीकरण तत्व का सम्बन्ध है, इसमें कमी की जानी चाहिए और लाभांश देयता को समाप्त किया जाना चाहिए।

यात्री कर राज्य सरकार के लिए राजस्व का साधन है। इसे कुछ वर्ष पूर्व चालू किया गया था और बाद में समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर 12 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न राज्यों को देने की बात कही गई। समिति की सिफारिश है कि इस राशि को बढ़ा कर 16.5 करोड़ रुपये कर दिया जाए। रेलवे का विस्तार हो रहा है और यात्री-कर के साथ यात्री किराये में भी वृद्धि हुई है। अत: सरकार का यह तर्क, कि यात्री-कर राज्यों को नहीं दिया जाना चाहिए, संगत नहीं है।

वित्त आयोग को भेजे गए विभिन्न ज्ञापनों में राज्य सरकारों ने यह बात दोहरायी है। हमें इस पर ईमानदारी से विचार करना होगा। राज्य सरकारों को उनके राजस्व के स्त्रोत से वंचित करना उनके साथ ज्यादती है।

जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। अत: स्वाभाविक है कि यात्री किराये से प्राप्त आय में भी वृद्धि होगी। सिद्धान्त रूप में यह बात स्वीकार कर ली गई है कि राज्य सरकारों को यात्री किराये का अंश प्राप्त होगा। अत: सरकार यदि लाभांश को नियत करना चाहती है तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि ऐसा करना न्यायोचित है। राज्य सरकार को 26 करोड़ रुपये के स्थान पर केवल 16 करोड़ रुपये देना कहां तक संगत है! सरकार का यह तर्क है कि रेलवे पर काफी बोझ है। पर इस ढंग से राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपये की राशि से वंचित नहीं किया जा सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

***श्री एम० कतामुतु** (नागापट्टिनम्) : सभापति महोदय, यह बात निस्सन्देह रूप से सराहनीय है कि रेलवे अभिसमय समिति ने सामान्य राजस्व में देय लाभांश की राशि के अतिरिक्त रेलवे के कार्य-करण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। इन सब सिफारिशों पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए जिन मामलों पर समिति विचार नहीं कर पाई, उन मामलों पर नई समिति को गहराई से विचार करना चाहिए। अच्छा होता यदि समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही को सदन में रेलवे-बजट पेश होने से पूर्व ही बता दिया जाता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार को नीति सम्बन्धी कई निर्णय लेने पड़ सकते हैं। परन्तु अब सदन उन पर चर्चा करने की स्थिति में नहीं है।

यह सच है कि केन्द्र सरकार ने रेलवे में 4,300 करोड़ रुपये लगाए हैं और आम राजस्व में लाभांश जाना ही चाहिए। लेकिन आज भी मूल्य-ह्रास का हिसाब लगाने की प्रणाली स्पष्ट नहीं है और किसी को भी इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। देश में ऐसे कई पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जिनमें रेलवे लाइनें हैं ही नहीं। साथ ही पिछड़े हुए क्षेत्रों की कई लाइनों को सरकार अलाभप्रद समझती है। अत: ऐसे मामलों पर नीति को निर्धारण करने की आवश्यकता है।

महानगरों में यातायात की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। यात्रियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उपनगरीय सेवाओं में विस्तार करना चाहिए। मद्रास में यात्रियों की संख्या में 246 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि गाड़ियों की संख्या में केवल 124 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास जैसे बड़े शहरों में ट्यूब रेलवे चलाने के सम्बन्ध में समितियों का गठन किया गया है। लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय किये जाने की आवश्यकता है।

रेलवे के संसाधनों में वृद्धि होनी चाहिए। पर साथ ही यह भी आवश्यक है कि रेलवे अपने व्यय में मितव्ययता करे। रेलवे में चोरी और उठाईगिरी की कई घटनाएं होती हैं। यदि रेलवे ऐसी घटनाओं के न होने के लिए प्रयत्न करे तो उसके संसाधनों की स्थिति मजबूत हो सकती है।

रेलवे वैगनों सहित रद्दी माल नीलाम करता है और उसे घाटा होता है। इस रद्दी माल को पिघलाकर रेलवे उपयोगी वस्तुएं बना सकता है।

बैगनों की कमी पर समिति ने गहराई से विचार किया है। बैगनों के निर्माण का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्रों को सौपा गया है। समिति ने सिफारिश की है कि बैगन निर्माण का कार्य सरकारी कारखानों में होना चाहिए और कम से कम काम गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा जाए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक फ्लैग स्टेशन बनाने की मांग लम्बे समय से चली आ रही है। अभी तक इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

यात्रियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों में दिया जाने वाला भोजन अच्छा होना चाहिए। परन्तु बड़े खेद से कहना पड़ता है कि रेलवे की खान-पान सेवा सोचनीय है। जी० टी० एक्सप्रेस आदि लम्बे सफर की गाड़ियों में खान-पान सेवा का कार्य गैर-सरकारी व्यक्तियों के पास है। इस प्रकार यात्रियों को "मंहगा भोजन" लेना पड़ता है।

रेलवे श्रमिकों के कल्याण के सम्बन्ध में भी समिति ने सिफारिश की है। रेलवे मजदूरों को दी जाने वाली आवास सुविधाएं संतोषजनक नहीं है। केवल 15 प्रतिशत मजदूरों को मकान दिए गए हैं। समिति ने कर्मचारियों को आवास देने की सिफारिश तो की है परन्तु मजदूरों को क्वार्टर देने के सम्बन्ध में कोई विशेष उपबन्ध नहीं बनाया।

गाड़ियों के रद्द हो जाने के कारण यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। रेलवे के प्रबन्धक वर्ग में श्रमिकों का योगदान संतोषजनक नहीं है। प्रबन्धक वर्ग में श्रमिकों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

रेलवे मजदूर के विरुद्ध कई मामले विचाराधीन पड़े हैं। माननीय मंत्री को ये सभी मामले वापिस ले लेने चाहिएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

Shri M.C. Daga (Pali) : Railway should not pay any dividend to the General Revenues. It can plough back its capital by laying means railway lines in backward areas.

Railway officers are getting two to two thousand five hundred rupees as a salary and other fringe benefits amounting to Rs. 9 to 10 thousand. They are enjoying at the cost of poor passanger. Besides, Railway has to incur heavy expenditure on account of damages, compinsation claims and Decrees. A number of cases of theft and pilferage, in which Railway officials are also involved, have been detected. But they are not penalised because they all are sailing in the same boat. Therefore, I feel that payment of dividend should be stopped. The Railway should be run on no-profit no-loss basis. It is a matter of distress that inspite of its long service. The Railways are running in loss.

Dr. Luxminaryan Pandey (Mandsaur) :The Railway Minister has placed before the House the sixth Report in the series of various Reports of Railway Convention Committee Alongside

that he has moved up a resolution for the function of a new committee. The previous rate of divident was 4¾ % whereas now it has been fixed at 4½ per cent. There has been same increase in amenities but ticketless traval as constantly been increasing. Railway is the largest Government undertaking in which crores of rupees have been invested and lakhs of workers are employed, but Railway Board has failed to provide the amenities needed by the people.

The new Railway convention Committee has proposed consideration between Rail & Road. It is easier for the Railways to complete with Buses. By proper co-ordination, even our efficiency can be improved. How for the recommendations made by the Committees are implemented? Approach plan of 5th Five year Plan needs to be studied. When we make a demand for certain over bridge we are told that state Governments do not share. The system of as king shares from state Governments should not be there. The people are forced to pay more passenger tax and more goods tax but the amenities are not provided to them in that proportion.

It would be better if reports of such committees are also discussed together with the Railway Budget.

*श्री जे० माता गोडर (नीलगिरी) : रेलवे कन्वेन्शन कमेटी ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि रेलवे केन्द्रीय राजस्व को साढ़े चार प्रतिशत लाभांश दे तथा यात्री भाड़े का 1 प्रतिशत तथा 31 मार्च 64 के बाद लगी पुंजी का 6 प्रतिशत लाभांश दे।

रेलवे राष्ट्र का महानतम प्रतिष्ठान है जिससे परिवहन सुविधाएं मिलती हैं और साथ ही यह समाज के वाणिज्यिक औद्योगिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या रेलवे उप मंत्री कह सकते हैं कि पिछड़े क्षेत्र में अपेक्षित रेलवे लाइनें बिछा दी गई हैं तथा क्या वे जनता को न्यूनतम सुविधाएं देने की स्थिति में हैं। आज भी देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेलवे लाइन नहीं देखी है।

रेलवे में हमने 4,300 करोड़ रुपये लगाये हैं। लगभग 17 लाख लोग रेलवे में रेलवे में कार्य करते हैं। तीन लाख नैमितिक श्रमिक हैं जिन्हें इसलिए स्थायी नहीं बनाया जाता कि वे सुविधाओं का उपभोग न कर सकें।

रेलवे कर्मचारी वर्षों से बोनस की मांग करते रहे हैं। उनकी उचित मांगों का इस सदन में शासक दल एवं विरोधी दलों द्वारा समर्थन किया जाता रहा है। परन्तु रेल मन्त्री उन्हें सुविधाएं देने में असमर्थता प्रकट करते रहे हैं।

विदेशी पर्यटकों को अधिक सुविधाएं देने की बात की जाती है परन्तु जब व्यवहारिक रूप से किसी रेल पर डीजल इंजन की मांग पर्यटकों को सुविधा को ध्यान में रख कर की जाती है तब कह दिया जाता है कि धनाभाव से इस मांग की पूर्ति नहीं की जा सकती।

जबकि देश में माल डिब्बों एवं यात्री डिब्बों की कमी है, 1,030 निरीक्षक डिब्बों का रेलवे अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग क्यों करने दिया जाता है?

राजस्व को लाभांश देने से पूर्व रेलवे उप मंत्री इन सब बातों पर ध्यान दें।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : While discussing the Railway Budget I had made certain allegations against certain senior officers and Members. The hon. Minister stated that the matter was being investigated. But nothing has been done so far.

*श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का मैं आभारी हूं। मैं आश्वासन देता हूं कि रेलवे-कन्वेन्शन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को पूरी तरह क्रियान्वित किया जायेगा।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version of English translation of speech delivered in Tamil.

कुछ सदस्यों ने ऐसे मामले उठाए हैं जिनपर रेलवे बजट में वाद-विवाद हो चुका है। आज सदन के समक्ष मुख्य प्रस्ताव राजस्व को लाभांश देने का है। यहां मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे को सार्वजनिक उपयोग एवं वाणिज्यिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। रेलवे पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगीकरण में सहायता देती रही है।

देश को रेलवे से पहुंचने वाले लाभ को मात्र धन के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। यह सच है कि यात्री भाड़े में कुछ वृद्धि हुई है। कोयला खाद्यान्न एवं कच्चे माल के ढुलाई-व्यय को जानबूझ कर कम रखा गया है। इस कारण रेलवे को 55 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ता है। विश्व के अत्याधिक विकसित देशों में भी ऐसी प्रथा नहीं है। हमने 77 अलाभकारी लाइनों पर 42.21 करोड़ रुपये लगाए हैं जिनपर हम प्रतिवर्ष 8 करोड़ रुपये की हानि उठाते हैं।

निम्न पदार्थों पर सस्ते भाड़े के कारण इस प्रकार हानि उठानी पड़ती है :—

खाद्यान्न	26.19 करोड़
कोयला . . .	11.87 ,,
अयस्क . . .	4.24 ,,
चारा	5.07 ,,
चूना-पत्थर (डोलोमाइट) . .	1.26 ,,
लकड़ी और कोयला	1.38 ,,
गन्ना	1.76 ,,
फल-सब्जियां	1.12 ,,
बांस	1.14 ,,

विदेशी व्यापार के लिए 1.56 करोड़ रुपये की भाड़े की हानि उठाई जाती है। यात्री भाड़े तथा अन्य सेवाओं की दरों में वृद्धि के बावजूद भी खर्चा पूरा करना संभव नहीं है। स्वास्थ्य, कल्याण सेवाओं पर 19.50 करोड़ रुपया लगता है। रेलवे-सुरक्षा सेवा पर 16 करोड़ रुपये लगते हैं। इस प्रकार कुल 48.50 करोड़ रुपये व्यय किये जाते हैं।

सदस्यों के इस सुझाव का, कि रेलवे कन्वेन्शन समिति की रिपोर्ट पर रेलवे बजट के साथ-साथ विचार किया जाए मैं स्वागत करता हूं।

राज्य के 16.25 करोड़ रुपये की मांग के अलावा रेलवे सुरक्षा कार्य निधि में 1.85 करोड़ रुपये दिए गए थे जो 1970–71 में 2.17 करोड़ रुपये तथा 1971–72 में 2.28 करोड़ रुपये हो गया। यह राशि राज्य सरकारों के पास पड़ी है। वे इसका उपयोग उपरि-पुलों आदि के निर्माणार्थ कर सकते हैं। राज्य के पास इस निधि की 10 करोड़ रुपये की राशि पड़ी हुई है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर का तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे वित्त तथा अन्य संगत मामलों का पुनरावलोकन करने के लिए नियुक्त की गई समिति के वर्ष 1969–70 और 1970–71 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य संगत मामलों सम्बन्धी छठे प्रतिवेदन के, जो 30 अप्रैल, 1973 को संसद् में प्रस्तुत किया गया था, पैरा

1.2 और 1.3 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है और यह सभा यह निदेश भी देती है कि समिति के इस प्रतिवेदन तथा दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें प्रतिवेदनों में की गई अन्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही अगली संसदीय समिति को, जो इस प्रकार के विषयों की समीक्षा करने के लिए नियुक्त की जायेगी, प्रतिवेदित की जाये।"

संकल्प स्वीकृत हुआ ।

The resolution was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय वर्तमान लाभांश की दर का तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे वित्त तथा अन्य संगत मामलों का पुनरावलोकन करने तथा इस सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए इस सभा के 12 सदस्यों की एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये जिनका नामनिर्देशन अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।"

संकल्प स्वीकृत हुआ ।

The resolution was adopted.

सभोपति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की वर्तमान दर का तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे वित्त और अन्य संगत मामलों का पुनरावलोकन करने तथा इस सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए बनायी जाने वाली संसदीय समिति में राज्य सभा के 6 सदस्य सम्मिलित करने के लिए सहमत हो और इस प्रकार नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

संकल्प स्वीकृत हुआ ।

The Resolution was adopted.

पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय विधेयक

Northern-Eastern Hill University Bill

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि पूर्वोत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए शैक्षणिक और सम्बन्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सदन को पता है कि गत नवम्बर में इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपने की बात कही गई थी। मैं चाहता हूँ कि यह विश्वविद्यालय आगामी सत्र से कार्य करने लगे अतएव, उसे संयुक्त समिति को सौंपे बिना यह पारित किया जाए।

मैं पहले विधेयक तथा वर्तमान विधेयक में अंतर का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। मेघालय तथा नागालैंड सरकारें चाहती थीं कि पहले विधेयक का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा जाए

किन्तु प्रधान मंत्री ने इसे उपयुक्त नहीं समझा। अतः अब उसका नाम 'नार्थ–ईस्टर्न दिल यूनिवर्सिटी बिल' पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय विधेयक रखा गया है।

दूसरा उत्तर यह है कि पूर्व विधेयक आसाम विधान-सभा तथा मेघालय विधान सभा में पारित संकल्प के आधार पर सभा में प्रस्तुत किया गया था। किन्तु कुछ माननीय सदस्यों का विचार था कि आसाम के रूप के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित नहीं किया जाए। मनीपुर सरकार ने भी मुझे पत्र लिखा तथा उसमें कहा गया कि इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। अतः इस विधेयक को मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम तक ही सीमित रखने का निर्णय किया गया।

इस विधेयक का उद्देश्य, सामान्य उद्देश्यों के अतिरिक्त, पर्वतीय क्षेत्रों की जनता तथा विशेषकर प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उच्च शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं प्रदान कराना तथा सामाजिक 'सांस्कृतिक' आर्थिक स्थिति तथा कल्याण कार्यों में वृद्धि की ओर अधिक ध्यान देना होगा।

मैं सदन को यह भी बता देना चाहता हूं कि किसी कालेज के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ही रहे। प्रत्येक कालेज इस बारे में स्वतंत्र है तथा वह चाहे तो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहे अन्यथा उसे इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 46 के आशय को भी सम्मिलित किया गया है जिसके अनुसार विश्वविद्यालय समाज के पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को दाखिल देने के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है।

इसके अतिरिक्त 'विजिटर' को विशेष अधिकार दिया गया है कि वह कालेजों के प्रशासन का निरीक्षण कर सके। मेघालय और नागालैंड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के चीफ रेक्टर होंगे। विश्वविद्यालय कोहिमा में भी एक कैम्पस बनाएगा तथा इसका मुख्यालय शिलांग में होगा। इसका अभिप्राय यह है कि प्रो० वाइस चांसलर एक से अधिक दो हो सकते हैं।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को लगभग वही अधिकार दिए गए हैं जिनको सभा पहले स्वीकार कर चुकी है। उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। शिक्षा संबंधी योजना बनाने के लिए एक योजना बोर्ड बनाया जो शिक्षा परिषद् के स्थान पर 6 महीने तक कार्य करेगा।

नितांत नया विश्वविद्यालय होने के कारण उनका संविधान बनाना संभव नहीं है। तीन वर्ष के बाद जब विश्वविद्यालय को पूरा दर्जा मिल जाएगा तब विजिटर पूरा संविधान तैयार करेगा जिसे यदि सभा चाहेगी तो सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

अध्यापन तथा गैर-अध्यापन कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में एक ट्रिबुनल की व्यवस्था की गई है। कार्यकारी परिषद् के पास अपील करने का अधिकार भी दिय. गया है। भविष्य निधि तथा पैंशन के बारे में भी उपयुक्त उपबन्ध सम्मिलित किए गए हैं।

विधि मंत्रालय ने यह सलाह दी है कि यदि योजना बोर्ड को प्रथम 6 महीने तक प्राधिकार के रूप में कार्य करना है तो उसका उल्लेख विधेयक में किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं यह सरकारी संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव रखता हूं :

"कि पूर्वोतर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए शैक्षणिक और सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि पूर्वोत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए शैक्षणिक और सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से हों तथा 10 सदस्य राज्य-सभा के हों ।

****श्री रेणुपद दास** (कृष्णनगर) : प्रस्तावित विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार का छटा विश्वविद्यालय होगा । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह विश्वविद्यालय पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है जहां पर अधिकांश जनता पद दलित है इससे समाज के पिछड़े वर्ग को अपनी प्रतिभा के विकास का अवसर मिलेगा ।

पहले इस विधेयक को इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय विधेयक के नाम से सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसपर विपक्षी दलों ने कटु आलोचना की थी तथा वह आलोचना अधिकतर विधेयक के नाम पर की थी । उक्त विधेयक में वास्तव में श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम इसी विचार से रखा गया था कि प्राय: देश प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्रियों के नाम पर संस्थानों के नाम रखने की परिपाटी चल पड़ी है । उक्त नाम को बदल कर सरकार ने ठीक ही कदम उठाया है ।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पूर्व विधेयक में आसाम को इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में रखा गया था किन्तु वर्तमान विधेयक में आसाम को क्षेत्राधिकार से अलग किए जाने के क्या कारण हैं । क्या आसाम विधान-सभा ने अपना पूर्व निर्णय बदल दिया है अथवा शिक्षा के माध्यम के कारण कोई मतभेद उत्पन्न हुआ है ? केन्द्रीय सरकार अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के माध्यम को लेकर क्षेत्रीयतावाद को प्रोत्साहन दे रही है । यदि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा होता और आसाम को इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में रखा होता तो आसाम के बहुत से कालेज इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जाते ।

मनीपुर और त्रिपुरा ने भी शिक्षा के माध्यम की अनिश्चितता के कारण इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने से असहमति व्यक्त की है । स्वयं केन्द्रीय सरकार को भी यह आशंका है कि शिक्षा के माध्यम के कारण दंगे हो सकते हैं । इसीलिए 'विजिटर' की व्यवस्था की गई है । जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक समिति ने यह सिफारिश की है कि विश्वविद्यालयों में बहुभाषा शिक्षा माध्यम होना चाहिए तो प्रस्तावित विश्वविद्यालय में भी शिक्षा के माध्यम के रूप के कई भाषा क्यों नहीं रखी जा सकती ? सांस्कृतिक तथा भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर इस विश्वविद्यालय में बहुभाषा माध्यम बहुत उपर्युक्त रहता किन्तु सरकार ने इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं की ।

अन्त में मेरा सुझाव है कि 'विजिटर' को इतनी अधिक शक्तियां नहीं दी जानी चाहिएं । विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को अधिकार दिया जाना उचित अवश्य है किन्तु देखा यह गया है कि उन शक्तियों का दुरुपयोग भी किया जाता है । विश्वभारती में एक विद्यार्थी को पांच वर्ष के लिए परीक्षा देने से रोक दिया गया । यह दण्ड बहुत अधिक है । अत: मेरा सुझाव है कि प्राधिकारियों की शक्तियों में कुछ कमी करनी चाहिए ।

श्री एस० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । प्रधान मंत्री के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पिछड़ी हुई जनता की ओर ध्यान दिया जा रहा है, यह सराहनीय बात है ।

**बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर ।

**Summarised translated version based on english transation of the speech delivered in Bengali.

इस विश्वविद्यालय का नाम चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा जाए अथवा नहीं किन्तु इतना अवश्य है कि उन्होंने इस क्षेत्र का इतना विकास किया है कि वहां की जनता उनको कभी भूल नहीं सकती। इस पूर्वोत्तर क्षेत्र के इतिहास में श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। गत वर्षों में नए राज्यों तथा संघ राज्यों की स्थापना तथा बंगला देश की उत्पत्ति आदि घटनाओं ने प्रधान मंत्री के प्रति जनता की अटूट श्रृद्धा उत्पन्न कर दी है।

हम क्षेत्रीय विषमताओं के उन्मूलन की मांग करते रहे हैं। शिक्षा संबंधी सुविधाओं के बारे में भी विषमता थी। किन्तु प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना से उक्त विषमता में पर्याप्त कमी होगी। प्रारम्भ में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं किन्तु उन कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान विषमताओं को दूर करने के लिए सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। इससे उस क्षेत्र में एकता की भावना उत्पन्न होगी।

पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र में आसाम, मनीपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, तथा दो संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल तथा मिजोरम सम्मिलित हैं। माननीय मंत्री ने विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्यों का उल्लेख कर दिया है अत: इस बारे में आगे कुछ कहना व्यर्थ है।

लगभग इस विश्वविद्यालय की आवश्यकता गत 7–8 वर्षों में अनुभव की जा रही थी। विश्व-विद्यालय के मुख्यालय के लिए स्थान निश्चित करने के लिए एक समिति भी भेजी गई थी। किन्तु उसके बाद राजनीतिक कारणों से परिस्थिति में काफी परिवर्तन हो गया। शिक्षा के माध्यम के बारे में भी आशंकाएं उत्पन्न होने लगीं। मनीपुर की जनता भी पृथक विश्वविद्यालय की मांग कर रही थी। 1967–68 में सरकार ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि शिमला और मदुरै में स्नातकोत्तर सेंटर स्थापित किए जाएंगे तथा पांच वर्ष के बाद उन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाएगा। इस आश्वासन को पूरा किया जाना चाहिए। तथा मनीपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। हमारी यह मांग किसी राजनीतिक कारण से नहीं है वरन भाषा संबंधी कठिनाइयों के कारण से है। स्नातकोत्तर केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर सरलता से विश्वविद्यालय बनाए जा सकते हैं क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही विद्य-मान है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना से वहां की जनता में उत्साह बढ़ेगा तथा वह यह अनुभव करेगी कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका भी कोई योगदान है। वहां की जनता सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी हुई रही है तथा मेरा सुझाव है कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय की यथा-शीघ्र स्थापना होनी चाहिए।

मेरा यह भी सुझाव है कि विश्वविद्यालय को उस क्षेत्र की संस्कृति का विकास करना चाहिए तथा उस विषय में गहन अनुसंधान करना चाहिए। यह क्षेत्र संस्कृति का खजाना है। भारतीय तथा विदेशी स्कालरों के लिए विशेष विभाग खोले जाने चाहिएं जिससे विभिन्न आदिवासी संस्कृतियों का अध्ययन किया जा सके।

आज प्रतियोगिता का युग है किन्तु समाज के विभिन्न अंगों की प्रतिभा में अत्यंत विषमता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के भी विकास में अंतर है। इस अंतर को दूर किया जाना चाहिए तभी एकता उत्पन्न हो सकती है। विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर सकते हैं। आशा है प्रधान मंत्री तथा शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में देश में समानरूप से प्रगति होगी।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए 2 घंटे का समय अलाट किया गया था जिसमें से 35 मिनट बीत चुका है। माननीय सदस्य कृपया संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करें तथा संगत बातें ही उठाएं।

श्री मोहनराज कलिंगारायर (पोलाची) : मैं इस विश्वविद्यालय विधेयक का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसे लाने में विलम्ब के कारण बताएं।

25 वर्ष तक उपेक्षित रहने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को इस विश्वविद्यालय द्वारा अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ऐसे विश्वविद्यालय के न होने पर भी वहां साक्षर लोगों की प्रतिशतता इतनी कम नहीं है कि जिससे सिद्ध होता है कि वहां के लोग काफी मेहनती हैं और शिक्षा में रुचि रखते हैं। अतः इससे उन्हें और पूरे देश को लाभ पहुंचेगा।

वहां की स्थानीय राजनीति की चर्चा न करते हुए मैं केवल हाल में मिजोरम में हुए युवक आंदोलन का उल्लेख करना चाहूंगा। मेरे विचार में इसका कारण उचित शिक्षा सुविधाओं का अभाव ही है। आशा है कि जिस तत्परता से संसद् इसे पास कर रही है, उसी तत्परता से इसे लागू भी किया जाएगा।

अन्त में मैं अनुरोध करूंगा कि दक्षिण भारत के लिए भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जाए क्योंकि इससे न केवल सम्बद्ध राज्य का अपितु अनुसूचित जातियों/जनजातियों का भी उत्थान होता है।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र 1,43,658 वर्ग किलोमीटर और इसके अंतर्गत जनसंख्या 22,65,327 होगी, जो सभी वस्तुओं से पिछड़े हुए हैं। शिक्षा न केवल आर्थिक विकास के लिए अपितु सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी आवश्यक होती है।

इस विधेयक की कुछ बातों पर मैं प्रसन्न नहीं हूं। पहली यह कि इन दो राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित सभी कालिज अनिवार्यतः इस विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं होंगे।

दूसरी बात यह है कि कहा गया है कि इसकी स्थापना से इस क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक प्रगति होगी। यह कहना सही नहीं है क्योंकि यह काम तो सरकार का है। कहना तो यह चाहिए था कि इससे ऐसे अध्ययन और अनुसंधान करने में प्रोत्साहन मिलेगा जिनसे सामाजिक-आर्थिक प्रगति संभव हो सकेगी। तीसरी बात विश्वविद्यालय के 'विजिटर' अर्थात् राष्ट्रपति को दिए गए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां करने के अधिकार कार्यकारी परिषद् को दिए जाने चाहिएं।

अन्तिम बात उपकुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक सीमित कर देने के बारे में है। मैं चाहूंगा कि यह आवश्यक है कि क्योंकि श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जैसे अनेक उपकुलपतियों ने 65 वर्ष के बाद भी बहुत उल्लेखनीय योगदान किया है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के० मारक (तुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं। आशा है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र के विकास में इससे पूरी सहायता प्राप्त करेंगे और वहां की गरीबी और अज्ञान दूर होगा।

Shri M. C. Daga (Pali) : I am sorry to state that this Bill, instead of having been referred to a select Committee as per the hon. Ministeris earlier assurance in the House, has been introduced to be passed immediately as per popular demand I may also add that such hasty measures leave much scope for improvements later on.

No doubt we have been very prompt in setting up Universities not withstanding the standard of schools and colleges affiliated to them and, as a result, millions of educated youth are today on the roads hankering after jobs.

We have so far spent maximum amount of public funds on setting up these Universities. We had provided Six Crores of rupees for its establishment with another one crore as recurring expenditure, but we do not know the number of students and institutions which it will cater for?

Strangely enough, no qualifications have been prescribed for the highest functionary of the University, namely the Vice Chancellor.

It has been said that the Business Advisory Committee has directed that the Bill be introduced and passed in this manner. I think they have transgressed them powers and they cannot issue such directions. I, therefore, cannot withdraw my motion (*Interruptions*).

Now I want to know whether any attention would be paid towards physical education of the students? It has been provided in clause 4 that "any authority of the University may appoint as many committees and put Committees as it may deem fit". I want to know which is that authority?

Mr. Chairman : He may continue his speech tomorrow.

पांचवीं योजना में पश्चिम कोसी, राजस्थान और गँडक नहर परियोजनाओं का पूरा किया जाना*

COMPLETION OF WESTERN KOSI, RAJASTHAN AND GANDAK CANAL PROJECTS DURING FIFTH PLAN

Mr. Chairman : Now we take up half-an-hour discussion. 10-12 minutes for the dinner, some time for asking question and then 10 minutes for the minister to reply.

Shri Bhogendra Jha (Jayanagar) : Sir, after the tall talk of Green Revolution, now Goverment is talking of importing foodgrains to the tune of 70 lakh tonnes but if attention is paid towards implementing large irrigation project line Gandak, Kosi and Rajasthan Canal Projects, this import can still be avoided. But I am sorry to say that Government has not been anxious to do so.

If State Governments have not been able to accomplish the job of their completion despite getting adequate funds, it becomes the duty of the Centre to see that these projects are completed. The Centre should appoint an authority in right earnest and ask that to complete these projects in the Fifth Plan.

Regarding Kosi Project, you would be surprised to know, Sir, that despite inaugurating it thrice, not even an inch of land has beena cquired, what to speak of stating any digging operations there. It appears that the State Minister, who themselves are big landlords, do not want this project to be completed and for that they are in collusion with other big Kulaus of the State.

Previously, a plea was taken that Nepal has not released its land for Kosi Project, but now Nepal also has done that and digging is in progress there, but nothing has been on cur : of the Project.

I, therefore, plead that if all these Canal Projects are taken in hand, we can obviate separate provision for crash programmes to end unemployment. I am sorry to say that the Ministry is working only to shield profiteers—this I say on the basis of my association with the Price Fixation Committee.

---

*आधे घंटे की चर्चा।

I am very much concerned about the present State of affairs. I, therefore, want the hon. Minister to give a specific reply as our national honour and prestige are at State when we have to go abroad to beg for food.

Shri M. C. Daga (Pali) : I want to know whether the Rajasthan Canal is proposed to be completed by the end of Fifth Plan? Secondly, whether the Cabinet decision in regard to Pong Dam would be implemented or not? Thirdly, I want to know the initial and revised estimates for Rajasthan Canal and whether the entire can not would be provided for in the Fifth Plan?

Shri Ramavatar Shahstri (Patna) : I want to know why Government is not prepared to accede to the repeated demand for taking over the three Projects of Rajasthan, Kosi and Gandak?

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The Gandak Project concerns U.P. and Nepal, besides Bihar, and despite spending 130 crores, it has been able to irrigate only 3 lakh acres of land. Even now consolidated work has not been done. Expeditious implementation can ensure good crops to solve the food problem of the country. I, therefore, want to know why it is not taken over by the Centre?

Shri Jagannath Mishra (Madhuban): Regarding Western Kosi Canal Project, I want to know as to when work would start in Nepalese territory? Secondly, why Centre cannot undertake the completion of this Project? Thirdly, the State Government has already expressed its inability in this regard and they have requested the Centre to take over. I would request the hon. Minister to accede to that request to ensure timely implementation of the Project.

Shri Lalji Bhai (Udaipur) : I want to know as to when the Rajasthan Canal project would be completed and what would be the cost thereof?

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : जहां हम सब चाहते हैं कि ये तीन योजनाएं शीघ्रताशीघ्र पूरी हों और केन्द्र तथा सम्बद्ध राज्य सरकारें इसके लिए पूरा-पूरा प्रयास करें, वहां मैं पेश आने वाली कुछ कठिनाइयों का भी उल्लेख करना चाहूंगा।

कोसी परियोजना वास्तव में दो भागों में है। पश्चिम कोसी परियोजना में नेपाल ने गत वर्ष ही भूमि उपलब्ध की है और उसके 34 किलोमीटर क्षेत्र में से एक वर्ष में 33 किलोमीटर पर काम पूरे जोर से चल रहा है। नेपाली क्षेत्र में काम पूरा किए बिना बिहार में काम चालू नहीं किया जा सकता।

गंडक परियोजना पूरी होने पर 11,00,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई करेगी जो बिहार में होगी। विलम्ब के जो कारण विभूति मिश्र ने बताए हैं अधिकांशत: सच हैं और मैं इनकी बाद में चर्चा करूंगा।

कोसी नहर की तरह राजस्थान नहर के भी दो अंग हैं और हमें दूसरे चरण को पहले पूरा करना है। इससे पूर्व कि मैं उठाए गए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दूं मैं यह बताना चाहता हूं कि पांचवी योजना अभी तैयार नहीं हुई है अत: यह बताना कि इन योजनाओं के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है या उनके लिए कितने धन की व्यवस्था की जाएगी, कठिन होगा। फिर भी मेरे विचार में कोसी, गंडक और राजस्थान तीनों योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था पांचवी योजना में की जाएगी। केवल राजस्थान नहर परियोजना के दूसरे चरण के लिए आवश्यक 86 करोड़ रुपए उपलब्ध होने के बारे में कुछ संदेह हो सकता है, फिर भी योजना आयोग हर संभव प्रयास करेगा कि आवश्यक व्यवस्था हो ताकि हम इसे पांचवी योजना में पूरा कर सकें।

स्वतंत्र बोर्ड के सुझाव के बारे में मैं बता दूं कि कोसी और गंडक योजनाओं के लिए ऐसे बोर्ड पहले ही बने हुए हैं। राजस्थान नहर परियोजना के लिए सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में एक निदेशक बोर्ड है जिसका एक सदस्य राज्य का मुख्य मंत्री है। कठिनाई तो यह है कि जैसा कि प्राक्कलन समिति ने भी बताया है कि इन बोर्डों ने केवल इंजीनियरी पक्ष के पूरा किए जाने पर ही ध्यान दिया है। अत: हम चाहते हैं कि

ये बोर्ड अपने कार्यों को बहुमुखी बनाएं और इन्हें इतने अधिक अधिकार प्राप्त हों कि वे पेश आने वाली विभिन्न कठिनाइयां दूर कर सकें। इसके लिए हम राज्यों से लिखा-पढ़ी कर रहे हैं और तीनों राज्यों ने आश्वासन दिया है कि ऐसे बोर्ड शीघ्र ही स्थापित कर दिए जाएंगे।

जहां तक इन परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लेने का सम्बन्ध है, मैं सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि सिंचाई राज्यों का विषय है। अतः यह इच्छा व्यक्त करने का कोई लाभ नहीं है कि उक्त योजना को केन्द्र अपने हाथ में ले ले।

Shri Bibhuti Mishra : Sir, Gandak Project concerns Nepal and the State has to route its correspondence with Nepal through the Centre. I, therefore, feel that it will expedite matters if the Centre takes it over. Moreover, the funds are also being made available by the Centre.

Shri Ramavatar Shastri : Has the hon. Minister consulted the State Governments in this regard?

Shri D. P. Dhar : I have full regards for the sentiments expressed by the hon. Members but that is not enough, as there are Constitutional hurdles in the way of such take over, because irrigation is a State Project. Moreover, I am not yet convinced about the inability of States to complete these Projects. I may tell the House that as soon as circumstances compelled us to do so, we would immediately take necessary steps.

Shri Jagannath Mishra : The Bihar Government has already sent such a request.

Shri D. P. Dhar : We have not yet received it. We have chosen some twenty such Projects including these three and named them as national Projects. We, therefore, propose to take some advance action this year which is the last year of the Fourth Plan and finds have been allocated therefor. I want to assure Members that we are trying our best to get them completed.

Thank you.

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 8 मई, 1973/18 वैशाख, 1895 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Tuesday, the 8th May, 1973/ Vaisakha 18, 1895 (Saka).

M366LS/73—490—24-12-73—G.I.P.F.